



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-आ.-28012026-269620
CG-DL-E-28012026-269620

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 360]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 28, 2026/माघ 8, 1947

No. 360]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 28, 2026/MAGHA 8, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2026

का.आ. 388(अ).— ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2024 के प्ररूप वाली अधिसूचना जो की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को अधिकांत करेगी, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, अधिसूचना संख्या सा.का.नि 5369 (अ), तारीख 9 दिसंबर, 2024 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, जिसमें इससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों से, उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से साठ दिन की अवधि समाप्त होने से पूर्व, आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को 14 दिसंबर, 2024 को उपलब्ध करा दी गई थीं;
और, उक्त अवधि के भीतर उक्त प्ररूप अधिसूचना के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया है;

अब, अतः केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, 6 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-

अध्याय 1

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 है;
- (2) ये 01 अप्रैल 2026 से प्रवृत्त होंगे।
- लागू होना- ये नियम प्रत्येक शहरी निकाय के साथ-साथ ग्रामीण स्थानीय निकाय पर भी लागू होंगे, जिसमें उनके अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाली सभी संस्थाएँ सम्मिलित हैं, चाहे वे सरकार द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित हों; निजी क्षेत्र या लोक-निजी भागीदारी में; विशेष अधिसूचित क्षेत्र; अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र या टाउनशिप; विशेष आर्थिक जोन; फूड पार्क; भारतीय रेलवे के नियंत्रण वाले क्षेत्र जिनमें रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक और रेलवे ट्रैक से सटे भूमि खंड सम्मिलित हैं; हवाई अड्डे; एयरबेस; पत्तन और पत्तन जिनमें शुष्क पत्तन सम्मिलित हैं; रक्षा प्रतिष्ठान; लोक और निजी प्रतिष्ठान; राज्य और केंद्रीय सरकार के संगठन; तीर्थस्थल, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थान और सभी भूमि मालिक (लोक या निजी, व्यक्तिगत या निगमित निकाय जिनके पास भूमि खंड हैं), और प्रत्येक घरेलू, संस्थागत, वाणिज्यिक और किसी भी अन्य गैर-आवासीय ठोस अपशिष्ट उत्पादक पर लागू होंगे।

यह नियम औद्योगिक अपशिष्ट, हानिकारक अपशिष्ट, हानिकारक रसायन, जैव चिकित्सा अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, बैटरी अपशिष्ट और रेडियोधर्मी अपशिष्ट को समाविष्ट नहीं करता है, जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बनाए गए अलग नियमों के अधीन आते हैं।

- परिभाषाएँ.— (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - "वातजीवी कम्पोस्टीकरण" से ऑक्सीजन की विद्यमानता में जैविक पदार्थ का सूक्ष्म जैवकीय विघटन अंतर्वलित कोई नियंत्रित प्रक्रिया अभिप्रेत है;
 - "कृषि अवशिष्ट" से कृषि या वागवानी फसल के खेतों या बगीचों से फसलों की कटाई के पश्चात् उत्पन्न फसल अवशिष्ट या फसल अपशिष्ट पदार्थ जैसे पुआल, भूसा आदि।
 - "अवायुजीवी उपचारण" से ऑक्सीजन के अभाव में जैविक पदार्थ का सूक्ष्म जैवकीय विघटन अंतर्वलित कोई नियंत्रित प्रक्रिया अभिप्रेत है;
 - "प्राधिकर" से इन नियमों के अधीन, यथास्थिति संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा, किसी सुविधा के संचालक या शहरी स्थानीय प्राधिकरण या अपशिष्ट के प्रसंस्करण और निपटान के लिए उत्तरदायी किसी अन्य अभिकरण को दी गई अनुकूल अभिप्रेत है।
 - "जैविक रूप से अपघटित अपशिष्ट" से ऐसी कोई कार्बनिक सामग्री अभिप्रेत है जिसे सूक्ष्म जीवों द्वारा सरलतर टिकाऊ सम्मिश्रण में निम्नीकृत किया जा सकता है;

(च) "जैविक मिथेनीकरण" से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसमें मिथेन से भरपूर जैव गैस का उत्पादन करने के लिए सूक्ष्मजीवी क्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थ का एंजाइमी अपघटन को अपरिहार्य बनाता है;

(छ) "ब्रांड स्वामी" से कोई व्यक्ति या कंपनी अभिप्रेत है जो किसी रजिस्ट्रीकृत ब्रांड लेबल के अधीन कोई वाणिज्यिक विक्रय करता है।

(ज) "मध्यवर्ती परिक्षेत्र" से ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान सुविधा के आसपास बनाए रखा जाने वाला क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसकी स्थापित क्षमता पांच टन प्रतिदिन से अधिक हो और बफर जोन के अंदर किए जाने वाले आकार और क्रियाकलापों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा क्षमता और प्रदूषण भार के आधार पर विकसित किए जाएंगे ताकि पर्यावरण पर प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके और बफर जोन को ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान सुविधा के लिए आवंटित कुल क्षेत्र के भीतर बनाए रखा जाएगा;

(झ) "भारी मात्रा के अपशिष्ट जनित्र" वो इकाइयां जो निम्नलिखित मानदंडों में से कम से कम एक को पूरा करते हों (i) 20,000 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाले भवन; या (ii) प्रतिदिन 40,000 लीटर पानी की खपत; या (iii) प्रतिदिन 100 किलोग्राम ठोस अपशिष्ट उत्पादन सम्मिलित हैं, आर्थात्:-

- क. सांस्थानिक उपयोक्ता, जिनमें निम्नलिखित के द्वारा अधिगृहित भवन सम्मिलित हैं
- (i) केंद्रीय सरकार के विभाग या उपक्रम, राज्य सरकार के विभाग या उपक्रम,
- (ii) स्थानीय निकाय,
- (iii) पब्लिक सेक्टर उपक्रम या निजी कंपनियाँ,
- (iv) स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अन्य शैक्षणिक संस्थान और
- (v) सामुदायिक स्थान या उस जैसे स्थान
- ख. वाणिज्यिक उपयोक्ता जिनमें सम्मिलित हैं
- (i) रेलवे, बस स्टेशन या डिपो, विमानपत्तन, पत्तनसहित वाणिज्यिक स्थापनाएं,
- (ii) औद्योगिक इकाइयां और औद्योगिक क्षेत्र
- (iii) मॉल, मल्टीप्लेक्स,
- (iv) होटल,
- (v) अस्पताल, नर्सिंग होम,
- (vi) छात्रावास,
- (vii) कृषि और बागवानी उत्पादों, मछली और मांस के लिए "मंडियों"सहित थोक बाजार
- (viii) स्टेडियम, खेल परिसर
- (ix) सामुदायिक हॉल, कन्वेशन हॉल, ऑडिटोरियम;
- (x) विवाह या भोज हॉल;
- (xi) सम्मेलन केंद्र, एक्सपो सेंटर, प्रदर्शनी क्षेत्र;
- (xii) पर्यटन स्थल।

ग. आवासीय सोसायटी

(ज) "उपविधि" से स्थानीय निकाय, जनगणना शहर, और अधिसूचित क्षेत्र टाउनशिप द्वारा अपने अधिकारिता वाले क्षेत्र में इन नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए, अधिसूचित नियामक ढांचा अभिप्रेत है;

(ट) "जनगणना नगर" से भारत के महाराजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा यथा परिभाषित शहरी क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ठ) "ज्वलनशील अपशिष्ट" से प्लास्टिक, काष्ठ लुगदी आदि जैसी क्लोरीनीकृत सामग्री से भिन्न छोड़कर गैर-जैवअवक्रमणीय, गैर-पुनर्चक्रणीय, गैर-पुनः उपभोज्य, गैर परिसंकटमय ठोस अपशिष्ट अभिप्रेत है जिसका 1500 किलोकैलोरी/किलोग्राम से न्यूनतम कैलोरिफिक मान हो;

(ड) "कम्पोस्टीकरण" से जैविक पदार्थ का सूक्ष्मजीवी अपघटन को अंतर्वलित करने वाली नियंत्रित प्रक्रिया अभिप्रेत है;

(ट) "ठेकेदार" से ऐसा व्यक्ति या फर्म अभिप्रेत है जो कोई सेवा करने के लिए या सेवा प्रदाता प्राधिकारी के लिए कार्य करने के लिए सामग्री या श्रम प्रदान करने की संविदा करता है या करती है;

(ण) "सह-प्रसंस्करण" प्राकृतिक खनिज संसाधनों और औद्योगिक प्रक्रियाओं जीवाश्म ईंधनों को प्रतिस्थापित करने या उन्हें अनूपूरितया दोनों को करने के लिए कच्ची सामग्री के रूप में या ऊर्जा के स्रोत के रूप में 1500 किलोकैलोरी/किलोग्राम से अधिक कैलोरिफिक मूल्य वाले गैर-जैव अवक्रमणीय और गैर-पुनर्चक्रणीय ठोस अपशिष्ट का उपयोग अभिप्रेत है;

(त) "विकेन्द्रित प्रसंस्करण" से जैव अवक्रमणीय अपशिष्ट और/या बागवानी अपशिष्ट के प्रसंस्करण को अधिकतम करने के लिए बिखरी हुई सुविधाओं की स्थापना और उत्पादन के स्रोत से निकटतम पुनर्चक्रण/प्रसंस्करण योग्य सामग्रियों की प्रतिप्राप्ति करना अभिप्रेत है ताकि प्रसंस्करण या निस्तारण के लिए अपशिष्ट का न्यूनतम परिवहन करना पड़े;

(थ) "निस्तारण" से भूजल, सतही जल, परिवेशी वायु के संदूषण तथा पशुओं या पक्षियों के आकर्षण को रोकने के लिए अनुसूची 1 में यथा विनिर्दिष्ट भूमि पर प्रसंस्करण के उपरांत अवशिष्ट ठोस अपशिष्ट और निष्क्रिय गली का कूड़ा करकट और सतही नाले की गाद का अंतिम तथा सुरक्षित निस्तारण ताकि भूजल, सतही जल, परिवेशी वायु के संदूषण और जानवरों या पक्षियों के आकर्षण को रोका जा सके, अभिप्रेत है;

(द) "द्वार-द्वार संग्रहण" से घरों, दुकानों, वाणिज्यिक स्थापनों, कार्यालयों, संस्थागत या किसी अन्य गैर आवासीय परिसर के द्वार तक जाकर ठोस अपशिष्ट का संग्रहण करना और जिसके अधीन किसी आवास सोसायटी, बहुमंजिला इमारत या अपार्टमेंट, बड़े आवासीय, वाणिज्यिक या संस्थागत परिसर या परिसर में प्रवेश द्वार या भूतल पर निर्दिष्ट स्थान से ऐसे अपशिष्ट का संग्रह करना भी अभिप्रेत है;

(ध) "शुष्क अपशिष्ट" से जैव-निम्नीकरण अपशिष्ट और स्वास्थ्यकर अपशिष्ट, विशेष देखभाल अपशिष्ट के अलावा अन्य अपशिष्ट और इसमें पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट और गैर-पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट अभिप्रेत है;

(न) "क्षेपण स्थल" से जिसका स्वास्थ्यकर भूमि भरण के सिद्धांतों का पालन किए बिना ठोस अपशिष्ट के निस्तारण के लिए स्थानीय निकाय द्वारा उपयोग की कोई भूमि अभिप्रेत है;

(प) "सुविधा" से ऐसा कोई स्थान अभिप्रेत है जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रियाएं अर्थात् पृथक्करण, पुनर्प्राप्ति, भंडारण, संग्रहण, पुनर्चक्रण, प्रसंस्करण, उपचार या सुरक्षित निस्तारण किया जाता है;

(फ) "जुर्माना" से इन नियमों और/या उप-विधियों के निवेशों के अनुपालन न करने पर उप-विधियों के अधीन अपशिष्ट जनित्रों या अपशिष्ट प्रसंस्करण के प्रचालकों और निस्तारण सुविधाओं पर लगाया गया जुर्माना अभिप्रेत है।

(ब) "प्ररूप" से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है;

(भ) “प्रहस्तन” से ठोस अपशिष्टों की छंटाई, पृथक्करण, सामग्री की पुनर्प्राप्ति, संग्रहण, गौण भंडारण, काटना, गट्टा बनाना, दलन, लदाई, उतराई, परिवहन, प्रसंस्करण और निस्तारण से संबंधित सभी क्रियाकलाप अभिप्रेत हैं;

(म) “बागवानी अपशिष्ट” से पार्कों, उद्यानों, यातायात द्वीपों, सड़क के मध्य क्षेत्रों आदि से निकलने वाला पौधे-आधारित अपशिष्ट, जिसमें घास और लकड़ी के टुकड़े, खरपतवार, छंटाई, शाखाएं, टहनियाँ, लकड़ी के टुकड़े, पुआल या मृत पत्ते और पेड़ की छंटाई सम्मिलित हैं, जिसे गीले अपशिष्ट के लिए दैनिक संग्रह प्रणाली में समायोजित नहीं किया जा सकता है, अभिप्रेत है;

(यक) “निष्क्रिय” से ऐसा अपशिष्ट अभिप्रेत है जो जैव अपघटनीय, पुनर्चक्रणीय या दाहूं नहीं हैं जैसे गती की सफाई तथा सतही नालियों से निकाली गई धूल और गाद भी हैं;

(यख) “भस्त्रीकरण” से एक ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जो अपशिष्ट पदार्थों को उच्च तापमान पर ऊष्मीय रूप से विघटित करने के लिए ठोस अपशिष्ट को जलाती या अपघटित करती है;

(यग) “अनौपचारिक अपशिष्ट संग्राहक” के अधीन व्यष्टि, संगम ऐसे या अपशिष्ट व्यापारी सम्मिलित हैं जो पुनर्चक्रणीय सामग्रियों के संग्रहण, पृथक्करण, छंटाई, विक्रय और खरीद में अंतर्वलित हैं;

(यघ) “निक्षानितक” से ऐसा द्रव अभिप्रेत है जो ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिसता है और उसमें से घुली हुई या निलम्बित सामग्री का सत्त्व है;

(यङ) “स्थानीय निकाय” से अभिप्रेत इन नियमों के प्रयोजन के लिए और जिसके अधीन म्युनिसपल कॉरपोरेशन, नगर निगम, जिला परिषद्, म्युनिसपल बोर्ड, नगरपालिका परिषद, नगरपालिका बोर्ड, नगर पंचायत और टाउन पंचायत, जनगणना नगर, अधिसूचित क्षेत्र और अधिसूचित औद्योगिक टाउनशिप, पंचायती राज संस्थाएं हैं;

(यच) “सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा” से ऐसी सुविधा अभिप्रेत है, जहां गीले अपशिष्ट और बागवानी अपशिष्ट के अलावा ठोस अपशिष्ट को स्थानीय निकाय या स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत किसी इकाई द्वारा अस्थायी रूप से संग्रहीत किया जा सकता है ताकि जैव अपघटनीय प्लास्टिक के साथ-साथ कंपोस्टेबल प्लास्टिक सहित एकत्रित अपशिष्ट को अलग करने और छांटने की सुविधा मिल सके और अपशिष्ट के विभिन्न घटकों से पुनर्चक्रणीय और गैर-पुनर्चक्रणीय वस्तुओं को प्राधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं या अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं को स्थानांतरित किया जा सके;

(यछ) “अजैविक निम्नीकरण योग्य अपशिष्ट” से कोई ऐसा अपशिष्ट अभिप्रेत है जिसका सूक्ष्म जीव द्वारा सरलतर स्थायी यौगिक में निम्नीकरण नहीं किया जा सकता है;

(यज) “सुविधा का प्रचालक” से ऐसे व्यक्ति या अस्तित्व अभिप्रेत हैं, जो ऐसे ठोस अपशिष्ट के प्रहस्तन के लिए किसी सुविधा का स्वामी है या प्रचालित करता है, जिसके अधीन स्थानीय निकाय और स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त कोई अन्य अस्तित्व या अभिकरण भी है;

(यझ) “प्राथमिक संग्रहण” से पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट को उसके उत्पादन के स्रोत से एकत्रित करना, जिसमें घर, बाजार, संस्थान, अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान या उद्योग या औद्योगिक क्षेत्र सहित कोई अन्य गैर-आवासीय परिसर या स्थानीय निकाय द्वारा निर्दिष्ट किसी निर्दिष्ट संग्रहण बिंदु से द्वितीयक भंडारण बिंदु या द्वितीयक स्थानांतरण स्टेशन या इसी प्रकार के अन्य स्थानों तक ले जाना अभिप्रेत है;

(यज) “प्रसंस्करण” से कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा ठोस अपशिष्ट को पुनःउपयोग, पुनर्चक्रित या नए उत्पादों में परिवर्तित करने के प्रयोजन के लिए हथालित करना अभिप्रेत है;

(यट) “पुनर्चक्रण” से पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट को अजैव निम्नीकृत नए पदार्थ या उत्पाद या नए उत्पादों का उत्पादन करने के लिए कच्ची सामग्री के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसमें मूल उत्पादों को समरूप किया जा सकेगा या नहीं किया जा सकेगा;

(यठ) “पुनर्विकास” से जहां विद्यमान भवन और अन्य अवसंरचनाएं जीर्णशीर्ण हो गई हैं वहां उसी स्थल पर पुरानी आवासीय या वाणिज्यिक भवनों का पुनर्निर्माण अभिप्रेत है;

(यड) “अपशिष्ट व्युत्पन्न ईंधन” से ठोस अपशिष्ट जैसे प्लास्टिक, काष्ठ, लुगदी या कार्बनिक अपशिष्ट, क्लोरीनीकृत पदार्थों से भिन्न ठोस अपशिष्ट को सुखाकर कतरन, निर्जलीकरण और संघनन द्वारा गुटिका या रोएं के कप में उत्पादित बाहू अपशिष्ट प्रभाजी से व्युत्पन्न ईंधन अभिप्रेत है;

(यढ) “अवशिष्ट ठोस अपशिष्ट” से और उसके अधीन ऐसी ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं, जो पुनर्चक्रण या अतिरिक्त प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त नहीं हैं, से प्राप्त अपशिष्ट और अस्वीकृत भी अभिप्रेत है;

(यण) “स्वास्थ्यकर भूमि भरण” से अवशिष्ट ठोस अपशिष्ट के अंतिम और सुरक्षित निस्तारण और भूजल, सतही जल और क्षणभंगुर वायु धूल, हवा से उड़ा हुए कूड़ाकरकट, दुर्गंध, अग्नि परिसंकट, पशु खतरे, पक्षी खतरे, नाशकजीवी या कृन्तकों, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, सतत जैव प्रदूषणकारी तत्व प्रावण्य अस्थिरता और अपरदन के प्रदूषण के प्रतिसंरक्षात्मक उपायों सहित प्रकल्पित सुविधा में भूमि पर निष्क्रिय अपशिष्ट अभिप्रेत है;

(यत) “स्वास्थ्यकर अपशिष्ट” से प्रयोग किए गए डायपर, स्वास्थ्यकर तौलिए या नैपकिन, टैम्पोन, कंडोम, इनकंटीनेंस शीट और कोई अन्य समरूप अपशिष्ट से मिलकर बना अपशिष्ट अभिप्रेत है;

(यथ) “स्वास्थ्यकर उत्पाद” से डायपर, स्वास्थ्यकर तौलिए या नैपकिन, टैम्पोन, कंडोम, इनकंटीनेंसशीट्स से मिलकर बना उत्पाद अभिप्रेत है;

(यद) “अनुसूची” से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(यध) “गौण भंडारण” से प्रसंस्करण या निस्तारण सुविधा को अपशिष्ट के आगे परिवहन के लिए गौण भंडारण डिपो या सामग्री पुनर्पासि सुविधाओं या आधानों पर संग्रहण के पश्चात ठोस अपशिष्ट का अस्थायी संदूषक अभिप्रेत है;

(यन) “पृथक्करण” से ठोस अपशिष्ट के विभिन्न संघटकों अर्थात् जैविक निम्नीकरण अपशिष्ट जिसमें कृषि और दुग्धपालन अपशिष्ट सम्मिलित हैं, अजैविक निम्नीकरण अपशिष्ट, गैर जैवनिम्नीकरणीय जिसमें पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट, गैर-पुनर्चक्रण योग्यदाहूयोग्य अपशिष्ट, स्वास्थ्यकर अपशिष्ट और गैर चक्रण योग्य कूड़ाकरकट अपशिष्ट, घरेलू परिसंकटमय तथा विध्वंस अपशिष्ट सम्मिलित हैं, की छंटाई और पृथक भंडारण अभिप्रेत है;

(यप) “सेवा प्रदाता” से जल, मलवहन, विद्युत, टेलीफोन, सड़क, जल निकासी आदि जैसी लोक उपयोगिता सेवाएं प्रदान करने वाले प्राधिकरण अभिप्रेत हैं;

(यफ) “ठोस अपशिष्ट” से ठोस या अर्ध-ठोस घरेलू अपशिष्ट अभिप्रेत है और इसके अधीन स्थानीय प्राधिकरण और नियम 2 में उल्लिखित अन्य संस्थाओं के अधीन क्षेत्र में उत्पन्न स्वास्थ्यकर अपशिष्ट, वाणिज्यिक अपशिष्ट, संस्थागत अपशिष्ट, खानपान और बाजार अपशिष्ट और अन्य गैर आवासीय अपशिष्ट, सड़क की सफाई, सतही नालियों से निकाली गई या संग्रह की गई गाद, बागवानी अपशिष्ट, कृषि और डेयरी अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट को छोड़कर उपचारित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट और ई-अपशिष्ट, बैटरी अपशिष्ट, रेडियो-सक्रिय अपशिष्ट भी अभिप्रेत हैं;

(यब) “छाँटाई करना” से मिश्रित अपशिष्ट से पुनर्चक्रणयोग्य और गैर -पुनर्चक्रण योग्य विभिन्न संघटकों और प्रवर्गों जैसे गत्ता, कागज, प्लास्टिक, धातु, कांच आदि को पुनर्चक्रण या प्रसंस्करण या निस्तारण सुविधा में पृथक करना अभिप्रेत है;

(यभ) “विशेष देखभाल अपशिष्ट” से केंके गए पेट के ड्रम, कीटनाशक के डिब्बे या कंटेनर या बोतलें, सीएफएल या बल्ब, ट्यूब लाइट, एक्सपायर हो चुकी दवाइयां, टूटे हुए पारा थर्मामीटर, बेकार बैटरी, इस्तेमाल की गई/बेकार सुइयां और सिर्पिंज और दूषित पट्टियां, या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर घरेलू स्तर पर अधिसूचित कोई अन्य अपशिष्ट अभिप्रेत हैं;

(यम) “स्थिरीकरण” से जैवनिमीकरण अपशिष्ट को जैविक अपघटन की स्थायी में परिवर्तित करना अभिप्रेत है जहां वह निक्षालन या अरूचिकर सुगंध उत्पन्न नहीं करता है और कृषि भूमि, मृदा अपरदन नियंत्रण और मृदा उपचार के लिए उपयुक्त है;

(यय) “राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड” से जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 4 के अधीन गठित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अभिप्रेत है और इसमें संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण समिति भी सम्मिलित है;

(ययक) “मार्ग विक्रेता” से किसी गली, लेन, पार्श्व पथ, पैदलपथ, लोक उद्यान या किसी अन्य लोक स्थान या निजी क्षेत्र में, किसी अस्थायी निर्मित संरचना से या स्थान से स्थान घूमकरसाधारण जनता को दैनिक उपयोग की वस्तुओं, सामानों, खाद मद या वाणिज्यिक वस्तु के विक्रय करने या उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने में लगे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिसके अधीन फेरीवाला, पैकार, आपश्चात्कर तथा ऐसे अन्य सभी समानार्थी पद जो स्थानीय या विनिर्दिष्ट क्षेत्र में हो सकते हैं, भी हैं और “मार्ग विक्रय” शब्दों को उनके व्याकरणिक रूप भेदों और सजातीय पदों का अर्थ तदनुकूल समझा जाएगा;

(ययख) “टिप्पिंग फीस” में स्थानीय निकायों/प्राधिकरणों या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्राधिकृत किसी राज्य अभिकरण द्वारा विहित प्रभार या समर्थन मूल्य अभिप्रेत है, जो ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा के ग्राही या प्रचालक या भूमिभरण पर ठोस अपशिष्ट के निस्तारण के लिए अवधारित संदात्त है;

(ययग) “अंतरण स्थल” से संग्रह क्षेत्रों से ठोस अपशिष्ट प्राप्त करने को सृजित सुविधा और अपशिष्ट प्रसंस्करण और या निस्तारण सुविधा को आच्छादित यानों या आधानों में बड़ी मात्रा में परिवहन अभिप्रेत हैं;

(ययघ) “परिवहन” से ठोस अपशिष्ट, चाहे वह उपचारित हो, आंशिक रूप से उपचारित हो या अनुपचारित हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पर्यावरणीय रूप से युक्त युक्त रीति में विशिष्ट रूप से अभिहित और आच्छादित परिवहन प्रणाली जैसे दुर्गंध, कूड़ा-अपशिष्ट और घृणित दशा को रोकने के लिए प्रवहन अभिप्रेत है;

(ययङ) “उपचार” से किसी अपशिष्ट के भौतिक, रासायनिक या जैविक लक्षणों या संघटन में रूपांतरण की अभिहित पद्धति, तकनीक या प्रक्रिया अभिप्रेत है जिससे उसके आयतन और क्षितिकारक क्षमता को कम करता है;

(ययच) “उपयोक्ता फीस” से ठोस अपशिष्ट संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण और निस्तारण सेवाएं उपलब्ध कराने की कुल या आंशिक लागत को प्राप्त करने में अपशिष्ट जनित्र पर स्थानीय निकाय द्वारा अधिरोपित फीस अभिप्रेत है;

(ययछ) “कृमि कम्पोस्ट” से केंचुओं का प्रयोग करते हुए कम्पोस्ट में संपरिवर्तित करने की जैव-निमीकरण प्रक्रिया अभिप्रेत है;

(ययज) “अपशिष्ट जनित्र” से रेल तथारक्षा स्थापनाओं सहित प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह, प्रत्येक आवासीय परिसर और गैर आवासीय स्थापनाएं भी हैं, जो ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं, अभिप्रेत है और इसके अधीन सम्मिलित हैं;

(यय०) "अपशिष्ट की क्रमबद्धता" से ऐसा प्राथमिकता क्रम अभिप्रेत है जिसके अनुसार ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन निवारण, कटौती, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण, पुनर्प्राप्ति और निस्तारण पर बल देकर किया जाना चाहिए, जिसमें निवारण को सर्वाधिक प्राथमिकता और भू-भरण में निस्तारण को न्यूनतम वरीयता का विकल्प होगा;

(यय०) "अपशिष्ट चुनने वाला" से ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह अभिप्रेत है जो अपशिष्ट उत्पादन के स्रोत से पुनः प्रयोज्य और पुनर्चक्रण योग्य ठोस अपशिष्ट के संग्रहण और साथ ही पुनर्चक्रकों को उनकी आजीविका अर्जित करने के लिए सीधे या उनके मध्यवर्तियों के माध्यम से विक्रय के लिए सड़कों, कूड़ेदानों, प्रसंस्करण और अपशिष्ट निस्तारण सुविधाओं से अपशिष्ट को उठाने में औपचारिक रूप से लगे हुए हैं;

(यय०) "अपशिष्ट से ऊर्जा" से ऊर्जा उत्पादन के लिए ठोस अपशिष्ट का उपयोग, विद्युत उत्पादन के लिए भस्मीकरण (थर्मल प्रक्रिया) के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन के लिए ठोस अपशिष्ट के उच्च कैलोरी मान गैर-बायोडिग्रेडेबल और गैर-पुनर्चक्रण योग्य अंशों के उपयोग के माध्यम से सह-प्रसंस्करण या संपीड़ित बायोगैस, जैव संपीड़ित प्राकृतिक गैस सहित बायोगैस (मीथेन) के उत्पादन के लिए अवायवीय पाचन (बायोमिथेनेशन) के लिए ठोस अपशिष्ट के बायोडिग्रेडेबल अंश का उपयोग अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है, जिसे या तो सीधे उपयोग के लिए या उपयुक्त जनरेटर का उपयोग करके विजली में परिवर्तित किया जा सकता है;

(यय०) "आर्द्र अपशिष्ट" से जैविक अपशिष्ट जिसमें रसोई का अपशिष्ट, खाद अपशिष्ट, सब्जी अपशिष्ट, मांस अपशिष्ट, फलों का अपशिष्ट, फूलों का अपशिष्ट और इसी तरह का अन्य अपशिष्ट सम्मिलित है, अभिप्रेत है।

(2) इसमें प्रयुक्त जिन शब्दों और पदों का अर्थ परिभाषित नहीं किया गया है, परन्तु जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो संबंधित अधिनियमों में है।

4. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन.- स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्राधिकार में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में अन्य बातों के साथ-साथ ठोस अपशिष्ट जैसे शुष्क अपशिष्ट, गीला अपशिष्ट, विशेष देखभाल अपशिष्ट, स्वास्थ्यकर अपशिष्ट, बागवानी अपशिष्ट का पर्यावरणीय रूप से युक्तियुक्त रीति से प्रबंधन, साथ ही स्वास्थ्यकर भूमिभरण प्रबंधन और विद्यमान या विरासत अपशिष्ट भरण स्थलों का उपचार सम्मिलित होगा।

अध्याय 2

ठोस अपशिष्ट का पर्यावरणीय रूप से युक्तियुक्त रीति से प्रबंधन

5. अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं के कर्तव्य (1) प्रत्येक अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता-
 - क. ठोस अपशिष्ट से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को रोकने या कम करने के उपाय अपनाना;
 - ख. समय-समय पर स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देश या अधिसूचना के अनुसार उनके द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को चार पृथक-पृथक शाखाओं अर्थात् आर्द्र अपशिष्ट, शुष्क अपशिष्ट, स्वास्थ्यकर अपशिष्ट और विशेष देखभाल अपशिष्ट में पृथक-पृथक करके संग्रहित करना; तथा पृथककृत अपशिष्ट को प्राधिकृत अपशिष्ट चुनने वालों या अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं को सौंपेगा;
 - ग. प्रयोग किए गए स्वास्थ्यकर अपशिष्ट जैसे डायपर, स्वास्थ्यकर पैड आदि को इन उत्पादों के निर्माताओं या ब्रांड मालिकों द्वारा प्रदान किए गए थैले में या स्थानीय निकायों या प्राधिकरणों के निर्देशानुसार उपयुक्त लपेटन सामग्री में सुरक्षित रूप से लपेटेंगे और उसे शुष्क अपशिष्ट/गीले अपशिष्ट या विशेष देखभाल अपशिष्ट के लिए बने डिब्बों से अलग स्वास्थ्यकर अपशिष्ट डिब्बे के लिए बने में डालेंगे;

घ. संनिर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट को, जब भी उत्पन्न हो, अपने परिसर में पृथक रूप में भंडारित करेंगे तथा संनिर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार उसका निस्तारण करेंगे;

ङ. अपने परिसर या भूमि से उत्पन्न कृषि अपशिष्ट या उद्यान अपशिष्ट को अपने परिसर में पृथक रूप में भंडारित करें और समय-समय पर स्थानीय निकाय प्राधिकारियों के निर्देशों के अनुसार उसका निस्तारण करें;

च. कोई अपशिष्ट जनित्र उसके द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को न फेंके, न जलाएं और न ही गाड़ें, तथा न ही नाली या जलाशयों में फेंकें;

छ. प्रत्येक सड़क विक्रेता को अपने कार्यकलाप के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट जैसे खाद अपशिष्ट, डिस्पोजेबल प्लेट, कप, डिब्बे, रैपर, नारियल के खोल, बचा हुए भोजन, सब्जियां, फल आदि के भंडारण के लिए उपयुक्त कंटेनर रखना होगा और ऐसे अपशिष्ट को स्थानीय निकाय द्वारा अधिसूचित अपशिष्ट भंडारण डिपो या कंटेनर या वाहन में जमा करना होगा;

ज. अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता ऐसी उपयोक्ता फीस का संदाय करेंगे जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्थानीय निकायों की उपविधियों में विनिर्दिष्ट किया जाए;

झ. पृथक ठोस अपशिष्ट अर्थात गीला अपशिष्ट, सूखा अपशिष्ट, विशेष देखभाल अपशिष्ट और सैनिटरी अपशिष्ट के भंडारण के लिए उपयुक्त कंटेनर रखें, पृथक अपशिष्ट को प्राधिकृत अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या स्थानीय निकाय द्वारा अधिसूचित अपशिष्ट संग्रह वाहनों के माध्यम से भेजें;

ञ. कोई व्यक्ति अग्रिम रूप से कम से कम तीन कार्य दिवस पहले स्थानीय निकाय को सूचित किए बिना किसी भी गैर-अनुज्ञासि वाले स्थान पर एक सौ व्यक्तियोंसे अधिक का कोई आयोजन या समारोह आयोजित नहीं करेगा; तथा ऐसा व्यक्ति या ऐसे आयोजन का आयोजक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट का स्रोत पर पृथक्करण हो तथा पृथक किए गए अपशिष्ट को स्थानीय निकाय द्वारा अभिहित अपशिष्ट चुनने वाले को या अभिकरण को सौंप दिया जाए। उत्पन्न अपशिष्ट का निस्तारण इन नियमों के अधीन विहित रीति से किया जाएगा।

ट. जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अधीन आने वाले जैव चिकित्सा अपशिष्ट को ठोस अपशिष्ट के साथ मिश्रित नहीं करेगा, परंतु उसकी पहचान जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अधीन अधिभोगी के रूप में हो।

(2) राजपत्र में इन नियमों के अधिसूचित होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर 5,000 वर्गमीटर से अधिक थेट्रफल वाले सभी होटल, रेस्तरां, निवासी कल्याण, बाजार संघ और गेट लगे समुदाय तथा संस्थान स्थानीय निकाय के साथ भागीदारी में इन नियमों में यथाविहित जनित्रों द्वारा स्रोत पर अपशिष्ट का पृथक्करण सुनिश्चित करेंगे, पृथक-पृथक धाराओं में पृथक-पृथक अपशिष्ट के संग्रहण की सुविधा प्रदान करेंगे, पुनर्चक्रिय योग्य सामग्री को प्राधिकृत अपशिष्ट उठाने वालों या प्राधिकृत पुनर्चक्रियां को सौंपेंगे। जैव-अवक्रमणीय अपशिष्ट को यथासंभव परिसर के भीतर खाद या जैव-मीथेनेशन के माध्यम से संसाधित, उपचारित और निपटाया जाएगा। अवशिष्ट अपशिष्ट को स्थानीय निकाय द्वारा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या अभिकरण को सौंप दिया जाएगा।

6. थोक अपशिष्ट जनित्र के कर्तव्य—प्रत्येक थोक अपशिष्ट जनित्र,

(क) केंद्रीकृत अॅनलाइन पोर्टल के माध्यम से संबंधित स्थानीय निकाय के साथ खुद को रजिस्ट्रीकृत करेंगे। रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में रजिस्ट्रीकरण के विधिमान्य बने रहने के लिए आवश्यक शर्तों को निर्दिष्ट किया जाएगा। रजिस्ट्रीकरण के दौरान दी गई जानकारी और रजिस्ट्रीकरण में निर्दिष्ट शर्तों में कोई भी परिवर्तन स्थानीय निकाय को सूचित किया जाएगा;

(ख) शुष्क अपशिष्ट, स्वास्थ्यकर अपशिष्ट, विशेष देखभाल अपशिष्ट को एकत्रित करने तथा स्थानीय निकाय या उसके द्वारा प्राधिकृत अभिकरण को सौंपने के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगा;

(ग) उनके द्वारा उत्पन्न गीले अपशिष्ट और/या बागवानी अपशिष्ट (यदि लागू हो) को खाद या बायोमिथेनीकरण या किसी अन्य अनुमोदित प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकेन्द्रीकृत रीति से एकत्रित करने और संसाधित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगा;

(घ) सभी नए थोक अपशिष्ट जनित्रों के मामले में, उनके द्वारा उत्पन्न संपूर्ण गीले अपशिष्ट का प्रसंस्करण सुनिश्चित करने के लिए पर्यास क्षमता की बागवानी अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं सहित विकेन्द्रीकृत गीले अपशिष्ट की स्थापना और प्रचालन करेंगे। विद्यमान थोक अपशिष्ट जनित्रों के मामले में, जो विकेन्द्रीकृत गीले अपशिष्ट प्रसंस्करण की स्थापना और प्रचालन करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें स्थानीय निकाय से छूट मिलेगी और ऐसे थोक अपशिष्ट जनित्रों को उनके द्वारा उत्पन्न संपूर्ण गीले अपशिष्ट के बराबर गीले अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए संबंधित स्थानीय निकाय से विस्तारित थोक अपशिष्ट जनित्र उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा;

(ङ) विस्तारित थोक अपशिष्ट उत्पादक दायित्व को पूरा करना, जिसमें (i) गीले अपशिष्ट का प्रसंस्करण और (ii) एकत्रित शुष्क अपशिष्ट, विशेष देखभाल अपशिष्ट, स्वास्थ्यकर अपशिष्ट का पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन सुनिश्चित करना शामिल है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के साथ परामर्श से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय समय पर जारी नियामकों के आधार पर थोक अपशिष्ट उत्पादक द्वारा उत्पन्न समग्र ठोस अपशिष्ट के लिए विस्तारित थोक अपशिष्ट उत्पादक दायित्व का परिकलन;

(च) शुष्क अपशिष्ट, विशेष देखभाल अपशिष्ट, स्वास्थ्यकर अपशिष्ट और गीले अपशिष्ट का प्रसंस्करण थोक अपशिष्ट उत्पादक द्वारा नहीं किया गया है तो, के संग्रहण और परिवहन द्वारा पर्यावरण की दृष्टि से उचित प्रबंधन करने के लिए स्थानीय निकाय से विस्तारित थोक अपशिष्ट उत्पादक दायित्व प्रमाण पत्र प्राप्त करना और अपशिष्ट के आगे प्रसंस्करण और उपचार के लिए पंजीकृत अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा में भेजना;

(छ) इन नियमों के अधीन अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण न करने वाली किसी अन्य इकाई के साथ लेन-देन नहीं करेगा;

(ज) विस्तारित थोक अपशिष्ट उत्पादक उत्तरदायित्व के संबंध में, जिसमें उनके द्वारा उत्पन्न कुल परिकलित ठोस अपशिष्ट के लिए विस्तारित थोक अपशिष्ट उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र प्राप्त करना भी सम्मिलित है, केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर प्रत्येक वर्ष 30 जून तक वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगे। वार्षिक रिटर्न आगे की प्रक्रिया के लिए स्थानीय निकायों को प्रस्तुत किए जाएँगे। वार्षिक रिटर्न स्थानीय निकाय की वेबसाइट पर लोक डोमेन में वार्षिक आधार पर उपलब्ध कराए जाएँगे;

(झ) अपशिष्ट प्रसंस्करण के दौरान उत्पन्न अवशिष्ट ठोस अपशिष्ट को रजिस्ट्रीकृत अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं को देगा, जिसमें अपशिष्ट संग्रहकर्ता/ चुनने वाले या तीसरे पक्ष या विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के मामले में रियायतग्राही सम्मिलित हैं;

(ट) निर्माण के दौरान उनके द्वारा उत्पन्न ठोस अपशिष्ट को तुरंत साफ करवाएंगे तथा उसे हटाएंगे, तथा निर्माण इकाइयों के मामले में, इन नियमों के अधीन उपबंधों के अनुपालन में उसका उपयोग या उपचार करवाएंगे;

(ठ) यह सुनिश्चित करेंगे कि परिवहन के दौरान ठोस अपशिष्ट इधर-उधर न बिखरा हो तथा सड़क मार्ग और रेलवे सहित लोक परिवहन में लगी संस्थाओं के मामले में, यात्रा के दौरान तथा बस स्टेशनों और रेलवे स्टेशन पर उत्पन्न ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन इन नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाए;

(ड) सुसंगत नियमों के अनुसार, आवासीय, सांस्थानिक क्षेत्रों, सामुदायिक सुविधाओं, सड़कों, ट्रांसमिशन लाइनों जैसे बुनियादी ढांचे के विकास और पुनर्विकास सहित निर्माण परियोजनाओं में लगी संस्थाओं या विमानपत्तनों, बस अड्डों या रेलवे स्टेशनों, शॉपिंग मॉल जैसी लोक सुविधाओं के प्रचालन और प्रबंधन में लगे हुए हैं के मामले में विभिन्न श्रेणी के ठोस अपशिष्टों के संग्रह और प्रसंस्करण/निस्तारण के लिए सुविधाओं का विकास और प्रचालन करेंगे;

(द) जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अधीन सम्मिलित जैव चिकित्सा अपशिष्ट को ठोस अपशिष्ट के साथ मिश्रित नहीं करेगा, परंतु उसे जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अधीन अधिभोगी के रूप में पहचाना गया हो। ऐसे मामलों में, बीडब्ल्यूजी वार्षिक विवरणी दाखिल करते समय, उत्पन्न जैव चिकित्सा अपशिष्ट की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा और जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अधीन संग्रहण, उपचार/निस्तारण के लिए प्राधिकृत संस्थाओं को सौंप देंगे।

7. ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के चालक के कर्तव्य-.- प्रत्येक अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं का संचालक:-

(क) गीला अपशिष्ट, शुष्क अपशिष्ट, स्वास्थ्यकर संबंधी अपशिष्ट, विशेष देखभाल वाला अपशिष्ट, बागवानी अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएं जिनमें डब्ल्यूटीई, सीबीजी, खाद बनाना, भस्मक, सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट सुविधाएं सम्मिलित हैं, के मामले में केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्थानीय निकाय के साथ रजिस्ट्रीकृत करेगा;

(ख) उपचार मानकों को सुनिश्चित करेगा ताकि मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे और अनुसूची ॥ और ॥ ॥ में अधिकपित मानकों को पूरा करेगा;

(ग) अगली तिमाही के पहले माह की 15 तारीख तक त्रैमासिक विवरणी और प्रति वर्ष 30 जून तक वार्षिक विवरणी प्ररूप ॥ ॥ में संबंधित स्थानीय निकाय को दाखिल करेगा और स्थानीय निकाय आगे की प्रक्रिया से पहले दाखिल विवरणी को मान्य करेगा, प्रसंस्करण के लिए प्राप्त गीले अपशिष्ट, सूखे अपशिष्ट, विशेष देखभाल अपशिष्ट, स्वास्थ्यकर अपशिष्ट, बागवानी अपशिष्ट की मात्रा/आयतन के संबंध में, जैसा लागू हो; संसाधित ठोस अपशिष्ट की मात्रा; स्वास्थ्यकर/प्रचालन भूमिभरण में भेजे गए गैर-पुनर्चक्रणीय और गैर-ऊर्जा पुनःप्राप्ति योग्य शुष्क अपशिष्ट और निष्क्रिय पदार्थों का व्यौरा; गीले अपशिष्ट और बागवानी अपशिष्ट के प्रसंस्करण से उत्पादित जैविक खाद/कंपोस्ट की उपलब्धता, गुणवत्ता और विक्रय/उपयोग; और अन्य सुसंगत विवरण आदि आंकड़े लोक डोमेन में भी उपलब्ध कराए जाएंगे और वेबस्थल पर प्रकाशित किए जाएंगे;

(घ) अपशिष्ट प्रसंस्करण के दौरान उत्पन्न अवशिष्ट ठोस अपशिष्ट को, विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के मामले में, अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या तीसरे पक्ष या रियायतग्राही सहित रजिस्ट्रीकृत अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं को देगा;

(ङ) इस संबंध में समय-समय पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी तकनीकी दिशा-निर्देशों और केंद्रीय लोक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय इंजीनियरिंग संगठन, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय/ पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) द्वारा तैयार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर मैनुअल के अनुसार सुविधा को प्रारूपित और स्थापित करेगा;

(च) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना और संचालन के लिए नियमों के अधीन प्राधिकरण प्राप्त करेगा;

(द) नियमों में विहित मानकों के अनुसार और समय-समय पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय या पेयजल और स्वच्छता विभाग (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करते हुए ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और/या उपचार सुविधाओं के सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से सही संचालन के लिए जिम्मेदार होगा;

(ज) सभी बायोमिथेनेशन या संपीड़ित बायोगैस या बायोगैस संयंत्रों का रजिस्ट्रीकरण गोबरधन पोर्टल पर किया जाएगा;

(झ) इन नियमों के अधीन अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण न कराने वाली किसी अन्य अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा के साथ संव्यवहार नहीं करेगी।

(ज) अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के प्रचालन के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति की नियुक्ति सुनिश्चित करना।

8. ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण और परिवहन में सम्मिलित स्थानीय निकाय के कर्तव्य- ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण और परिवहन में सम्मिलित प्रत्येक स्थानीय निकाय या स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत रियायतग्राही या तृतीय पक्ष,

(क) स्वयं को केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत करेंगे;

(ख) यह सुनिश्चित करेंगे कि ठोस अपशिष्ट का संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन और/या प्रसंस्करण पर्यावरण की दृष्टि से उचित रीति से, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवासन और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है;

(ग) एकत्रित ठोस अपशिष्ट को रजिस्ट्रीकृत अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा को सौंपने के लिए उत्तरदायी होंगे;

(घ) इस संबंध में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विहित दिशा-निर्देशों के अनुसार, रजिस्ट्रीकृत अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं/पुनर्चक्रकों को सौंपे गए अपशिष्ट (शुष्क, गीला, स्वास्थ्यकर संबंधी और विशेष अपशिष्ट) की मात्रा पर स्थानीय निकाय या रियायतग्राही द्वारा दाखिल त्रैमासिक विवरणी के आधार पर थोक अपशिष्ट जनित्रों के लिए विस्तारित थोक अपशिष्ट जनित्र उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्र तैयार करेगा;

(ङ) गीले अपशिष्ट और बागवानी अपशिष्ट के खिलाफ विस्तारित थोक अपशिष्ट जनित्र उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र केवल रजिस्ट्रीकृत और / या प्राधिकृत गीले अपशिष्ट उपचार / प्रसंस्करण / पुनर्चक्रण सुविधाओं के पश्चात् ही तैयार किया जाएगा, जिन्हें प्रसंस्करण / उपचार के लिए गीला अपशिष्ट सौंपा जाता है, केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त और संसाधित गीले अपशिष्ट/ बागवानी अपशिष्ट की मात्रा के बारे में विवरण प्रदान करने वाली रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं;

(च) स्वयं या रजिस्ट्रीकृत तीसरे पक्ष के माध्यम से गीले अपशिष्ट को रजिस्ट्रीकृत गीला अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा तक, शुष्क अपशिष्ट को रजिस्ट्रीकृत सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा/प्रसंस्करण सुविधा तक, स्वास्थ्यकर अपशिष्ट और विशेष देखभाल अपशिष्ट को रजिस्ट्रीकृत पुनर्चक्रणकर्ता/प्र संस्करणकर्ता/भस्मक या सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा या द्वितीयक भंडारण बिंदु/ट्रांसफर स्टेशनों तक परिवहन सुनिश्चित करेंगे;

(छ) संबंधित स्थानीय निकाय को अगली तिमाही के पहले माह की 15 तारीख तक त्रैमासिक और हर वर्ष 30 जून तक वार्षिक विवरणीदाखिल करेंगे और स्थानीय निकाय अपशिष्ट जनित्र /थोक अपशिष्ट जनित्र से प्राप्त गीले अपशिष्ट, सूचे अपशिष्ट, विशेष देखभाल अपशिष्ट, स्वास्थ्यकर अपशिष्ट, बागवानी अपशिष्ट संग्रह किया जाता है; रजिस्ट्रीकृत या प्राधिकृत अपशिष्ट उपचार या प्रसंस्करण या रीसाइकिंग सुविधाओं का व्यौरा जिन्हें गीला अपशिष्ट, शुष्क अपशिष्ट, विशेष देखभाल अपशिष्ट, स्वास्थ्यकर अपशिष्ट, बागवानी अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए दिया जाता है

(झ) निम्नलिखित के लिए भी उत्तरदायी होंगे :-

(i) केंद्रीय लोक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय इंजीनियरिंग संगठन, आवासन और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमपुस्तिका, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पेयजल एंव स्वच्छता विभाग के समय-समय पर यथासंशोधित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना ;

(ii) ठोस अपशिष्ट के बिखराव, वह जाने और फैलने को रोकने के लिए उपाय करना, या पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए अन्य उपाय करना;

(iii) यह सुनिश्चित करना कि अपशिष्ट जनित्रों से ठोस अपशिष्ट का संग्रहण नियमित समयांतराल पर किया जाए;

(iv) यह सुनिश्चित करना कि ठोस अपशिष्ट के संग्रहण और परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन उचित आकार और क्षमता से सुसज्जित हों ताकि गीले अपशिष्ट और सूखे अपशिष्ट के लिए पृथक-पृथक डिब्बे उपलब्ध कराए जा सकें और स्वास्थ्यकर अपशिष्ट, विशेष देखभाल अपशिष्ट और बागवानी या कृषि अपशिष्ट के पृथक-पृथक संग्रहण के लिए आवश्यक व्यवस्था प्रदान की जा सकें;

(v) यह सुनिश्चित करना कि संग्रहण एवं परिवहन के दौरान अपशिष्ट विधियों का आपस में मिश्रण न हो;

(vi) यह सुनिश्चित करना कि अपशिष्ट प्रवाह तब तक पृथक रहे जब तक कि वह निर्दिष्ट अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा तक न पहुंच जाए;

(vii) यह सुनिश्चित करना कि संग्रहण एवं परिवहन में सम्मिलित व्यक्ति को उचित पीपीई प्रदान किया गया है और उन्हें उचित प्रशिक्षण दिया गया है;

(viii) यह सुनिश्चित करना कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत रियायतग्राही या तीसरा पक्ष, केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्थानीय निकाय के साथ रजिस्ट्रीकरण करेगा और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करेगा और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विहित मानक का पालन करेगा।

(ix) यह सुनिश्चित करना कि संग्रहण और परिवहन में लगे बेड़े में कम से कम 50,000 से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए निगरानी उपकरण लगे हों। आवश्यकता के अनुसार, इसे 50,000 से कम आबादी वाले स्थानीय निकायों पर भी लागू किया जा सकता है।

9. सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा एमआरएफ में पुनर्चक्रणीय/गैर-पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट की छटाई में सम्मिलित इकाई के कर्तव्य: -

(1) सूखे अपशिष्ट की पुनर्चक्रणीय/गैर-पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट की छटाई में सम्मिलित प्रत्येक इकाई को स्थानीय निकाय के साथ रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा।

(2) संस्था की यह जिम्मेदारी होगी कि वह: -

(क) यह सुनिश्चित करना कि सुविधा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विहित मानकों या मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप है;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि इकाई की किसी भी क्रियाकलाप से उत्पन्न परिसंकटमय अपशिष्ट का प्रबंधन परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाता है।

(3) पुनर्चक्रणीय या गैर-पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट को रजिस्ट्रीकृत अपशिष्ट प्रसंस्करण संस्थाओं/ पुनर्चक्रकर्ता संस्थाओं को भेजा जाएगा।

(4) इकाई ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संबंधित स्थानीय निकाय को प्राप्त ठोस अपशिष्ट की मात्रा, रजिस्ट्रीकृत अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं या स्वास्थ्यकर भूमिभरण को छाटे गए और व्यवस्थित किए गए ठोस अपशिष्ट की मात्रा के बारे में अगली तिमाही के पहले माह की 15 तारीख तक तिमाही आधार पर रिपोर्ट करेगी।

(5) सुविधा या इकाई किसी अन्य इकाई के साथ संव्यवहार नहीं करेगी जिसका रजिस्ट्रीकरण इन नियमों के अधीन अनिवार्य नहीं है।

(6) सामग्री रिकवरी सुविधा के प्रचालन के लिए प्रशिक्षित कार्मिकों की नियुक्ति सुनिश्चित करना।

(7) रजिस्ट्रीकृत एमआरएफ, जहाँ तक संभव हो, अपशिष्ट प्रसंस्करण हेतु अपशिष्टों के चैनलाइज़ेशन हेतु निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं, विशेष रूप से उन अपशिष्ट धाराओं में जहाँ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन अधिसूचित पृथक नियमों के अधीन विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व अनिवार्य किया गया है:

- (i) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं या ई-अप जैसे अन्य अपशिष्टों के अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं या उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड स्वामियों या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अधीन अधिसूचित पृथक नियमों के अधीन विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए आज्ञापित इकाईयों के लिए एक संग्रहण केंद्र के रूप में कार्य करना;
- (ii) ई-अपशिष्ट, विशेष देखभाल अपशिष्ट, स्वच्छता अपशिष्ट या अन्य अपशिष्टों के लिए एक निष्केपण केंद्र के रूप में कार्य करना, जिनके लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अधीन पृथक नियम अधिसूचित किए गए हैं, ताकि अपशिष्टों को प्रसंस्करण हेतु आगे चैनलाइज़ किया जा सके;
- (iii) निम्नलिखित सिद्धांतों के माध्यम से अपशिष्टों में चक्रीयता को बढ़ावा देने के लिए ड्रॉप-ऑफ केंद्रों या जमा केंद्रों के रूप में कार्य करना, अर्थात् कम करना, पुनः उपयोग करना और पुनर्चक्रण करना।

(8) स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की लागत और ऊपर उप-नियम (7) में उल्लिखित एकत्रित अपशिष्ट की लागत का निर्धारण करेगा।

10. अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए विस्तारित थोक अपशिष्ट जनित्र उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र :-

- (1) केवल स्थानीय निकाय को विस्तारित थोक अपशिष्ट उत्पादक के दायित्व की पूर्ति हेतु नियम 39 के उप-नियम (38) में दी गई योजना के अनुसार विस्तारित थोक अपशिष्ट उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र ऑनलाइन पोर्टल पर जारी करने का अधिकार है।
- (2) स्थानीय निकाय थोक अपशिष्ट उत्पादक से एकत्रित और रजिस्ट्रीकृत अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं या पुनर्चक्रणकर्ताओं को सौंपे गए ठोस अपशिष्ट के लिए ईबीडब्ल्यूजीआर प्रमाणपत्र जारी करने से पहले केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर स्वयं को रजिस्ट्रीकृत करेगा।
- (3) विस्तारित थोक अपशिष्ट उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित सूत्र का उपयोग किया जाएगा:

विस्तारित थोक अपशिष्ट उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र (किलोग्राम) = स्थानीय निकाय द्वारा एकत्रित, परिवहन किए गए और रजिस्ट्रीकृत प्रसंस्करणकर्ताओं/पुनर्चक्रकर्ताओं को भेजे गए ठोस अपशिष्ट की मात्रा (किलोग्राम)

- (4) गीले अपशिष्ट के विरुद्ध उत्पन्न विस्तारित थोक अपशिष्ट उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र स्थानीय निकाय द्वारा तभी उत्पन्न किए जाएँगे जब संबंधित रजिस्ट्रीकृत गीला अपशिष्ट उपचार या प्रसंस्करण केंद्र, जिन्हें अपशिष्ट सौंपा गया था, केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त और संसाधित गीले अपशिष्ट की मात्रा का विवरण प्रदान करने वाली रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
- (5) ऐसे सभी लेन-देन स्थानीय निकाय या रजिस्ट्रीकृत तृतीय पक्ष या रियायतग्राही द्वारा वार्षिक रिटर्न दाखिल करते समय केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज और प्रस्तुत किए जाएँगे।

(6) किसी विशेष वर्ष में स्थानीय निकाय द्वारा उत्पन्न विस्तारित थोक अपशिष्ट उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र, थोक अपशिष्ट उत्पादकों के दायित्वों को पूरा करने के लिए तीन वर्ष की अवधि के लिए मान्य होंगे।

(7) स्थानीय निकाय द्वारा लिए जाने वाले विस्तारित थोक अपशिष्ट उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र की लागत, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता के परामर्श के बाद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अंतिम रूप दिया जाएगा।

(8) स्थानीय निकाय, विस्तारित थोक अपशिष्ट उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों की लागत, थोक अपशिष्ट उत्पादकों से उनके विस्तारित थोक अपशिष्ट उत्पादक उत्तरदायित्व दायित्वों की पूर्ति हेतु वसूल करेगा।

(9) स्थानीय निकाय द्वारा विस्तारित थोक अपशिष्ट उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र के लिए ली जाने वाली लागत, संबंधित रियायतग्राही या स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत तृतीय पक्ष के साथ-साथ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ साझा की जाएगी और स्थानीय निकाय द्वारा इसका उपयोग ठोस अपशिष्ट संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण अवसंरचना के विकास और रखरखाव, या इस संबंध में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रियायतग्राही या तृतीय पक्ष के लेखा-परीक्षण के लिए किया जा सकता है।

(10) बाध्य इकाई द्वारा दायित्व का पालन न करने की स्थिति में, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दी जाएगी।

11. अपशिष्ट पर आधारित अपशिष्ट व्युत्पन्न ईंधन संयंत्रों से निर्दिष्ट दूरी के भीतर स्थित औद्योगिक इकाइयों और अपशिष्ट आधारित ऊर्जा संयंत्रों के कर्तव्य:-

(1) ठोस ईंधन का उपयोग करने वाली औद्योगिक इकाइयाँ नीचे दी गई तालिका के अनुसार रीफ्यूज उत्पन्न ईंधन (रीफ्यूज उत्पन्न ईंधन), पृथक दहनशील अंश या कृषि-अवशेष का उपयोग करेंगी। ठोस ईंधन का उपयोग करने वाली और ठोस अपशिष्ट आधारित कचरा व्युत्पन्न ईंधन संयंत्र से निर्दिष्ट दूरी के भीतर अवस्थित सभी औद्योगिक इकाइयों को अपनी ठोस ईंधन आवश्यकता को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विहित मानकों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट से उत्पादित दहनशील अंश से बदलने की व्यवस्था करनी होगी।

सारणी

क्र. सं.	ठोस अपशिष्ट का दहनीय अंश	कैलोरी मान	उपयोग का उद्देश्य	निर्दिष्ट दूरी	ईंधन अनुसूची	प्रतिस्थापन
1	2	3	4	5	6	

1	पृथक दहनशील अंश या कृषि अवशेष	> 1500 किलो कैलोरी / किग्रा शुद्ध	अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पन्न करने वाले संयंत्र या हीटिंग आवश्यकताओं वाले बॉयलर वाले उद्योग	100 किमी	नियम लागू होने की तारीख से कम से कम छह प्रतिशत ईंधन की खपत
2	रिफ्यूज उत्पन्न ईंधन ग्रेड I	> 4500 किलो कैलोरी / किग्रा शुद्ध	सीमेंट भट्टों में प्रत्यक्ष सह-प्रसंस्करण के लिए	400 किमी	नियम लागू होने की तारीख से तीन वर्ष के पश्चात् कम से कम दस प्रतिशत ईंधन की खपत
3	रिफ्यूज उत्पन्न ईंधन ग्रेड II	> 3750 से 4500 किलोकैलोरी / किग्रा शुद्ध	सीमेंट भट्टों में प्रत्यक्ष सह-प्रसंस्करण के लिए	400 किमी	नियम लागू होने की तारीख से छह वर्ष के पश्चात् कम से कम पांद्रह प्रतिशत ईंधन की खपत
4	रिफ्यूज उत्पन्न ईंधन ग्रेड III	> 3000 से 3750 किलोकैलोरी / किग्रा शुद्ध	सीधे सह-प्रसंस्करण के लिए या सीमेंट भट्टों में अन्य अपशिष्ट पदार्थों के साथ प्रसंस्करण के पश्चात्	400 किमी	

(2) ऐसी सभी औद्योगिक इकाइयाँ संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकरण कराएंगी और हर साल 30 जून तक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपशिष्ट-जनित ईंधन या पृथक दहनशील अंश या कृषि अवशेषों के उपयोग पर वार्षिक रिटर्न दाखिल करेंगी।

(3) सभी रिफ्यूज उत्पन्न ईंधन संयंत्र और एमआरएफ-सह-रिफ्यूज उत्पन्न ईंधन संयंत्र, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, मासिक आधार पर केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध रिफ्यूज उत्पन्न ईंधन/एससीएफ की गुणवत्ता रिपोर्ट के साथ अपशिष्ट-जनित ईंधन की उपलब्धता का रजिस्ट्रीकरण और रिपोर्ट करेंगे।

(4) अपशिष्ट-जनित ईंधन संयंत्रों को केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपशिष्ट-जनित ईंधन की उपलब्धता और उठाव पर वास्तविक समय की रिपोर्ट देनी होगी।

(5) अपशिष्ट-व्युत्पन्न ईंधन या पृथक दहनशील अंश संयंत्र, जो अपशिष्ट को सीमेंट संयंत्रों को आपूर्ति करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनका कैलोरी मान कम से कम 1500 किलो कैलोरी/किग्रा हो।

(6) अपशिष्ट-व्युत्पन्न ईंधन या पृथक दहनशील अंश संयंत्र, जो अपशिष्ट को सीमेंट संयंत्रों को आपूर्ति करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनका कैलोरी मान 3000 किलो कैलोरी/किग्रा हो।

12. पहाड़ी और द्वीपीय क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मानदंड और उठाए जाने वाले कदम-

पहाड़ी क्षेत्रों में, स्थानीय प्राधिकारियों के कर्तव्य और उत्तरदायित्व निम्नानुसार होंगे:-

(क) आगंतुकों या पर्यटकों (नगरपालिका सीमा में स्थायी निवासी नहीं) से ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन और प्रबंधन के लिए फीस लगा सकते हैं और वसूल कर सकते हैं और स्थानीय प्राधिकारी की अपशिष्ट प्रबंधन क्षमता के अनुसार आगंतुकों की संख्या को विनियमित करने के उपाय भी कर सकते हैं;

(ख) पहाड़ी और द्वीपीय क्षेत्रों में लैंडफिल के निर्माण से बचा जाएगा। प्रसंस्करण सुविधा से अवशिष्ट अपशिष्ट और निष्क्रिय अपशिष्ट को एकत्रित करने के लिए एक उपयुक्त बंद स्थान पर एक स्थानांतरण स्टेशन स्थापित किया जाएगा। स्वच्छ या परिचालन लैंडफिल स्थापित करने के लिए पहाड़ी से 25 किलोमीटर के भीतर मैदानी क्षेत्रों में एक उपयुक्त भूमि की पहचान की जाएगी। स्थानांतरण स्टेशन से अवशिष्ट अपशिष्ट का निपटान इस स्वच्छ या परिचालन लैंडफिल पर किया जाएगा;

(ग) ऐसी भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति में, निष्क्रिय और अवशिष्ट अपशिष्ट के लिए क्षेत्रीय स्वच्छ या परिचालन लैंडफिल स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा;

(घ) स्थानीय निकाय उप-नियम बनाएगा और नागरिकों को सड़कों पर ठोस अपशिष्ट फैलाने से रोकेगा तथा पर्यटकों को निर्देश देगा कि वे कागज, पानी की बोतलें, शराब की बोतलें, शीतल पेय की बोतलें, कैन, टेट्रा पैक सहित पेय पदार्थों के कंटेनर, अन्य प्लास्टिक या कागज के अपशिष्ट जैसे किसी भी अपशिष्ट को पहाड़ी क्षेत्रों या पहाड़ियों के नीचे न फेंकें और इसके बजाय ऐसे ठोस अपशिष्ट को कूड़ेदानों में डालने का निर्देश देगा, जो स्थानीय निकाय द्वारा सभी पर्यटन स्थलों पर रखे जाएँगे;

(ङ) स्थानीय निकाय उप-नियमों के अधीन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के उपबंधों को पहाड़ी और द्वीपीय क्षेत्रों में आने वाले सभी पर्यटकों को शहर के प्रवेश बिंदु पर, साथ ही उनके ठहरने वाले होटलों, गेस्ट हाउसों के माध्यम से और पर्यटन स्थलों पर उपयुक्त होर्डिंग लगाकर बताने की व्यवस्था करेगा;

(च) स्थानीय निकाय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं को टिकाऊ बनाने के लिए प्रवेश बिंदु पर पर्यटकों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रभार उद्भवित कर सकता है;

(छ) भूमि आवंटन का प्रभारी विभाग विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना के लिए पहाड़ियों और द्वीपों पर उपयुक्त स्थान की पहचान और आवंटन करेगा। स्थानीय निकाय ऐसी सुविधाएं स्थापित करेगा। पहाड़ी क्षेत्र के इष्टतम उपयोग के लिए सीढ़ीदार उद्यान प्रणाली अपनाई जा सकती है;

(ज) द्वीपों के गाँवों में निर्दिष्ट अपशिष्ट संग्रहण केंद्र होंगे जहाँ प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पृथक किए गए अजैवनिन्नीकरणीय अपशिष्ट को आगे के प्रसंस्करण हेतु परिवहन से पहले अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाएगा।

(झ) द्वीपों के तटीय क्षेत्रों में मछुआरे, नाव संचालक और पर्यटन संचालक, उत्पन्न ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन जिम्मेदारीपूर्वक करेंगे और अपशिष्ट को स्थानीय निकाय या स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत अभिकरण को सौंपेंगे या निर्दिष्ट संग्रहण केंद्रों पर जमा करेंगे तथा तट या समुद्र में अपशिष्ट नहीं फैलाएँगे;

(ज) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा विकसित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, स्थल-विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार होटलों और रेस्तरां द्वारा अपशिष्ट के विकेन्द्रीकृत प्रसंस्करण को प्रोत्साहित किया जाएगा।

13. अपशिष्ट से ऊर्जा प्रसंस्करण के लिए मानदंड.- (1) 1500 किलोकैलोरी/किलोग्राम या इससे अधिक के कैलोरिफिक मान रखने वाले गैर-पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट को भूमिभरण में निस्तारित नहीं किया जाएगा तथा इसका उपयोग केवल ऊर्जा उत्पादन के लिए या तो अपशिष्ट से प्राप्त ईंधन के माध्यम से या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विहित मानकों के अनुसार अपशिष्ट से प्राप्त ईंधन तैयार करने के लिए फीडस्टॉक के रूप में देने के लिए किया जाएगा।

(2) नियम 11 के उपनियम (1) में सम्मिलित उच्च कैलोरीयुक्त अपशिष्टों का उपयोग सीमेंट या ताप विद्युत संयंत्रों या अपशिष्ट से विद्युत संयंत्रों या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित अन्य उद्योगों में सह-प्रसंस्करण के लिए किया जाएगा। ऐसी इकाइयों को निरंतर संचालन के लिए नियमों में विहित पर्यावरणीय मानकों का पालन करना होगा।

(3) स्थानीय निकाय या स्थानीय निकाय द्वारा नामित सुविधा का संचालक, जो अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है, जिसका कैलोरी मान 1500 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम या उससे अधिक है, नियमों के अधीन प्राधिकरण के लिए, यथास्थिति, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रपत्र 1 में आवेदन प्रस्तुत करेगा। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अपशिष्ट से ऊर्जा सुविधा स्थापित करने के लिए ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर, उसकी जांच करेगा और साठ दिनों के भीतर अनुमति प्रदान करेगा।

(4) अपशिष्ट से ऊर्जा सुविधाओं की स्थापना, संचालन और रखरखाव, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा, इस संबंध में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, प्राधिकृत किया जाएगा।

अध्याय 3

स्वास्थ्यकर भूमिभरण स्थल

14. कार्यात्मक स्वास्थ्यकर भूमिभरण की स्थापना, प्रचालन एवं रखरखाव-

(1) शहरी विकास विभाग या नगरपालिका प्रशासन या स्थानीय स्वास्थ्यकर भूमिभरण की स्थापना के लिए भूमि की पहचान करेगा। शहरी विभाग या नगरपालिका प्रशासन या स्थानीय स्वास्थ्यकर भूमिभरण की स्थापना के लिए भूमि की पहचान करेगा। शहरी विभाग या नगरपालिका प्रशासन या स्थानीय स्वास्थ्यकर भूमिभरण की स्थापना के लिए भूमि की पहचान करेगा।

(2) जिला स्तर पर भूमि आवंटन का प्रभारी विभाग, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भूमि की पहचान करेगा। जिला स्तर पर भूमि आवंटन का प्रभारी विभाग, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र शहरी विकास विभाग या ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भूमि की पहचान करेगा।

(3) संबंधित स्थानीय निकाय अनुसूची 1 में विहित समय-सीमा का पालन करते हुए अनुसूची II के अनुसार स्वास्थ्यकर/कार्यात्मक भूमिभरण की स्थापना, निर्माण, प्रचालन और रखरखाव के लिए पात्र अभिकरणों की पहचान करेगा;

(4) केवल अनुपयोगी, गैर - पुनर्चक्रणीय नहीं, जैवनिम्नीकरणीय नहीं सूखा अपशिष्ट, गैर-दहनशील, ऊर्जा-प्राप्ति योग्य नहीं सूखा अपशिष्ट, गैर-प्रतिक्रियाशील निष्क्रिय अपशिष्ट, प्रसंस्करण-पूर्व अस्वीकृत अपशिष्ट और अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं से प्राप्त अवशेष, अवशिष्ट अपशिष्ट और निष्क्रिय पदार्थों का ही परिचालन सैनिटरी लैंडफिल में निपटान किया जाएगा। किसी भी गीले अपशिष्ट या निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट का परिचालन सैनिटरी लैंडफिल में निपटान नहीं किया जाएगा:

परंतु संबंधित विभाग, परिचालन सैनिटरी लैंडफिल में भेजे गए असंयोजित अपशिष्ट या पुनर्चक्रणीय या ऊर्जा-प्राप्ति योग्य अपशिष्ट या असंसाधित गीले अपशिष्ट या निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट की मात्रा के आधार पर, संबंधित शहरी स्थानीय निकाय या ग्रामीण स्थानीय निकाय या शहरी या ग्रामीण स्थानीय निकाय द्वारा नियोजित तृतीय पक्ष या रियायतग्राही पर, भार के आधार पर परिचालन सैनिटरी लैंडफिल उपयोक्ता फीस का अवधारण और अधिसूचना करेगा, जब तक कि पर्याप्त अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित नहीं हो जातीं, जिसके पश्चात्, अपृथक अपशिष्ट का परिचालन सैनिटरी लैंडफिल में निपटान नहीं किया जा सकेगा।

परंतु यह भी उपबंध है कि सैनिटरी लैंडफिल का संचालक असंयोजित अपशिष्ट या पुनर्चक्रण योग्य या ऊर्जा पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट या अप्रसंस्कृत गीला अपशिष्ट या निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट को आगे के प्रसंस्करण के लिए संबंधित प्रसंस्करण सुविधाओं को भेजेगा;

परंतु यह भी उपबंध है कि यदि परिचालन सैनिटरी लैंडफिल संचालक का अपशिष्ट प्रसंस्करण से कोई संबंध नहीं है, तो संबंधित शहरी स्थानीय निकाय या ग्रामीण स्थानीय निकाय या शहरी या ग्रामीण स्थानीय निकाय द्वारा नियोजित तृतीय पक्ष या रियायतग्राही को ऐसे अपशिष्ट को परिचालन लैंडफिल में जमा करने की अनुमति नहीं होगी;

(5) अपृथक अपशिष्ट, पुनर्चक्रणीय, ऊर्जा पुनःप्राप्ति योग्य अपशिष्ट, अप्रसंस्कृत जैवनिष्ठीकरणीय अपशिष्ट, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के लिए लगाया जाने वाला परिचालन सैनिटरी लैंडफिल उपयोक्ता फीस, संग्रहण, परिवहन एवं अपशिष्ट प्रसंस्करण लागत से अधिक होगा। इस प्रकार एकत्रित उपयोक्ता फीस स्थानीय निकाय द्वारा संचालित एक पृथक खाते में जमा किया जाएगा और इसका उपयोग सैनिटरी या परिचालन लैंडफिल पर असंयोजित अपशिष्ट, पुनर्चक्रणीय, ऊर्जा पुनःप्राप्ति योग्य अपशिष्ट, अप्रसंस्कृत जैवनिष्ठीकरणीय अपशिष्ट के प्रसंस्करण तथा स्थानीय निकाय के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना के विकास हेतु किया जाएगा।

(6) परिचालन सैनिटरी लैंडफिल के संचालन हेतु विहित एजेंसियां, स्थानीय निकाय और/या उसके द्वारा प्राधिकृत तृतीय पक्ष/रियायतग्राही द्वारा सैनिटरी या परिचालन लैंडफिल पर निपटाए गए निष्क्रिय एवं अन्य अनुमत अपशिष्टों के लिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मार्गदर्शक सिद्धांतों और इस संबंध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार फीस लेंगी। लगाए जाने वाले ऐसे सैनिटरी/संचालन लैंडफिल उपयोक्ता फीस शहरी विकास विभाग या राज्य सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेश सरकार के नगरपालिका प्रशासन के लिए उत्तरदायी विभाग द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मार्गदर्शक सिद्धांतों के आधार पर विहित किए जाएँगे।

(7) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विहित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, गैर-पुनर्चक्रणीय और गैर-ऊर्जा पुनर्प्राप्ति योग्य सूखे अपशिष्ट और निष्क्रिय पदार्थों के पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित निपटान हेतु सैनिटरी/संचालन लैंडफिल के संचालन का ऑडिट करेगा। किसी विशेष वित्तीय वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट अगले वित्तीय वर्ष के 31 दिसंबर तक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।

(8) संचालन सैनिटरी लैंडफिल का संचालक इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण कराएगा और प्रत्येक वर्ष 30 जून तक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर जमा किए गए अपशिष्ट की मात्रा के संबंध में विहित प्रपत्र में वार्षिक वितरणी दाखिल करेगा।

(9) संचालन सैनिटरी लैंडफिल का संचालन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विहित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित रीति से किया जाएगा।

(10) प्रचालनशील सैनिटरी लैंडफिल का संचालक, सैनिटरी या प्रचालनशील लैंडफिल के संचालन के विवरण पर तिमाही रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेगा।

(11) संबंधित जिला मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेगा कि प्रचालनशील सैनिटरी लैंडफिल का संचालन इन नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाए।

15. संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र के अधीन भूमि पर निस्तारित ठोस अपशिष्ट सहित विद्यमान ठोस अपशिष्ट भूमिभरण स्थलों का पर्यावरणीय युक्तियुक्त रीति से उचित प्रबंधन - संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र में भूमि पर डंप किए गए ठोस अपशिष्ट सहित विद्यमान ठोस अपशिष्ट डंपसाइटों का पर्यावरण की दृष्टि से सुदृढ़ प्रबंधन। - (1) शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में 31 अक्टूबर 2026 तक सभी विद्यमान ठोस अपशिष्ट डंपसाइटों या कचरा संवेदनशील बिंदुओं का भौगोलिक मानचित्रण और ठोस अपशिष्ट संचय का आकलन किया जाएगा। यह कार्य संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में किया जाएगा। यह जानकारी केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के साथ-साथ स्थानीय निकाय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) सभी पुराने ठोस अपशिष्ट डंपसाइटों का यथासंभव जैव-खनन और जैव-उपचार किया जाएगा और इसकी प्रगति को अगली तिमाही के पहले महीने की 30 तारीख तक हर तिमाही में केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के साथ-साथ स्थानीय निकाय की वेबसाइट पर भी अद्यतन किया जाएगा।

(3) स्थानीय निकायों को पुराने अपशिष्ट के निपटान के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार प्रक्रियाओं का पालन करते हुए डंपसाइटों के जैव-खनन या जैव-उपचार के लिए समयबद्ध कार्य योजनाएँ तैयार करनी चाहिए और उन्हें केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना चाहिए।

(4) स्थानीय निकाय, विरासती अपशिष्ट डंपसाइट पर जैव-खनन और जैव-उपचार करते समय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:

(i) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों में दिए गए निपटान या उपयोग से पहले विभिन्न छनी हुई अंश सामग्रियों, अपशिष्ट-व्युत्पन्न ईंधन, महीन मिट्टी/जैव मिट्टी आदि का विश्लेषण;

(ii) छनी हुई अंशों के उपयोग या निपटान की योजना बनाना

(iii) अपशिष्ट-व्युत्पन्न ईंधन या महीन मिट्टी और अन्य सामग्रियों के निपटान या उपयोग के लिए अभिलेखों या दस्तावेजों का रखरखाव

(iv) निकालन उपचार के लिए पर्याप्त उपबंध

(v) अनुसूची IV में विहित रिति से डंपसाइट पर अग्रि निवारण उपाय करना।

(4) संबंधित स्थानीय निकाय, परियोजना निष्पादन अभिकरण द्वारा प्रस्तावित गंतव्य या विरासती अपशिष्ट डंपसाइटों से जैव-खनन ठोस अपशिष्ट के विभिन्न अंशों, जैसे महीन मिट्टी, अपशिष्ट-व्युत्पन्न ईंधन और निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट, के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं का अनिवार्य प्रकटीकरण करेगा।

(5) डंप साइट से उत्पन्न लीचेट और कृषि क्षेत्रों में उपयोग के लिए भेजी जाने वाली किसी भी महीन मिट्टी का केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विहित मानकों के अनुसार पर्यावरण सुरक्षा के लिए परीक्षण किया जाएगा। ऊर्जा पुनर्प्राप्ति के लिए अपशिष्ट-जनित ईंधन का उपयोग किया जाएगा। निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रसंस्करण के लिए भेजा जाएगा।

(6) स्थानीय निकाय, पुराने अपशिष्ट डंप साइटों पर, जहाँ जैव-खनन और जैव-उपचार किया जा रहा है, ताज़ा ठोस अपशिष्ट और निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट सहित अन्य अपशिष्ट का निपटान नहीं करेगा।

(7) संबंधित स्थानीय निकाय, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी तृतीय पक्ष के माध्यम से, यह सुनिश्चित करेगा कि पुराने अपशिष्ट का जैव-खनन या जैव-उपचार इन नियमों में विहित पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित रीति से किया जाए और आगामी माह की 30 तारीख तक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के साथ-साथ स्थानीय निकाय की वेबसाइट पर तिमाही रिटर्न दाखिल करेगा।

(8) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विहित जैव-खनन या जैव-उपचार या बंद करने के लिए विहित पर्यावरणीय मानदंडों को लागू करेगा।

(9) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विद्यमान डंपसाइटों के जैव-खनन और जैव-उपचार या डंपसाइट को बंद करने में हुई प्रगति, जैसा भी लागू हो, की वार्षिक लेखापरीक्षा करेगा। किसी विशेष वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा रिपोर्ट अगले वित्तीय वर्ष के 31 दिसंबर तक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के साथ-साथ स्थानीय निकाय की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

(10) संबंधित राज्य सरकार या भूमि स्वामित्व वाली अभिकरण, लागू विनियमों के अधीन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना की स्थापना के लिए अपशिष्ट या विरासत में मिले अपशिष्ट को साफ करने के पश्चात् डंपसाइट की खाली भूमि का उपयोग करने पर विचार कर सकती है।

अध्याय 4

कार्यान्वयन ढांचा

16. केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल - (1) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन नियमों के प्रवृत्त होने के छह माह के भीतर इन नियमों के अधीन सभी बाध्य संस्थाओं के रजिस्ट्रीकरण के साथ-साथ वार्षिक विवरणी दाखिल करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली स्थापित करेगा। यह प्रणाली इन नियमों के प्रवृत्त होने के छह माह के भीतर स्थानीय निकायों और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए संबंधित संस्थाओं द्वारा रजिस्ट्रीकरण के साथ-साथ वार्षिक विवरणी दाखिल करने को भी सुनिश्चित करेगी।

(2) केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल का डैशबोर्ड राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर उत्पन्न, संग्रहित, संसाधित और निस्तारित किए गए ठोस अपशिष्ट सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का विवरण प्रदान करेगा, जिसमें शहरी स्थानीय निकायों और ग्रामीण स्थानीय निकायों के आंकड़े सम्मिलित होंगे। ऐसे आंकड़े लोक डोमेन में उपलब्ध कराए जाएंगे।

(3) पोर्टल पर स्वास्थ्यकर/कार्यात्मक भूमिभरण और विद्यमान अपशिष्ट भूमिभरण स्थलों का विवरण उपलब्ध कराया जाएगा, जैसा लागू हो। ऐसे आंकड़े लोक डोमेन में उपलब्ध कराए जाएंगे।

(4) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और स्थानीय निकाय/प्राधिकरण बाध्य संस्थाओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करेंगे। पोर्टल में विशिष्ट ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्रियाकलापों के लिए बाध्य संस्थाओं के लिए पृथक-पृथक मॉड्यूल होंगे।

(5) केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल इन नियमों के कार्यान्वयन से संबंधित आदेशों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के संबंध में एकल बिंदु डेटा भंडार के रूप में कार्य करेगा।

(6) केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त, छाटे गए और प्रसंस्करणकर्ताओं तथा एस.एल.एफ. या कार्यात्मक भूमिभरण को भेजे गए ठोस अपशिष्ट का व्यौरा दर्शाया जाएगा।

(7) केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर संग्रहण, उपचार/प्रसंस्करण/ पुनर्चक्रण में सम्मिलित जनित्रों और संस्थाओं की लेखापरीक्षा से संबंधित विवरण भी दर्शाए जाएंगे।

(8) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्थानीय निकायों, राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को छोड़कर, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार दिशा-निर्देशों के अनुसार पोर्टल के उपयोग के लिए बाध्य संस्थाओं से फीस ले सकेगा।

(9) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता विभाग एवं उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल के विकास में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहायता कर सकेंगे।

17. पर्यावरण प्रतिकर का अधिरोपण:- (1) पर्यावरण प्रतिकर उन व्यक्तियों पर भी प्रदूषक भुगतान सिद्धांत के आधार पर अधिरोपित किया जाएगा जो इन नियमों के उपबंधों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, जिसमें निम्नलिखित क्रियाकलाप सम्मिलित हैं:-

- (क) इन नियमों के अधीन अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण के बिना गतिविधियां चलाने वाली संस्थाएं;
- (ख) इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं द्वारा गलत सूचना प्रदान करना या तथ्यों को जानबूझकर छिपाना;
- (ग) इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं द्वारा जाली या छेड़चाड़ किए गए दस्तावेज़ प्रस्तुत करना;
- (घ) ठोस अपशिष्ट/प्रसंस्कृत अपशिष्ट के उचित प्रबंधन का पालन न करने के संबंध में संग्रहण, उपचार और पुनः उपयोग में लगी संस्थाएं।

(2) नियम के अधीन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गठित कार्यान्वयन समिति, इन नियमों के अधीन उल्लंघन या गैर-अनुपालन के मामले में ठोस अपशिष्ट के संग्रह, छंटाई, परिवहन और उपचार या प्रसंस्करण में सम्मिलित संस्थाओं से वसूले जाने वाले पर्यावरण प्रतिकर को अधिरोपित करने और संग्रह के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करेगी।

(3) इन नियमों के अधीन विहित उत्तरदायित्वों और दायित्वों का अनुपालन न करने पर संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार पर्यावरण प्रतिकर अधिरोपित किया जाएगा। यदि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उचित समय में कार्रवाई नहीं करता है, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश जारी करेगा।

(4) पर्यावरण प्रतिकर के अधीन एकत्रित निधि को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक अलग खाते में रखा जाएगा और एकत्रित निधि का उपयोग ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन और उपचार या प्रसंस्करण में किया जाएगा, जिसके विरुद्ध पर्यावरण प्रतिकर उद्धृत किया जाएगा, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए निधियों के उपयोग की रूपरेखा कार्यान्वयन समिति द्वारा अनुशंसित की जाएगी और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

(5) पर्यावरण प्रतिकर के नियम 17 के उपनियम 1 में उपबंध के साथ पर्यारण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 के अधीन भी कार्रवाही भी हो सकती है।

18. केंद्रीय स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समिति :- (1) इन नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को उपाय सुझाने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अध्यक्ष, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी।

(2) समिति इन नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी तथा कठिनाइयों को दूर करने के लिए अपेक्षित उपाय भी करेगी।

(3) समिति को ऑनलाइन केंद्रीकृत पोर्टल के विकास और प्रचालन का मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण करने का कार्य भी सौंपा जाएगा।

(4) समिति में संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों या विभागों, सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विशेषज्ञ संस्थानों जैसे राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान और हितधारकों जैसे कि उत्तरदायी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले संगमों, उपचार सुविधा प्रदाताओं और समिति के अध्यक्ष द्वारा आमंत्रित किन्हीं भी अन्य हितधारकों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे।

19. राज्य स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समिति :- (1) इन नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समितिया केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपाय सुझाने के लिए यथास्थिति, राज्य या संघराज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव की अध्यक्षता या संबद्ध संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के प्रधान के अधीन में एक समिति गठित की जाएगी।

(2) समिति इन नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी तथा राज्य स्तर पर कठिनाइयों को दूर करने के लिए अपेक्षित उपाय भी करेगी।

(3) समिति में संबंधित राज्य विभागों, सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, विशेषज्ञ संस्थानों जैसे राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान और हितधारकों जैसे कि उत्तरदायी संस्थाओं, उपचार सुविधा प्रदाताओं और समिति के अध्यक्ष द्वारा आमंत्रित किन्हीं भी अन्य हितधारकों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे।

20. वार्षिक रिपोर्ट।-

(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत थोक अपशिष्ट जनित्र या अपशिष्ट उपचार सुविधा का प्रचालक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और प्रत्येक वर्ष 30 जून तक संबंधित स्थानीय निकाय और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ऑनलाइन प्रस्तुत करेगा।

(2) प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय और जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थान केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से क्रमशः शहरी विकास विभाग और ग्रामीण विकास विभाग को और साथ ही संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रत्येक वर्ष 30 जून तक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुत करेंगे।

(3) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शहरी स्थानीय निकाय और जिला स्तरीय पंचायती राज संस्थान द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की स्वयं या किसी नामित अभिकरण के माध्यम से लेखापरीक्षा कराएगा और ऐसी लेखापरीक्षा रिपोर्ट तथा वार्षिक रिपोर्ट की प्रति संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।

(4) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन नियमों के कार्यान्वयन तथा अननुपालन करने वाले स्थानीय निकाय के विरुद्ध की गई कार्रवाई के संबंध में प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक प्ररूप-5 में केन्द्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर ऑनलाइन प्रस्तुत करेगा।

(5) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन नियमों के कार्यान्वयन पर एक समेकित वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त को या उससे पहले अपनी सिफारिशों के साथ केन्द्रीय सरकार (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) को प्रस्तुत करेगा। केन्द्रीय निगरानी समिति की बैठक के दौरान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वार्षिक रिपोर्ट का पुनर्विलोकन किया जाएगा।

21. दुर्घटना की रिपोर्टिंग -

किसी ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण या उपचार या निस्तारण सुविधा या भूमिभरण स्थल पर दुर्घटना की स्थिति में, सुविधा का प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय को प्ररूप 6 में घटना की रिपोर्ट स्थानीय निकाय को भेजेगा और स्थानीय निकाय द्वारा पुनर्विलोकन किया जाएगा और सुविधा के प्रभारी अधिकारी को अनुदेश, यदि कोई हो, जारी किया जाएगा।

अध्याय 5

भूमिकाएं और उत्तरदायित्व

22. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कर्तव्य।-

(1) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देश में इन नियमों के कार्यान्वयन की समग्र निगरानी के लिए उत्तरदायी होगा। यह सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय निगरानी समिति का गठन करेगा, जिसमें निम्नलिखित विभागों और मंत्रालयों के अधिकारी सम्मिलित होंगे जो संयुक्त सचिव स्तर से नीचे के नहीं होंगे:-

- (क) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
- (ख) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
- (ग) ग्रामीण विकास विभाग
- (घ) पंचायती राज मंत्रालय

(ङ) खाद विभाग

(च) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

(छ) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग

(ज) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

(झ) तीन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समितियां चक्रानुक्रम द्वारा

(ज) तीन राज्य सरकारों के शहरी विकास विभाग चक्रानुक्रम द्वारा

(ट) दो राज्य सरकारों से ग्रामीण विकास विभाग चक्रानुक्रम द्वारा

(ठ) तीन राज्य सरकारों के शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन से संबंधित विभाग

(ड) तीन राज्य सरकारों के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन से संबंधित विभाग

(ट) तीन शहरी स्थानीय निकाय चक्रानुक्रम द्वारा

(ण) तीन जिला स्तरीय पंचायत राज संस्थाएं चक्रानुक्रम द्वारा

(त) दो उद्योग संगम

(थ) दो विषय विशेषज्ञ

(2) यह केंद्रीय निगरानी समिति इन नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी और पुनर्विलोकन करने के लिए वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करेगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, यदि आवश्यक हो, तो अन्य सदस्यों को भी इसमें सम्मिलित कर सकेगा। समिति का पुनर्गठन प्रत्येक तीन वर्ष में किया जाएगा।

23. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के कर्तव्य.- (1) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के साथ निम्नलिखित समन्वय करेगा,-

(i) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार के लिए राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों और स्थानीय निकायों द्वारा उठाए गए कदमों का आवधिक पुनर्विलोकन करना तथा मंत्रालय और बाह्य अभिकरणों द्वारा वित्तपोषित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के निष्पादन का वर्ष में कम से कम एक बार पुनर्विलोकन करना तथा सुधारात्मक उपाय करने के बारे में सलाह देना;

(ii) शहरी क्षेत्रों के लिए इन नियमों के अधीन उपबंधों का अनुपालन करने के लिए शहरी क्षेत्रों में सभी स्थानीय निकायों द्वारा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र शहरी विकास विभाग या शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन से संबंधित विभागों के माध्यम से कार्य योजना तैयार करने में सुविधा प्रदान करना;

(iii) अगले वित्तीय वर्ष की 30 जून तक इन नियमों के अधीन उपबंधों के अनुपालन के संबंध में सभी स्थानीय निकायों द्वारा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र शहरी विकास विभाग या शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन से संबंधित विभागों के माध्यम से वार्षिक प्रतिवेदनप्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान करना;

(iv) शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत विकसित करना, जिसमें सभी शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट उत्पादन का अनुमान, सभी शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना का आकलन, इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के भीतर तक हितधारकों के परामर्श से अपशिष्ट से ऊर्जा पर नीति सम्मिलित होगी और यह कार्य हर पांच वर्ष में किया जाएगा और तत्पश्चात् केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर मार्गदर्शक सिद्धांत अपलोड करेंगे;

(v) सभी शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट उत्पादन का अनुमान, सभी शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना का आकलन, 30 सितंबर, 2026 तक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हितधारकों के परामर्श से अपशिष्ट

से ऊर्जा उत्पादन पर नीति सहित शहरी क्षेत्रों में ठोस प्रबंधन पर राज्य नीति और रणनीति तैयार करने में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सुविधा प्रदान करना, और यह अभ्यास प्रत्येक पांच वर्ष में किया जाएगा;

(vi) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना तथा राज्यों और स्थानीय निकायों को सूचना प्रसारित करना;

(vii) संबंधित राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य पण्धारकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सहायता और सुविधा प्रदान करना;

(viii) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और/या स्थानीय निकायों को तकनीकी दिशा-निर्देशों और परियोजना वित्त तक पहुंच प्रदान करना या सुविधा प्रदान करना, ताकि समयसीमा और मानकों को पूरा करने सहित इन नियमों के अधीन उपबंधों का अनुपालन सुकर बनाया जा सके;

(ix) स्थानीय निकायों द्वारा कचरा बीनने वालों सहित अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं के अनौपचारिक क्षेत्र के एकीकरण को सुगम बनाने में राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करना;

(x) समग्र कार्यान्वयन मार्गदर्शक सिद्धांत विकसित करना, अर्थात् ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर मैनुअल और अन्य आवश्यक परामर्श, जिनमें मॉडल बोली दस्तावेज़ और रियायत दस्तावेज़ या प्रस्ताव हेतु अनुरोध सम्मिलित हैं;

(xi) देश भर में पर्यावरण की दृष्टि से सुदृढ़ अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों के पर्याप्त आच्छादन के उपबंध को सुगम बनाना;

(xii) ठोस अपशिष्ट से उप-उत्पादों के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रभावी रणनीति विकसित करना;

(xiii) राज्य/शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में लगे कार्मिकों का उपयुक्त क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण आयोजित करना;

(xiv) शहरी स्थानीय निकायों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सफल मॉडलों का प्रसार करना;

(xv) अपशिष्ट प्रबंधन, विशेष रूप से पृथक्करण पर, के लिए मार्गदर्शन या सर्वोत्तम प्रथाओं का विकास, जिसका उपयोग स्थानीय निकायों द्वारा संदर्भ के रूप में किया जाएगा;

(xvi) अनुसूची I में विहित समय-सीमा के अनुसार सभी शहरों में सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएँ स्थापित की जाएँगी;

(xvii) शहरी स्थानीय निकायों के उप-नियमों में इन नियमों के उपबंधों को सम्मिलित करने में सुविधा प्रदान करना;

(xviii) केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के परामर्श से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना की स्थापना, प्रसंचालन और रखरखाव तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए, थोक अपशिष्ट उत्पादक द्वारा भुगतान किए जाने वाले विस्तारित थोक अपशिष्ट उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र फीस सहित उपयोक्ता फीस के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करना;

(xix) तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के लिए ठोस अपशिष्ट के उपचार से संबंधित नई प्रौद्योगिकियों सहित प्रौद्योगिकियों का पुनर्विलोकन करना;

(xx) ठोस अपशिष्ट के पुनर्चक्रण या पुनर्प्राप्ति या उपचार या प्रसंस्करण के संबंध में प्रौद्योगिकियों और मानकों के बारे में मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करना;

(xxi) आवासीय और द्वारयुक्त समुदायों में विभिन्न आकारों की सुविधाओं के लिए खाद बनाने हेतु समय-समय पर मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार/अद्यतन करना;

(xxii) इस नियम के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से सभी ठोस अपशिष्ट घटकों और मूल्य शृंखला में वृत्ताकार अर्थव्यवस्था पहलों को संचालित करना।

24. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कर्तव्य.- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग:-

- (i) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार के लिए राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों और स्थानीय निकायों द्वारा उठाए गए कदमों का आवधिक पुनर्विलोकन करना तथा मंत्रालय और बाह्य अभिकरणों द्वारा वित्तपोषित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के कार्यान्वयन का वर्ष में कम से कम एक बार पुनर्विलोकन करना तथा सुधारात्मक उपाय करने के बारे में सलाह देना;
- (ii) अर्थव्यवस्था में वृद्धि के लिए ग्रामीण परिप्रेक्ष्य और शहरी-ग्रामीण संबंधों सहित इन नियमों के अधीन उपबंधों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर राज्य नीति और रणनीति तैयार करने में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सुविधा प्रदान करना;
- (iii) यह सुनिश्चित करना कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों 31 सितंबर 2026 तक इन नियमों के उपबंधों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर राज्य नीति और रणनीति तैयार और अपलोड करें;
- (iv) ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना तथा राज्यों और स्थानीय निकायों को सूचना प्रसारित करना;
- (v) ग्रामीण स्थानीय निकायों और अन्य हितधारकों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण करना;
- (vi) इन नियमों की समयसीमा और मानकों को पूरा करने में सुविधा प्रदान करने के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और ग्रामीण स्थानीय निकायों को तकनीकी मार्गदर्शक सिद्धांत और परियोजना वित्त प्रदान करना;
- (vii) ठोस अपशिष्ट से उप-उत्पादों के उपयोग पर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रभावी रणनीति विकसित करना;
- (viii) राज्य या पंचायती राज संस्थान स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में लगे कार्मिकों का उपयुक्त क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण आयोजित करना;
- (ix) पंचायती राज संस्थाओं या ग्राम पंचायतों तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सफल मॉडलों का प्रसार करना;
- (x) अनुसूची I के अनुसार सभी ग्रामीण क्षेत्रों में सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएं (एमआरएफ) स्थापित की जाएं;
- (xi) केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड के परामर्श से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना की स्थापना, प्रचालन और रखरखाव तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित क्रियाकलापों के ध्यान में रखते हुए, थोक अपशिष्ट उत्पादक द्वारा भुगतान किए जाने वाले विस्तारित थोक अपशिष्ट जनित्र उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र प्रभार सहित उपयोक्ता फीस के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करना।

25. खाद विभाग, रसायन और खाद मंत्रालय के कर्तव्य : (1) खाद विभाग समुचित क्रियाविधि के माध्यम से,-

- (i) उप-उत्पादों को प्रोत्साहित करेगा;
- (ii) खाद कम्पनियों द्वारा 3-4 बोरी: 6-7 बोरी के अनुपात में रासायनिक उर्वरकों के साथ खाद के सह-विपणन को बढ़ावा देना सुनिश्चित करेगा, जहां तक खाद कम्पनियों को विपणन के लिए उपलब्ध हो;
- (iii) प्रोत्साहन के माध्यम से घरेलू खाद बनाने को बढ़ावा देना;
- (iv) खाद कंपनियों द्वारा जैविक खाद के उठाव की रिपोर्टिंग 30 जून 2024 तक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर सुनिश्चित की जाएगी;
- (v) विभेदक मूल्य निर्धारण के लिए जैविक खाद की ग्रेडिंग के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत विकसित करेगा।

(2) खाद कम्पनियों द्वारा जैविक खाद के अनिवार्य उपयोग हेतु सब्सिडी जारी कर सकेगा;

(3) खाद कम्पनियों द्वारा रासायनिक उर्वरकों के साथ जैविक खाद की विक्री, जहाँ तक खाद कम्पनियों के पास जैविक खाद या खाद उपलब्ध है, कर सकेगा;

(4) जैविक खाद और शहरी खाद के लिए बाजार विकास सहायता प्रदान कर सकेगा। ऐसी किसी भी सहायता की जानकारी प्रत्येक वर्ष अगले वित्तीय वर्ष की 30 जून तक अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा, जिसमें ऐसी सहायता प्राप्त जैविक खाद की मात्रा भी सम्मिलित होगी।

26. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के कर्तव्य.- (1) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग समुचित तंत्र के माध्यम से,-

(i) बायोमेरेनेशन सुविधाओं द्वारा उत्पादित जैविक खाद के उपयोग के लिए खाद (नियंत्रण) आदेश के अधीन मानकों को विकसित/अद्यतन करना और 30 जून, 2026 तक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करेगा;

(ii) जैवनिम्नीकरणीय अपशिष्ट से उत्पन्न जैविक खाद के उपयोग के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करना अर्थात् कृषि भूमि पर रासायनिक उर्वरकों की तुलना में जैविक खाद के उपयोग का अनुपात और 30 जून, 2026 तक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करेगा;

(iii) कम्पोस्टिंग या बायोगैस/बायोमेरेनेशन सुविधाओं द्वारा उत्पादित जैविक खाद की गुणवत्ता जांच के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत विकसित या अद्यतन करना और 30 जून, 2026 तक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना;

(iv) जैवनिम्नीकरणीय अपशिष्ट से जैविक खाद तैयार करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत विकसित या अद्यतन करेगा और 30 जून, 2026 तक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना;

(v) खाद परीक्षण सुविधाओं के विकास को बढ़ावा देगा;

(vi) स्थानीय प्राधिकारियों या उनके प्राधिकृत अभिकरणों या किसी इकाई द्वारा उत्पादित जैविक खाद की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए 30 सितंबर, 2026 तक सभी जिलों में राज्य कृषि विभागों के साथ मिलकर प्रयोगशालाएं स्थापित करेगा या तीसरे पक्ष को सूचीबद्ध करना;

(vii) शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में घरेलू खाद बनाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करना;

खाद (नियंत्रण) आदेश मानकों को पूरा करने के लिए सभी प्रकार की जैविक खाद बनाने वाली इकाइयों के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया विकसित करना।

(3) सभी प्रकार की जैविक खाद की गेंडिंग के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत विकसित करना।

27. विद्युत मंत्रालय के कर्तव्य.- विद्युत मंत्रालय समुचित तंत्र के माध्यम से ठोस अपशिष्ट के आधार पर अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादित विद्युतके लिए टैरिफ या प्रभार तय करेगा और तत्पश्चात् नियमित पुनरीक्षण करेगा और वितरण कंपनी द्वारा ऐसे अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादित विद्युत की अनिवार्य खरीद करेगा।

28. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के कर्तव्य.- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, समुचित तंत्र के माध्यम से विभिन्न प्रकार के ठोस अपशिष्टों के पुनर्चक्रण या पर्यावरणीय रूप से सही निपटान के नवीन तरीकों को बढ़ावा देगा;

29. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के कर्तव्य.- सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा तथा अन्य अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के प्रचालन जैसे अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में कार्यरत जनशक्ति के लिए पूर्व शिक्षण कार्यक्रमों और प्रशिक्षण नियमपुस्तिकाओं की मान्यता सहित प्रमाणन का विकास और कौशल विकास कार्यक्रम संचालित करना।

30. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के कर्तव्य.- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय,-

- (i) बायोगैस संयंत्रों को प्रोत्साहित करेगा; बायोगैस खरीदेगा और ऐसे उपायों पर वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा या प्रकाशित करेगा;
- (ii) बायोमिथेनीकरण को बढ़ावा देने के लिए हितधारक मंत्रालयों के साथ मिलकर काम करेगा तथा ऐसे उपायों पर वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा/प्रकाशित करेगा और संपीडित बायोगैस की आपूर्ति के लिए संपीडित बायोगैस संयंत्रों हेतु पाइपलाइन संयोजन सुनिश्चित करेगा।

31. वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के कर्तव्य.- वित्त मंत्रालय प्रसंस्करण संयंत्रों की मशीनरी या उपकरणों के आयात के लिए फीस प्रोत्साहन देगा, अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए कर प्रोत्साहन देगा।

32. उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के कर्तव्य.- राज्य प्रदूषण बोर्डों या प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाइयों के प्राधिकारण के लिए उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली की सेवा का उपबंध करेगा।

33. शिक्षा मंत्रालय तथा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के शिक्षा विभाग के कर्तव्य- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को विद्यालय पाठ्यक्रम में उचित रूप से शामिल करेंगे सुनिश्चित करेंगे

34. पंचायती राज मंत्रालय - यह सुनिश्चित करेगा कि इन नियमों के उपबंध ग्रामीण स्थानीय निकायों की उप-विधियों में शामिल किए जाएं।

35. शहरी विकास विभाग और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका प्रशासन या स्थानीय स्वशासन के लिए उत्तरदायी विभाग के कर्तव्य- (1) शहरी विकास विभाग या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में शहरी क्षेत्रों और शहर के आसपास के इलाके में नगरपालिका प्रशासन या स्थानीय स्वशासन के लिए उत्तरदायी विभाग,-

(i) इन नियमों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राज्य या संघ राज्य क्षेत्र ग्रामीण विकास विभाग के साथ अभिसरण में शहरी क्षेत्रों के लिए ठोस प्रबंधन पर एक राज्य नीति और रणनीति तैयार करेंगे, जिसमें सभी शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट उत्पादन का अनुमान, सभी शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन अवसरचना का आकलन-संग्रह और परिवहन ठोस अपशिष्ट की आवश्यकता, सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाओं की स्थापना, गीले अपशिष्ट प्रसंस्करण और अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों के लिए बायोमेथेनेशन संयंत्रों की आवश्यकता, प्रभावी निगरानी और पता लगाने के लिए आईटी समर्थ शासन का उपयोग, अपशिष्ट प्रसंस्करण विशेषकर बायोमेथेनेशन के लिए निजी विकासकर्ताओं हेतु प्रोत्साहन, विशेष देखभाल अपशिष्ट के लिए संग्रह केंद्रों की स्थापना, खाद परीक्षण सुविधाओं की स्थापना, उपयोगकर्ता फीस और स्वच्छता या परिचालन लैंडफिल फीस का उद्घाटन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में शामिल अपशिष्ट बीनने वालों का एकीकरण अर्थात् अपशिष्ट का संग्रहण, पृथक्करण और छंटाई, चैनलाइजेशन, विकेन्द्रीकृत गीला अपशिष्ट प्रबंधन, स्थानीय निकाय या स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत

तीसरे पक्ष के अभिकरण के साथ पहचान, गणना और रजिस्ट्रीकरण के माध्यम से, इन नियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले स्वयं सहायता समूह और इसी तरह के समूह, राजपत्र में इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष के भीतर आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए और इसे केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करेंगे, और यह अभ्यास हर 5 साल में करेंगे;

(ii) मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर ठोस अपशिष्ट के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए भूमिभरण में जाने वाले निष्क्रिय और गैर-जैवअपघटनीय और गैर-पुनर्चक्रणीय, गैर-ऊर्जा पुनःप्राप्ति योग्य अपशिष्ट को सुनिश्चित करने के लिए अपशिष्ट में कमी, पुनःउपयोग, पुनर्चक्रण, पुनर्प्राप्ति और ठोस अपशिष्ट के विभिन्न घटकों के इष्टतम उपयोग पर जोर देंगे;

(iii) अपशिष्ट को कम करने के लिए अपशिष्ट चुनने वालों, अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं और पुनर्चक्रण उद्योग सहित अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं के अनौपचारिक क्षेत्र को राज्य की नीतियों और रणनीतियों में एकीकृत करेंगे तथा इस संबंध में व्यापक दिशानिर्देश प्रदान करेंगे।

(2) शहरी विकास विभाग तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका प्रशासन या स्थानीय स्वशासन के लिए उत्तरदायी विभाग, -

- (i) इन नियमों का सभी स्थानीय प्राधिकरणों से अनुपालन सुनिश्चित करवाएंगे ;
- (ii) संग्रहण, पृथक्करण, छंटाई, परिवहन, प्रसंस्करण या उपचार और निपटान सुविधाओं के मामले में व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण के लिए उपाय करेंगे ;
- (iii) जैविक खाद की स्वीकार्यता सुधारने के लिए क्रियाकलापों की योजना बनाना - सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) क्रियाकलापों के लिए दिशानिर्देश और रूपरेखा तैयार करेंगे और प्रसारित करेंगे;
- (iv) यह सुनिश्चित करेंगे कि एकत्रित फीस का उपयोग अवसंरचना की स्थापना, प्रचालन और रखरखाव तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित क्रियाकलापों में किया जाएगा;
- (v) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यान्वयन या उन्नयन को सुनिश्चित करेंगे और सौ प्रतिशत पृथक्करण, संग्रहण, छंटाई, परिवहन उपचार या प्रसंस्करण और निपटान क्षमता को पूरा करने के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना के आच्छादन में सुधार करेंगे;
- (vi) ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण या पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग में वृत्ताकार अर्थव्यवस्था पर राज्य स्तरीय प्रचालन समिति की स्थापना करेंगे;
- (vii) आवासीय सोसायटियों और अन्य थोक अपशिष्ट जनित्रों को स्वस्थाने जैवनिष्ठीकरणीय अपशिष्ट उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहन (जैसे कर लाभ) प्रदान करेंगे;
- (viii) यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी स्थानीय निकाय इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के भीतर संग्रहण, छंटाई, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान सहित सभी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना और क्रियाकलापों के संबंध में ऑनलाइन केंद्रीकृत पोर्टल पर आ जाएं और प्रत्येक वर्ष के 30 जून तक इसे वार्षिक रूप से अद्यतन किया जाए;
- (ix) राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले शहरी स्थानीय निकाय को मान्यता पुरस्कार प्रदान करेंगे;
- (x) प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय के नगर आयुक्तों या मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ जिला मजिस्ट्रेटों के साथ मिलकर प्रत्येक वर्ष जून के चौथे सप्ताह में सभी शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना सुविधाओं की स्थिति और परिचालन स्थितियों की समीक्षा के लिए एक सप्ताह का अभियान आयोजित करेंगे;
- (xi) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए लोक-निजी भागीदारी मोड मॉडल को प्रोत्साहित करेंगे;

(xii) राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों के नगर नियोजन विभाग को यह सुनिश्चित करने का निदेश देंगे कि राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के प्रत्येक शहर के मास्टर प्लान में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान सुविधाओं की स्थापना के लिए उपबंध हो, सिवाय उन शहरों के जो साझा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा या शहरों के समूह के लिए क्षेत्रीय स्वास्थ्यकर या प्रचालन भूमिभरण के सदस्य हैं; 30 सितंबर, 2026 तक सभी मास्टर प्लान अपलोड करेंगे;

(xiii) इन नियमों के उपबंधों को लागू करने के लिए स्थानीय प्राधिकारियों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना स्थापित करने के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान और आवंटन सुनिश्चित करेंगे तथा उन्हें महानगर और जिला योजना समितियों या नगर एवं ग्राम योजना विभाग के माध्यम से, यथास्थिति, राज्य या शहरों के मास्टर प्लान (भूमि उपयोग योजना) में शामिल करेंगे;

(xiv) राज्य के नगर नियोजन विभाग और स्थानीय निकायों को यह सुनिश्चित करने के लिए निदेश देंगे कि समूह आवास या वाणिज्यिक, सांस्थानिक या किसी अन्य गैर-आवासीय परिसर के लिए विकास योजना में ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण, भंडारण, विकेन्द्रीकृत प्रसंस्करण के लिए एक अलग स्थान का सीमांकन किया जाए, जो 200 से अधिक आवासों या 5,000 वर्ग मीटर से अधिक भूखंड वाले हैं और थोक अपशिष्ट जनित्र ऐसी सूचनाओं को केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करेंगे सुनिश्चित करेंगे;

(xv) विशेष आर्थिक जोन, औद्योगिक संपदा, औद्योगिक पार्क के नए और विद्यमान विकासकर्ताओं को थोक अपशिष्ट जनित्रों से संबंधित सभी उपबंधों का अनुपालन करने का निदेश देंगे;

(xvi) क्षेत्रीय सुविधा से 50 किलोमीटर (या अधिक) की दूरी के अंतर्गत आने वाले शहरों और कस्बों के समूह के लिए लागत साझाकरण के आधार पर सामान्य क्षेत्रीय स्वास्थ्यकर या परिचालन भूमिभरण की स्थापना को सुकर बनाएंगे और ऐसे स्वास्थ्यकर या परिचालन भूमिभरण का वृत्तिक प्रबंधन सुनिश्चित करेंगे और केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर सभी जानकारी अपलोड करेंगे;

(xvii) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में स्थानीय निकायों की क्षमता निर्माण की व्यवस्था करेंगे, जिसमें ऐसे अपशिष्ट का पृथक्करण, संग्रहण, छंटाई, परिवहन या प्रसंस्करण शामिल है;

(xviii) इस संबंध में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रकाशित दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से प्रतिदिन पांच टन से अधिक ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान सुविधाओं के लिए बफर जोन अधिसूचित करेंगे और ऐसी सभी सुविधाओं के संबंध में सूचना को केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करेंगे;

(xix) स्थानीय प्राधिकरण या स्वयं सहायता समूहों सहित प्राधिकृत तृतीय पक्ष या रियायतग्राही अभिकरण के साथ काम करने वाले अपशिष्ट चुनने वालों का रजिस्ट्रीकरण सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक वर्ष 30 जून तक केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर सूचना अपलोड करेंगे;

(xx) निवासी कल्याण संगमों, बाजार संगमों और रियायतग्राही सहित सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से भूमिभरण के लिए शून्य अपशिष्ट पर ध्यान केंद्रित करेंगे;

(xxi) रैंकिंग प्रणाली के साथ राज्य स्तर पर नियमित चक्रीय आधार पर मूल्यांकन करेंगे;

(xxii) गीले अपशिष्ट प्रसंस्करण से प्राप्त उप-उत्पादों के उपयोग के बारे में जनता में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रभावी रणनीति बनाएंगे;

(xxiii) राज्य एवं जिला स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के मामले में सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों, अस्पतालों, संस्थानों की मान्यता के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित करवाएंगे;

(xxiv) भूमि आवंटन का प्रभारी विभाग ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और उपचार सुविधाओं की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होगा और राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा ऐसे स्थलों को अधिसूचित करेगा।

36. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में ग्रामीण विकास विभाग तथा क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन के लिए उत्तरदायी विभाग के कर्तव्य-(1) ग्रामीण विकास विभाग और या या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्यकर और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उत्तरदायी विभाग,

शहरी विकास विभाग या नगरपालिका प्रशासन या स्थानीय स्वशासन से संबंधित विभाग के साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस प्रबंधन पर एक राज्य नीति और रणनीति तैयार करेगा, जिसमें अपशिष्ट उत्पादन का अनुमान, अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना का आकलन अर्थात् (i) संग्रहण और परिवहन के लिए वाहन, संग्रहण और पृथक्करण केंद्र, खाद के गढ़; और (ii) गीले अपशिष्ट के लिए बायोगैस इकाइयां, अंतराल विश्लेषण, शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रसंस्करण अवसंरचना के साथ सहबद्धता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में शामिल कचरा बीनने वालों का एकीकरण अर्थात् अपशिष्ट का संग्रह, पृथक्करण और छंटाई, चैनलाइजेशन, विकेन्द्रीकृत गीला अपशिष्ट प्रबंधन, स्थानीय निकाय या स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत तीसरे पक्ष के अभिकरण के साथ पहचान, गणना और रजिस्ट्रीकरण के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले समान समूह राजपत्र में इन नियमों के इस अधिसूचना में प्रकाशन के एक वर्ष के भीतर इन नियमों के अनुरूप पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा जारी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए इसे केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करेंगे, और यह अध्यास प्रत्येक पांच वर्ष में करेंगे।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में इन नियमों के अधीन उपबंधों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग को नोडल विभाग तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं या स्थानीय स्वशासन से संबंधित विभाग को सह-नोडल विभाग के रूप में अभिहित किया जाएगा।

(3) ग्रामीण विकास विभाग तथा राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्यकर और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उत्तरदायी विभाग -

- (i) इन नियमों का सभी स्थानीय निकायों से अनुपालन सुनिश्चित करवाएंगे;
- (ii) संग्रहण या उपचार सुविधाओं के मामले में व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण के लिए उपाय करेंगे;
- (iii) जैविक खाद की स्वीकार्यता में सुधार के लिए क्रियाकलापों की योजना बनाएंगे - सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) क्रियाकलापों के लिए दिशानिर्देश और रूपरेखा तैयार करेंगे और प्रसारित करेंगे;
- (iv) यह सुनिश्चित करेंगे कि एकत्रित फीस का उपयोग ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित अवसंरचना की स्थापना, प्रचालन और रखरखाव में किया जाएगा;
- (v) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यान्वयन या उन्नयन को सुनिश्चित करने के लिए पेरी-शहरी क्षेत्रों को विशेष ध्यान देंगे और सौ प्रतिशत पृथक्करण, संग्रहण, छंटाई, परिवहन उपचार या प्रसंस्करण और निपटान क्षमता को पूरा करने के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना के आच्छादन में सुधार करेंगे;
- (vi) ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण या पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग में चक्रीय अर्थव्यवस्था पर राज्य स्तरीय प्रचालन समिति की स्थापना करेंगे;
- (vii) आवासीय सोसाइटियों और अन्य थोक अपशिष्ट जनित्रों को स्वस्थाने गीला अपशिष्ट या बागवानी अपशिष्ट उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहन (जैसे कर लाभ) प्रदान करेंगे;

(viii) यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी स्थानीय निकाय 3व जून 2026 तक संग्रहण, छंटाई, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान सहित सभी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना के संबंध में ऑनलाइन केंद्रीकृत पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाए और प्रत्येक वर्ष के 30 जून तक इसे वार्षिक रूप से अद्यतन किया जाए;

(ix) राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले ग्रामीण स्थानीय निकाय को मान्यता पुरस्कार प्रदान करेंगे;

(x) प्रत्येक वर्ष जून के चौथे सप्ताह में सभी ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना सुविधाओं की स्थिति और परिचालन स्थितियों के पुनर्विलोकन के साथ-साथ क्रियाकलापों के लिए एक सप्ताह का अभियान आयोजित करेंगे;

(xi) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना के लिए लोक-निजी भागीदारी मोड मॉडल विकसित करेंगे;

(xii) कार्यान्वयन के लिए नीति और रणनीति तैयार करके बायोगैस अर्थव्यवस्था के लिए आगे का रास्ता तय करेंगे;

(xiii) निजी विकासकर्ताओं को बायोगैस या बायोमेथेनेशन और खाद अर्थव्यवस्था में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेंगे;

(xiv) अपशिष्ट की अंधाधुंध डंपिंग पर जुर्माना या कर लगाएंगे;

(xv) वैधानिक अपेक्षाओं को पूरा करने में स्थानीय निकायों को सक्षम बनाने के लिए जिला कलेक्टर के अधीन जिला स्तरीय अपशिष्ट प्रसंस्करण पार्क विकसित करेंगे;

(xvi) भूमिभरण को कम करने के लिए स्थानीय निकाय स्तर पर शुष्क अपशिष्ट प्रसंस्करण और अस्वीकृत अपशिष्टों की निगरानी करेंगे;

(xvii) ठेकों में समावेशन के माध्यम से अनौपचारिक क्षेत्र के पृथक्करण, एकीकरण और क्षमता निर्माण पहलों को बाध्यकारी और प्रवर्तन करेंगे;

(xviii) अनुपालन न करने की स्थिति में जुर्माना लगाएंगे;

(xix) अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं से जुड़ी सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएं स्थापित करेंगे;

(xx) अपशिष्ट संग्रहण और प्रबंधन अभिलेखों को डिजिटल रूप से संग्रहीत करने के लिए डैशबोर्ड विकसित करने हेतु जिला स्तरीय पंचायती राज संस्थानों के साथ सहयोग करेंगे।

(4) आवश्यक अवसंरचना और नीतिगत आवश्यकताओं के लिए उच्च स्तरीय समिति के माध्यम से अन्य विभागों के साथ समन्वय करने हेतु उपयुक्त राज्य विभाग को नोडल विभाग के रूप में अभिहित किया जा सकेगा।

(5) ग्रामीण घरेलू अपशिष्ट द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए विनिर्दिष्ट उपाय स्थानीय विनियमों में विरचित किए जाएंगे।

37. जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर या उपायुक्त के कर्तव्य - जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर या, यथास्थिति, उपायुक्त, -

(i) राज्य शहरी विकास विभाग या राज्य ग्रामीण विकास विभाग के साथ निकट समन्वय में अपने जिले में स्थानीय प्राधिकारियों को ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान सुविधाएं स्थापित करने के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान और आवंटन को सुकर बनाएंगे तथा हर वर्ष 30 जून तक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करेंगे;

(ii) अपशिष्ट के पृथक्करण, संग्रहण, छंटाई, प्रसंस्करण, उपचार और निपटान के संबंध में स्थानीय निकायों के अनुपालन की तिमाही में कम से कम एक बार पुनर्विलोकन करेंगे तथा शहरी विकास विभाग और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन के लिए उत्तरदायी विभाग के साथ परामर्श करके उपचारात्मक उपाय करेंगे और स्थानीय निकाय के पोर्टल पर पुनर्विलोकन बैठक के कार्यवृत्त अपलोड करेंगे;

(iii) आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अपनी योजनाओं में ठोस अपशिष्ट द्वारा पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण को शामिल करेंगे और ठोस अपशिष्ट द्वारा पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण को सुविधाजनक बनाने वाली आर्थिक और तकनीकी नीतियों और उपायों को अंगीकृत करेंगे;

(iv) जिला कलेक्टर या उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट उनकी अधिकारिता के भीतर आने वाले ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण या पुनर्चक्रण सुविधाओं का निरीक्षण/संपरीक्षा कर सकेंगे और इन नियमों के उपबंधों का अनुपालन न करने पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विहित दिशा-निर्देशों के अनुसार पर्यावरण प्रतिकर अधिरोपित कर सकेंगे। जिला कलेक्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वास्थ्यकर या प्रचालन भूमिभरण का प्रचालन इन नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाए;

(v) जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर या उपायुक्त सैनिटरी लैंडफिल, सामान्य अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र (किसी भी प्रकार का) और किसी अन्य सामान्य अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा का शहरी ग्रामीण अभिसरण सुनिश्चित करेंगे।

38. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्तव्य- (1) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड-

(i) इन नियमों के कार्यान्वयन और सभी हितधारकों द्वारा विहित मानकों के पालन के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रदूषण नियंत्रण समितियों के साथ समन्वय करेंगे;

(ii) सभी ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान सुविधाओं के संबंध में भूजल, परिवेशी वायु, ध्वनि प्रदूषण, निक्षालन के लिए मानक विरचित करेंगे;

(iii) ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं या उपचार प्रौद्योगिकियों के लिए विहित पर्यावरण मानकों और मानदंडों का पुनर्विलोकन करेंगे तथा जब भी अपेक्षित हो, उन्हें अद्यतन करेंगे;

(iv) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समितियों के माध्यम से, वर्ष में कम से कम एक बार, ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं या उपचार प्रौद्योगिकियों के लिए विहित पर्यावरण मानकों के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करेंगे तथा उनके द्वारा निगरानी किए गए आंकड़ों को संकलित करेंगे; (v) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समितियों के माध्यम से स्थानीय निकायों द्वारा इन नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी करेंगे;

(vi) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और समितियों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर इन नियमों के कार्यान्वयन पर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेंगे और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्तुत करेंगे और रिपोर्ट को प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर तक लोक अधिकारिता में भी रखा जाएगा;

(vii) प्रतिदिन पांच टन से अधिक ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन करने वाली सुविधाओं के विभिन्न आकारों के लिए अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान सुविधाओं की बाहरी सीमा से किसी भी आवासीय, वाणिज्यिक या किसी अन्य संनिर्माण क्रियाकलाप को निर्बंधित करने के लिए बफर जोन बनाए रखने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों को प्रकाशित करेंगे;

(viii) ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण और निपटान के पर्यावरणीय पहलुओं पर समय-समय पर दिशानिर्देश प्रकाशित करेंगे, ताकि स्थानीय निकायों के साथ-साथ अन्य संस्थाएं भी इन नियमों के उपबंधों का अनुपालन कर सकें;

(ix) राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों को अपशिष्ट के अंतर-राज्यीय संचलन के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे; और

(x) राजपत्र में इन नियमों की अधिसूचना की तिथि से छह माह के भीतर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के परामर्श से शहरी स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों और ग्राम पंचायतों के लिए ठोस अपशिष्ट कार्य योजना हेतु प्रारूप विरचित और विहित करेंगे।

(2) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन नियमों के अधीन केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर प्रमाणपत्रों के आदान-प्रदान हेतु तंत्र विकसित करेगा।

(3) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कार्यान्वयन समिति का गठन करेगा और इसे सुदृढ़ बनाने हेतु सिफारिशें करेगा। समिति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए छह माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

(4) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण, पुनर्चक्रिया और उपचार हेतु किसी भी नई प्रौद्योगिकी के उपयोग पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों या प्रदूषण नियंत्रण समितियों के प्रस्तावों का पुनर्विलोकन करेगा और छह माह के भीतर इसके लिए निष्पादन मानक, उत्सर्जन मानदंड विहित करेगा;

(5) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रशिक्षण सामग्री और मानक संचालन प्रक्रियाएँ विकसित करेगा और ऑनलाइन केंद्रीकृत पोर्टल पर अपलोड करेगा।

(6) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैविक खाद के लिए नियमित निगरानी ढाँचे और परीक्षण प्रोटोकॉल हेतु दिशानिर्देश विकसित करेगा।

(7) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जल निकायों और भूमि पर ठोस अपशिष्ट की मात्रा के संबंध में रिपोर्टिंग मॉड्यूल विकसित करेगा, जिसकी रिपोर्ट ऐसे जल निकायों या भूमि पर अधिकारिता रखने वाले संबंधित हितधारकों द्वारा की जाएगी।

(8) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन के पश्चात, इन नियमों के अधीन आदेशित प्रमाणपत्रों के व्यापार हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म की स्थापना हेतु एजेंसियों को अधिकृत करने हेतु दिशानिर्देश जारी करेगा।

(9) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन नियमों के अधीन उल्लिखित सभी उपबंधों के संबंध में प्ररूप तैयार करेगा और दिशानिर्देश जारी करेगा।

(10) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विभिन्न अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के सभी उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से सभी अपशिष्ट घटकों और मूल्य श्रृंखला में चक्रीय अर्थव्यवस्था पहलों को संचालित और निगरानी करेगा।

(11) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति के माध्यम से प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर पर्यावरण संपरीक्षा नियम के अधीन की सभी अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं का रजिस्ट्रीकृत पर्यावरण संपरीक्षक तृतीय पक्ष संपरीक्षा करेगा और उसे केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करेगा।

(12) अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों और संपीड़ित बायोगैस संयंत्रों के लिए मानक पर्यावरणीय मानदंडों का विकास, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 1 अप्रैल, 2026 तक किया जाएगा।

(13) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एकल खिड़की मंजूरी के विकास में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के साथ समन्वय कर सकेगा।

39. शहरी स्थानीय निकायों के कर्तव्य .-

(1) सभी स्थानीय निकाय अपनी अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में पर्यावरण की गुणवत्ता को संरक्षित करने और सुधारने के लिए इन नियमों के अधीन यथा उपबंधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(2) सभी शहरी स्थानीय निकाय, राज्य नीति और रणनीति की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष के भीतर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर राज्य नीति और रणनीति द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विहित प्रोफार्म में ठोस अपशिष्ट प्रबंध योजना तैयार करेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित तत्व शामिल होंगे:

(i) अधिकारिता के अधीन आने वाले क्षेत्र में कुल अपशिष्ट उत्पादन का वार्डवार व्यौरा;

- (ii) अपशिष्ट उत्पादन के लिए पांच वर्षीय आकलन;
- (iii) वार्ड-वार संग्रहण (विशेष देखभाल अपशिष्ट सहित) और परिवहन योजना;
- (iv) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना का वार्ड-वार मानचित्रण;
- (v) बाजार स्थलों, सामुदायिक सेवा अवसंरचना जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, धार्मिक महत्व के स्थानों का वार्ड-वार मानचित्रण ;
- (vi) जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अधीन जैव चिकित्सा अपशिष्ट की मात्रा के साथ-साथ चिह्नित अधिभोगियों का मानचित्रण किया जाएगा, तथा उन्हें अपने परिसर से उत्पन्न जैव चिकित्सा अपशिष्ट को रजिस्ट्री जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा को सौंपने के लिए बाध्य किया जाएगा।
- (vii) अपशिष्ट प्रवण बिंदुओं और कूड़ा प्रवण स्थानों से अपशिष्ट के संग्रहण और परिवहन की योजना;
- (viii) जल निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रवेश बिंदुओं का मानचित्रण और उचित अवरोधों के माध्यम से जल निकायों में ठोस अपशिष्ट के प्रवेश को रोकने की योजना;
- (ix) सतही जल निकायों और नालियों से तैरते हुए ठोस अपशिष्ट को हटाने की समयसीमा;
- (x) विहित मानदंडों के अनुसार सड़कों की सफाई और अपशिष्ट पेटियों की व्यवस्था करने की समयसीमा;
- (xi) रेलवे भूमि और सार्वजनिक प्राधिकरणों की भूमि सहित ठोस अपशिष्ट के खुले में निपटान के लिए उपयुक्त सार्वजनिक या निजी स्वामित्व के अधीन भूमि के खाली भूखंडों का मानचित्रण;
- (xii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विहित दिशा-निर्देशों के अनुसार, इस प्रयोजन के लिए डिजाइन किए गए समर्पित भस्मक या सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधाओं या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित पुनर्चक्रण प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने वाली इकाइयों के माध्यम से, सैनिटरी पैड, डायपर सहित सैनिटरी अपशिष्ट के पर्यावरण की दृष्टि से स्वस्थ प्रबंधन की योजना बनाना;
- (xiii) विशेष देखभाल अपशिष्ट के संग्रहण और पर्यावरण युक्तियुक्त रीति से प्रबंधन की योजना;
- (xiv) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना की आवश्यकता जिसमें संग्रहण, परिवहन, पृथक्करण, भंडारण, विशेष देखभाल अपशिष्ट और स्वास्थ्यकर अपशिष्ट के लिए आवश्यकतानुसार प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण (गीले और सूखे दोनों प्रकार के अपशिष्ट सहित) और प्रचालित स्वास्थ्यकर/भूमिभरण में अपशिष्ट का पर्यावरण की दृष्टि से उचित निपटान शामिल है।

(3) सभी शहरी स्थानीय निकाय संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति के साथ केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण करेंगे और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर शहर की ठोस अपशिष्ट कार्य योजना अपलोड करेंगे।

(4) सभी शहरी स्थानीय निकाय मलिन बस्तियों और अनौपचारिक बसावटों, वाणिज्यिक, संस्थागत और अन्य गैर-आवासीय परिसरों, बहुमंजिला इमारतों, बड़े वाणिज्यिक परिसरों, मॉल, आवासीय परिसरों आदि सहित सभी घरों से पृथक्करत ठोस अपशिष्ट को स्वयं या अभिहित तृतीय पक्ष अभिकरण के माध्यम से द्वार-द्वार के संग्रहण की व्यवस्था करेंगे।

(5) सभी शहरी स्थानीय निकाय 31 मार्च 2027 तक इन नियमों के उपबंधों को समाविष्ट करते हुए उपविधियां विरचित करेंगे।

(6) उपयोक्ता प्रभार, जो समुचित समझी जाए, समय-समय पर विहित करेंगे तथा अपशिष्ट जनित्रों से स्वयं अथवा प्राधिकृत अभिकरण के माध्यम से फीस वसूल करेंगे;

(7) सभी स्थानीय निकाय अपशिष्ट जनित्रों को निदेश देंगे कि कूड़ा करकट न फैलाएं अर्थात् कागज, पानी की बोतलें, शराब की बोतलें, शीतल पेय के डिब्बे, टेट्रा पैक, फलों के छिलके, रैपर आदि जैसे किसी भी अपशिष्ट सड़कों, खुले सार्वजनिक स्थानों, नालियों, अपशिष्ट निकायों में न जलाएं या न गाड़ें और इन नियमों के अधीन यथा विहित स्रोत अपशिष्ट को अलग-अलग करें तथा पृथक किए गए अपशिष्ट को स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत तीसरे पथ या अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं को सौंप दें।

(8) स्थानीय निकायों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे स्वयं अथवा अभिकरणों की मदद से ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण, संग्रहण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान के लिए अवसंरचना विकसित करें और स्थापित करें तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना के साथ-साथ सुविधाओं की जियो-टैगिंग सुनिश्चित करें।

(9) सभी स्थानीय निकाय अपनी अधिकारिता में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को प्रभावी एवं कुशल तरीके से केंद्रीकृत या विकेन्द्रीकृत रीति से 100% आच्छादन प्रदान करने के लिए उपाय करेंगे।

(10) सभी स्थानीय निकाय अगले वित्तीय वर्ष की 30 जून तक एक वर्ष में उत्पन्न ठोस अपशिष्ट, जिसमें मौजूदा ठोस अपशिष्ट भी शामिल है, का मूल्यांकन करेंगे और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा का अनुमान भी लगाएंगे।

(11) सभी स्थानीय शहरी निकाय संग्रहण, पृथक्करण परिवहन प्रसंस्करण और निपटान के लिए उपलब्ध ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना का मूल्यांकन करेंगे और केन्द्रीकृत पोर्टल पर प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक अपनी वेब साइट पर इसकी रिपोर्ट देंगे।

(12) सभी शहरी स्थानीय निकाय अपनी अधिकारिता में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे।

(13) सभी शहरी स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि सार्वजनिक स्थानों से अपशिष्ट स्थानीय निकाय द्वारा तैयार की गई अनुसूची के आधार पर एकत्र किया जाए, जिसे केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

(14) सभी शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, भंडारण, परिवहन और उपचार के लिए सुविधाओं, उपकरणों और अवसंरचना के प्रबंधन और रखरखाव की रिपोर्ट आगामी वित्तीय वर्ष के 30 जून तक वार्षिक विवरणी के भाग के रूप केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर दाखिल की जाएगी।

(15) सभी स्थानीय निकाय सड़क के सफाईकर्मियों को सड़क की सफाई से एकत्र हुई पेड़ों की पत्तियों को न जलाने तथा पृथक रूप से भंडारित करने और कूड़ा इकट्ठा करने वालों को या स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत अभिकरण को सौंपने का निदेश देंगे।

(16) सभी शहरी स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि सड़कों, गलियों और उप-गलियों की सफाई से निकलने वाले अपशिष्ट को जनसंख्या घनत्व, वाणिज्यिक क्रियाकलाप और स्थानीय स्थिति के आधार पर नियमित रूप से आवधिक तरीके से अलग से एकत्र किया जाए।

(17) सभी शहरी स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि ठोस अपशिष्ट को पर्यावरण की दृष्टि से उचित रीति से संबंधित प्रसंस्करण सुविधा या सामग्री पुनर्र्पासि सुविधा या द्वितीयक भंडारण सुविधा तक पहुंचाया जाए।

(18) सभी शहरी स्थानीय निकाय रासायनिक उर्वरक के प्रयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करेंगे तथा स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित सभी पार्कों, उद्यानों तथा जहां भी संभव हो, अपने अधिकारिता के अंतर्गत अन्य स्थानों में खाद का प्रयोग करेंगे।

(19) सभी शहरी स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि सब्जी, फल, फूल, मांस, मुर्गी और मछली बाजार से अपशिष्ट को दिन-प्रतिदिन के आधार पर एकत्र किया जाए, और बाजारों में या बाजारों के आसपास उपयुक्त स्थानों पर विकेन्द्रीकृत खाद संयंत्र या बायोमिथेनेशन संयंत्र की स्थापना को बढ़ावा देंगे, जिससे स्वच्छ दशाएं सुनिश्चित हो सके।

(20) सभी शहरी स्थानीय निकाय अपनी अधिकारिता के भीतर सभी रजिस्ट्रीकृत बायोमिथेनेशन संयंत्रों और अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों, परिचालन सैनिटरी लैंडफिल, ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की सूची तैयार करेंगे और राजपत्र में इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक वार्षिक रूप से अद्यतन कर अपलोड करेंगे।

(21) सभी शहरी स्थानीय निकाय, उन मामलों में जहाँ ऐसे अपशिष्ट को परिवहन वाहनों में सीधे एकत्र करेंगे सुविधाजनक नहीं है, सड़कों की सफाई और सतही नालियों से निकाली गई गाद के अस्थायी भंडारण के लिए आच्छादित द्वितीयक भंडारण सुविधा स्थापित करेंगे। इस प्रकार एकत्रित अपशिष्ट को स्थानीय निकाय द्वारा विहित नियमित अंतराल पर एकत्र और निपटाया जाएगा और प्रत्येक वर्ष 30 जून तक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर विवरण अपलोड किया जाएगा।

(22) सभी शहरी स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि बागवानी, पार्क और उद्यान अपशिष्ट को अलग से एकत्र किया जाए और जहाँ तक संभव हो पार्क और उद्यानों में खाद बनाया जाए या विहित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके संसाधित किया जाए और प्रत्येक वर्ष 30 जून तक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड और अद्यतन किया जाए।

(23) सभी शहरी स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि पृथक किए गए जैव-निष्ठीकरणीय अपशिष्ट को प्रसंस्करण सुविधाओं जैसे कम्पोस्ट संयंत्र, जैव-मीथेनेशन संयंत्र या किसी ऐसे जैव-निष्ठीकरणीय अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा तक पहुंचाया जाए; ऐसे अपशिष्ट के ऑनसाइट प्रसंस्करण को प्राथमिकता दी जाएगी।

(24) सभी शहरी स्थानीय निकाय अपशिष्ट प्रबंधन में समुदायों को शामिल करेंगे और घरेलू खाद बनाने, बायोगैस उत्पादन, सामुदायिक स्तर पर अपशिष्ट के विकेन्द्रीकृत प्रसंस्करण को बढ़ावा देंगे, वशर्तों कि गंध पर नियंत्रण हो और सुविधा के आसपास स्वच्छता की स्थिति बनी रहे।

(25) यदि अपशिष्ट की मात्रा पांच मीट्रिक टन प्रतिदिन से अधिक है तो अपशिष्ट प्रसंस्करण, उपचार या निपटान सुविधा स्थापित करने के लिए सभी शहरी स्थानीय निकाय, जिसमें सैनिटरी या संचालित लैंडफिल भी है, के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति से यथास्थिति प्राधिकार प्रदान करने हेतु प्ररूप 1 में आवेदन करेंगे।

(26) सभी शहरी स्थानीय निकाय, प्राधिकार की वैधता की समाप्ति से कम से कम साठ दिन पूर्व संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्राधिकार के नवीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(27) सभी शहरी स्थानीय निकाय आगामी वर्ष की 30 जून को या उससे पहले प्ररूप 4 में वार्षिक रिपोर्ट तैयार करके केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर प्रस्तुत करेंगे, जिसकी प्रतिलिपि राज्य शहरी विकास विभाग या ग्रामीण विकास विभाग और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को भेजी जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निष्प्रतिक्रिया शामिल होंगे, -

- (i) एक वर्ष में उत्पन्न ठोस अपशिष्ट, जिसमें विरासत ठोस अपशिष्ट भी शामिल है;
- (ii) संग्रहण, पृथक्करण, प्रसंस्करण के लिए उपलब्ध ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना;
- (iii) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट का अनुमान;
- (iv) उपनियमों के निर्माण और कार्यान्वयन की स्थिति
- (v) थोक अपशिष्ट उत्पादकों द्वारा केंद्रीकृत या विकेन्द्रीकृत रीति से अपशिष्ट का प्रबंधन।

(28) सभी शहरी स्थानीय निकाय संविदा श्रमिकों और पर्यवेक्षकों सहित श्रमिकों को पृथक्कृत अपशिष्ट के घर-घर जाकर संग्रहण करने तथा प्राथमिक संग्रहण और द्वितीयक संग्रहण के दौरान पृथक्कृत अपशिष्ट को बिना मिलाए प्रसंस्करण या निपटान सुविधा तक ले जाने के लिए प्रशिक्षित करेंगे और इस संबंध में वार्षिक रिटर्न दाखिल करेंगे।

(29) सभी शहरी स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी सुविधा का प्रचालक ठोस अपशिष्ट को संभालने वाले सभी श्रमिकों को वर्दी, फ्लोरोसेंट जैकेट, हाथ के दस्ताने, रेनकोट, उपयुक्त जूते और मास्क सहित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान करे और कार्यबल द्वारा उनका उपयोग किया जाए और इस संबंध में वार्षिक रिटर्न दाखिल करे।

(30) सभी शहरी स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि समूह आवास सोसायटी या बाजार परिसर की भवन योजना को मंजूरी देते समय पृथक किए गए अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण और भंडारण के लिए केंद्रों की स्थापना के उपबंध भवन योजना में शामिल किए जाएं और इस संबंध में वार्षिक रिटर्न दाखिल करें;

(31) सभी शहरी स्थानीय निकाय इन नियमों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, थोक अपशिष्ट उत्पादकों, कूड़ा फैलाने वाले व्यक्तियों या इन नियमों के उपबंधों का पालन करने में विफल रहने वाले व्यक्तियों पर, मौके पर ही जुर्माना लगाने के लिए मानदंड विहित करेंगे और अधिकारियों या स्थानीय निकायों को विरचित किए गए उप-नियमों के अनुसार मौके पर ही जुर्माना लगाने और इस संबंध में वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की शक्तियां सौंपेंगे;

(32) सभी शहरी स्थानीय निकाय सूचना, शिक्षा और संचार अभियान के माध्यम से जन जागरूकता पैदा करेंगे और अपशिष्ट उत्पादकों को निम्नलिखित के बारे में शिक्षित करेंगे, अर्थात्:-

- (क) कूड़ा न फैलाना;
- (ख) अपशिष्ट उत्पादन को न्यूनतम करेंगे;
- (ग) जहां तक संभव हो अपशिष्ट का पुनः उपयोग करें;
- (घ) अपशिष्ट को गीला, सूखा (पुनर्चक्रण योग्य, गैर-पुनर्चक्रण योग्य), स्वच्छता अपशिष्ट और विशेष देखभाल अपशिष्ट में अलग-अलग करेंगे;
- (ङ) घरेलू खाद, वर्मी-कम्पोस्टिंग, बायो-गैस उत्पादन या सामुदायिक स्तर पर खाद बनाना;
- (च) उपयोग किए गए सैनिटरी अपशिष्ट को, जब भी उत्पन्न हो, ब्रांड मालिकों द्वारा उपलब्ध कराए गए पाउच में या स्थानीय निकाय द्वारा विहित उपयुक्त पैकिंग में सुरक्षित रूप से लपेटना;
- (छ) स्रोत पर पृथक अपशिष्ट को अलग-अलग डिब्बों में संग्रहीत करेंगे;
- (ज) पृथक किए गए अपशिष्ट को कचरा बीनने वालों, कचरा संग्राहकों, पुनर्चक्रणकर्ताओं या कचरा संग्रहण एजेंसियों को सौंपना; और
- (झ) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की स्थिरता के लिए अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या स्थानीय निकायों या स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को मासिक उपयोगकर्ता फीस या प्रभार का भुगतान करेंगे।

(33) शहरी स्थानीय निकाय गीले अपशिष्ट में सड़क की सफाई से निकलने वाली धूल के मिश्रण पर प्रतिबंध लगाएंगे। लैंडफिल पर एकत्रित और जमा की गई सड़क की सफाई से निकलने वाली धूल की सूचना लैंडफिल संचालक द्वारा केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर दी जाएंगी।

(34) पांच लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरी स्थानीय निकाय अनुसूची-1 में विहित समय-सीमा के अनुसार भौगोलिक स्थिति प्रणाली का उपयोग करते हुए संग्रहण वाहनों की ट्रैकिंग, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना के मानचित्रण के लिए

डिजिटल और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्रियाकलापों की निगरानी करने के लिए केंद्रीय नियंत्रण कक्ष स्थापित करेंगे।

(35) शहरी स्थानीय निकाय राजपत्र में इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ऑनलाइन माध्यम सहित एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करेंगे। सभी स्थानीय निकाय शिकायतों की स्थिति के संबंध में आगामी वित्तीय वर्ष की 30 जून तक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर वार्षिक विवरणी दाखिल करेंगे।

(36) शहरी स्थानीय निकाय विस्तृत सर्वेक्षण के माध्यम से थोक अपशिष्ट उत्पादकों की पहचान करेंगे और प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल तक पोर्टल पर सूची को अद्यतन करेंगे। पहचाने गए थोक अपशिष्ट उत्पादकों को जियो-टैग किया जाएगा। स्थानीय निकाय सभी थोक अपशिष्ट उत्पादकों, होटलों, सड़क किनारे भोजनालयों, जैविक और थोक अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले वाणिज्यिक या संस्थागत परिसरों का मानचित्रण करेंगे।

(37) शहरी स्थानीय निकाय, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रचालन और रखरखाव को ध्यान में रखते हुए, विस्तारित थोक अपशिष्ट उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र की लागत अधिसूचित करेंगे जो थोक अपशिष्ट उत्पादकों पर लगाई जाएगी ताकि दीर्घकालिक स्थायित्व और सुनिश्चित सेवा वितरण सुनिश्चित हो सके। थोक अपशिष्ट उत्पादक लागत के साथ-साथ, स्थानीय निकाय उप-विधियों में उपयुक्त जुमानि के उपबंधों को भी अधिसूचित करेंगे।

(38) शहरी स्थानीय निकाय, नीचे दी गई योजना के अनुसार संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति के सत्यापन के बाद, थोक अपशिष्ट उत्पादक को विस्तारित थोक अपशिष्ट उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र जारी करेगा, -

- (i) थोक अपशिष्ट उत्पादक द्वारा फीस के का भुगतान के विरुद्ध मानक आधार पर गणना किए गए कुल ठोस अपशिष्ट (गीला अपशिष्ट, सूखा अपशिष्ट, स्वच्छता अपशिष्ट, विशेष देखभाल अपशिष्ट) के लिए थोक अपशिष्ट उत्पादक को एकल विस्तारित थोक अपशिष्ट उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र जारी करेंगे;
- (ii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मानदंडों के आधार पर, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अनुमोदन के बाद स्थानीय निकाय की उप-विधियों या उपयुक्त विनियम में विस्तारित थोक अपशिष्ट उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र की लागत को अधिसूचित करेगा;
- (iii) थोक अपशिष्ट उत्पादक को जारी किया गया विस्तारित थोक अपशिष्ट उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्र, ऐसे थोक अपशिष्ट उत्पादक के लिए ठोस अपशिष्ट के परिकलित विभाजन को और विनिर्दिष्ट कर सकेगा और गीले अपशिष्ट, स्वच्छता अपशिष्ट के मामले में, रजिस्ट्रीकृत अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं का विवरण शामिल होगा, जिन्हें अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए सौंप दिया गया है, सूखे अपशिष्ट के मामले में, रजिस्ट्रीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं का विवरण, जिन्हें सूखा अपशिष्ट सौंप दिया गया है, प्रदान किया जाएगा;

(iv) स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करेगा कि थोक अपशिष्ट जनरेटर से एकत्र किए गए अपशिष्ट को इन नियमों के अनुसार संसाधित किया जाता है।

(v) वार्षिक आधार पर विभिन्न प्रकार के थोक अपशिष्ट उत्पादकों द्वारा उत्पन्न वास्तविक अपशिष्ट की आवधिक आधार पर लेखापरीक्षा करेगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विहित मानदंडों के अनुसार उत्पन्न वास्तविक अपशिष्ट का व्यौरा

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपयुक्त अनुशंसा एकत्रीकरण, संक्षेपण और प्रस्तुत की जा सके।

(39) शहरी स्थानीय निकाय, विभिन्न प्रतिष्ठानों द्वारा औसत अपशिष्ट उत्पादन के आधार पर, वार्षिक आधार पर शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक वार्ड में ठोस अपशिष्ट उत्पादन का लेखा-जोखा लेंगे और ऑनलाइन पोर्टल पर रिपोर्ट करेंगे।

(40) शहरी स्थानीय निकाय, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केन्द्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर मासिक आधार पर ठोस अपशिष्ट उत्पादन और रिपोर्ट संग्रहण को दर्शाएंगे।

(41) शहरी स्थानीय निकाय, जहां उपयुक्त हो, सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से जोन-वार विकेन्द्रीकृत कम्पोस्टिंग इकाइयां स्थापित करेंगे, व्यक्तिगत समुदाय या इकाइयों से पृथक गीला अपशिष्ट एकत्र किया जाएगा और इन विकेन्द्रीकृत कम्पोस्टिंग इकाइयों में निपटाया जाएगा।

(42) शहरी स्थानीय निकायों के पास बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और सार्वजनिक क्षेत्रों जैसे परिसरों में और उसके आसपास पर्याप्त संख्या में कूड़ेदान होंगे।

(43) शहरी स्थानीय निकाय अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा के आधार पर या तो स्वयं या सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड में सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएं स्थापित करेंगे और प्रत्येक वर्ष 30 जून तक केन्द्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड और अद्यतन करेंगे।

(44) ऐसी सभी सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएं मासिक आधार पर केन्द्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त अपशिष्ट, उपलब्धता और पृथक अपशिष्ट के पुनर्चक्रणकर्ताओं या जीवन समाप्ति निपटान संस्थाओं, जिनमें भस्मक और स्वच्छता या परिचालन लैंडफिल स्थल शामिल हैं, तक परिवहन को दर्शाएंगी।

(45) शहरी स्थानीय निकाय ठोस अपशिष्ट के विभिन्न घटकों के इष्टतम उपयोग के लिए स्वयं या निजी क्षेत्र की भागीदारी से या किसी एजेंसी के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं और संबद्ध अवसंरचना के निर्माण, प्रचालन और रखरखाव को सुकर बनाएंगे और इसके लिए उपयुक्त तकनीक अपनाई जाएगी और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों और मानकों का पालन किया जाएगा। परिवहन लागत और पर्यावरणीय प्रभावों को न्यूनतम करने के लिए विकेन्द्रीकृत प्रसंस्करण को प्राथमिकता दी जाएगी।

अपनाई जा सकने वाली प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) जैव-मीथेनेशन, सूक्ष्मजीवी कम्पोस्टिंग, वर्मी-कम्पोस्टिंग, अवायवीय पाचन या जैव-नियन्त्रिकरणीय अपशिष्टों के जैव-स्थिरीकरण के लिए कोई अन्य उपयुक्त प्रसंस्करण;

(ख) अपशिष्ट से ऊर्जा प्रक्रियाएं, जिनमें अपशिष्ट के दहनशील अंश के लिए अस्वीकृत व्युत्पन्न ईंधन शामिल है या ठोस अपशिष्ट आधारित विद्युत संयंत्रों या सीमेंट भट्टों या अन्य औद्योगिक प्रक्रियाओं को फीडस्टॉक के रूप में आपूर्ति, जो भट्टियों का उपयोग करती हैं, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ऐसी प्रक्रियाओं के अनुमोदन के बाद और नियमों में विहित मानकों का पालन करने पर।

(46) शहरी स्थानीय निकाय मलिन बस्तियों और अनौपचारिक बस्तियों, वाणिज्यिक, संस्थागत और अन्य गैर-आवासीय परिसरों, बहुमंजिला इमारतों, बड़े वाणिज्यिक परिसरों, मॉल, आवासीय परिसरों और इसी तरह के अन्य स्थानों सहित घरों से सूखा अपशिष्ट, गीला अपशिष्ट और विशेष देखभाल अपशिष्ट, स्वच्छता अपशिष्ट एकत्र करेंगे और उन्हें अलग-अलग और ढके हुए वाहनों में संबंधित प्रसंस्करण सुविधा तक स्वयं या तीसरे पक्ष के माध्यम से ले जाएंगे।

(47) शहरी स्थानीय निकाय पुनर्चक्रण योग्य वस्तुओं के भंडारण के लिए पर्यास स्थान के साथ सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएं या द्वितीय भंडारण सुविधाएं स्थापित करेंगे और सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाओं से प्राधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं तक छांटी गई पुनर्चक्रण योग्य वस्तुओं को एकत्रित करने में सक्षम होंगे।

(48) शहरी स्थानीय निकाय स्वयं या किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से ठोस अपशिष्ट, विशेष रूप से विशेष देखभाल अपशिष्टों के संग्रहण के लिए सेवाएं प्रदान करेंगे, साथ ही किसी शहर या कस्बे में निश्चेपण केंद्रों की स्थापना इस प्रकार करेंगे कि पांच वर्ग किलोमीटर या उसके भाग के क्षेत्र के लिए एक केंद्र स्थापित किया जाए और ऐसे केंद्रों पर विशेष देखभाल अपशिष्ट प्राप्त करने के समय को अधिसूचित करेंगे तथा अपशिष्ट उत्पादकों को सुरक्षित निपटान के लिए इन केंद्रों पर विशेष देखभाल अपशिष्ट जमा करने के निदेश देंगे।

(49) शहरी स्थानीय निकाय केवल अनुपयोगी, पुनर्चक्रण योग्य नहीं, जैवनिष्ठीकरण योग्य नहीं, दहनशील नहीं और गैर-प्रतिक्रियाशील निष्क्रिय अपशिष्ट तथा पूर्व-प्रसंस्करण अस्वीकृत अपशिष्ट और अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं से अवशेषों को ही स्वच्छता या प्रचालन भूमिभरण में जाने की अनुमति देंगे और स्वच्छता या प्रचालन भूमिभरण स्थल अनुसूची-॥ में दिए गए विनिर्देशों को पूरा करेंगे, तथापि, भूमिभरण में जाने वाले शून्य अपशिष्ट के वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अस्वीकृत अपशिष्ट को पुनर्चक्रित या पुनः उपयोग करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा।

(50) भुगतान की गई टिप्पिंग फीस अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई संचालक और लैंडफिल प्रचालक द्वारा दाखिल वार्षिक रिटर्न में रिपोर्ट किया जाएगा।

(51) शहरी स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि गीले अपशिष्ट के भंडारण के लिए सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ेदानों को हरे रंग से रंगा जाएगा, सूखे अपशिष्ट के भंडारण के लिए कूड़ेदानों को नीले रंग से मुद्रित किया जाएगा और यदि आवश्यक हो तो सार्वजनिक शौचालयों में स्वच्छता संबंधी अपशिष्ट के लिए लाल रंग से रंगे कूड़ेदान रखे जा सकेंगे।

(52) शहरी स्थानीय निकाय, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के संबंधित विभागों के साथ मिलकर, शहरी स्थानीय निकाय-वार अपशिष्ट-व्युत्पन्न ईंधन संयंत्रों का मानचित्रण करेंगे, जिसमें उद्योगों द्वारा उत्पादन क्षमता और उपयोग या उठाव शामिल होगा।

(53) शहरी स्थानीय निकाय वार्ड वार डाटाबेस तैयार करेंगे और ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण, छंटाई, परिवहन और प्रसंस्करण या पुनर्चक्रण या निपटान क्रियाकलापों में शामिल अनौपचारिक क्षेत्र जैसे अपशिष्ट बीनने वालों या संग्राहकों सहित सभी कर्मियों का केंद्रीयकृत आँनलाइन पोर्टल पर अपलोड करेंगे।

(54) स्थानीय निकाय अपशिष्ट बीनने वालों या अनौपचारिक अपशिष्ट संग्राहकों को एकीकृत करेंगे, उन्हें या उनका प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों को मान्यता देने के लिए एक प्रणाली स्थापित करेंगे, अपशिष्ट के डोर-टू-डोर संग्रह सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देंगे, इसे केंद्रीकृत पोर्टल पर दर्शाएंगे।

40. **ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के कर्तव्य:-** (1) सभी स्थानीय निकाय अपने अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में पर्यावरण की गुणवत्ता को संरक्षित करने और सुधारने के लिए इन नियमों के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन करने के लिए उत्तरदायी हैं।

(2) जिला पंचायत निम्नलिखित करेगा-

(i) राज्य नीति और कार्यनीति की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष के भीतर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर राज्य नीति और रणनीति द्वारा निर्देशित विहित प्ररूप में ठोस अपशिष्ट कार्य योजना तैयार करेगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित तत्व शामिल होंगे:

- (क) क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में कुल अपशिष्ट उत्पादन का ग्राम पंचायत के वार्डवार व्यौरा;
- (ख) अपशिष्ट उत्पादन के लिए पांच वर्षीय अनुमान;
- (ग) संग्रहण (विशेष देखभाल अपशिष्ट सहित) और परिवहन योजना;
- (घ) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना का मानचित्रण;
- (ङ) बाजार स्थानों, सामुदायिक सेवा अवसंरचना जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, धार्मिक महत्व के स्थानों का मानचित्रण;
- (च) अपशिष्ट प्रवण स्थानों से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई और कचरा डालने वाले प्रमुख स्थानों तक अपशिष्ट के संग्रहण और परिवहन की योजना;
- (छ) जल निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रवेश द्वारों का मानचित्रण तथा समुचित अवरोधों की स्थापना के माध्यम से जल निकायों में ठोस अपशिष्ट के प्रवेश को रोकने की योजना बनाना;
- (ज) सतही जल निकायों और नालियों से तैरते हुए ठोस अपशिष्ट को हटाने की समयसीमा;
- (झ) विहित मानदंडों के अनुसार सड़कों की सफाई और अपशिष्ट पेटियों की स्थापना के लिए समयसीमा;
- (ञ) सार्वजनिक या निजी स्वामित्व के अंतर्गत रिक्त भूखंडों का मानचित्रण, जो ठोस अपशिष्ट के खुले में डंपिंग के लिए प्रवण हैं, जिनमें रेलवे भूमि और सार्वजनिक प्राधिकरणों की भूमि शामिल है;

(ट) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना की अपेक्षा, जिसमें संग्रहण, परिवहन, पृथक्करण, भंडारण, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण (गीले और सूखे दोनों प्रकार के अपशिष्टों सहित) से पूर्व अपेक्षित तथा अपशिष्टों का पर्यावरणीय युक्तियुक्त रीति से उचित निपटान शामिल है।

(ii) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति के साथ केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण कराना तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर शहर की ठोस अपशिष्ट कार्य योजना अपलोड करेंगे।

(iii) राजपत्र में इन नियमों की अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से बारह महीने के भीतर भौगोलिक स्थिति प्रणाली का उपयोग करके संग्रहण वाहनों की निगरानी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना का मानचित्रण करने के लिए डिजिटल और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यकलापों की निगरानी करने के लिए प्रणालियां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना।

(iv) प्रत्येक वर्ष 30 जून तक अपने अधिकारिता के अधीन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना या सुविधाओं या इकाइयों के संबंध में केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को वार्षिक विवरणी दाखिल करेंगे।

(v) संग्रहण, पृथक्करण और प्रसंस्करण के लिए उपलब्ध ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना का आकलन करेंगे और अगले वित्तीय वर्ष के 30 जून तक अपनी वेबस्थल पर रिपोर्ट देना।

(vi) सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्राम पंचायतवार या क्षेत्रवार केंद्रीकृत कम्पोस्ट इकाईयां स्थापित की जाएंगी, व्यक्तिगत समुदायया इकाइयों से पृथक गीला अपशिष्ट संग्रह किया जाएगा तथा अनुसूची-। में विहित समय-सीमा के अनुसार इन विकेन्द्रीकृत कम्पोस्ट इकाईयों में उसका निपटान किया जाएगा।

(vii) पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों के भंडारण के लिए पर्याप्त स्थान के साथ सामग्री पुनर्प्रसिद्धि सुविधाएं या द्वितीयक भंडारण सुविधाएं और अनुसूची-। में विहित समय के अनुसार सामग्री पुनर्प्रसिद्धि सुविधाओं से अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं तक पृथक की गई पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों का संग्रह सक्षम करेंगे। जिला पंचायतें अनुसूची-। में विहित समय के अनुसार अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा के आधार पर या तो स्वयं या लोक प्राइवेट भागीदारी मोड में सामग्री वसूली प्रसुविधा स्थापित करेंगी और हर वर्ष 30 जून तक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड और अद्यतन करेंगी।

(viii) ऐसे सभी सामग्री वसूली प्रसुविधा को तिमाही आधार पर केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त अपशिष्ट की उपलब्धता और पृथक अपशिष्ट को पुनर्चक्रणकर्ताओं या भस्मक या सीमेंट भट्टों सहित जीवन समाप्ति निपटान संस्थाओं तक परिवहन की जानकारी दर्शानी होगी।

(ix) ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, भंडारण, परिवहन और उपचार के लिए सुविधाओं, उपकरणों और अवसंरचना के प्रबंधन और रखरखाव की रिपोर्ट सभी जिला स्तरीय पंचायत राज संस्था के संबंध में केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर दी जाएगी और आगामी वित्तीय वर्ष के 30 जून तक केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर वार्षिक विवरणी फाइल की जाएगी।

(x) ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं और संबंधित अवसंरचना के निर्माण, प्रचालन और रखरखाव को स्वयं या निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ या किसी अभिकरण के माध्यम से ठोस अपशिष्ट के विभिन्न घटकों के इष्टतम उपयोग के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी को अपनाना और पेयजल एंव स्वच्छता विभाग और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों और मानकों का पालन करेंगे। परिवहन लागत और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए विकेन्द्रीकृत प्रसंस्करण को प्राथमिकता दी जाएगी जैसे-

(क) जैव-मीथेनेशन, सूक्ष्मजीवी उर्वरक, वर्मी-कंपोस्ट, अवायवीय पाचनया जैवनिम्नीकरणीय अपशिष्टों के जैव-स्थिरीकरण के लिए कोई अन्य उपयुक्त प्रसंस्करण;

(ख) अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया, जिसमें अपशिष्ट के दहनीय अंश के लिए अस्वीकृत व्युत्पन्न ईंधन या ठोस अपशिष्ट आधारित विद्युत संयंत्रों या सीमेंट भट्टों या अन्य भट्टियों को फीडस्टॉक के रूप में आपूर्ति शामिल है;

(xi) वाणिज्यिक, संस्थागत और अन्य गैर-आवासीय परिसरों, भवनों सहित घरों से ठोस अपशिष्ट के संग्रहण और परिवहन को कम्पार्टमेंटलाइज्ड और आच्छादित वाहनों में संबंधित प्रसंस्करण सुविधा तक सुकर बनाना।

(xii) ठोस अपशिष्ट, विशेष रूप से विशेष देखभाल अपशिष्टों के संग्रहण के लिए सेवाएं प्रदान करना।

(xiii) यह सुविधा प्रदान करना कि शुष्क अपशिष्ट अनुसूची। में विहित समय-सीमा के अनुसार संबंधित प्रसंस्करण सुविधा या सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा या द्वितीयक भंडारण सुविधा/शेड तक पहुंचाया जाए।

(xiv) आगामी वर्ष की 30 अप्रैल जून को या उससे पहले केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर प्रारूप IV में वार्षिक रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुत करना, जिसकी प्रतिलिपि राज्य ग्रामीण विकास विभाग और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को भी भेजी जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे:

(xv) राजपत्र में इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर ऑनलाइन मोड सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना। सभी स्थानीय निकाय शिकायतों की स्थिति के बारे में केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर आगामी वित्तीय वर्ष के 30 जून तक वार्षिक विवरणी फाईल करना।

(xvi) गांवों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए द्वितीय स्तर की पंचायत के साथ मिलकर काम करना।

(xvii) वार्डवार डाटाबेस तैयार करना तथा ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण, छंटाई, परिवहन तथा प्रसंस्करण या पुनर्चक्रण या निस्तारण या कार्यकरण में शामिल अनौपचारिक क्षेत्र जैसे अपशिष्ट चुनने वालों/संग्राहकों सहित सभी कार्मिकों का केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना।

(xviii) अपशिष्ट चुनने वालों या अनौपचारिक अपशिष्ट संग्राहकों को मान्यता देने के लिए एक प्रणाली स्थापित करके उन्हें या उनका प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों को एकीकृत करना, अपशिष्ट के घर-घर संग्रहण सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना तथा अनुसूची। में दी गई समय-सीमा के अनुसार इसे केंद्रीयकृत पोर्टल पर दर्शाना।

(xix) ग्रामीण क्षेत्रों के सभी स्थानीय निकाय सूचना, शिक्षा और संचार के माध्यम से जन जागरूकता पैदा करेंगे और कचरा उत्पन्न करने वालों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में शिक्षित करेंगे।

(3) ग्राम पंचायत के कर्तव्य:-

(i) इन नियमों के उपबंधों के अनुसार ग्राम स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करना,

(ii) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ग्राम पंचायत स्तर की कार्य योजना विकसित करने के बाद अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन गांव क्षेत्र के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की योजना बनाना और उसे लागू करना।

(iii) स्वयं या अभिकरणों की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की स्थापना, प्रचालन और समन्वय करना तथा संबंधित कार्यों का निष्पादन करना, अर्थात्-

(क) ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण, संग्रहण, भंडारण, परिवहन तथा पुनर्चक्रण योग्य ठोस अपशिष्ट अंश को वैध रजिस्ट्रीकरण वाले पुनर्चक्रणकर्ताओं तक पहुंचाना सुनिश्चित करना, तथा यह सुनिश्चित करना कि प्रक्रिया के दौरान पर्यावरण को कोई धूति न पहुंचे;

(ख) अपेक्षा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना की स्थापना, प्रचालन और रखरखाव करना;

(ग) हितधारकों के बीच उनके उत्तरदायित्वों के बारे में जागरूकता पैदा करना;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि ठोस अपशिष्ट को खुले में न फेंका जाए तथा न जलाया जाए;

(ङ) अपशिष्टचुनने वालों के साथ काम करने वाले नागरिक समाज समूहों के साथ जुड़ना।

(iv) नियमों के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर जिला पंचायत को आंकड़े प्रस्तुत करना।

41. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति के कर्तव्य.- (1) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा, -

(i) अपनी अपनी अधिकारिता में स्थानीय निकायों के माध्यम से राज्य में इन नियमों का प्रवर्तन किया जायगा तथा संबंधित नगरपालिका प्रशासन या स्थानीय स्वशासन से संबंधित विभाग या राज्य शहरी विकास विभाग के प्रभारी सचिव के साथ-साथ ग्रामीण विकास विभाग या ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विभाग के साथ निकट समन्वय में वर्ष में कम से कम दो बार इन नियमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना;

(ii) अपशिष्ट प्रसंस्करण और निस्तारण स्थलों के लिए अनुसूची 2 और अनुसूची 3 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट पर्यावरणीय मानकों और शर्तों के पालन की निगरानी करना;

(iii) स्थानीय निकाय या स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण से प्ररूप 1 में आवेदन प्राप्त होने के पश्चात अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के प्राधिकार और रजिस्ट्रीकरण के प्रस्ताव की जांच करना तथा ऐसी जांच करना जो उचित समझी जाए;

(iv) प्राधिकरण के प्रस्ताव की जांच करते समय, संबंधित अधिनियमितियों के अधीन सहमति की अपेक्षा और अभिकरणों जैसे राज्य शहरी विकास विभाग, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, जिला योजना समिति या महानगर क्षेत्र योजना समिति, जैसा भी लागू हो, विमानपत्तन या एयरबेस प्राधिकरण, भूजल बोर्ड, रेलवे, बिजली वितरण कंपनियां, राजमार्ग विभाग और अन्य संबंधित अभिकरणों के विचारों को ध्यान में रखा जाएगा और उन्हें अपने विचार, यदि कोई हो, देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया जाएगा;

(v) स्थानीय निकाय या किसी सुविधा प्रचालक या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण को प्रारूप 2 में साठ दिनों की अवधि के भीतर प्राधिकार जारी करना, जिसमें यथाआवश्यक अन्य शर्तों सहित अनुसूची 1 और 2 में यथाविनिर्दिष्ट अनुपालन मापदंड और पर्यावरण मानक अधिकथित किए जाएंगे;

(vi) उक्त प्राधिकार की विधिमान्यता सहमतियों की विधिमान्यता के साथ समकालिक बनाना ;

(vii) यदि स्थानीय निकाय या सुविधा का प्रचालक विहित शर्तों के अनुसार सुविधा का प्रचालन करने में विफल रहता है, तो खंड (क) के अंतर्गत जारी उक्त प्राधिकार को किसी भी समय निलंबित या रद्द कर सकता है:

परंतु यथास्थिति, स्थानीय निकाय या प्रचालक को सूचना दिए बिना ऐसा कोई प्राधिकार निलंबित या रद्द नहीं किया जाएगा; तथा

(viii) नवीकरण हेतु आवेदन प्राप्त होने पर, प्रत्येक आवेदन को गुणागुण आधार पर परीक्षा करने के पश्चात् तथा इस शर्त के अधीन रहते हुए सुविधा के प्रचालक ने प्राधिकार, सहमति या पर्यावरण मंजूरी में निर्दिष्ट नियमों, मानकों या शर्तों के सभी उपबंधों को पूरा कर लिया है, अगले पांच वर्षों के लिए प्राधिकार नवीकरण किया जाएगा।

(ix) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति, आवेदक को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् तथा उसके कारणों को लिखित रूप में दर्ज करके, प्राधिकार अनुदत्त करने या उसका नवीकरण करने से इंकार कर सकेगा।

(x) नई प्रौद्योगिकियों के मामले में, यथास्थिति जहां केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा कोई मानक विहित नहीं किया गया है, मानकों को निर्दिष्ट करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से निवेदन करेगा।

(xi) यथास्थिति, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति, जब कभी उचित समझा जाए किन्तु वर्ष में कम से कम एक बार, यथाअभिहित या अधिकथित मानकों और यथाअनुमोदित उपचार प्रौद्योगिकी तथा प्राधिकार में विहित शर्तों और इन नियमों के अधीन अनुसूची 2 और 3 में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुपालन की निगरानी करेगा।

(xii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति, विशेष देखभाल अपशिष्ट भंडारण सुविधाओं पर अपशिष्ट जनित्रों द्वारा एकत्रित विशेष देखभाल अपशिष्ट के सुरक्षित प्रहस्तन और निस्तारण के लिए स्थानीय निकायों को निदेश दे सकेगा।

(xiii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अपशिष्ट के अंतर-राज्यीय प्रचालन को विनियमित करेगा।

(xiv) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपशिष्ट प्रसंस्करण या पुनर्चक्रण और निस्तारण सुविधाओं को प्राधिकार अनुदत्त करेगा और रजिस्ट्रीकृत करेगा और जिलावार, स्थानीय प्राधिकरण-वार जानकारी हर वर्ष 30 जून तक केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी;

(xv) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रभार ले सकता है और साथ ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार नियमों के अधीन फाइल विवरणी के प्रसंस्करण के लिए वार्षिक प्रभार ले सकता है, वसूले गए प्रभार का एक भाग केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर प्रचालन और रखरखाव के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ साझा किया जाएगा;

(xvi) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं द्वारा इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

(xvii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति या किसी नामित अभिकरण द्वारा निरीक्षण और आवधिक लेखा परीक्षा के माध्यम से रजिस्ट्रीकृत पर्यावरण संपरीक्षक ऑडिट रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं द्वारा अनुपालन का सत्यापन किया जाएगा।

(xviii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति नियमों के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत इकाई के डेटा की लेखापरीक्षा रजिस्ट्रीकृत पर्यावरण संपरीक्षक ऑडिट स्वयं या किसी नामित अभिकरण द्वारा, माल और सेवा कर नेटवर्क पोर्टल से जानकारी का उपयोग करने सहित किया जाएगा।

(xix) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठोस अपशिष्ट के पुनर्चक्रण में शामिल संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक रिपोर्टों को संकलित कर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजेगा तथा ऑनलाइन प्रकाशित करेगा।

(xx) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति इन नियमों के अंतर्गत दायित्वों की पूर्ति में शामिल सुसंगत हितधारकों के बीच नियमित संवाद सुनिश्चित करेगा।

(xxi) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति उत्सर्जन और निर्वहन मानदंडों के अनुपालन के लिए सभी ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और उपचार सुविधाओं की निगरानी करेगा और हर वर्ष एक बार सुविधाओं की लेखापरीक्षा कराएगा।

(xxii) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति, शहरी स्थानीय निकाय और जिला स्तर पर पंचायत द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की स्वयं या रजिस्ट्रीकृत पर्यावरण संपरीक्षक ऑडिटकिसी नामित अभिकरण के माध्यम से लेखापरीक्षा कराएगी और ऐसी लेखापरीक्षा रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट की प्रति संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति की वेबस्थल पर उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति आरडीएफ उपयोग के लिए सीमेंट भट्टों या अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों के साथ स्थानीय निकायों के गठजोड़ की सुविधा प्रदान कर सकता है।

(3) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति, आवश्यकतानुसार, स्वयं या रजिस्ट्रीकृत पर्यावरण संपरीक्षक ऑडिट तीसरे पक्ष की अभिकरण के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय प्राधिकरणों और बाध्य संस्थाओं द्वारा किए गए अपशिष्ट प्रसंस्करण संस्थाओं और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्रियाकलापों का भौतिक सत्यापन और लेखा परीक्षा कर सकता है।

(4) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा ठोस अपशिष्ट की अंधाधूंध डॉपिंग सहित, इन नियमों के उपबंधों का अनुपालन नहीं करने वाले व्यक्तियों पर प्रदूषणकर्ता भुगतान सिद्धांत के आधार पर पर्यावरणीय प्रतिकर अधिरोपित करेगा।

(5) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति स्वयं अथवा किसी रजिस्ट्रीकृत पर्यावरण संपरीक्षक ऑडिटीसरे पक्ष अभिकरण के माध्यम से प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक नियमों के अंतर्गत प्राधिकृत ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की लेखापरीक्षा करेगा।

(6) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर तक ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की लेखापरीक्षा रिपोर्ट ऑनलाइन केंद्रीकृत पोर्टल पर प्रकाशित करेगा।

(7) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति यह सुनिश्चित करेगा कि ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं का रखरखाव कुशल या अर्ध-कुशल पेशेवरों और प्रमाणित पेशेवरों द्वारा किया जाए।

(8) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति ठोस अपशिष्ट अवसंरचना और प्रसंस्करण सुविधाओं की जियो-टैगिंग सुनिश्चित करेगा।

(9) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति औद्योगिक क्षेत्रों से उत्पन्न ठोस अपशिष्ट की रोकथाम और नियंत्रण के संबंध में तकनीकी नीति-दिशानिर्देश तैयार करेगी।

(10) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति उद्योगों द्वारा आरडीएफ के उपयोग का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(11) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति स्वयं अथवा तीसरे पक्ष के माध्यम से जैविक उर्वरक की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा में उत्पादित जैविक उर्वरक का परीक्षण सुनिश्चित करेगा।

(13) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि सुविधा संचालकों द्वारा मासिक आधार पर जैविक उर्वरक के संबंध में ऑनलाइन पोर्टल पर परीक्षण रिपोर्ट अपलोड की जाए।

(14) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सभी रजिस्ट्रीकृत वायोमिथेनेशन संयंत्रों और अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों, सैनिटरी या परिचालन लैंडफिल, ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की सूची तैयार करेगा और हर वर्ष 30 जून तक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करेगा।

अनुसूची 1

(अध्याय 1, नियम 3(थ), अध्याय 3 नियम 14(3), अध्याय V नियम 23(1)(xvi), नियम 24(1)(x), नियम 39(34), नियम 40(2)(vi), नियम 40(2)(vii), नियम 40(2)(xiii), नियम 40(2)(xix), देखिए)

क्र. सं.	जनसंख्या	समयसीमा
	1	2
	शहरी क्षेत्र	
1	दस लाख से अधिक आबादी वाले शहर	नियम लागू होने की तिथि से छह मास
2	5-10 लाख	नियम लागू होने की तिथि से बारह मास
3	सभी शहरी क्षेत्र	नियम लागू होने की तिथि से अठारह मास
4		
	ग्रामीण क्षेत्र	
1	20000 और उससे अधिक की जनसंख्या के साथ	अठारह मास की तिथि से नियम लागू होंगे
2	10000-20000	चौबीस मास की तिथि से नियम लागू होंगे
3	10000 तक	चत्तीस मास की तिथि से नियम लागू होंगे

अनुसूची 2

सैनिटरी लैंडफिल के लिए विनिर्देश देखें

[अध्याय 2, नियम 7(1)(च), अध्याय 3, नियम 14 (3), अध्याय 5 नियम 39 (49) नियम 41(1)(ii) नियम 41

(1)(v) देखिए]

(क) स्थल चयन के लिए मानदंड-

- (i) भूमि निर्धारण के कार्य आवंटन में विभाग द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और शोधन सुविधाओं की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थल उपलब्ध कराएगा और ऐसे स्थलों को अधिसूचित करेगा।
- (ii) स्वास्थ्यकर /कार्यात्मक भूमिभरण स्थल की योजना, डिजाइन और विकास निर्माण योजना के उचित प्रलेखन के साथ-साथ चरणबद्ध रीति से बंदी योजना के साथ किया जाएगा। यदि किसी विद्यमान भूमिभरण स्थल के समीप एक नई भूमिभरण सुविधा स्थापित की जा रही है, तो विद्यमान भूमिभरण की बंदीयोजना ऐसे नए भूमिभरण के प्रस्ताव का भाग होनी चाहिए।
- (iii) भूमिभरण स्थलों का चयन आस-पास की अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं का उपयोग करने के लिए किया जाएगा। अन्यथा, अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा को भूमिभरणस्थल के अभिन्न अंग के रूप में नियोजित किया जाएगा।
- (iv) विद्यमान भूमिभरण स्थलों की स्थापना शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार की जाएगी।
- (v) मौजूदा भूमिभरण स्थलों, जो पांच वर्षों से अधिक समय से उपयोग में हैं, को इस अनुसूची में दी गई विशिष्टताओं के अनुसार उन्नत किया जाएगा।

(vi) भूमिभरण स्थल कम से कम 20-25 वर्षों तक चलने के लिए पर्याप्त बड़े होंगे जलजमाव और दुरुपयोग से बचने के लिए चरणबद्ध तरीके से 'भूमिभरण सेल' विकसित किए जाएं।

(vii) भूमिभरण स्थल नदी से 100 मीटर, तालाब से 200 मीटर, राजमार्गों, बस्तियों, सार्वजनिक पार्कों और जल आपूर्ति कुओं से 200 मीटर और विमानपत्तनों या एयरबेस से 20 किमी दूर होनी चाहिए। तथापि, विशेष मामले में, नागर विमानन प्राधिकरण/वायु सेना, जैसा भी मामला हो, से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद विमानपत्तनों/एयरबेस से 10 और 20 किमी की दूरी पर भूमिभरण स्थल स्थापित की जा सकती है। पिछले सौ वर्षों से दर्ज बाड़ के मैदानों, तटीय विनियमन क्षेत्र, आर्द्रभूमि, महत्वपूर्ण आवास क्षेत्रों, संवेदनशील पारिस्थितिकी-भंगुर क्षेत्रों में भूमिभरणस्थल की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(viii) भूमिभरण तथा ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण एवं निस्तारण के लिए स्थलों को नगर नियोजन विभाग की भूमि-उपयोग योजनाओं में शामिल किया जाएगा।

(ix) पांच टन से अधिक की संस्थापित क्षमता वाली ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निस्तारण सुविधा के आसपास गैर विकास का बफर जोन बनाए रखा जाएगा। इसे ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निस्तारण सुविधा के कुल क्षेत्र के भीतर बनाए रखा जाएगा। बफर जोन को स्थानीय निकाय द्वारा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से मामले दर मामले के आधार पर निर्धारण किया जाएगा।

(x) जैव-चिकित्सीयअपशिष्ट का निपटान समय-समय पर यथासंशोधित जैव-चिकित्सीयअपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार किया जाएगा। परिसंकटमय अपशिष्ट का प्रबंधन समय-समय पर यथासंशोधित परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा-पारीय संचलन) नियम, 2016 के अनुसार किया जाएगा। ई-अपशिष्टों का प्रबंधन समय- समय पर यथासंशोधित ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के अनुसार किया जाएगा।

(xi) प्रत्येक भूमिभरण स्थल पर ठोस अपशिष्ट के लिए अस्थायी भंडारण सुविधा स्थापित की जाएगी, जिससे अपशिष्ट प्रसंस्करण का प्रचालन न होने की स्थिति में तथा आपातकालीन या प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अपशिष्ट को रखा जा सके।

(xii) स्वास्थ्यकर/कार्यात्मकभूमिभरण पर सुविधाओं के विकास के लिए मानदंड। -

(i) भूमिभरण स्थल पर चार-दीवारी या बाड़ से घेरा जाएगा तथा अंदर आने वाले वाहनों पर नजर रखने के लिए उचित दरवाजे की व्यवस्था की जाएगी, जिससे अप्राधिकृत व्यक्तियों और आवारा पशुओं के प्रवेश को रोका जा सके।

(ii) पहुंच मार्ग और/या आंतरिक सड़कें कंक्रीट या पक्की होंगी, जिससे वाहनों की आवाजाही के कारण धूल के कण उत्पन्न न हों तथा इन्हें इस प्रकार डिजाइन किया जाएगा कि वाहनों और अन्य मशीनरी का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित हो सके।

(iii) भूमिभरण स्थल पर भूमिभरण के लिए लाए गए अपशिष्ट की निगरानी के लिए अपशिष्ट निरीक्षण सुविधा, अभिलेख रखने के लिए कार्यालय सुविधा और प्रदूषण निगरानी उपस्कर सहित उपस्करऔर मशीनरी रखने के लिए आश्रय स्थल होंगे। सुविधा का प्रचालक अपशिष्ट प्राप्ति, संसाधित और निपटान का लेखा-जोखा रखेगा।

(iv) भूमिभरण स्थल पर लाए गए अपशिष्ट की मात्रा को मापने के लिए धर्मकांटा, अग्नि सुरक्षा उपस्कर और अन्य सुविधाएं जो अपेक्षित हों, प्रदान की जाएंगी।

(v) पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाएं (अधिमानतः कर्मकारों के लिए धोने या नहाने की सुविधा) तथा रात्रि के समय भूमिभरण प्रचालन को आसान बनाने के लिए प्रकाश व्यवस्था जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

(vi) भूमिभरण स्थलों पर श्रमिकों के स्वास्थ्य निरीक्षण सहित सुरक्षा उपबंध किए जाएंगे।

(vii) ठोस अपशिष्ट ले जाने वाले परिवहन वाहनों की पार्किंग, सफाई, धूलाई की व्यवस्था की जाएगी। इस प्रकार उत्पन्न मल जल का शोधन विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

(ग) भूमिभरण प्रचालनों और भूमिभरण पूर्ण होने परउनको बंद करने के विनिर्देशों के लिए मानदंड-

(i) भूमि भरण के लिए अपशिष्ट को भारी कॉम्पैक्टर का उपयोग करके पतली परतों में संहत किया जाएगा जिससे अपशिष्ट का उच्च घनत्व प्राप्त किया जा सके। उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में जहां भारी कॉम्पैक्टर का उपयोग नहीं किया जा सकता है, वहां वैकल्पिक उपाय अपनाए जाएंगे।

(ii) जब तक उर्वरक बनाने या पुनर्चक्रण या ऊर्जा पुनर्प्राप्ति के लिए अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएँ स्थापित नहीं हो जातीं, तब तक अपशिष्ट को स्वास्थ्यकर या कार्यात्मक भूमिभरण में भेजा जाएगा। भूमिभरण सेल को प्रत्येक कार्य दिवस के अंत में कम से कम 10 सेमी मिट्री, निष्क्रिय मलबे या निर्माण सामग्री से ढक दिया जाना चाहिए।

(iii) मानसून सत्र के आरंभ होने से पूर्व, भूमिभरण स्थल पर मानसून के दौरान पानी के रिसाव को रोकने के लिए उचित संहनन और श्रेणीकरण के साथ 40-65 सेमी मोटी मिट्री का एक मध्यवर्ती आवरण बिछा दिया जाएगा। भूमिभरण स्थल के प्रभावी क्षेत्र से पानी के बहाव को विपर्यित करने के लिए उचित निकास नालियों का निर्माण किया जाएगा।

(iv) भूमिभरण स्थल के पूरा हो जाने के पश्चात उसके रिसाव और अपरदन को न्यूनतम करने के लिए अंतिम आवरण डिजाइन किया जाएगा। अंतिम आवरण निम्नलिखित विनिर्देशों के अनुसार होगा, अर्थात्:-

(क) अंतिम आवरण में 1×10^{-7} सेमी/सेकंड से कम के पारगम्यता गुणांक सहित 60 सेमी चिकनी मिट्री या शोधित मिट्री से युक्त अवरोधक मिट्री की परत होगी।

(ख) अवरोधक मिट्री की परत के ऊपर 15 सेमी की जल निकासी परत होगी।

(ग) जल निकास परत के ऊपर, प्रकृति जन्य पादपों की वृद्धि में सहायता करने और अपरदन को कम करने के लिए 45 सेमी. की वनस्पति परत होगी।

(घ) प्रदूषण निवारण के मानदंड.- भूमिभरण प्रचालनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित उपबंध किए जाएंगे, अर्थात् :-

(i) तूफान जल नाले को इस रीति से डिजाइन और निर्मित किया जाएगा कि सतही अपवाह जल को भूमिभरण से विपर्यित हो जाए और ठोस अपशिष्ट स्थानों से निक्षालक, सतही जल बहावमें मिश्रित न हो। निक्षालन उत्पत्ति को कम करने और सतही जल के प्रदूषण को रोकने तथा बाढ़ और दलदली स्थितियों से बचने के लिए तूफान जल प्रवाह नालियों के विपर्यन का उपबंध किया जाएगा।

(ii) अपशिष्ट निस्तारण क्षेत्र के आधार और दीवारों पर गैर-पारगम्य लाइनिंग प्रणाली का निर्माण। ऐसी अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के अपशिष्ट या मिश्रित अपशिष्ट या परिसंकटमय सामग्रियों (जैसे एरोसोल, ब्लीच, पॉलिश, बैटरी, अपशिष्ट तेल, पेंट उत्पाद और कीटनाशक) से संदूषित अपशिष्ट के अवशेषों को प्राप्त करने वाले भूमिभरण के लिए 1.5 मिमी मोटी उच्च घनत्व वाली पॉलीईथाइलीन (एचडीपीई) जियो-मेम्ब्रेन या जियो-सिंथेटिक लाइनर, या उसके समतुल्य होगा तथा जो 90 सेमी मिट्री (चिकनी या शोधित) के ऊपर हो, जिसका पारगम्यता गुणांक 1×10^{-7} सेमी / सेकंड से अधिक न हो। जल सारणी का अधिकतम स्तर भूमिभरण स्थलों के निचले भाग पर उपलब्ध कराई गई चिकनी अथवा शोधित मिट्री के अवरोधक परत के आधार से कम से कम दो मीटर नीचे होना चाहिए।

(iii) निक्षालकों के संग्रहण और शोधन सहित इनके प्रबंधन के लिए उपबंध किए जाएंगे। शोधक निक्षालक, अनुसूची-2 में निर्दिष्ट मानकों को पूरा करने के बाद पुनर्चक्रित या उपयोग किया जाएगा। अन्यथा इन्हें मलनिर्यास लाइन में विमुक्त के किसी भी हाल में निक्षालक को खुले वातावरण में विमुक्त नहीं किया जाएगा।

(iv) संबंधित प्राधिकरण द्वारा पूरे मिश्रित पानी का शोधन किया जाएगा।

(ड) जल गुणवत्ता निगरानी के लिए मानदंड.-

(i) किसी भी भूमिभरण स्थल को स्थापित करने से पूर्व, क्षेत्र में भूजल गुणवत्ता के मूलाधार आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे और उन्हें भविष्य के संदर्भ के लिए रिकॉर्ड में रखा जाएगा। भूमिभरण स्थल की परिधि के 50 मीटर के भीतर भूजल गुणवत्ता को वर्ष की विभिन्न कृष्टुओं अर्थात् ग्रीष्म, मानसून और मानसून पश्चात् अवधि के दौरान आवधिक रूप से मॉनीटर किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि भूजल स्वीकार्य सीमा से अधिक संदूषित न हो।

(ii) किसी भी प्रयोजन (पेयजल और सिंचाई सहित) के लिए भूमिभरण स्थलों में और उनके आसपास भूजल के उपयोग पर उसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के बाद ही विचार किया जाएगा। मॉनीटरी प्रयोजन के लिए पेयजल गुणवत्ता हेतु निम्नलिखित विनिर्देश लागू होंगे, अर्थात् :-

क्र.सं.	पैरामीटर	आईएस 10500:2012, संस्करण 2.2(2003-09) वांछनीय सीमा (मिलीग्राम/लीपीएच को छोड़कर)
(1)	(2)	(3)
	आर्सेनिक	0.01
	कैडमियम	0.01
	क्रोमियम(Cr ₆ रूप में)	0.05
	ताँबा	0.05
	साइनाइड	0.05
	शीशा	0.05
	पारा	0.001
	निकल	-
	नाइट्रेट (NO ₃ के रूप में)	45.0
	पीएच(pH)	6.5-8.5
	लोहा	0.3
	कुल कठोरता (CaCO ₃ के रूप में)	300.0
	क्लोराइड	250
	घुलित ठोस	500
	फेनोलिक यौगिक (C ₆ H ₅ OH के रूप में)	0.001
	जस्ता	5.0

	सल्फेट (SO_4 के रूप में)	200	
--	-----------------------------	-----	--

(च) परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए मानदंड:-

(i) भूमिभरण स्थल पर गंध को कम करने, गैसों को अपस्थलीय फैलने से रोकने, पुनर्वासित भूमिभरण स्थल सतह पर उगाई, गैस संग्रहण प्रणाली सहित भूमि भरण गैस नियंत्रण प्रणाली संस्थापित की जाएगी। भूमिभरण गैस पुनर्पासि को बढ़ाने के लिए गैस संग्रहण कुओं के साथ आच्छादन प्रणालियों में जियो मेम्ब्रेन के प्रयोग पर विचार किया जाएगा।

(ii) भूमिभरण स्थल पर निकलने वाली मीथेन गैस की सांद्रता निम्न विस्फोटक सीमा (एलईएल) के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(iii) भूमिभरण स्थल पर संग्रह सुविधा से भूमिभरण गैस का उपयोग व्यवहार्यता के अनुसार प्रत्यक्ष तापीय अनुप्रयोगों या विजली उत्पादन के लिए किया जाएगा। अन्यथा, भूमिभरण गैस को जला(प्रदीप्त) दिया जाएगा और इसे सीधे वायुमंडल में या अवैध रूप से निकासी के लिए नहीं छोड़ा जाएगा। यदि इसका उपयोग या प्रदीप्तसंभव नहीं है तो निष्क्रिय निकासीकी अनुमति दी जाएगी।

(iv) भूमिभरण स्थल पर इसकेआस-पास परिवेशी वायु गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जाएगी। परिवेशी वायु की गुणवत्ता औद्योगिक क्षेत्र के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विहित मानकों के अनुरूप होगी।

(छ) भूमिभरण स्थल पर पौधरोपण के लिए मानदंड:- तैयार किये गये स्थल पर निम्नलिखित विनिर्देशों के अनुसार वनस्पति आवरण उपलब्ध कराया जाएगा, अर्थात्:-

(क) स्थानीय रूप से अंगीकृत अखाद्य बारहमासी पौधों, जो सूखे और अत्यधिक तापमान के प्रतिरोधी हों, लगाए जाएंगे;

(ख) पौधे ऐसी प्रजाति के होंगे कि उनकी जड़ें 30 सेमी से अधिक गहरी न हों। यह शर्त भूमिभरण के स्थिर होने तक लागू रहेगी;

(ग) चयनित पौधों में न्यूनतम पोषक तत्व के साथ न्यून-पोषक तत्व वाली मिट्टी पर पनपने की क्षमता होनी चाहिए;

(घ) मृदा अपरदन को न्यूनतम करने के लिए पर्याप्त धनत्व में वृक्षारोपण किया जाना चाहिए।

(ङ) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समितियों के परामर्श से भूमिभरण स्थल की सीमा के चारों ओर हरित पट्टी विकसित की जाएगी।

ज. भूमिभरण स्थल पर पश्चात्वर्ती देखरेख के लिए मानदंड:- (1) भूमिभरण स्थल की बंदी-पश्च देखरेख कम से कम पंद्रह वर्षों तक की जाएगी और दीर्घकालिक निगरानी या देखभाल योजना निम्नलिखित से युक्त होगी, अर्थात् :-'

(क) सबसे ऊपरी परत की अखंडता और प्रभाविता को बनाए रखना, मरम्मत करना और रन-ऑन और रन-ऑफ को अंतिम परत को नष्ट करने या अन्यथा नुकसान पहुंचाने से रोकना;

(ख) अपेक्षा के अनुसार निक्षालन संग्रहण प्रणाली की निगरानी करना;

(ग) भूमिभरण स्थल में ओर उसके आसपास भूजल की निगरानी करना;

(घ) मानकों के अनुरूप भूमिभरण गैस संग्रहण प्रणाली का अनुरक्षण और प्रचालन करना।

(2) पंद्रह वर्षों तक बंद-पश्च निगरानी करने के बाद बंद पड़े भूमिभरण स्थलों के उपयोग पर मानव बस्ती या अन्यथाप्रयोग किए जाने के बारे में यह सुनिश्चित करने के बाद ही विचार किया जाएगा कि गैसीय उत्सर्जन और निक्षालन गुणवत्ता विश्वेषण विनिर्दिष्ट मानक के अनुरूप है और मृदा स्थिरता सुनिश्चित की गई है।

(झ) पहाड़ी और द्वीपीय क्षेत्रों के लिए विशेष उपबंधों के मानदंड।- पहाड़ियों और द्वीपों पर स्थित शहरों और कस्बों में संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति के अनुमोदन से स्थानीय निकाय द्वारा ठोस अपशिष्ट के अंतिम निपटान के लिए स्थान-विशिष्ट विधियाँ विकसित की जाएँगी। स्थानीय निकाय जैवनिष्ठीकरणीय जैविक अपशिष्ट के उपयोग के लिए प्रसंस्करण सुविधाएँ स्थापित करेगा। गैर-जैवनिष्ठीकरणीय पुनर्चक्रणीय सामग्रियों का भंडारण किया जाएगा और उन्हें समय-समय पर पुनर्चक्रण के लिए भेजा जाएगा। निष्क्रिय और गैर-जैवनिष्ठीकरणीय अपशिष्ट (गैर-पुनर्चक्रणीय, गैर-ऊर्जा पुनर्प्राप्ति योग्य) का उपयोग पहाड़ियों पर सड़कें बनाने या उपयुक्त क्षेत्रों को भरने के लिए किया जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यास भूमि मिलने में बाधाओं के मामले में, सड़क बिछाने या भरने के लिए उपयुक्त नहीं अपशिष्ट को मैदानी क्षेत्रों में क्षेत्रीय भूमि भराव में निपटाया जाएगा।

(ज) पुराने मलवा स्थलों को बंद और बहाल करना- ठोस अपशिष्ट मलवा स्थल जो अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच गए हैं या जो नए और उचित रूप से डिजाइन किए गए भूमिभरण की स्थापना के बाद जिनमें अतिरिक्त अपशिष्ट नहीं डाले जाते हैं, उन्हें बंद कर दिया जाना चाहिए और निम्नलिखित विकल्पों की जांच करके उनकी बहाली की जानी चाहिए:

(i) जैव खनन और अपशिष्ट प्रसंस्करण द्वारा अपशिष्ट को कम करनाजिसके बाद नए भूमिभरण स्थलों में अवशिष्टों को रखा जाएगा।

(ii) स्वीकार्य स्तर तक पर्यावरणीय प्रभावको कम करने के लिए उपयुक्त कोई अन्य पद्धति।

अनुसूची 3

[अध्याय 2, नियम 7(1)(ख), अध्याय 5, नियम 41(1)(ii), 41(1)(v), 41(1)(xi) देखिए]

ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण और उपचार के मानक

क. कम्पोस्टिंग के मानक:- अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं में जैव अपघटनीय अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए कम्पोस्टिंग को एक तकनीक के रूप में शामिल किया जाएगा। खाद संयंत्र से प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित उपबंधों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा:-

(क) स्थल पर आने वाले जैविक अपशिष्ट को आगे की प्रक्रिया से पहले उचित रीति से संग्रहित किया जाएगा। जहां तक संभव हो, अपशिष्ट भंडारण क्षेत्र को ढक कर रखा जाए। यदि यह भंडारण खुले क्षेत्र में किया जाता है, तो इसे पारगम्य आधार पर किया जाए, जिसमें लीचेट और सतही जल के बहाव को एकत्र करने के लिए उपयुक्त नालियों के माध्यम से लीचेट उपचार और निपटान सुविधा तक ले जाने की व्यवस्था हो।

(ख) दुर्गंध, मक्खियों, चूहों, पक्षियों के खतरे और आग के जोखिम को न्यूनतम करने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाएं;

(ग) संयंत्र के खराब होने या रखरखाव के मामले में, अपशिष्ट का प्रवेश बंद कर दिया जाएगा और अपशिष्ट को अस्थायी प्रसंस्करण स्थल या अस्थायी लैंडफिल साइटों पर स्थानांतरित करने की व्यवस्था की जाएगी। यह अपशिष्ट तब पुनः प्रसंस्करण के लिए भेजा जाएगा जब संयंत्र सही स्थिति में होगा;

(घ) प्रसंस्करण से पहले और बाद में उत्पन्न अपशिष्ट को नियमित रूप से प्रसंस्करण सुविधा से हटा दिया जाएगा और इसे स्थल पर जमा होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुनर्चक्रण योग्य सामग्री को उपयुक्त विक्रेताओं के माध्यम से भेजा जाएगा। गैर-पुनर्चक्रण योग्य उच्च कैलोरी सामग्री को अलग किया जाएगा और अपशिष्ट से ऊर्जा या रीफ्यूज से उत्पन्न ईंधन उत्पादन,

सीमेंट संयंत्रों में सह-प्रसंस्करण या थर्मल पावरप्लांट में भेजा जाएगा। सभी प्रक्रियाओं से केवल वचे हुए अपशिष्ट को ही स्वच्छता/परिचालन लैंडफिल साइटों के लिए भेजा जाएगा।

(ड.) विंडरो क्षेत्र को अपारगम्य आधार प्रदान किया जाएगा। यह आधार 50 सेमी मोटी कंक्रीट या सघन मिट्टी से बना होगा, जिसमें पारगम्यता गुणांक 10^{-7} सेमी/सेकंड से कम होगा। इस आधार को एक से दो प्रतिशत ढलान प्रदान किया जाएगा और इसे लीचेट या सतही अपवाह का संग्रहण करनेके लिए पंक्तिबद्ध नालियों द्वारा धेरा जाएगा;

(च) परिवेशीय वायु गुणवत्ता की निगरानी नियमित रूप से की जाएगी। प्रसंस्करण संयंत्र की सीमा पर डाउन-विंड दिशा में दुर्गंध की भी नियमित जांच की जाएगी।

(छ) नमी बनाए रखने के लिए लीचेट को खाद संयंत्र में पुनः परिचालित किया जाएगा।

(ज) अंतिम उत्पाद कम्पोस्ट समय-समय पर अधिसूचित उर्वरक नियंत्रण आदेश के अधीन निर्धारित मानकों को पूरा करेगी।

(झ) कम्पोस्ट के सुरक्षित अनुप्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए, कम्पोस्ट की गुणवत्ता के लिए निम्नलिखित विनिर्देशों को पूरा करना अनिवार्य होगा, अर्थात् :-

पैरामीटर	जैविक कम्पोस्ट (एफसीओ2009)	फॉस्फेट युक्त जैविक कम्पोस्ट (एफसी 2013)
(1)	(2)	(3)
आर्सेनिक(मिलीग्राम/किग्रा)	10.00	10.00
कैडमियम(मिलीग्राम/किग्रा)	5.00	5.00
क्रोमियम(मिलीग्राम/किग्रा)	50.00	50.00
कॉपर(मिलीग्राम/किग्रा)	300.00	300.00
लेड(मिलीग्राम/किग्रा)	100.00	100.00
पारा(मिलीग्राम/किग्रा)	0.15	0.15
निकेल(मिलीग्राम/किग्रा)	50.00	50.00
जिंक(मिलीग्राम/किग्रा)	1000.00	1000.00
कार्बन/नाइट्रोजन अनुपात	<20	20:1 से कम
पीएच	6.5-7.5	(1:5 सॉल्यूशन) अधिकतम 6.7
नमी, भार के अनुसार प्रतिशत, अधिकतम	15.0-25.0	25.0
थोक घनत्व (ग्राम/सेमी ³)	<1.0	1.6 से कम
कुल कार्बनिक कार्बन, भार के अनुसार प्रतिशत, न्यूनतम	12.0	7.9
कुल नाइट्रोजन (N), भार के अनुसार प्रतिशत, न्यूनतम	0.8	0.4

कुल फॉस्फेट (P205) भार के अनुसार प्रतिशत, न्यूनतम	0.4	10.4
कुल पोटेशियम (K20), भार के अनुसार प्रतिशत, न्यूनतम	0.4	-
रंग	गहरा भूरा से काला	-
गंध	गंध का अभाव	-
कण का आकार	न्यूनतम 90% सामग्री 4.0 मिमी आईएस छलनी से गुजरनी चाहिए	न्यूनतम 90% सामग्री 4.0 मिमी आईएस छलनी से गुजरनी चाहिए
चालकता (डीएसएम-1 के रूप में), इससे अधिक नहीं	4.0	8.2

* उपर्युक्त सांद्रता सीमा से अधिक कम्पोस्ट (अंतिम उत्पाद) का उपयोग खाद्य फसलों के लिए नहीं किया जाएगा। हालाँकि, इसका उपयोग खाद्य फसलों को उगाने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।

ख. संपीडित बायोगैस (संपीडित बायो-गैस या जैव-संपीडित प्राकृतिक गैस) संयंत्रों और घरेलू बायो-डाइजेस्टर के लिए मानक : संपीडित बायोगैस (संपीडित बायो-गैस या जैव-संपीडित प्राकृतिक गैस) संयंत्र और घरेलू बायो-डाइजेस्टर के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पर्यावरणीय दिशानिर्देशों का, समय-समय पर संशोधित, पालन किया जाएगा। एफओएम और एलएफओएम उत्पादन क्रमशः राजपत्र अधिसूचना संख्या 2051 तारीख 14.7.2020 और संख्या 1972 तारीख 1.6.2021 की आवश्यकताओं के अनुरूप होगा, या उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 द्वारा शासित संवर्धित खाद, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

ग. उपचारित लीचेट के लिए मानक - उपचारित लीचेट के निपटान के लिए निम्नलिखित मानकों का अनुपालन करना होगा, अर्थात् :-

क्र. सं.	पैरामीटर	मानक (निपटान का तरीका)		
		आंतरिक सतही जल	सार्वजनिक सीवर	भूमि निपटान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	निलंबित ठोस, मिलीग्राम/लीटर, अधिकतम	100	600	200
2.	घुलित ठोस (अकार्बनिक) मिलीग्राम/लीटर, अधिकतम.	2100	2100	2100
3	पीएच मान	5.5to9.0	5.5to9.0	5.5to9.0
4	अमोनियाकल नाइट्रोजन (N), मिलीग्राम/लीटर, अधिकतम.	50	50	-

5	कुल केजेल्डाहल नाइट्रोजन (N), मिलीग्राम/लीटर, अधिकतम।	100	-	-
6	जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग (3 दिन @ 27°C) अधिकतम। (मिलीग्राम/लीटर)	30	350	100
7	रासायनिक ऑक्सीजन मांग, मिलीग्राम/लीटर, अधिकतम।	250	-	-
8	आर्सेनिक (As), मिलीग्राम/लीटर, अधिकतम	0.2	0.2	0.2
9	पारा (Hg), मिलीग्राम/लीटर, अधिकतम	0.01	0.01	-
10	लेड (Pb), मिलीग्राम/लीटर, अधिकतम	0.1	1.0	-
11	कैडमियम (Cd), मिलीग्राम/लीटर, अधिकतम	2.0	1.0	-
12	कुल क्रोमियम (Cr), मिलीग्राम/लीटर, अधिकतम.	2.0	2.0	-
13	कॉपर(Cu), मिलीग्राम/लीटर, अधिकतम.	3.0	3.0	-
14	जिंक(Zn), मिलीग्राम/लीटर, अधिकतम.	5.0	15	-
15	निकल(Ni), मिलीग्राम/लीटर, अधिकतम	3.0	3.0	-
16	साइनाइड(CN), मिलीग्राम/लीटर, अधिकतम.	0.2	2.0	0.2
17	क्लोराइड(Cl), मिलीग्राम/लीटर, अधिकतम.	1000	1000	600
18	फ्लोराइड(F), मिलीग्राम/लीटर, अधिकतम	2.0	1.5	-

टिप्पण: उपचारित लीचेट्स को अंतर्देशीय सतही जल में छोड़ते समय, छोड़े जाने वाले लीचेट्स की मात्रा और प्राप्त करने वाले जलाशय में उपलब्ध तत्त्व जल की मात्रा पर उचित ध्यान दिया जाएगा।

गघ. भस्मीकरण के लिए मानक: ठोस अपशिष्ट उपचार/निपटान सुविधा में भस्मक/तापीय प्रौद्योगिकियों से उत्सर्जन नियन्त्रित मानकों को पूरा करेगा, अर्थात्:-

पैरामीटर	उत्सर्जन मानक	
(1)	(2)	(3)
पार्टिकुलेट्स	50मिलीग्राम/एनएम ³	मानक आधे घंटे के औसत मूल्य को संदर्भित करता है
HCl	50मिलीग्राम/एनएम ³	मानक आधे घंटे के औसत मूल्य को संदर्भित करता है
SO ₂	200मिलीग्राम/एनएम ³	मानक आधे घंटे के औसत मूल्य को संदर्भित करता है
CO	100मिलीग्राम/एनएम ³	मानक आधे घंटे के औसत मूल्य को संदर्भित करता है
	50मिलीग्राम/एनएम ³	मानक दैनिक औसत मूल्य को संदर्भित करता है
कुल कार्बनिक कार्बन	20मिलीग्राम/एनएम ³	मानक आधे घंटे के औसत मूल्य को संदर्भित करता है
HF	4मिलीग्राम/एनएम ³	मानक आधे घंटे के औसत मूल्य को संदर्भित करता है

NOx(NO तथा NO ₂ को NO ₂ के रूप में व्यक्त किया गया है)	400 मिलीग्राम/एनएम ³	मानक आधे घंटे के औसत मूल्य को संदर्भित करता है
कुल डाइऑक्सिन और फ्लूरान	0.1 एनजी टीईक्यू/एनएम ³	मानक 6-8 घंटे के नमूने को संदर्भित करता है। कुल विषाक्त तुल्यता पर पहुंचने के लिए कृपया विषाक्त तुल्यता मूल्यों के लिए 17 संबंधित समकक्षों के लिए दिशानिर्देश देखें।
Cd+Th+ उनके यौगिक	0.05 मिलीग्राम/ एनएम ³	मानक 30 मिनट से 8 घंटे के बीच नमूना लेने के समय को संदर्भित करता है
Hg और इसके यौगिक	0.05 मिलीग्राम/ एनएम ³	मानक 30 मिनट से 8 घंटे के बीच नमूना लेने के समय को संदर्भित करता है
Sb+As+ Pb+Cr +Co+Cu+Mn+Ni +V+ उनके यौगिक	0.5 मिलीग्राम/ए नएम ³	मानक 30 मिनट से 8 घंटे के बीच नमूना लेने के समय को संदर्भित करता है।

नोट: सभी मान 11% ऑक्सीजन पर शुष्क आधार पर संशोधित किए गए हैं।

टिप्पणी:

(क) अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों में 1500 किलो कैलोरी/किग्रा से कम अपशिष्ट प्राप्त होने पर अपशिष्ट को अलग करने का उपबंध होना चाहिए। 1500 किलो कैलोरी या किग्रा से कम अपशिष्ट को अपशिष्ट से विजली संयंत्र या भस्मक के बायलर में नहीं डाला जाएगा। उपरोक्त उत्सर्जन सीमा को प्राप्त करने के लिए भस्मक के साथ उपयुक्त रूप से डिज़ाइन किए गए प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित या रेट्रोफिट किए जाने चाहिए।

(ख) भस्म किए जाने वाले अपशिष्ट का किसी भी क्लोरीनयुक्त कीटाणुनाशक से रासायनिक उपचार नहीं किया जाएगा।

(ग) क्लोरीनयुक्त प्लास्टिक का भस्मीकरण नहीं किया जाएगा।

(घ) यदि भस्मीकरण राख में विषाक्त धातुओं की सांद्रता समय-समय पर संशोधित हानिकारक अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमा पार संचलन) नियम, 2016 में निर्दिष्ट सीमा से अधिक है, तो राख को हानिकारक अपशिष्ट उपचार, भंडारण और निपटान सुविधा में भेजा जाएगा।

(ङ) भस्मक में ईंधन के रूप में केवल कम सल्फर वाले ईंधन जैसे हल्का डीजल तेल, कम सल्फर वाला भारी स्टॉक, डीजल, बायोमास, कोयला, द्रवीकृत प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, अपशिष्ट व्युत्पन्न ईंधन और बायोगैस का ही उपयोग किया जाएगा।

(च) टेल गैस में CO₂ की सांद्रता सात प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(च) द्वि-कक्ष भस्मक में सभी सुविधाओं को द्वितीयक दहन कक्ष में न्यूनतम 950°C तापमान प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा और द्वितीयक दहन कक्ष में गैस का निवास समय कम से कम 2 (दो) सेकंड होना चाहिए।

(छ) भस्मक संयंत्रों (दहन कक्षों) को ऐसे तापमान, धारण समय और विश्वोभ के साथ संचालित किया जाएगा, जिससे धातुमल और निचली राख में कुल कार्बनिक कार्बन (TOC) की मात्रा तीन प्रतिशत से कम हो, या प्रज्वलन पर हानि शुष्क भार के पांच प्रतिशत से कम हो। स्थलों से आने वाली गंध का प्रबंधन समय-समय पर जारी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

अनुसूची 4

[अध्याय 3, नियम 15(4)(v) देखें]

अपशिष्ट डंप स्थलों पर अग्नि निवारण एवं प्रबंधन के उपाय

(क) (i) राज्य शहरी विकास विभाग व्यापक जोखिम मूल्यांकन अध्ययन करेगा और तदनुसार प्रत्येक डंप स्थल के लिए निम्नलिखित मुद्दों को शामिल करते हुए विस्तृत ऑन-साइट आपातकालीन योजना तैयार करेगा।

(क) डंप स्थल पर आग, अप्रिय या ज्वलनशील उत्सर्जन, गंध, वेक्टर जनित रोग, कृतक, पक्षी, मौसमी प्रभाव और अन्य संभावित जोखिमों के कारण संभावित जोखिम या आपात स्थितियाँ, डंप स्थलों के आसपास की जनसंख्या, वनस्पति, जीव-जंतु सहित संभावित प्रभावित भौगोलिक क्षेत्र। आपातकालीन स्थितियों को कम करने के लिए विस्तृत उपचारात्मक उपायों की निगरानी ऐसी आपातकालीन स्थितियों के लिए उपलब्ध नियंत्रण कक्षों द्वारा की जाएगी।

(ख) ऑन-साइट आपातकालीन योजनाओं को संबंधित जिलों में जिला कलेक्टर या राज्य सरकार द्वारा नामित जिला आपातकालीन प्राधिकरण द्वारा मौजूदा ऑफ-साइट जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं के साथ एकीकृत किया जाएगा।

(ग) राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के प्राधिकरण ऑन-साइट और ऑफ-साइट आपातकालीन प्रबंधन योजनाएँ तैयार करेंगे, अधिमानतः इस विषय पर एक विशेषज्ञ एजेंसी के माध्यम से।

(घ) जब तक ऐसी ऑन-साइट और ऑफ-साइट योजनाओं की तैयारी पूरी नहीं हो जाती, तब तक अंतरिम उपाय किए जाने चाहिए।

(ङ) अपशिष्ट का निपटान

(i) जहाँ जैव-उपचार किया जा रहा है, वहाँ ताज़ा अपशिष्ट का निपटान नहीं किया जाना चाहिए।

(ii) बूचड़खानों, मछली बाज़ार से जैविक अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट का निपटान डिपिंग स्थल पर नहीं किया जाना चाहिए।

(iii) यह सुनिश्चित करना कि औद्योगिक अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, लिथियम बैटरी को साइट पर न डाला जाए।

(iv) साइट पर उतारे गए अपशिष्ट की संभावित आग के स्रोतों के लिए दृश्य जाँच की जानी चाहिए, यदि आग के स्रोत पाए जाते हैं, तो उन्हें तुरंत आवरण सामग्री से निष्क्रिय कर दिया जाना चाहिए।

(v) तत्काल कार्य क्षेत्र से अलग एक आपातकालीन टिपिंग क्षेत्र प्रदान किया जाना चाहिए जहाँ आने वाली सामग्री, जिसे ज्वलनशील माना जाता है, या ज्वलनशील होने का संदेह है, को जमा किया जा सके, उसका निरीक्षण किया जा सके और उसका निपटान किया जा सके।

(vi) अपशिष्ट का पर्याप्त संधनन किया जाना चाहिए ताकि वायु या मीथेन पॉकेट्स के निर्माण को कम किया जा सके, जिससे साइट पर भूमिगत आग लग सकती है।

(ग) डंप स्थल पर लैंडफिल गैस की निगरानी

(i) स्थल पर हवा की दिशा में लैंडफिल गैस डिटेक्टर लगाए जाएँगे जिससे उच्च गैस संद्रता वाले क्षेत्रों की पहचान की जा सके और निवारक उपाय किए जा सकें।

(ii) इसके अतिरिक्त, विंडरो पर तापमान की निगरानी गैर-संपर्क इन्फ्रारेड थर्मामीटर से की जानी चाहिए और किसी भी बड़े विचलन का रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए। तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से 59 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए।

(iii) बायोरेमेडिएशन स्थल पर तापमान में वृद्धि देखे जाने पर अपशिष्ट पर उपचारित निक्षालित जल का छिड़काव किया जाना चाहिए। इसके लिए उपयुक्त तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।

(iv) डंप स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए और अनधिकृत प्रवेश की जाँच के लिए बाड़ लगाने और लगातार गश्त की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(v) स्थलों पर बायोरेमेडिएशन पूरा होने तक डंप स्थलों पर लैंडफिल गैस के स्रोत की नियमित निगरानी की जानी चाहिए। स्थानीय निकायों के पास लैंडफिल गैस निगरानी डेटा उपलब्ध होना चाहिए। शहरी स्थानीय निकाय द्वारा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को तिमाही निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए।

(घ) अग्नि शमन के उपबंध

(i) आग लगने की घटना की सूचना मिलने पर आग बुझाने के लिए स्थल पर रेत या रासायनिक अग्निशामक माध्यमों, जैसे फोम या पाउडर, की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। आग बुझाने के लिए पानी के प्रयोग से बचना चाहिए।

(ii) डंप स्थल पर आग बुझाने के लिए उसे अलग-थलग किया जाना चाहिए और उसे प्राकृतिक रूप से जल्दी जलने दिया जाना चाहिए या मिट्टी से ढक दिया जाना चाहिए।

(iii) सर्पित अग्निशमन गाड़ियाँ (अधिमानतः रासायनिक शमन माध्यम और पर्याप्त अग्नि सुरक्षा उपाय) तैनात की जाएँ, विशेष रूप से गर्मी के मौसम में जब डंपसाइट में आग लगने की संभावना अधिक होती है।

(iv) सभी मोबाइल उपकरणों या वाहनों में अग्निशामक यंत्र और स्पार्क निरोधक लगे होने चाहिए।

(ड) श्रमिकों का स्वास्थ्य और सुरक्षा

(i) साइट पर सभी श्रमिकों को अग्नि सुरक्षा उपाय और सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाने चाहिए और डंपसाइट में प्रवेश करने से पहले उनकी जाँच की जानी चाहिए। श्रमिकों को आग का पता लगाने और आग लगने की स्थिति में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

(ii) अपशिष्ट के सुरक्षित संचालन, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, सुरक्षा मुद्रों आदि पर श्रमिकों को समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

(iii) डंपसाइट पर आग दुर्घटनाओं को रोकने के लिए समय-समय पर मॉक ड्रिल आयोजित की जानी चाहिए। त्रैमासिक अग्नि सुरक्षा और खतरनाक उत्सर्जन ऑडिट किए जाने चाहिए।

प्ररूप - 1

[अध्याय 2, नियम 13(3), अध्याय 5, नियम 39(25), नियम 14(1)(iii) देखें]

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अधीन प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए आवेदन

ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण/पुनर्चक्रण/उपचार और निपटान के लिए

सेवा में,

सदस्य सचिव:-

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति,

महोदय,

मैं/हम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण, उपचार और निस्तारण के लिए प्राधिकरण के लिए आवेदन करते हैं।

1	स्थानीय निकाय/उनके द्वारा नियुक्त एजेंसी/सुविधा के संचालक का नाम	
0.	पत्राचार का पता टेलीफोन नं.	

	फैक्स नं., ई-मेल:	
3	नोडल अधिकारी और पदनाम (प्रसंस्करण/उपचार या निपटान सुविधा के संचालन के लिए जिम्मेदार स्थानीय निकाय या एजेंसी द्वारा प्रधिकृत अधिकारी)	
0.	सुविधा की स्थापना और संचालन के लिए आवश्यक प्राधिकरण (कृपया टिक मार्क करें)	अपशिष्ट प्रसंस्करण पुनर्चक्रण उपचार लैंडफिल पर निपटान
	दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें स्थान मंजूरी (स्थानीय निकाय) पर्यावरण क्लीयरेंस का प्रमाण स्थापना के लिए सहमति नगरपालिका प्राधिकरण और संचालन एजेंसी के बीच समझौता परियोजना पर निवेश और अपेक्षित प्रतिफल	
2.	ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण/पुनर्चक्रण/उपचार i. प्रतिदिन संसाधित किए जाने वाले अपशिष्ट की कुल मात्रा पुनर्चक्रण किए जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा उपचारित किए जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा लैंडफिल में निपटाए जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा ii. संसाधित अपशिष्ट के लिए उपयोग कार्यक्रम (उत्पाद उपयोग) iii. निपटान की पद्धति (विवरण संलग्न करें) लीचेट की मात्रा लीचेट के लिए उपचार तकनीक iv. पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए किए जाने वाले उपाय v. संयंत्र में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले उपाय vi. ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण/पुनर्चक्रण/उपचार/निपटान सुविधा का विवरण (संलग्न करें)	
	ठोस अपशिष्ट का निपटान पहचानी गई साइटों की संख्या प्रतिदिन निपटाए जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा साइट चयन के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली या मानदंड का विवरण (संलग्न करें) संचालन के तहत मौजूदा साइट का विवरण लैंडफिलिंग की कार्यप्रणाली और परिचालन विवरण पर्यावरण प्रदूषण की जाँच के लिए किए गए उपाय	
4.	अन्य जानकारी	

तारिख:

समय:

हस्ताक्षर:

पदनाम:

प्रृष्ठ- 2

[अध्याय 5, नियम 14(1)(देखें)]

प्राधिकरण जारी करने का प्रारूप

फाइल संख्या: _____

तारीख: _____

प्राधिकरण संख्या _____

सेवा में,

संदर्भ: आपका आवेदन क्रमांक _____ तारीख _____

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति प्रस्ताव की जांच करने के पश्चात

_____ को, जिसका प्रशासनिक कार्यालय

_____ पर स्थित है,

को _____ पर अपशिष्ट प्रसंस्करण/पुनर्चक्रण/उपचार/निपटान सुविधा

स्थापित करने और संचालित करने के लिए अधिकृत करती है।

ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण, उपचार और निपटान के लिए सुविधा संचालित करने के लिए प्राधिकरण प्रदान किया जाता है।

प्राधिकरण नीचे वर्णित नियमों और शर्तों तथा इन नियमों में अन्यथा निर्दिष्ट की गई शर्तों और इन नियमों के अधीन अनुसूची I और II में निर्धारित मानकों के अधीन है।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/संघ राज्य क्षेत्र की प्रदूषण नियंत्रण समितियां किसी भी समय प्राधिकरण के अधीन लागू किसी भी शर्त को रद्द कर सकती हैं और लिखित रूप में इसकी सूचना देंगी।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के किसी भी उपबंध का उल्लंघन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का अधिनियम संख्या 29) के दंडात्मक उपबंध को आकृष्ट करेगा।

(सदस्य सचिव)

संघ राज्य क्षेत्र की राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति

(हस्ताक्षर और पदनाम)

तारीख:

स्थान:

प्ररूप-3

[अध्याय 2 नियम 7(1)(ग) देखें]

सुविधा के संचालक द्वारा स्थानीय निकाय को प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट का प्रारूप

1.	शहर या कस्बे और राज्य का नाम	
2.	जनसंख्या	
3.	क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में	
4.	स्थानीय निकाय का नाम और पता टेलीफोन नं. फैक्स नं. ई-मेल:	
5.	सुविधा के संचालक का नाम और पता	
6.	सुविधा के प्रभारी अधिकारी का नाम फोन नंबर: फैक्स नंबर: ई-मेल:	
7.	शहर या कस्बे में घरों की संख्या शहर में गैर-आवासीय परिसरों की संख्या शहर या कस्बे में निर्वाचन/प्रशासनिक वार्डों की संख्या	
8.	ठोस अपशिष्ट की मात्रा स्थानीय निकाय क्षेत्र में प्रतिदिन उत्पन्न ठोस अपशिष्ट की अनुमानित मात्रा मीट्रिक टन में प्रतिदिन एकत्रित ठोस अपशिष्ट की मात्रा (टन प्रतिदिन) प्रतिदिन प्रति व्यक्ति एकत्रित अपशिष्ट (/ग्राम/दिन) प्रसंस्कृत ठोस अपशिष्ट की मात्रा (टन प्रतिदिन) लैंडफिल में निपटाए गए ठोस अपशिष्ट की मात्रा (टन प्रतिदिन)	
9.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवा की स्थिति	
10.	स्रोत पर अपशिष्ट का पृथक्करण और भंडारण क्या ठोस अपशिष्ट को घरेलू या वाणिज्यिक या संस्थागत कूड़ेदानों में स्रोत पर संग्रहित किया जाता है कितने प्रतिशत घर घरेलू कूड़ेदानों में स्रोत पर अपशिष्ट का भंडारण करते हैं कितने प्रतिशत गैर-आवासीय परिसर वाणिज्यिक या संस्थागत कूड़ेदानों में स्रोत पर अपशिष्ट का भंडारण करते हैं कितने प्रतिशत घर सड़कों पर ठोस अपशिष्ट का निपटान करते हैं कितने प्रतिशत गैर-आवासीय परिसर सड़कों पर ठोस अपशिष्ट का निपटान करते हैं क्या ठोस अपशिष्ट को स्रोत पर पृथक रूप में संग्रहित किया जाता है यदि हाँ, तो स्रोत पर अपशिष्ट को अलग करने वाले परिसरों का प्रतिशत	

	ठोस अपशिष्ट का डोर-टू-डोर संग्रहण	
11.	क्या शहर या कस्बों में ठोस अपशिष्ट का डोर टू डोर संग्रहण (डोर-टू-डोर) किया जा रहा है?	
12.	<p>यदि हाँ</p> <p>डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण में शामिल वार्डों की संख्या</p> <p>कवर किए गए घरों की संख्या</p> <p>कवर किए गए वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, होटलों, रेस्तरां, शैक्षणिक संस्थानों या कार्यालयों आदि सहित गैर-आवासीय परिसरों की संख्या</p> <p>डोर टू डोर संग्रहण के माध्यम से कवर किए गए आवासीय और गैर-आवासीय परिसरों का प्रतिशत :</p> <p>मोटर चालित वाहन</p> <p>कंटेनरयुक्त तिपहिया या हाथगाड़ी</p> <p>अन्य उपकरण</p>	
13.	<p>यदि नहीं, तो अपनाई गई प्राथमिक संग्रहण पद्धति</p> <p>सड़कों की सफाई</p> <p>शहर में सड़कों, गलियों, मार्गों, उपमार्गों की लंबाई जिन्हें साफ करने की आवश्यकता है</p>	
14.	<p>सड़क की सफाई की आवृत्ति और कवर की गई आबादी का प्रतिशत</p> <p>उपयोग किए गए उपकरण</p> <p>मैनुअल सफाई (%)</p> <p>मैकेनिकल सफाई (%)</p> <p>क्या सफाई कर्मचारियों द्वारा लंबे हैंडल वाली झाड़ू का उपयोग किया जाता है (हाँ या नहीं)</p> <p>क्या प्रत्येक सफाई कर्मचारी को कचरा संग्रह करने के लिए हाथगाड़ी/ट्राईसाइकिल दी जाती है (हाँ या नहीं)</p> <p>क्या हाथगाड़ी/ट्राईसाइकिल कंटेनरीकृत है (हाँ या नहीं)</p> <p>क्या संग्रह उपयोग किए गए संग्रह या कचरा भंडारण कंटेनरों के साथ समन्वयित होता है (हाँ या नहीं)</p>	<p>आवृत्ति</p> <p>प्रतिदिन/प्रत्येक दूसरे दिन/सप्ताह में दो बार/कभी-कभार</p> <p>जनसंख्या का %</p>
15.	<p>द्वितीयक अपशिष्ट भंडारण सुविधाएं</p> <p>शहर या कस्बे में अपशिष्ट भंडारण डिपो की संख्या और प्रकार</p> <p>खुले अपशिष्ट भंडारण स्थल</p> <p>पत्थर के बने डिब्बे</p> <p>सीमेंट कंक्रीट सिलेंडर डिब्बे</p> <p>ढालाओ या ढके हुए कमरे या स्थान</p> <p>ढके हुए धातु या प्लास्टिक के कंटेनर</p> <p>1.1 m³ तक के डिब्बे</p> <p>2 से 5 m³ के डिब्बे</p> <p>5m³ से अधिक के कंटेनर</p> <p>डिब्बा रहित शहर</p> <p>सं. क्षमता m³ में</p>	

	<p>डिब्बा या जनसंख्या अनुपात कचरा भंडारण डिपो का वार्डवार विवरण (संलग्न करें): वार्ड क्रमांक: क्षेत्र: जनसंख्या: रखे गए कूड़ेदानों की संख्या रखे गए कूड़ेदानों की कुल मात्रा अपशिष्ट भंडारण सुविधाओं की कुल भंडारण क्षमता घन मीटर में</p>	
16.	<p>कचरा संग्रहण डिपो पर प्रतिदिन वास्तव में संग्रहित कुल कचरा डिपो से कचरा एकत्र करने की आवृत्ति साफ़ किए गए डिब्बों की संख्या</p>	आवृत्ति डिब्बों की संख्या प्रत्येक दूसरे दिन सप्ताह में दो बार सप्ताह में एक बार कभी-कभार
17.	<p>क्या भंडारण डिपो में हरे, नीले और काले डिब्बों में अलग-अलग अपशिष्ट के भंडारण की सुविधा है</p>	हां या नहीं (यदि हां, तो विवरण जोड़ें) हरे डिब्बों की संख्या: नीले डिब्बों की संख्या: काले डिब्बों की संख्या:
18.	<p>भंडारण डिपो से ठोस अपशिष्ट का उठाव मैनुअल है या मशीनी। प्रतिशत बताएँ</p>	ठोस अपशिष्ट को मैन्युअल तरीके से उठाने का प्रतिशत यांत्रिक तरीके से उठाने का प्रतिशत
19.	<p>यदि यांत्रिक है - तो प्रयुक्त विधि निर्दिष्ट करें क्या ठोस अपशिष्ट को घर-घर से उठाकर अलग-अलग रूप में सीधे उपचार संयंत्र में ले जाया जाता है</p>	फ्रंट-एंड लोडर या टॉप लोडर हां या नहीं (यदि हां, तो बताएं)
20.	<p>प्रतिदिन अपशिष्ट परिवहन प्रयुक्त वाहनों का प्रकार और संख्या (कृपया टिक करें या जोड़ें) पशु गाड़ी ट्रैक्टर नॉन टिपिंग ट्रक टिपिंग ट्रक डम्पर प्लेसर कचरा संग्रहकर्ता कॉम्पैक्टर अन्य जेसीबी या लोडर अपशिष्ट के परिवहन की आवृत्ति</p>	यात्राएँ की संख्या परिवहन किया गया कचरा परिवहन किए गए अपशिष्ट की आवृत्ति (%) प्रतिदिन प्रत्येक दूसरे दिन सप्ताह में दो बार सप्ताह में एक बार कभी-कभार
21.	<p>प्रतिदिन परिवहन किए जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा प्रतिदिन परिवहन किए जाने वाले कुल अपशिष्ट का प्रतिशत प्रयुक्त अपशिष्ट उपचार तकनीकें क्या ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण किया जाता है</p>	टन प्रतिदिन

22.	यदि हाँ, तो प्रतिदिन प्रसंस्करण किए जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए स्थानीय निकाय के पास उपलब्ध भूमि (हेक्टेयर में) अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए वर्तमान में उपयोग की जाने वाली भूमि संचालन में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएँ	टन प्रतिदिन
23.	निर्माणाधीन ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएँ शहर/कस्बों की सीमा से प्रसंस्करण सुविधाओं की दूरी अपनाई गई प्रौद्योगिकियों का विवरण कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग	प्रसंस्कृत कच्चे माल की मात्रा उत्पादित अंतिम उत्पाद की मात्रा बेची गई मात्रा लैंडफिल्ड अवशिष्ट अपशिष्ट की मात्रा प्रसंस्कृत कच्चे माल की मात्रा उत्पादित अंतिम उत्पाद की मात्रा बेची गई मात्रा लैंडफिल्ड अवशिष्ट अपशिष्ट की मात्रा
24.	बायो-मीथेनेशन अपशिष्ट व्युत्पन्न ईंधन अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने की तकनीक जैसे भस्मीकरण, गैसीकरण, पायरोलिसिस या कोई अन्य प्रौद्योगिकी (विवरण दें) सह-प्रसंस्करण	प्रसंस्कृत कच्चे माल की मात्रा उत्पादित अंतिम उत्पाद की मात्रा बेची गई मात्रा लैंडफिल्ड अवशिष्ट अपशिष्ट की मात्रा प्रसंस्कृत कच्चे माल की मात्रा उत्पादित अंतिम उत्पाद की मात्रा बेची गई मात्रा अवशिष्ट अपशिष्ट की बेची गई मात्रा लैंडफिल्ड प्रसंस्कृत कच्चे माल की मात्रा उत्पादित अंतिम उत्पाद की मात्रा बेची गई मात्रा प्रसंस्कृत कच्चे माल की मात्रा
25.	सीमेंट संयंत्र को आपूर्ति किया जाने वाला दहनशील अपशिष्ट ठोस अपशिष्ट आधारित बिजली संयंत्रों को आपूर्ति किया जाने वाला दहनशील अपशिष्ट, अन्य	
26.	ठोस अपशिष्ट निपटान सुविधाएँ स्थानीय निकाय के पास उपलब्ध डंपसाइट साइटों की संख्या स्थानीय निकाय के पास उपलब्ध स्वच्छता/परिचालन लैंडफिल साइटों की संख्या	

	अपशिष्ट निपटान के लिए उपलब्ध प्रत्येक साइट का क्षेत्रफल	
27.	वर्तमान में अपशिष्ट निपटान के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल शहर या कस्बे से डंपसाइट या लैंडफिल सुविधा की दूरी (किमी) निकटतम आवास से दूरी (किमी) जल निकाय से दूरी (किमी) राज्य या राष्ट्रीय राजमार्ग से दूरी हवाई अड्डे से दूरी किमी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों या ऐतिहासिक स्मारकों से दूरी किमी क्या यह बाढ़ प्रवण क्षेत्र में आता है	
28.	क्या यह भूकंप प्रवण रेखा क्षेत्र में आता है हाँ या नहीं प्रतिदिन लैंडफिल किए गए अपशिष्ट की मात्रा टन प्रतिदिन क्या लैंडफिल साइट पर बाड़ लगाई गई है	
29.	क्या साइट पर लाइटिंग की सुविधा उपलब्ध है हाँ या नहीं क्या वेट ब्रिज की सुविधा उपलब्ध है हाँ या नहीं लैंडफिल में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन और उपकरण (निर्दिष्ट करें) बुलडोजर, कॉम्पैक्टर आदि उपलब्ध हैं लैंडफिल साइट पर तैनात जनशक्ति	
30.	क्या लैंडफिल में डाले गए अपशिष्ट को दैनिक आधार पर ढका जाता है? हाँ या नहीं यदि नहीं, तो लैंडफिल पर जमा अपशिष्ट को ढकने की आवृत्ति ढकने के लिए इस्तेमाल हुई सामग्री	
31.	क्या पर्यास कवरिंग सामग्री उपलब्ध है हाँ/नहीं गैस वेटिंग के लिए प्रावधान उपलब्ध हैं हाँ/नहीं, (यदि हाँ, तो तकनीकी डेटा शीट संलग्न करें) लीचेट संग्रह के लिए प्रावधान	हाँ या नहीं हाँ या नहीं, (यदि हाँ, तो तकनीकी डेटा शीट संलग्न करें) हाँ या नहीं, (यदि हाँ, तो तकनीकी डेटा शीट संलग्न करें)
32.	क्या शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं में सुधार के लिए कोई कार्य योजना तैयार की गई है	हाँ या नहीं (यदि हाँ तो कार्य योजना का विवरण संलग्न करें)
33.	किनके लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं: डेयरी से संबंधित गतिविधियाँ: बूचड़खानों का कचरा: सी एंड डी अपशिष्ट (निर्माण मलबा):	प्रस्तावों पर विवरण संलग्न करें, उठाए गए कदम, हाँ या नहीं हाँ या नहीं हाँ या नहीं
34.	पोस्ट क्लोजर योजना का विवरण	योजना संलग्न करें
35.	कितनी झुग्गियों की पहचान की गई है और क्या उन्हें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएँ प्रदान की गई हैं:	हाँ या नहीं (यदि हाँ, तो विवरण संलग्न करें)

36.	सड़कों की सफाई, द्वितीयक भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और अपशिष्ट के निपटान सहित संग्रहण के लिए तैनात जनशक्ति का विवरण दें।	
37.	इन नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करने में स्थानीय निकाय द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों का संक्षेप में उल्लेख करें।	
38.	संक्षेप में बताएं कि क्या ठोस अपशिष्ट से संबंधित समस्या से निपटने के लिए कोई नवीन विचार लागू किया गया है, जिसे अन्य स्थानीय निकायों द्वारा दोहराया जा सकता है।	

ऑपरेटर का हस्ताक्षर

तारीखः

स्थानः

प्ररूप – 4

[अध्याय 4, नियम 40(2)(xv) देखें]

स्थानीय निकाय द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रारूप

कैलेंडर वर्षः

रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीखः

1.	शहर या कस्बे और राज्य का नाम	
2.	जनसंख्या	
3.	क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में	
4.	स्थानीय निकाय का नाम और पता टेलीफोन नंबर फैक्स नंबर ई-मेलः	
5.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (ठोस अपशिष्ट) से संबंधित प्रभारी अधिकारी का नाम फोन नं.: फैक्स नं.: ई-मेलः ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रकोष्ठ का विवरण कर्मचारियों की संख्या:	
6.	शहर या कस्बे में घरों की संख्या, शहर में गैर-आवासीय परिसरों की संख्या शहर या कस्बे में चुनाव/प्रशासनिक वाड़ों की संख्या	
7.	ठोस अपशिष्ट की मात्रा स्थानीय निकाय क्षेत्र में प्रतिदिन उत्पन्न ठोस अपशिष्ट की अनुमानित मात्रा मीट्रिक टन में प्रतिदिन एकत्रित ठोस अपशिष्ट की मात्रा (टन प्रति दिन)	

	<p>प्रतिदिन प्रति व्यक्ति एकत्रित अपशिष्ट (ग्राम प्रति दिन)</p> <p>प्रसंस्कृत ठोस अपशिष्ट की मात्रा (टीपीडी)</p> <p>डंपसाइट या लैंडफिल में निपटाए गए ठोस अपशिष्ट की मात्रा (ठन प्रति दिन)</p>	
8.	<p>ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) सेवा की स्थिति</p> <p>अपशिष्ट का स्रोत पर पृथक्करण और भंडारण</p> <p>क्या ठोस अपशिष्ट को घरेलू या वाणिज्यिक या संस्थागत डिब्बों में स्रोत पर संग्रहित किया जाता है</p> <p>कितने प्रतिशत परिवार घरेलू डिब्बों में स्रोत पर अपशिष्ट का भंडारण करते हैं</p> <p>कितने प्रतिशत गैर-आवासीय परिसर वाणिज्यिक/संस्थागत डिब्बों में स्रोत पर अपशिष्ट का भंडारण करते हैं</p> <p>कितने प्रतिशत परिवार सड़कों पर ठोस अपशिष्ट फेंकते हैं</p> <p>कितने प्रतिशत गैर-आवासीय परिसर सड़कों पर ठोस अपशिष्ट फेंकते हैं</p> <p>क्या ठोस अपशिष्ट को स्रोत पर पृथक रूप में संग्रहित किया जाता है</p> <p>यदि हाँ, तो स्रोत पर अपशिष्ट को पृथक करने वाले परिसरों का प्रतिशत</p> <p>ठोस अपशिष्ट का डोर टू डोर संग्रहण</p>	
9.	<p>क्या शहर या कस्बे में ठोस अपशिष्ट का घर-घर जाकर संग्रहण (डोर टू डोर)</p> <p>किया जा रहा है</p>	
10.	<p>यदि हाँ</p> <p>डी2डी अपशिष्ट संग्रहण में शामिल वार्डों की संख्या</p> <p>कवर किए गए घरों की संख्या</p> <p>कवर किए गए गैर-आवासीय परिसरों की संख्या जिसमें वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, होटल, रेस्टरां, शैक्षणिक संस्थान/कार्यालय आदि शामिल हैं</p> <p>घर-घर जाकर संग्रहण में शामिल आवासीय और गैर-आवासीय परिसरों का प्रतिशत</p> <p>मोटर चालित वाहन</p> <p>कंटेनरयुक्त तिपहिया या हाथगाड़ी</p> <p>अन्य उपकरण</p>	
11.	<p>यदि नहीं, तो प्राथमिक संग्रहण की अपनाई गई विधि</p> <p>सड़कों की सफाई</p> <p>शहर में सड़कों, गलियों, लेन, उपमार्गों की लंबाई जिन्हें साफ करने की आवश्यकता है</p>	
12.	<p>सड़कों की सफाई की आवृत्ति और कवर की गई आवादी का प्रतिशत</p> <p>उपयोग किए गए उपकरण</p> <p>मैनुअल सफाई (%)</p> <p>यांत्रिक सफाई (%)</p> <p>क्या सफाई कर्मचारियों द्वारा लंबे हैंडल वाली झाड़ का उपयोग किया जाता है (हाँ या नहीं)</p>	<p>सफाई की आवृत्ति</p> <p>रोज़ाना या प्रत्येक दूसरे दिन या सप्ताह में दो बार या कभी-कभार</p> <p>जनसंख्या का प्रतिशत:</p>

	<p>क्या प्रत्येक सफाई कर्मचारी को कचरा संग्रह करने के लिए हाथगाड़ी या ट्राईसाइकिल दी जाती है (हाँ या नहीं)</p> <p>क्या हाथगाड़ी/ट्राईसाइकिल कंटेनरीकृत है (हाँ या नहीं)</p> <p>क्या संग्रह उपकरण उपयोग किए गए संग्रह या कचरा भंडारण कंटेनरों के साथ समन्वयित होता है (हाँ या नहीं)</p>	
13.	<p>द्वितीयक अपशिष्ट भंडारण सुविधाएँ</p> <p>शहर या कस्बे में अपशिष्ट भंडारण डिपो की संख्या और प्रकार</p> <p>खुले अपशिष्ट भंडारण स्थल</p> <p>पत्थर के बने डिब्बे</p> <p>सीमेंट कंक्रीट सिलेंडर डिब्बे</p> <p>ढालाओ या ढके हुए कमरे या स्थान</p> <p>ढके हुए धातु या प्लास्टिक के कंटेनर</p> <p>1.1 m³ तक के डिब्बे</p> <p>2 से 5 m³ के डिब्बे</p> <p>5m³ से अधिक के कंटेनर</p> <p>डिब्बे-रहित शहर</p> <p>m³ में क्षमता की संख्या</p> <p>डिब्बा या जनसंख्या अनुपात</p> <p>कचरा भंडारण डिपो का वार्डवार विवरण (संलग्न) :</p> <p>वार्ड संख्या:</p> <p>क्षेत्र:</p> <p>जनसंख्या:</p> <p>रखे गए डिब्बों की संख्या</p> <p>रखे गए डिब्बों की कुल आयतन</p> <p>कचरा भंडारण सुविधाओं की कुल भंडारण क्षमता घन मीटर में</p>	
14.	<p>कचरा संग्रहण डिपो पर प्रतिदिन वास्तव में संग्रहित कुल कचरा डिपो से अपशिष्ट के संग्रह की आवृत्ति</p> <p>साफ़ किए गए डिब्बों की संख्या</p>	आवृत्ति डिब्बों की संख्या प्रत्येक दूसरे दिन सप्ताह में दो बार सप्ताह में एक बार कभी-कभार
15.	<p>क्या भंडारण डिपो में हरे, नीले और काले डिब्बों में अलग-अलग अपशिष्ट के भंडारण की सुविधा है</p>	हाँ या नहीं (यदि हाँ, तो विवरण जोड़ें) हर डिब्बों की संख्या: नीले डिब्बों की संख्या: काले डिब्बों की संख्या:
16.	भंडारण डिपो से ठोस अपशिष्ट का उठाव मैनुअल है या मशीनी। प्रतिशत बताएँ	ठोस अपशिष्ट की मैनुअल लिफ्टिंग का (%) मैकेनिकल लिफ्टिंग का (%)
17.	यदि यांत्रिक है - तो प्रयुक्त विधि निर्दिष्ट करें	फ्रंट-एंड लोडर/टॉप लोडर

	क्या ठोस अपशिष्ट को घर-घर से उठाकर अलग-अलग रूप में सीधे उपचार संयंत्र में ले जाया जाता है	हाँ/नहीं (यदि हाँ, तो बताएं)
18.	प्रतिदिन अपशिष्ट परिवहन प्रयुक्त वाहनों का प्रकार और संख्या (कृपया टिक करें या जोड़ें) पशु गाड़ी ट्रैक्टर नॉन टिपिंग ट्रक टिपिंग ट्रक डम्पर प्लेसर कचरा संग्रहकर्ता कॉम्पैक्टर अन्य जेसीबी या लोडर अपशिष्ट के परिवहन की आवृत्ति	सं. की गई यात्रा एँ अपशिष्ट परिवहन किया गया परिवहन किए गए अपशिष्ट की आवृत्ति (%) प्रतिदिन प्रत्येक दूसरे दिन सप्ताह में दो बार सप्ताह में एक बार कभी-कभार
19.	प्रतिदिन परिवहन किए जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा प्रतिदिन परिवहन किए जाने वाले कुल अपशिष्ट का प्रतिशत प्रयुक्त अपशिष्ट उपचार तकनीकें क्या ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण किया जाता है	टन प्रतिदिन
20.	यदि हाँ, तो प्रतिदिन संसाधित किए जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए स्थानीय निकाय के पास उपलब्ध भूमि (हेक्टेयर में) अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए वर्तमान में उपयोग की जाने वाली भूमि संचालन में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएँ यांत्रिक एमआरएफ सुविधाओं की संख्या और क्षमता सं. क्षमता (एमटी) अपशिष्ट पृथक किया गया (एमटी) मैनुअल एमआरएफ सुविधाओं की संख्या और क्षमता सं. क्षमता (एमटी) अपशिष्ट पृथक किया गया (एमटी)	टन प्रतिदिन
21.	निर्माणाधीन ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएँ शहर या कस्बों की सीमा से प्रसंस्करण सुविधाओं की दूरी अपनाई गई प्रौद्योगिकियों का विवरण कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग	प्रसंस्कृत कच्चे माल की मात्रा उत्पादित अंतिम उत्पाद की मात्रा बेची गई मात्रा लैंडफिल्ड अवशिष्ट अपशिष्ट की मात्रा प्रसंस्कृत कच्चे माल की मात्रा उत्पादित अंतिम उत्पाद की मात्रा बेची गई मात्रा

		लैंडफिल्ड अवशिष्ट अपशिष्ट की मात्रा
22.	<p>बायो-मीथेनेशन</p> <p>अपशिष्ट व्युत्पन्न ईंधन</p> <p>अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने की तकनीक</p> <p>जैसे भस्मीकरण, गैसीकरण, पायरोलिसिस या कोई अन्य तकनीक (विवरण दें)</p> <p>ऊर्जा बनाने के लिए परिचालन संयंत्रों की संख्या और क्षमता</p> <p>प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम में ईपीआर रजिस्ट्रीकरण संख्या के साथ नाम और पता, क्षमता (एमटी), संसाधित प्लास्टिक अपशिष्ट (एमटी), उत्पादित ऊर्जा</p> <p>तेल इकाइयों के लिए परिचालन अपशिष्ट की संख्या और क्षमता</p> <p>प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम में -ईपीआर पंजीकरण संख्या के साथ नाम और पता, क्षमता (एमटी), संसाधित अपशिष्ट (एमटी), उत्पन्न तेल</p>	<p>संसाधित कच्चे माल की मात्रा</p> <p>उत्पादित अंतिम उत्पाद की मात्रा</p> <p>बेची गई मात्रा</p> <p>लैंडफिल्ड अवशिष्ट अपशिष्ट की मात्रा</p> <p>संसाधित कच्चे माल की मात्रा</p> <p>उत्पादित अंतिम उत्पाद की मात्रा</p> <p>बेचा गया अवशिष्ट अपशिष्ट की मात्रा</p> <p>लैंडफिल्ड प्रसंस्कृत कच्चे माल की मात्रा</p> <p>उत्पादित अंतिम उत्पाद की मात्रा</p> <p>बेची गई मात्रा</p> <p>प्रसंस्कृत कच्चे माल की मात्रा</p>
23.	सीमेंट संयंत्र को आपूर्ति किया जाने वाला दहनशील अपशिष्ट	
	ठोस अपशिष्ट आधारित विजली संयंत्रों को आपूर्ति किया जाने वाला दहनशील अपशिष्ट	
	अन्य	
24.	<p>ठोस अपशिष्ट निपटान सुविधाएं</p> <p>स्थानीय निकाय के पास उपलब्ध डंपसाइट साइटों की संख्या</p> <p>स्थानीय निकाय के पास उपलब्ध स्वच्छता या परिचालन लैंडफिल साइटों की संख्या</p> <p>अपशिष्ट निपटान के लिए उपलब्ध प्रत्येक साइट का क्षेत्रफल</p> <p>स्वच्छता या परिचालन लैंडफिल में रिसाइक्लर और अन्य अपशिष्ट प्रोसेसर से निपटाए गए निष्क्रिय पदार्थ की मात्रा (एमटी)</p>	
25.	<p>वर्तमान में अपशिष्ट निपटान के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल शहर या कस्बे से डंपसाइट या लैंडफिल सुविधा की दूरी (किमी)</p> <p>निकटतम आवास से दूरी (किमी)</p> <p>जल निकाय से दूरी (किमी)</p> <p>राज्य या राष्ट्रीय राजमार्ग से दूरी</p> <p>एयरपोर्ट से दूरी कि.मी.</p> <p>महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों या ऐतिहासिक स्मारकों से दूरी कि.मी.</p> <p>क्या यह बाढ़ प्रवण क्षेत्र में आता है</p>	

26.	<p>क्या यह भूकंप प्रवण क्षेत्र में आता है हाँ या नहीं</p> <p>प्रतिदिन लैंडफिल किए गए अपशिष्ट की मात्रा टीपीडी</p> <p>क्या लैंडफिल साइट पर बाड़ लगाई गई है</p> <p>वैज्ञानिक लैंडफिल साइट (संख्या और क्षमता)</p> <p>एन. क्षमता (मीट्रिक टन) प्राप्त कचरा</p> <p>(मीट्रिक टन)</p>	
27.	<p>पुराने अपशिष्ट स्थल (पुराने अपशिष्ट की संख्या और मात्रा)</p> <p>आरडीएफ के लिए प्रसंस्कृत अपशिष्ट का प्रतिशत</p> <p>(मीट्रिक टन) आरडीएफ में ठोस अपशिष्ट (%) शेष अपशिष्ट (मीट्रिक टन)</p>	
28.	<p>क्या साइट पर लाइटिंग की सुविधा उपलब्ध है हाँ या नहीं</p> <p>क्या वेट ब्रिज की सुविधा उपलब्ध है हाँ या नहीं</p> <p>लैंडफिल में इस्तेमाल होने वाले वाहन और उपकरण (निर्दिष्ट करें) बुलडोजर, कॉम्पैक्टर आदि उपलब्ध हैं</p> <p>लैंडफिल साइट पर तैनात जनशक्ति</p>	
29.	<p>क्या लैंडफिल में डाले गए अपशिष्ट को दैनिक आधार पर ढका जाता है?</p> <p>हाँ/नहीं</p> <p>यदि नहीं, तो अपशिष्ट को ढकने की आवृत्ति</p> <p>ढकने के लिए इस्तेमाल हुई सामग्री</p>	
30.	<p>क्या पर्याप्त कवरिंग सामग्री उपलब्ध है हाँ या नहीं</p> <p>गैस वेटिंग के लिए प्रावधान उपलब्ध हैं हाँ या नहीं, (यदि हाँ, तो तकनीकी डेटा शीट संलग्न करें)</p> <p>लीचेट संग्रह के लिए प्रावधान</p>	<p>हाँ या नहीं</p> <p>हाँ या नहीं, (यदि हाँ, तो तकनीकी डेटा शीट संलग्न करें)</p> <p>हाँ या नहीं, (यदि हाँ, तो तकनीकी डेटा शीट संलग्न करें)</p>
31.	<p>क्या शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं में सुधार के लिए कोई कार्य योजना तैयार की गई है</p>	<p>हाँ या नहीं (यदि हाँ तो कार्य योजना का विवरण संलग्न करें)</p>
32.	<p>किनके लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं:</p> <p>डेयरी से संबंधित गतिविधियाँ:</p> <p>बूचड़खानों का कचरा:</p> <p>सी एंड डी अपशिष्ट (निर्माण मलबा):</p>	<p>प्रस्तावों, उठाए गए कदमों का विवरण संलग्न करें,</p> <p>हाँ या नहीं हाँ या नहीं</p> <p>हाँ या नहीं</p>
33.	पोस्ट-क्लोजर योजना का विवरण:	योजना संलग्न करें
34.	कितनी झुग्गियों की पहचान की गई है और क्या उन्हें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएँ प्रदान की गई हैं:	हाँ या नहीं (यदि हाँ, तो विवरण संलग्न करें)
35.	सड़कों की सफाई, द्वितीयक भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और अपशिष्ट के निपटान सहित संग्रह के लिए तैनात जनशक्ति का विवरण दें	

36.	<p>विवरण दें:</p> <p>ठेकेदार या कन्सेशनियर या तीसरे पक्ष कार द्वारा तैनात जनशक्ति सङ्क सफाई, द्वितीयक भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और अपशिष्ट के निपटान सहित संग्रह के लिए</p> <p>अनौपचारिक क्षेत्र में अपशिष्ट बीनने वालों सहित मानव संसाधन का विवरण (कन्सेशनियर या तीसरे पक्ष कार का संसाधन) जो निम्न के लिए तैनात हैं</p> <p>क. संग्रह</p> <p>ख. सङ्क सफाई</p> <p>ग. परिवहन</p> <p>घ. पृथक्करण</p> <p>इ. प्रसंस्करण</p> <p>च. निपटान</p> <p>(ii) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में लगे अपशिष्ट बीनने वालों का विवरण (वार्डवार)</p> <p>कचरा बीनने वालों की संख्या</p>	
37.	इन नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करने में स्थानीय निकाय द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों का संक्षेप में उल्लेख करें।	
38.	संक्षेप में बताएं कि क्या ठोस अपशिष्ट से संबंधित समस्या से निपटने के लिए कोई नवीन विचार लागू किया गया है, जिसे अन्य स्थानीय निकायों द्वारा दोहराया जा सकता है।	
39.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का प्रवर्तन	
40.	कृपया पुष्टि करें कि क्या उपनियम बनाए गए हैं (हां/नहीं)	
41.	एसडब्लूएम नियम, 2016 के प्रावधानों के गैर-अनुपालन पर उल्लंघनों की संख्या और की गई कार्रवाई	
42.	कुल उल्लंघनों की संख्या (जैसे अपशिष्ट को जलाना या कूड़ा फेंकना)	
43.	की गई कार्रवाई (लगाए गए जुर्माने/दंड रु.)	
44.	<p>जल निकायों में बिखरे हुए ठोस अपशिष्ट के प्रवेश का डेटा नाली और जल निकाय में ठोस अपशिष्ट के प्रवेश बिंदु प्रवेश बिंदुओं की संख्या ठोस अपशिष्ट के प्रवेश को रोकने के लिए किए गए उपाय नदी क्षेत्रों सहित सतही जल निकाय सतही जल निकायों की संख्या एकत्रित अपशिष्ट की मात्रा ठोस अपशिष्ट से साफ किए गए नालों की संख्या नालियों की कुल लंबाई ठोस अपशिष्ट से साफ किए गए नालों की कुल लंबाई एकत्रित ठोस अपशिष्ट (मीट्रिक टन) एकत्रित गाद</p>	

सीईओ या नगर आयुक्त या कार्यकारी अधिकारी या
मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीखः

स्थानः

प्रूप -5

[अध्याय 4 नियम 20 देखें]

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाने वाली
वार्षिक रिपोर्ट का प्रारूप
भाग क

सेवा में,

अध्यक्ष

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर

दिल्ली- 110 0032

1.	राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का नाम	
2.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नाम और पता	
3.	इन नियमों के तहत राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार स्थानीय निकायों की संख्या	
4.	प्राप्त प्राधिकरण आवेदनों की संख्या	
5.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का विवरण (राज्य स्तर) संग्रहण पृथक्करण प्रसंस्करण निस्तारण	
6.	आपके राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए लागू किए गए तंत्र का सारांश तथा शामिल एजेंसियों का विवरण (कृपया विवरण संलग्न करें)	
7.	कृपया आपके राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में उत्पन्न ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए स्थापित अवसंरचना का विवरण संलग्न करें	
8.	एमआरएफ सुविधाओं की कुल संख्या क्षमता सहित मैकेनिकल मटेरियल रिकवरी सुविधाओं की संख्या क्षमता सहित मैनुअल मटेरियल रिकवरी सुविधाओं की संख्या	
9.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में स्थानीय निकाय द्वारा की गई प्रगति पर एक संक्षिप्त विवरण	कृपया अनुलग्नक-। के रूप में संलग्न करें
10.	अपशिष्ट संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन और निपटान के संबंध में स्थानीय निकायों द्वारा की गई प्रगति पर एक सारांश विवरण	कृपया अनुलग्नक-॥ के रूप में संलग्न करें
11.	अनुसूची ॥ के कार्यान्वयन के संबंध में स्थानीय निकायों द्वारा की गई प्रगति पर एक संक्षिप्त विवरण	कृपया अनुलग्नक-॥॥ के रूप में संलग्न करें

12.	तारीख: स्थान:	अध्यक्ष या सदस्य सचिव राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति
-----	------------------------------	--

क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों की कुल संख्या	
वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले शहरी स्थानीय निकाय की संख्या	
क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कुल ग्राम पंचायतों (ग्राम पंचायत) की संख्या	
जिला स्तर पर पंचायत राज संस्थानों की कुल संख्या	
जिला स्तर पर वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली पंचायत राज संस्थाओं की संख्या	
कृपया पुष्टि करें कि सभी ग्राम पंचायत या शहरी स्थानीय निकाय ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार निर्धारित समय में पूरी जानकारी प्रदान की है (हां या नहीं)	
ऐसे ग्राम पंचायत या शहरी स्थानीय की संख्या जिसने निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी जानकारी प्रस्तुत नहीं किया है	
कृपया जिला स्तर या शहरी स्थानीय निकाय पर पंचायती राज संस्था पर लगाए गए पर्यावरण प्रतिकर की कुल राशि प्रदान करें, जिन्होंने नियमों के अधिन निर्धारित समयसीमा के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट जमा नहीं की है।	
उत्पन्न ठोस अपशिष्ट की मात्रा (टन)	
एकत्रित ठोस अपशिष्ट की मात्रा (टन)	
ठोस अपशिष्ट पृथक्करण (टन)	
कृपया पुष्टि करें कि सभी स्थानीय निकायों या ग्राम पंचायतों ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट कार्यप्रणाली के अनुसार ठोस अपशिष्ट उत्पादन और उसके लक्षणों का आकलन किया है (हां या नहीं)	
कृपया केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट कार्यप्रणाली के अनुसार ठोस अपशिष्ट लक्षण वर्णन रिपोर्ट अपलोड करें	
कृपया पुष्टि करें कि जिला स्तर पर शहरी स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्था के लिए डेटा सत्यापन और सुलह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट कार्यप्रणाली के अनुसार किया गया है (हां या नहीं)	
विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व कार्यान्वयन	
विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व पर रजिस्ट्रीकृत एलबी की कुल संख्या (ईपीआर पोर्टल से स्वतः प्राप्त की जाएगी)	
अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं का विवरण (ईपीआर पोर्टल से स्वतः प्राप्त की जाएगी)	

नाम	प्रकार पुनर्चक्रणकर्ता/सह- प्रसंस्करणकर्ता/अपशिष्ट से ऊर्जा/अपशिष्ट से तेल	रजिस्ट्रीकृत संख्या	प्रसंस्करण क्षमता (ठन प्रति वर्ष)

प्रकार पुनर्वर्कणकर्ता या सह-प्रसंस्करणकर्ता या अपशिष्ट से ऊर्जा या अपशिष्ट से तेल						
पर्यावरण क्षतिपूर्ति (पर्यावरण प्रतिकर) का ऑडिट और अधिरोपण (ईपीआर पोर्टल से स्वतः प्राप्त किया जाएगा)						
ऑडिट की गई संस्थाओं (पीआईबीओ या पीडब्ल्यूपी) की संख्या						
उल्लंघन में पाई गई संस्थाओं (पीआईबीओ या पीडब्ल्यूपी) की संख्या						
उल्लंघन करने वाली संस्थाओं (पीआईबीओ या डब्ल्यूपी) पर अधिरोपित ईसी						
एसडब्ल्यूएम नियमों का प्रवर्तन						
उपनियम तैयार करने वाली स्थानीय निकाय की संख्या						
एसडब्ल्यूएम नियम, 2025 के प्रावधानों के गैर-अनुपालन पर उल्लंघनों और की गई कार्रवाई की संख्या						
उल्लंघनों की कुल संख्या (कचरा जलाना या कूड़ा फेंकना या रजिस्ट्रीकरण न कराना और अन्य गैर-अनुपालन)						
की गई कार्रवाई (जुर्माना लगाया गया या बंद करने का आदेश जारी किया गया)						

भाग ख

कस्बा या शहर

कस्बों या शहरों की कुल संख्या

स्थानीय निकायों की कुल संख्या

श्रेणी I और श्रेणी II के शहरों या कस्बों की संख्या

प्राधिकरण की स्थिति (नाम या संख्या)

प्राप्त आवेदनों की संख्या

प्रदान किए गए प्राधिकरणों की संख्या

संवीक्षा के अधीन प्राधिकरण

ठोस अपशिष्ट उत्पादन की स्थिति

राज्य में ठोस अपशिष्ट उत्पादन (ठन प्रतिदिन)

एकत्रित

उपचारित

लैंडफिल्ड

ठोस अपशिष्ट नियमों की अनुसूची 1, 2 और 3 का अनुपालन (शहरों की संख्या या नाम या क्षमता)

शहरों या कस्बों में अच्छी प्रथाएं

घर-घर जाकर संग्रहण

पृथक्करण

भंडारण

कवर परिवहन

ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण (शहरों की संख्या या नाम या क्षमता)

ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना:

क्रम संख्या	कम्पोस्टिंग	वर्मी-कम्पोस्टिंग	बायोगैस	आरडीएफ या पैलेटाइजेशन	बायोमीथनेशन
-------------	-------------	-------------------	---------	-----------------------	-------------

प्रसंस्करण सुविधाएं चालू:

क्रम संख्या	कम्पोस्टिंग	वर्मी-कम्पोस्टिंग	बायोगैस	आरडीएफ या पैलेटाइजेशन	बायोमीथनेशन
-------------	-------------	-------------------	---------	-----------------------	-------------

स्थापना/योजना के अंतर्गत प्रसंस्करण सुविधाएं:

क्रम संख्या	कम्पोस्टिंग	वर्मी-कम्पोस्टिंग	बायोगैस	आरडीएफ या पैलेटाइजेशन	बायोमीथनेशन
-------------	-------------	-------------------	---------	-----------------------	-------------

अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र: (संख्या या कस्बों के नाम या क्षमता)

क्रम संख्या	संयंत्र स्थल	संचालन की स्थिति	विद्युत उत्पादन (मेगावाट)	टिप्पणी
-------------	--------------	------------------	---------------------------	---------

ठोस अपशिष्ट का निपटान (शहरों की संख्या या नाम या क्षमता):

पहचान किए गए लैंडफिल साइट्स

निर्मित लैंडफिल

निर्माणाधीन लैंडफिल

संचालित लैंडफिल

बंद लैंडफिल

कैप किए गए लैंडफिल

ठोस अपशिष्ट डंपसाइट (संख्या या कस्बों के नाम या क्षमता):

मौजूदा डंपसाइटों की कुल संख्या

युन: प्राप्त या कैप किए गए डंपसाइट्स

सेनेटरी या ऑपरेशनल लैंडफिल में परिवर्तित डंपसाइट्स

अपशिष्ट प्रसंस्करण/लैंडफिल साइट्स पर निगरानी

क्रम संख्या	सुविधा का नाम	पर्यावरणीय वायु	भूमिगत जल	लीचेट गुणवत्ता	कम्पोस्ट की गुणवत्ता	वीओसी

नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई कार्य योजना की स्थिति

नगर पालिकाओं की कुल संख्या:

प्रस्तुत की गई कार्य योजना की संख्या

प्रृष्ठ - 6

[अध्याय 4, नियम 21 देखें]

दुर्घटना रिपोर्टिंग

दुर्घटना की तारीख और समय	
0.	दुर्घटना की ओर ले जाने वाली घटनाओं का क्रम
1.	दुर्घटना में शामिल अपशिष्ट
2.	मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर दुर्घटनाओं के प्रभावों का मूल्यांकन
3.	आपातकालीन उपाय किए गए
4.	दुर्घटना के प्रभावों को कम करने के लिए उठाए गए कदम
5.	ऐसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उठाए गए कदम
ii	<p>तारीख:</p> <p>स्थान:</p>
	<p>हस्ताक्षर:</p> <p>.....</p> <p>...</p> <p>पदनाम:</p> <p>.....</p>

[फा. सं. 18/3/2022-एचएसएम]

नीलेश कुमार साह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 27 th January 2026

S.O. 388(E).— Whereas the draft of the Solid Waste Management Rules, 2024, was notified, by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, *vide* notification number S.O. 5369 (E), dated the 9th December, 2024, in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (ii), inviting objections or suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification on the Solid Waste Management Rules, 2024 in supersession of the Solid Waste Management Rules, 2016 were made available to the public;

AND WHEREAS, the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public on the 14th December, 2024;

AND WHEREAS, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft notification within the said period have been duly considered by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sections 3, 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in suppression of the Solid Waste Management Rules, 2016, except as respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules for management of solid waste, namely:-

Chapter I

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Solid Waste Management Rules, 2026.

(2) They shall come into force with effect from the 1st day of April 2026.

2. Application.— These rules shall apply to every urban body as well as rural local body, including all entities within their jurisdictions whether being controlled and managed by the government; private sector or in Public Private Partnership; special notified areas; notified industrial areas or townships; special economic zones; food parks; areas under the control of Indian Railways including railway stations, railway tracks and land parcels adjacent to railway tracks; airports; airbases; harbours and ports including dry ports; defence establishments; public and private establishments; State and Central Government organisations; places of pilgrim, religious and historical importance and all land owners public or private, individual or body corporate in possession of land parcels, and to every domestic, institutional, commercial and any other non-residential solid waste generator. The rule does not cover industrial waste, hazardous waste, hazardous chemicals, bio medical waste, e-waste, battery waste and radio-active waste, that are covered under separate rules framed under the Environment (Protection) Act, 1986.

3. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) “**aerobic composting**” means a controlled process involving microbial decomposition of organic matter in the presence of oxygen;
- (b) “**agri-residue**” means crop residue or crop waste material generated from agricultural or horticultural crop fields or orchard, after harvest of crops e.g. straw, husk, etc;
- (c) “**anaerobic digestion**” means a controlled process involving microbial decomposition of organic matter in absence of oxygen;
- (d) “**authorisation**” means the permission given by the concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee, as the case may be, under these rules to the operator of a facility or urban local authority or any other agency responsible for processing and disposal of waste;
- (e) “**biodegradable waste**” means any organic material that can be degraded by micro-organisms into simpler stable compounds;
- (f) “**bio-methanation**” means a process which entails enzymatic decomposition of the organic matter by microbial action to produce methane rich biogas;
- (g) “**brand owner**” means a person or company who sells any commodity under a registered brand label;
- (h) “**buffer zone**” means a zone to be maintained around solid waste processing and disposal facility, exceeding five tons per day of installed capacity and the guidelines for size and activities to be carried out inside buffer zone shall be developed by the Central Pollution Control Board based upon capacity and pollution load in order to minimize impact on environment and the buffer zone shall be maintained within the total area allotted for solid waste processing and disposal facility;
- (i) “**bulk waste generator**” covers the entities, given below, if they satisfy at least one of the following criterion; (i) buildings with floor area of 20,000 sq.m. or above; or (ii) water consumption of 40000 litres per day; or (iii) solid waste generation of 100 kg per day, namely:-

(a) Institutional users including buildings occupied by the,-

- (i) Central Government departments or undertakings, State government departments or undertakings;
- (ii) local bodies;
- (iii) public sector undertakings or private companies;
- (iv) schools, colleges, universities, other educational institutions; and
- (v) community places or like;

(b) Commercial users including,-

- (i) commercial establishments including railways, bus stations or depots, airports, ports;
- (ii) industrial units and industrial areas;
- (iii) malls, multiplexes;
- (iv) hotels;
- (v) hospitals, nursing homes;
- (vi) hostels;
- (vii) wholesale markets, including “Mandis”, for agricultural and horticultural produce, fish and meat;
- (viii) Stadium, sports complexes;
- (ix) Community halls, convention halls, auditorium;
- (x) Marriage or banquet halls;
- (xi) conference centres, Expo centres, exhibition areas; and
- (xii) tourist spots.

(c) Residential societies.

(j) “**bye-laws**” means regulatory framework notified by local body, including census town and notified area townships for facilitating the implementation of these rules effectively in their jurisdiction;

(k) “**census town**” means an urban area as defined by the Registrar General and Census Commissioner of India;

(l) “**combustible waste**” means non-biodegradable, non-recyclable, non-reusable, non hazardous solid waste having minimum calorific value exceeding 1500 kcal/kg and excluding chlorinated materials;

(m) “**composting**” means a controlled process involving microbial decomposition of organic matter;

(n) “**contractor**” means a person or firm that undertakes a contract to provide materials or labour to perform a service or do a job for service providing authority;

(o) “**co-processing**” means use of non-biodegradable and non-recyclable solid waste having calorific value exceeding 1500 kcal/kg as raw material or as a source of energy or both to replace or supplement the natural mineral resources and fossil fuels in industrial processes;

(p) “**decentralised processing**” means establishment of dispersed facilities for maximizing the processing of wet waste or horticulture waste as well as segregation and sorting of dry waste, sanitary waste, and special care waste closest to the source of generation so as to optimize transportation of waste for recycling or processing or disposal;

(q) “**disposal**” means the final and safe disposal of post processed residual solid waste and inert street sweepings and silt from surface drains in sanitary landfills as specified in Schedule II to prevent contamination of ground water, surface water, ambient air and attraction of animals or birds;

(r) “**door to door collection**” means collection of solid waste from the door step of households, shops, commercial establishments, offices, institutional or any other non residential premises and includes collection of such waste from entry gate or a designated location on the ground floor in a housing society , multi storied building or apartments , large residential, commercial or institutional complex or premises;

- (s) “**dry waste**” means waste other than wet waste sanitary waste, special care waste and includes recyclable waste and non-recyclable waste;
- (t) “**dump sites**” means a land utilised by local body for disposal of solid waste without following the principles of sanitary land filling;
- (u) “**facility**” means any establishment wherein the solid waste management processes namely segregation, recovery, storage, collection, recycling, processing, treatment or safe disposal are carried out;
- (v) “**fine**” means penalty imposed on waste generators or operators of waste processing and disposal facilities under the bye-laws for non-compliance of the directions contained in these rules or bye-laws;
- (w) “**Form**” means a form appended to these rules;
- (x) “**handling**” includes all activities relating to sorting, segregation, material recovery, collection, secondary storage, shredding, baling, crushing, loading, unloading, transportation, processing and disposal of solid waste;
- (y) “**horticultural waste**” means plants-based waste from parks, gardens, traffic islands, road medians etc. including grass and wood clippings, weeds, pruning, branches, twigs, wood chipping, straw or dead leaves and tree trimmings, which cannot be accommodated in the daily collection system for wet waste;
- (z) “**inerts**” means wastes which are non bio-degradable, non-recyclable or non-combustible street sweeping or dust and silt removed from the surface drains;
- (za) “**incineration**” means a process that burns or combusts solid waste to thermally degrade waste materials at high temperatures;
- (zb) “**informal waste collector**” includes individuals, associations or waste traders who are involved in collecting, segregating, sorting, sale and purchase of waste materials including recyclable materials;
- (zc) “**leachate**” means the liquid that seeps through solid waste or other medium and has extracts of dissolved or suspended material from it;
- (zd) “**local body**” includes the municipal corporation, nagar nigam, municipal council, nagarpalika, municipal board, nagar panchayat and town panchayat, census towns, notified areas and notified industrial townships, panchayati raj institutions which include Gram Panchayat, Panchayat Samiti Zila Parishad or District Panchayat, as the case may be;
- (ze) “**material recovery facility**” means a facility where solid waste other than wet waste and horticulture waste, can be temporarily stored by the local body or any entity authorised by local body to facilitate segregation and sorting of collected waste including biodegradable plastic as well as compostable plastic, and transfer of recyclables and non recyclables to authorised recyclers or waste processors from various components of waste;
- (zf) “**non-biodegradable waste**” means any waste that cannot be degraded by micro-organisms into simpler stable compounds;
- (zg) “**operator of a facility**” means a person or entity, who owns or operates a facility for handling solid waste which includes the local body and any other entity or agency appointed by the local body;
- (zh) “**primary collection**” means collection of segregated solid waste from source of its generation including households, markets, institutions, other commercial establishments or any other non-residential premises including industry or industrial areas or from any designated collection points specified by the local body to secondary storage points or secondary transfer station or like
- (zi) “**processing**” means any scientific process by which segregated solid waste is handled for the purpose of reuse, recycling or transformation into new products;
- (zj) “**recycling**” means the process of transforming segregated non-biodegradable solid waste into new material or product or as raw material for producing new products which may or may not be similar to the original products;
- (zk) “**redevelopment**” means rebuilding of old residential or commercial buildings at the same site, where the existing buildings and other infrastructures have become dilapidated;

(zl) "**refused derived fuel (RDF)**" means fuel derived from combustible waste fraction of solid waste like plastic, wood, pulp or inorganic waste, other than chlorinated materials, in the form of pellets or fluff produced by drying, shredding, dehydrating and compacting of solid waste ;

(zm) "**Registered Environment Auditor**" means Environment Auditor as defined under the Environment Audit Rules, 2025, as amended from time to time;

(zn) "**residual solid waste**" means and includes the waste and rejects from the solid waste processing facilities which are not suitable for recycling or further processing;

(zo) "**sanitary land filling**" means the final and safe disposal of residual solid waste and inert waste on land in a facility designed with protective measures against pollution of ground water, surface water and fugitive air dust, wind-blown litter, bad odour, fire hazard, animal menace, bird menace, pests or rodents, greenhouse gas emissions, persistent organic pollutants slope instability and erosion;

(zp) "**sanitary waste**" means waste comprising of used diapers, sanitary towels or napkins, tampons, condoms, incontinence sheets and any other similar waste;

(zq) "**sanitary products**" means products comprising of diapers, condoms, sanitary towels or napkins, tampons, incontinence sheets;

(zr) "**schedule**" means the Schedule appended to these rules;

(zs) "**secondary storage**" means the temporary containment of solid waste after collection at secondary waste storage depots or material recovery facilitates or bins for onward transportation of the waste to the processing or disposal facility;

(zt) "**segregation**" means sorting and separate storage of various components of solid waste namely wet waste including agriculture and dairy waste, dry waste including recyclable waste, non- recyclable combustible waste, sanitary waste and non recyclable inert waste, special care waste, and construction and demolition waste;

(zu) "**service provider**" means an authority providing public utility services like water, sewerage handling , electricity, telephone, roads, drainage, etc.;

(zy) "**solid waste**" means and includes solid or semi-solid domestic waste, sanitary waste, commercial waste, institutional waste, catering and market waste and other non residential waste, street sweepings, silt removed or collected from the surface drains, horticulture waste, agriculture and dairy waste, treated bio-medical waste excluding industrial waste, bio-medical waste and e-waste, battery waste, radio-active waste generated in the area under the local authorities and other entities mentioned in rule 2;

(zw) "**sorting**" means separating various components and categories of recyclables and non-recyclables such as paper including paperboard, plastic, metal, glass, etc., from waste as may be appropriate to facilitate recycling or processing or disposal;

(zx) "**special care waste**" means and includes discarded paint drums, pesticide cans or containers or bottles, compact fluorescent lamp or bulbs, tube lights, expired medicines, broken mercury thermometers, waste batteries, used or waste needles and syringes and contaminated gauge, or any other waste notified by Central Pollution Control Board from time to time, generated at the household level;

(zy) "**stabilising**" means the biological decomposition of biodegradable waste to a stable state where it generates no leachate or offensive odours and is fit for application to farm land ,soil erosion control and soil

remediation;

(zz) "**State Pollution Control Board**" means the State Pollution Control Board constituted under Section 4 of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and includes in relation to Union territory, the Pollution Control Committee;

(zza) "**street vendor**" means any person engaged in vending of articles, goods, wares, food items or merchandise of everyday use or offering services to the general public, in a street, lane, side walk, footpath, pavement, public park or any other public place or private area, from a temporary built up structure or by moving from place to place. It includes hawker, peddler, squatter and all other synonymous terms which may be local or region specific; and the words "street vending" with their grammatical variations and cognate expressions, shall be construed accordingly;

(zzb) "**tipping fee**" means a fee or support price determined by the local bodies or authorities or any state agency authorised by the State Government or the Union territory administration to be paid to the concessionaire or third party and operator of waste processing facility or for disposal of residual solid waste at the landfill;

(zzc) "**transfer station**" means a facility created to receive solid waste from collection areas and transport in bulk in covered vehicles or containers to waste processing and, or, disposal facilities;

(zzd) "**transportation**" means conveyance of solid waste, either treated, partly treated or untreated from a location to another location in an environmentally sound manner through specially designed and covered transport system so as to prevent the foul odour, littering and unsightly conditions;

(zze) "**treatment**" means the method, technique or process designed to modify physical, chemical or biological characteristics or composition of any waste so as to reduce its volume and potential to cause harm;

(zzf) "**user fee**" means a fee imposed by the local body on the waste generator to cover for full or part cost of providing solid waste collection, transportation, processing and disposal services;

(zzg) "**vermi composting**" means the process of conversion of bio-degradable waste into compost using earth worms;

(zzh) "**waste generator**" means and includes every person or group of persons, every residential premises and non-residential establishments including Indian Railways, defense establishments, which generate solid waste;

(zzi) "**waste hierarchy**" means the priority order in which the solid waste should be managed by giving emphasis to prevention, reduction, reuse, recycling, recovery and disposal, with prevention being the most preferred option and the disposal at the landfill being the least;

(zzj) "**waste picker**" means a person or groups of persons informally engaged in collection and recovery of reusable and recyclable solid waste from the source of waste generation including the streets, bins, material recovery facilities, processing and waste disposal facilities for sale to recyclers directly or through intermediaries to earn their livelihood;

(zzk) "**waste to energy**" means and includes use of solid waste for generation of energy and includes co-processing through use of high calorific value non-biodegradable and non-recyclable fractions of solid waste for generation of heat through incineration (thermal process) for generation of electricity or use of biodegradable fraction of solid waste for anaerobic digestion (biomethanation) for generation of biogas (methane) including compressed biogas, Bio Compressed Natural Gas for use either directly or converted to electricity using appropriate generators;

(zzl) "**wet waste**" means and includes organic waste including kitchen waste, food waste, vegetable waste, meat waste, fruits waste, flower waste, and such similar waste and biodegradable waste.

(2) Words and expressions used herein but not defined, but defined in the Environment (Protection) Act, 1986,

the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (prevention and Control of Pollution) Act, 1981, shall have the same meaning as assigned to them in the respective Acts.

4. Solid Waste Management.— The solid waste management by local authorities, in their respective jurisdiction, shall *inter alia* include environmentally sound management of solid waste such as dry waste, wet waste, special care waste, sanitary waste, horticultural waste as well as of sanitary landfill management and existing or legacy waste dumpsite remediation.

Chapter II

Environmentally sound management of solid waste

5. Duties of waste generator.— (1) Every waste generator shall,-

- (a) adopt measures to prevent or reduce environmental pollution caused by solid waste;
- (b) segregate and store the waste generated by them in four separate streams at source namely wet waste, dry waste, sanitary waste and special care waste; and handover segregated waste to authorised waste pickers or waste collectors as per the direction or notification by the local authorities from time to time;
- (c) wrap securely the used sanitary waste like diapers, sanitary pads etc., in the pouches provided by the manufacturers or brand owners of these products or in a suitable wrapping material as instructed by the local bodies or authorities and shall place the same in the sanitary waste bin separate from bins meant for dry waste or wet waste or special care waste;
- (d) store separately construction and demolition waste, as and when generated, in their own premises and shall dispose of as per the Environment (Construction and Demolition) Waste Management Rules, 2025;
- (e) store horticulture waste or garden waste generated from their premises or land separately in their own premises and dispose of as per the directions of local bodies authorities from time to time;
- (f) not throw, burn or bury the solid waste generated by them, on streets, open public spaces outside his premises or dispose in the drain or water bodies;
- (g) Every street vendor shall keep suitable containers for storage of waste generated during the course of his activity such as food waste, disposable plates, cups, cans, wrappers, coconut shells, leftover food, vegetables, fruits, etc., and shall deposit such waste at waste storage depot or container or vehicle as notified by the local body;
- (h) pay such user fee for solid waste management, as specified in the bye-laws of the local bodies;
- (i) keep suitable containers for storage of segregated solid waste viz. wet waste, dry waste, special care waste and sanitary waste segregated waste to authorised waste collectors or through waste collection vehicles as notified by the local body;
- (j) not organise an event or gathering of more than one hundred persons at any unlicensed place without intimating the local body, at least three working days in advance; and such person or the organiser of such event shall ensure segregation of waste at source and handing over of segregated waste to waste collector or agency as specified by the local body and the waste generated shall be disposed of in the manner prescribed under these rules.
- (k) shall not mix biomedical waste covered under Biomedical Waste Management Rules, 2016 with solid waste, provided it is identified as an occupier under Biomedical Waste Management Rules, 2016.

(2) All gated communities and institutions with more than 5,000 sq.m. area and all resident welfare associations, market associations, hotels, restaurants, shall, within one year from the date of notification of these rules in the Official Gazette and in partnership with the local body, ensure segregation of waste at source by the generators as prescribed in these rules, facilitate collection of segregated waste in separate streams, handover recyclable material to either the authorised waste pickers or the authorised recyclers. The bio-degradable waste shall be processed, treated and disposed of through composting or bio-methanation within the premises as far as possible. The residual waste shall be given to the waste collectors or agency as directed by the local body.

6. Duties of bulk waste generator.— Every bulk waste generator shall,-

- (a) register themselves with the concerned local body through the centralised online portal. The certificate of registration shall specify conditions required to be fulfilled for registration to remain valid. Any change in the information provided during registration and the conditions specified in the registration shall be notified to the local body;

- (b) make necessary arrangements for collecting and handing over of dry waste, sanitary waste, special care waste, to the local body or agency authorised by it;
- (c) make necessary arrangements to collect and process wet waste or horticulture waste if applicable, generated by them, in a decentralised manner through composting or biomethanation or any other approved technology;
- (d) set up and operate wet waste processing facility of adequate capacity, including for horticulture waste to ensure processing of complete wet waste generated by them, in case of all new bulk waste generators. In case of existing bulk waste generators, who are not able to set up and operate decentralised wet waste processing, they shall get the exemption from the local body, and such bulk waste generators shall procure Extended Bulk Waste Generator Responsibility certificates from local body concerned for processing of wet waste equivalent to complete wet waste generated by them;
- (e) fulfill Extended Bulk Waste Generator Responsibility for (i) processing of wet waste and (ii) ensure environmentally sound management of collected dry waste, special care waste, sanitary waste. The calculation for Extended Bulk Waste Generator Responsibility obligation for total solid waste generated by bulk waste generator shall be estimated based upon norms issued by Central Pollution Control Board in consultation with Ministry of Housing and Urban Affairs and Department of Drinking Water and Sanitation from time to time;
- (f) procure Extended Bulk Waste Generator Responsibility Certificates from local body for undertaking environmentally sound management by collection and transportation of dry waste, special care waste, sanitary waste and wet waste, in case wet waste is not processed by bulk waste generator, and by sending to registered waste processing facility for further processing and treatment of waste;
- (g) not engage with any entity not having registration mandated under these rules;
- (h) submit annual returns by 30th June every year on the centralised online portal in respect of the Extended Bulk Waste Generator Responsibility obligation including procurement of Extended Bulk Waste Generator Responsibility certificate for total calculated solid waste generated by them and the annual returns shall be submitted to local bodies for further processing and same shall be made available in public domain on the website of local body on a yearly basis;
- (i) give the residual solid waste generated or inerts during waste processing in case of decentralised waste processing facilities to authorised waste collectors or an agency authorised by local body or local body;
- (j) in case of construction of new units, promptly clean up and move away the solid waste generated by them and left during the course of construction, and have it managed in compliance with these rules;
- (k) ensure that solid waste is not littered during the transportation and the solid waste generated during journey and at bus stations and railway station is managed as per the provisions of these rules, in case of entities engaged in public transport including roadways and railways;
- (l) in accordance with the relevant rules, develop and operate facilities for collecting and processing or disposal of various category of solid waste in case of entities engaged in construction projects including development and redevelopment of residential, institutional areas, community facilities, infrastructure such as roads, transmission lines or engaged in the operation and management of public facilities including such as airports, bus stops or railway stations, shopping malls;
- (m) not mix biomedical waste covered under Bio-medical Waste Management Rules, 2016 with solid waste provided it is identified as an occupier under Bio-medical Waste Management Rules, 2016. In such cases, the Biomedical Waste Generator shall provide information, while filing annual returns, on the quantity of biomedical waste generated and handed over to authorised Bio-medical Waste Treatment and Disposal Facility entities for collection, treatment or disposal under Bio-medical Waste Management Rule 2016.

7. Duties of operator of solid waste processing facilities.—The operator of every waste processing facilities shall,-

- (a) register with the local body through the centralised online portal in case of wet waste, dry waste, sanitary waste, special care waste, horticulture waste processing facilities including Waste to energy, Compressed Bio-Gas plant, composting, incinerators, common biomedical waste facilities;
- (b) ensure that treatment standards are such that no harm is caused to human health or environment, and shall meet the standards as laid down in Schedule II and Schedule III;
- (c) file quarterly returns by 15th of the first month of the next quarter and annual returns by 30th June every year to the concerned local body in Form III, and the local body shall validate the returns filed before further onward processing, in respect of the quantity or volume of wet waste, dry waste, special care waste, sanitary waste, horticulture waste received for processing, as applicable; quantity of solid waste processed; details of non-recyclable and non-energy recoverable dry waste and inerts sent to sanitary or operational landfills; availability, quality and sale or use of organic manure or compost produced from processing of wet waste and horticulture waste; and other relevant details. Such data shall also be made available in the public domain and published on the website;
- (d) give the residual solid waste or inerts generated during waste processing to authorised waste collectors or an agency authorised by local body or local body ;
- (e) design and set up the facility as per the technical guidelines issued by the Central Pollution Control Board in this regard from time to time and the manual on solid waste management prepared by Central Public Health and Environmental Engineering Organisation (CPHEEO), Ministry of Housing and Urban Affairs or Department of Drinking Water and Sanitation (DDWS);
- (f) obtain authorization under the rules by making an application Form I through local body for setting and operation of waste processing units from the State Pollution Control Board,;
- (g) be responsible for the safe and environmentally sound operations of the solid waste processing facilities as per the standards prescribed in the rules and following the guidelines issued by the Central Pollution Control Board and Ministry of Housing and Urban Affairs or Department of Drinking Water and Sanitation (DDWS), from time to time;
- (i) register all biomethanation or Compressed Biogas or biogas plants on the GOBARDHAN portal and link to centralised online portal;
- (j) not deal with any other waste processing facility not having registration mandated under these rules;
- (k) ensure engagement of trained manpower for operation of waste processing facilities;

8. Duties of the local body involved in collection, segregation and transportation of solid waste.—Every local body or the concessionaire or third party authorised by local body involved in collection, segregation and transportation of solid waste,-

- (a) shall register themselves on the centralised online portal;
- (b) shall ensure that the collection, segregation, transportation and processing of solid waste is done in an environmentally sound manner, in accordance with the guidelines issued by Central Pollution Control Board and Ministry of Housing and Urban Affairs or Department of Drinking Water and Sanitation (DDWS);
- (c) shall be responsible for handing over the collected solid waste to the registered waste processing facility;
- (d) shall generate Extended Bulk Waste Generator Responsibility certificates for procurement by bulk

waste generators as per scheme given in sub-rule 38 of Rule 39 of these rules , in accordance with the guidelines laid down by Central Pollution Control Board in this regard;

- (e) shall generate the Extended Bulk Waste Generator Responsibility certificates against the wet waste and horticulture waste only after the registered and authorised wet waste treatment or processing or recycling facilities to whom the wet waste is given for processing or treatment submits report providing details regarding quantity of wet waste or horticulture waste received and processed, on the centralised online portal;
- (f) shall ensure transportation of wet waste to registered wet waste processing facility, dry waste to registered Material Recovery Facility or processing facility, sanitary waste and special care waste to registered recycler or processor or incinerator or common Biomedical Waste Treatment Facility or Secondary storage points or transfer stations;
- (g) shall file quarterly by 15th of the first month of the next quarter and annual returns by 30th June every year to the concerned local body and the local body shall validate the return filed before onward processing, in respect of the quantity or volume of wet waste, dry waste, special care waste, sanitary waste received from the waste generator or bulk waste generator; details of each of the waste generator or bulk waste generator from whom the wet waste, dry waste, special category waste, sanitary waste, horticulture waste is collected; details of registered or authorised waste treatment or processing or recycling facilities to whom the wet waste, dry waste, special care waste, sanitary waste, horticulture waste is given for processing; and other relevant details. Such data shall also made available in the public domain and published on the website;
- (h) shall be responsible for taking the following measures,-
 - (i) discharging its duties in accordance with the manual on Municipal Solid Waste Management by Central Public Health and Environmental Engineering Organisation, Ministry of Housing and Urban Affairs, the guidelines of Central Pollution Control Board and Department of Drinking Water and Sanitation (DDWS) as amended from time to time;
 - (ii) taking measures to prevent scattering, running off and spilling of solid waste, or other measures to prevent pollution of the environment;
 - (iii) ensuring that the collection of solid waste from waste generators is carried out at regular intervals;
 - (iv) ensuring that the vehicles used for the collection and transportation of solid waste are equipped with appropriate size and capacity to provide separate compartments for wet waste and dry waste and provide necessary arrangements for separate collection of sanitary waste, special care waste, and horticultural or agricultural waste;
 - (v) ensuring that no intermixing of waste streams during collection & transportation occurs during transportation;
 - (vi) ensuring that waste stream remains segregated until it reaches the designated waste processing facility;
 - (vii) ensuring that the person involved in the collection & transportation are provided with appropriate Personal protective equipment and are trained properly;
 - (viii) ensure that the concessionaire or third party authorised by local body for undertaking solid waste management, shall register with the local body through centralised online portal and follows the guidelines issued by Central Pollution Control Board and Ministry of Housing and Urban Affairs and adheres to the standard prescribed by Central Pollution Control Board
 - (ix) ensuring that the fleet engaged in collection and transportation are equipped with tracking devices for cities having population more than 50,000. Depending on requirement, same may be extended to local bodies having population less than 50,000 also.

9. Duties of the entity involved in sorting of recyclable or non-recyclable waste at Material Recovery Facility.—

(1) Each entity involved in sorting of waste, into recyclable or non-recyclable waste, preferably from dry waste shall be registered with the local body.

- (2) It shall be the responsibility of the entity to,-

- (a) ensure that a facility operates in accordance with the guidelines prescribed by the Central Pollution Control Board, Ministry of Housing and Urban Affairs;
- (b) ensure that hazardous waste generated from any activity of the entity is managed as per the provisions under the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement)

Rules, 2016.

(3) The sorted recyclable or non-recyclable waste shall be channelized to the registered waste processing entities or recycling entities.

(4) The entity shall report to the concerned local body through the online portal regarding the quantity of solid waste received, quantity of solid waste sorted and channelized to registered waste processors or sanitary landfills on a quarterly basis by 15th of first month of next quarter.

(5) Facility or entity shall not deal with any other entity not having registration mandated under these rules.

(6) Ensure engagement of trained personnel for operation of Material Recovery Facility.

(7) The registered material recovery facilities may provide the following services, where possible, for channelization of waste for waste processing especially in those waste streams where extended producer responsibility has mandated under separate rules notified under Environment (Protection) Act, 1986,-

(i) act as an uptake point for plastic waste processors or waste processors of other waste such as e-waste or producers, importers and brand owners or obligated entities mandated to fulfil extended producer responsibility under separate rules notified under Environment (Protection) Act, 1986;

(ii) act as a deposition centre for e-waste, special care waste, sanitary waste or other waste for which separate rules have been notified under Environment Protection Act, for further channelization of wastes towards processing;

(iii) act as drop off centres or deposition centres to promote circularity in waste following principle i.e. Reduce, Reuse, and Recycle

(8) The local body shall determine the cost of service provided by the Material Recovery Facility and also the cost of the collected waste as mentioned in sub-rule (7) above, following due procedure of the local body.

10. Extended Bulk Waste Generator Responsibility Certificate for processing of waste.—

(1) Only local body is mandated to generate Extended Bulk Waste Generator Responsibility certificate on centralised online portal for fulfilment of Extended Bulk Waste Generator Responsibility obligation of bulk waste generator as per scheme given in sub-rule (38) of Rule 39.

(2) The local body shall register themselves on the centralised online portal prior to generation of Extended Bulk Waste Generator Responsibility certificates for solid waste collected from bulk waste generator and handed over to the registered waste processing facilities or recyclers.

(3) The following formula shall be used to estimate the Extended Bulk Waste Generator Responsibility certificates:

Extended Bulk Waste Generator Responsibility certificates (kilograms) = Quantity of solid waste collected, transported and sent to registered processors or recyclers by local body (kgs)

(4) Extended Bulk Waste Generator Responsibility certificates generated against the wet waste shall be generated by the local body only after the corresponding registered wet waste treatment or processing facilities to whom the waste was handed over submits report providing details of quantity of wet waste received and processed, on the centralised online portal.

(5) All such transactions shall be recorded and submitted by local body or the registered third party or the concessionaire on the centralised online portal at the time of filing annual returns.

(6) Extended Bulk Waste Generator Responsibility certificates generated by the local body in a particular year shall be valid for meeting the obligations of bulk waste generators for a period of three years.

(7) The cost of the Extended Bulk Waste Generator Responsibility certificate to be charged by the local body shall be finalized as per guidelines issued by Central Pollution Control Board in consultation with Ministry of Housing and Urban Affairs and Department of Drinking Water and Sanitation (DDWS).

(8) Local body shall collect the cost of Extended Bulk Waste Generator Responsibility certificates from bulk waste generators for fulfillment of their Extended Bulk Waste Generator Responsibility obligations.

(9) The cost charged by local body for Extended Bulk Waste Generator Responsibility certificate shall be shared with the concerned concessionaire or the third party authorised by the local body as well as with the State Pollution Control Board and could be used by local body towards development and maintenance of solid waste collection, transportation, processing infrastructure, or audit of concessionaire or the third party by State Pollution Control Board in accordance with the guidelines issued by Central Pollution Control Board in this regard.

(10) In case of non-compliance by the obligated entity, environmental compensation shall be levied.

11. Duties of the industrial units and waste to energy plants located within specified distance from refuse-derived fuel plants based on solid waste.— (1) The industrial units utilizing solid fuel shall use Refuse-Derived Fuel or Segregated Combustible Fraction or agri-residue, as the case may be, as per the table given below. The industrial units using solid fuel and located within specified distance from a solid waste based refuse-derived fuel plant shall make arrangements to replace their solid fuel requirement with combustible fraction produced from solid waste conforming with standards prescribed by Central Pollution Control Board.

TABLE

S. No.	Combustible Fraction of solid waste	Calorific value	Intended use	Specified distance	Fuel Substitution Schedule
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Segregated Combustible Fraction or agri-residue	> 1500 Kcal / kg net	Waste to energy plants or industries with boilers of heating requirements	100 km	<ul style="list-style-type: none"> At least six percent of fuel intake from the date rules come into effect
2	Refuse-Derived Fuel Grade I	> 4500 Kcal / kg net	For direct co-processing in cement kilns	400 km	<ul style="list-style-type: none"> At least ten percent of fuel intake after three years from the date rules come into effect
3	Refuse-Derived Fuel Grade II	3750 to 4500 Kcal / kg net	For direct co-processing in cement kilns	400 km	<ul style="list-style-type: none"> At least fifteen percent of fuel intake after six years from the date rules come into effect
4	Refuse-Derived Fuel Grade III	3000 to 3750 Kcal / kg net	For co-processing directly or after processing with other waste materials in cement kilns	400 km	<ul style="list-style-type: none"> At least fifteen percent of fuel intake after six years from the date rules come into effect

(2) All such industrial units shall register with the concerned State Pollution Control Board and shall file annual returns on use of Refuse-Derived Fuel (RDF) or Segregated Combustible Fraction (SCF) or agri residue through centralised online portal by 30th June every year.

(3) All Refuse-Derived Fuel plants and Material Recovery Facility cum Refuse-Derived Fuel plants shall register and report availability of Refuse-Derived Fuel along with quality report of the available Refuse-Derived

Fuel or Segregated Combustible Fraction as per guidelines issued by Ministry of Housing and Urban Affairs, on the centralised online portal on a monthly basis.

(4) Refuse-Derived Fuel plants to report real time on the availability and off take of Refuse-Derived Fuel through centralised online portal.

(5) Refuse-Derived Fuel or Segregated Combustible Fraction plants supplying waste to WtE Plants to ensure that the calorific value is at least 1500 Kcal/kg.

(6) Refuse-Derived Fuel or Segregated Combustible Fraction plants supplying waste to Cement Plants to ensure that the calorific value is 3000 Kcal/kg.

12. Criteria and actions to be taken for solid waste management in hilly and island areas.— In the hilly areas and island areas, the duties and responsibilities of the local authorities shall be as under,-

(i) may levy and collect fee from visitors or tourists (not permanent residents in the municipal limits) for handling and management of solid waste and may also take measures to regulate the number of visitors in accordance with the waste handling capacity of the local authority;

(ii) construction of landfill on hilly and island areas shall be avoided. A transfer station at a suitable enclosed location shall be setup to collect residual waste from the processing facility and inert waste. A suitable land shall be identified in the plain areas down the hill, within 25 kilometers for setting up sanitary landfill. The residual waste from the transfer station shall be disposed of at this sanitary landfill;

(iii) in case of non-availability of such land, efforts shall be made to set up regional sanitary landfill for the inert and residual waste;

(iv) local body shall frame bye-laws and prohibit citizens from littering solid waste on the streets and give directions to the tourists not to dispose any waste such as paper, water bottles, liquor bottles, beverage containers including soft drink bottles, cans, tetra packs, any other plastic or paper waste in the hilly areas or down the hills and instead direct to deposit such solid waste in litter bins that shall be placed by the local body at all tourist destinations;

(v) local body shall arrange to convey the provisions of solid waste management under the bye-laws to all tourists visiting the hilly and island areas at the entry point in the town as well as through the hotels, guest houses where they reside and by putting suitable hoardings at tourist destinations ;

(vi) local body may levy solid waste management charge from the tourist at the entry point to make the solid waste management services sustainable;

(vii) the department in- charge of the allocation of land assignment shall identify and allot suitable space on the hills and islands for setting up decentralised waste processing facilities. Local body shall set up such facilities. Step garden system may be adopted for optimum utilisation of hill space;

(viii) villages on Islands shall have designated waste collection points where segregated non-biodegradable waste is temporarily stored before transportation for further processing, as per the guidelines issued by the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee;

(ix) fishermen, boat operators, and tourism operators in coastal areas on islands shall manage solid waste generated in responsible manner by handing over the waste to local body or agency authorised by local body or depositing at designated collection points and shall not litter the waste on coast or at sea;

(x) decentralised processing of waste by hotels and restaurants to be encouraged as per site specific requirements, as per guidelines developed by concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee.

13. Criteria for waste to energy process.—(1) Non-recyclable waste having calorific value of 1500 Kcal/kg or more shall not be disposed of on landfills and shall only be utilised for generating energy either or through refuse derived fuel or by giving away as feedstock for preparing refuse derived fuel as per standards prescribed by Central Pollution Control Board.

(2) High calorific waste covered in sub-rule (1) of rule 11 shall be used for co-processing in cement or thermal power plants or waste to electricity plants or by other industries approved by Central Pollution Control Board. Such units for continued operation need to adhere to the environmental standards prescribed in the rules.

(3) The local body or an operator of facility designated by the local body proposing to set up waste to energy plant which has calorific value of 1500 Kcal per kg or more shall submit an application in Form I to the State Pollution Control Board, as the case may be, for authorization under the rules. The State Pollution Control Board, on receiving such application for setting up of waste to energy facility, shall examine the same and grant permission within sixty days.

(4) Establishment, operation and maintenance of waste to energy facilities shall be authorised by concerned State Pollution Control Board, in accordance with the guidelines issued by Central Pollution Control Board in this regard.

Chapter III Sanitary landfills

14. Establishment, Operation and Maintenance of Sanitary Landfill.— (1) Urban Development Department or the Department in charge of Municipal Administration or Local Self Government, as well as Rural Development Department or the Department in charge of solid waste management in rural areas of State Government or Union territory administration or the Panchayati Raj Department shall identify land for the establishment of Sanitary Landfill, in accordance with regional or cluster approach as per State Solid Waste Management Policy and Strategy in urban areas as well as rural areas.

(2) The department in- charge of the allocation of land assignment at district level shall be responsible for making available the land parcel to the concessionaire or third party identified by State Government or Union territory administration Urban Development Department or the Department in charge of solid waste management in rural areas in the concerned urban local body or the rural local body under whose jurisdiction the land parcel is present.

(3) The concerned local body shall identify eligible agencies for establishment, construction, operation and maintenance of Sanitary Landfill as per Schedule II following time line prescribed in Schedule I;

(4) Only non-usable, non-recyclable, non-biodegradable dry waste, non-combustible, non-energy recoverable dry waste, non-reactive inert waste, pre-processing rejects and residues from waste processing facilities, residual waste and inerts shall be disposed of in the sanitary landfill. No wet waste or construction and demolition waste shall be disposed in the sanitary landfill:

Provided that the concerned department shall determine and notify Sanitary Landfill user fee, on weight basis, on the concerned urban local body or rural local body or the third party or concessionaire engaged by urban or rural local body, on the quantum of unsegregated waste or recyclable or energy recoverable waste or unprocessed wet waste or construction and demolition waste sent for disposal to the Sanitary Landfill, till the time adequate waste processing facilities are put in place, after which, unsegregated waste cannot be disposed of in the sanitary landfill;

Provided further that operator of the sanitary landfill shall send the unsegregated waste or recyclable or energy recoverable waste or unprocessed wet waste or construction and demolition waste for further processing to respective processing facilities;

Provided further that in case linkage of the sanitary landfill operator with waste processing is not existing, the concerned urban local body or rural local body or the third party or concessionaire engaged by urban or rural local body shall not be permitted to deposit such waste at the operational landfill;

(5) The Sanitary Landfill user fee levied for unsegregated waste or recyclable or energy recoverable waste or unprocessed biodegradable waste or construction and demolition waste shall be higher than the collection,

transportation and waste processing costs. The user fee so collected shall be deposited in a separate account operated by the local body and shall be used towards processing of unsegregated waste or recyclable or energy recoverable waste or unprocessed biodegradable waste at the sanitary landfill and further development solid waste management infrastructure of the local body.

(6) Agencies identified for operating the Sanitary Landfill shall charge fees for inerts and other allowed waste disposed at sanitary landfill by local body or third party or concessionaire authorised by it, in accordance with guidelines of Central Pollution Control Board and recommendations of State Pollution Control Board in this regard. Such sanitary landfill user fees to be levied shall be determined by the Urban Development Department or the Department responsible for municipal administration in the State Government and Union territory Government, based upon guidelines of Central Pollution Control Board.

(7) The concerned State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee or an registered environment auditor, shall undertake audit on the operation of sanitary landfill for environmentally sound disposal of non-recyclable and non-energy recoverable dry waste and inerts as per guidelines prescribed by Central Pollution Control Board. The audit report for a particular financial year shall be uploaded by the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee on the centralised online portal by 31st December of the next financial year.

(8) The operator of Sanitary Landfill shall register under these rules on the centralized portal and shall file annual returns in prescribed proforma regarding quantum of waste deposited on centralised online portal by 30th June every year.

(9) Sanitary Landfill shall be operated in an environmentally sound manner as per the guidelines prescribed by Central Pollution Control Board.

(10) The operator of the Sanitary Landfill shall submit quarterly report on details of operation of sanitary landfill to the District Magistrate and on the centralised online portal .

(11) The concerned District Magistrate shall ensure that the Sanitary Landfill is operated as per provisions of these rules.

15. Environmentally sound management of existing solid waste dumpsites including solid waste dumped on land under the jurisdiction of entities. — (1) All existing solid waste dumpsites or garbage vulnerable points to be geographically mapped and assessed for accumulation of solid waste by 31 October 2026 in urban areas and rural areas. This shall be done by the concerned local body in their jurisdiction. This information shall be made available on the centralised online portal as well as the website of the local body.

(2) All legacy solid waste dumpsites to be biomined and bioremediated, as practicable and update the progress of the same on centralised online portal as well as on the website of the local body every quarter by 30th of the first month of next quarter.

(3) Local bodies should prepare time bound Action plan for bio mining or bioremediation of dumpsites following procedures as per Central Pollution Control Board Guidelines for Disposal of Legacy waste and the same shall be uploaded on the Centralised Online Portal.

(4) The local body shall ensure the following while undertaking bio-mining and bioremediation of legacy waste dumpsite:

- (i) analysis of various screened fractions materials. Refuse-Derived Fuel, fine earth, bio earth etc prior to its disposal or utilisation given in Guidelines issued by Central Pollution Control Board;
- (ii) plan for utilisation or disposal of screened fractions
- (iii) maintenance of records or documents for disposal or utilisation of Refuse-Derived Fuel or fine earth and other materials
- (iv) adequate provisions for leachate treatment
- (v) undertake fire prevention measures on dumpsite as prescribed in Schedule IV.

(5) The concerned local body shall undertake compulsory disclosure by project executing agency of the

proposed destination or processes to be used for different fractions of biomined solid waste from legacy waste dumpsites such as fine soil, Refuse-Derived Fuel and Construction & Demolition waste.

(6) Leachate generated from the dumpsite and any fine soil to be sent for use in agricultural fields will be tested for environmental safety as per standard prescribed by Central Pollution Control Board. Refuse-Derived Fuel to be channelized for energy recovery and construction & demolition waste to be sent for processing as per the standards prescribed by Central Pollution Control Board.

(7) Local Body shall not dispose fresh solid waste and other waste including construction and demolition waste on legacy waste dumpsites where biomining and bioremediation is being undertaken.

(8) The concerned local body shall ensure, through a third party authorised by State Pollution Control Board, that biomining or bioremediation of legacy waste is done in an environmentally sound manner as prescribed in these rules and shall file quarterly returns by 30th of subsequent month on centralised online portal as well as on the website of the local body.

(9) The concerned State Pollution Control Board shall enforce prescribed environmental norms for biomining or bioremediation or closure as prescribed by Central Pollution Control Board.

(10) The concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee or the Registered Environment Auditor authorised by it, shall undertake annual audit on the progress achieved in bio-mining and bio-remediation of existing dumpsites or closing of dumpsite, as applicable. An audit report for a particular financial year shall be uploaded by the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee on the centralised online portal as well as on the website of the local body by 31 December of the next financial year.

(11) The concerned State Government or land owning agency may consider using the vacant land of dumpsite after clearing waste or legacy waste, for the establishment of solid waste management infrastructure, subject to applicable regulations.

Chapter IV **Implementation Framework**

16. Centralised Online Portal.—(1) Central Pollution Control Board shall establish and operate an online system for the registration as well as for filing annual returns of all obligated entities under these rules within six months of commencement of these rules. The system shall also ensure registration as well as for filing annual returns by local bodies and the concerned entities for solid waste management within six months of commencement of these rules.

(2) The dashboard of centralised online portal shall provide details of solid waste management including solid waste generated, collected, processed and landfilled at national, state and district level including data for urban local bodies and rural local bodies. Such data shall be made available in the public domain.

(3) The portal shall provide details of sanitary landfills and legacy waste dumping sites, as applicable. Such data shall be made available in the public domain.

(4) The State Pollution Control Board and local bodies or authorities shall use centralised online portal for registration of obligated entities. The portal shall have separate modules for obligated entities for specifying solid waste management activities.

(5) The Centralised online portal would act as the single point data repository with respect to orders and guidelines related to implementation of these rules.

(6) Centralised online portal shall reflect the details of the solid waste received, sorted and sent to processors and to Sanitary Landfill Facility or operational landfills.

(7) Centralised online portal shall also reflect the details regarding the audit of the entities involved in solid waste management including collection, treatment or processing or recycling and disposal.

(8) The Central Pollution Control Board may charge fees from the obligated entities for the use of the portal as per the guidelines prepared by Central Pollution Control Board except for local bodies, State Government and Central Government.

(9) Ministry of Housing and Urban Affairs, Department of Drinking Water and Sanitation and Department for Promotion of Industry and Internal Trade may assist Central Pollution Control Board in the development of centralised online portal.

17. Imposition of Environmental Compensation.— (1) The Environmental Compensation shall be levied based upon polluter pays principle on persons, who are not complying with the provisions of these rules, including the following activities:—

- (a) entities carrying out activities without registration as mandated under these rules;
- (b) entities providing false information or willful concealment of material facts by the entities registered under these rules;
- (c) entities submitting forged or manipulated documents by the entities registered under these rules;
- (d) entities engaged in collection, segregation, sorting, transportation, processing and disposal of solid waste .

(2) Central Implementation Committee constituted by Central Pollution Control Board under these rules shall prepare guidelines for imposition and collection of environment compensation from entities involved in collection, sorting, transportation and treatment or processing of solid waste and disposal, in case of violation or non-compliance under these rules.

(3) The environment compensation shall be levied by the concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee for non-compliance of responsibilities and obligations set out under these rules, as per guidelines prepared by Central Pollution Control Board based upon the provisions in these rules. In case, the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee does not take action in reasonable time, the Central Pollution Control Board shall issue directions to the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee.

(4) The funds collected under environmental compensation shall be kept in a separate escrow account by State Pollution Control Board or Pollution Control Committee, for the purpose and the funds collected shall be utilized related to collection, segregation, transportation and treatment or processing of solid waste and disposal. Modalities for utilization of the funds for solid waste management would be recommended by the Central Implementation Committee and approved by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(5) In addition to the provisions of Environmental Compensation in sub-rule (1) of rule 17, action under section 15 of the Environment (Protection) Act 1986, may also be taken.

18. Committee for Effective Implementation at Central level.— (1) A committee shall be constituted by the Central Pollution Control Board under chairpersonship of the Chairman, Central Pollution Control Board to recommend measures to Ministry of Environment, Forest and Climate Change for effective implementation of these rules.

(2) The committee shall monitor the implementation of these rules and also take such measures as required for removal of difficulties.

(3) The committee shall also be tasked with the guiding and supervision of the development and operation of the online centralised portal.

(4) The committee shall comprise of representatives from concerned Central Ministries or Departments, all State Pollution Control Board, expert institutions such as National Environmental Engineering Research Institute and stakeholders such as associations representing obligated entities, treatment facility providers and any other stakeholders as invited by the chair of the committee.

19. Committee for Effective Implementation at State level.— (1) A committee shall be constituted under chairpersonship of the Chief Secretary or the Head of the Union territory administration of the concerned State or the Union territory, as the case may be, to recommend measures to State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee or Central Pollution Control Board for effective implementation of these rules.

(2) The committee shall monitor the implementation of these rules and also take such measures as required for removal of difficulties at the state level.

(3) The committee shall comprise of representatives from concerned State Departments, State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee, expert institutions such as National Environmental Engineering Research Institute and stakeholders such as obligated entities, treatment facility providers and any other stakeholders as invited by the chair of the committee.

20. Annual report.— (1) Every registered bulk waste generator shall submit online annual report in the format prescribed by Central Pollution Control Board and the operator of waste treatment facility shall prepare and submit online an annual report in Form III to the local body concerned and the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee concerned by the 30th June of every year.

(2) Every urban local body and Panchayat or Panchayati Raj Institutions at District Level shall prepare and submit an annual report through the centralised online portal to the Urban Development Department and to Rural Development Department, respectively, and also to the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee by the 30th June every year.

(3) The State Pollution Control Board or Pollution Control Committee concerned shall cause the report submitted by the urban local body and District level Panchayati Raj Institutions to be audited by itself or through a Registered Environment Auditor engaged by it and copy of the report of such audit and the annual report shall be made available on website of State Pollution Control Board concerned.

(4) The State Pollution Control Board or Pollution Control Committee shall prepare and submit online an annual report through the centralised online portal to the Central Pollution Control Board on the implementation of these rules and action taken against non-complying local body by the 31st day of July of each year in Form V.

(5) The Central Pollution Control Board shall prepare a consolidated annual report on the implementation of these rules and submit to the Central Government (Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Ministry of Housing and Urban Affairs and Department of Drinking Water and Sanitation) along with its recommendations on or before the 31st August of every year. The annual report shall be reviewed by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change during the meeting of Central Monitoring Committee.

21. Accident reporting.— In case of an accident at any solid waste processing or treatment or disposal facility or landfill site, the Officer- in- charge of the facility shall report to the local body in Form VI and the local body shall review and issue instructions if any, to the in- charge of the facility.

Chapter V

Roles and Responsibilities

22. Duties of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.— (1) The Ministry of Environment, Forest and Climate Change shall be responsible for overall monitoring of the implementation of these rules in the country. It shall constitute a Central Monitoring Committee under the Chairpersonship of Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change comprising officer not below the rank of Joint Secretary from the following, namely,-

- (a) Ministry of Housing and Urban Affairs
- (b) Department of Drinking Water and Sanitation
- (c) Department of Rural Development
- (d) Ministry of Panchayati Raj
- (e) Department of Fertilizers
- (f) Department of Agriculture and Farmers Welfare
- (g) Department of Agricultural Research and Education
- (h) Central Pollution Control Board
- (i) Three State Pollution Control Boards or Pollution Control Committees, by rotation
- (j) Urban Development Department of three State Governments by rotation
- (k) Rural Development Departments from two State Governments by rotation
- (l) Department dealing with local self-government in urban areas of three State Governments by rotation

- (m) Department dealing with local self-government in rural areas of three State Governments by rotation
- (n) Three Urban Local bodies by rotation
- (o) Three district level panchayat raj institutions by rotation
- (p) Two industry associations
- (q) Two subject experts

(2) This Central Monitoring Committee shall meet at least once a year to monitor and review the implementation of these rules. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change may co-opt other members, if needed. The Committee shall be reconstituted every three years.

23. Duties of the Ministry of Housing and Urban Affairs.— The Ministry of Housing and Urban Affairs shall coordinate with State Governments and Union territory administrations to,—

- (i) take periodic review of the measures taken by the States or Union territory and local bodies for improving solid waste management as well as implementation of solid waste management projects funded by the Ministry and external agencies at least once in a year and give advice on taking corrective measures;
- (ii) facilitate preparation of action plans, through States or Union territory Urban Development Department or Department dealing with local self government in urban areas, by all the local bodies in urban areas to comply with the provisions under these rules for urban areas;
- (iii) facilitate filing of annual reports, through States or Union territory Urban Development Department or Department dealing with local self government in urban areas, by all local bodies regarding compliance of the provisions under these rules by 30th June of the next financial year;
- (iv) Develop guidelines for solid waste management in urban areas including projection of waste generation in all urban areas, assessment of waste management infrastructure in all urban areas, policy on waste to energy in consultation with stakeholders within one year from the date of publication of these rules, and shall undertake this exercise every five years and upload on the centralised online portal thereafter;
- (v) facilitate States and Union territories in formulation of state policy and strategy on solid waste management in urban areas including projection of waste generation in all urban areas, assessment of waste management infrastructure in all urban areas, policy on waste to energy in consultation with stakeholders taking into account guidelines on solid waste management by 30th September 2026, and shall undertake this exercise every five years;
- (vi) promote research and development in solid waste management sector and disseminate information to States and local bodies;
- (vii) assist and facilitate training and capacity building of local bodies and other stakeholders by respective States or Union territory;
- (viii) provide or facilitate access to technical guidelines and project finance to States, Union territories and local bodies for solid waste management to facilitate compliance of provisions under these rules including meeting of timelines and standards;
- (ix) assist States or Union territory in facilitating integration of informal sector of waste processors including waste pickers by local bodies;
- (x) develop overall implementation guidelines i.e. Manual on Solid Waste Management and other required Advisories including model bid documents and concession document or Request for proposal;
- (xi) facilitate provision of adequate coverage of environmentally sound waste management systems across the country;
- (xii) develop effective strategy for awareness generation on use of by-products out of solid waste;
- (xiii) conduct suitable capacity building and training of personnel engaged in solid waste management at State or Urban Local Body level;
- (xiv) disseminate national and international successful models to urban local bodies;
- (xv) development of guidance or best practices for waste management, particularly on segregation, to be used as reference by local bodies.
- (xvi) to set up Material Recovery Facilities in all cities as per timelines prescribed in Schedule I ;
- (xvii) Facilitate the inclusion of the provisions of these rules in bye-laws of urban local bodies;
- (xviii) prepare guidelines for user fees including the Extended Bulk Waste Generator Responsibility Certificate cost to be paid by bulk waste generator in consultation with Central Pollution Control Board taking into consideration establishment, operation and maintenance of solid waste management infrastructure and associated activities for solid waste management;

- (xix) review technologies including new technologies related to treatment of solid waste for techno-economic viability;
- (xx) issue guidelines about technologies and standards with regard to recycling or recovery or treatment or processing of solid waste;
- (xxi) prepare and update guidelines from time to time for composting for different sizes of facilities in residential and gated communities; drive circular economy initiatives across all solid waste components and value chain through effective implementation of this rules.

24. Duties of the Department of Drinking Water and Sanitation.— The Department of Drinking Water and Sanitation, shall,-

- (i) take periodic review of the measures taken by the State or Union territory and local bodies for improving solid waste management as well as implementation of solid waste management projects funded by the Ministry and external agencies at least once in a year and give advice on taking corrective measures;
- (ii) facilitate States and Union territories in formulation of state policy and strategy on solid waste management in rural areas taking into account the provisions under these rules including rural perspective and urban-rural linkages to achieve scale of economy;
- (iii) ensure that States and Union territories prepare and upload state policy and strategy on solid waste management in rural areas based on provisions under these rules by 31st September 2026;
- (iv) promote research and development in solid waste management in rural areas and disseminate information to States and local bodies;
- (v) undertake training and capacity building of rural local bodies and other stakeholders;
- (vi) provide technical guidelines and project finance to the States or Union territories for rural local bodies on solid waste management to facilitate meeting timelines and standards of these rules;
- (vii) develop effective strategy for awareness generation on use of by-products out of solid waste;
- (viii) conduct suitable capacity building and training of personnel engaged in solid waste management at State or Panchayati Raj Institution level;
- (ix) disseminate national and international successful models to Panchayati Raj Institutions or Gram Panchayats;
- (x) to set up Material Recovery Facilities (MRFs) covering all rural areas as per Schedule I;
- (xi) prepare guidelines for user fees including the cost of Extended Bulk Waste Generator Responsibility Certificate charge to be paid by bulk waste generator in consultation with Central Pollution Control Board taking into consideration establishment, operation and maintenance of solid waste management infrastructure and associated activities for solid waste management.

25. Duties of the Department of Fertiliser, Ministry of Chemicals and Fertilisers.— (1) The Department of Fertiliser through appropriate mechanisms shall,-

- (i) incentivise by-products;
- (ii) ensure promotion of co-marketing of compost with chemical fertilisers in the ratio of 3 to 4 bags : 6 to 7 bags by the fertiliser companies to the extent compost is made available for marketing to the companies;
- (iii) promote home composting through incentives;
- (iv) ensure reporting of offtake of organic manure by fertilizer companies by the 30th June every year on the centralised online portal;
- (v) develop guidelines for grading of organic manure for differential pricing.

(2) may consider providing subsidy for uptake of organic fertilizer by fertilizer companies;

(3) may promote sale of organic manure with chemical fertilizers by the fertilizer companies to the extent organic manure or compost is available to the fertilizer companies;

(4) may extend market development assistance for organic manure and city compost. Information about any such assistance every year shall be uploaded on its website by the 30th June of the next financial year including quantity of organic manure that got such assistance.

26. Duties of the Department of Agriculture and Farmers Welfare.— (1) The Department of Agriculture and Farmers Welfare, through appropriate mechanisms shall,-

- (i) develop or update standards under Fertilizer (Control) Order for the use of organic manure produced by composting or biogas or biomethanation facilities and upload on the centralised online portal by the 30th June, 2026;
- (ii) prepare guidelines for application of organic manure generated out of biodegradable waste i.e. the ratio of use of organic manure vis-a-vis chemical fertilizers on agricultural land and upload on the centralised online portal by the 30th June, 2026;
- (iii) develop or update guidelines for quality checks of organic manure produced by composting or biogas or biomethanation facilities and upload on the centralised online portal by the 30th June, 2026;
- (iv) develop or update guidelines for preparation of organic manure from wet waste and upload on the centralised online portal by the 30th June, 2026;
- (v) promote developing compost testing facilities;
- (vi) set up laboratories or empanel third party by engagement with State Agriculture departments in all districts by 30 September, 2026 to test quality of organic manure produced by local authorities or their authorised agencies or any entity;
- (vii) prepare guidelines for home composting, both urban and rural areas;

(2) Develop Standard Operating Procedures for all types of organic manure making units for meeting Fertilizer (Control) Order standards.

(3) Develop guidelines for grading of organic manure of all types.

27. Duties of the Ministry of Power.— The Ministry of Power through appropriate mechanisms shall decide tariff or charges for the power generated from the waste to energy plants based on solid waste and regular revision thereafter and compulsory purchase of power generated from such waste to energy plants by distribution company.

28. Duties of the Ministry of New and Renewable Energy.— The Ministry of New and Renewable Energy Sources, through appropriate mechanisms, shall, promote innovative ways of recycling or environmentally sound disposal of different kinds of solid waste;

29. Duties of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.— Development of certification and operate skill development programmes including recognition of prior learning programmes and training manuals for manpower engaged in waste management sector such as operating Material Recovery Facility and other waste processing facilities.

30. Duties of the Ministry of Petroleum and Natural Gas.— The Ministry of Petroleum and Natural Gas shall,- (i) incentivise biogas plants; buy out biogas and prepare or publish annual reports on such measures; converge with stakeholder Ministries for promoting biomethanation and prepare or publish annual reports on such measures and ensure pipeline connectivity for Compressed Biogas plants for off-take of Compressed Biogas.

31. Duties of the Department of Revenue Ministry of Finance.— The Ministry of Finance may give duty incentives for import of machinery or equipment of waste processing plants; give tax incentives for waste processing plants.

32. Duties of the Department for Promotion of Industry and Internal Trade.— The Department for Promotion of Industry and Internal Trade shall provide facility of National Single Window System (NSWS) for authorization of waste processing facilities by State Pollution Control Boards or Pollution Control Committees.

33. Duties of the Ministry of Education and Education Department in State and Union territory

Governments.—Ensure inclusion of solid waste management in school curriculum appropriately.

34. Duties of the Ministry of Panchayati Raj.—Ensure the provisions of these rules are included in the bye-laws of rural local bodies.

35. Duties of the Department of Urban Development and Department responsible for municipal administration or local self-government in urban areas in the States and Union territories.— (1) Department of Urban Development or the Department responsible for municipal administration or local self-government in urban areas, including peri urban areas, in the State or Union territory shall,-

- (i) prepare a state policy and strategy on solid waste management for urban areas in convergence with State or Union territory Rural Development Department for rural areas in order to ensure implementation of these rules inter alia covering projection of waste generation, assessment of waste management infrastructure, requirement of collection and transportation solid waste, establishment of Material Recovery facilities, requirement of biomethanation plants for wet waste processing, waste to energy plants, establishment of collection centres for special care waste, establishment of incinerators and linkages with common biomedical waste processing facilities for sanitary waste management, establishment and operation and maintenance of sanitary landfills, use of IT enabled governance for effective monitoring and tracking, incentives for private developers for waste processing especially for biomethanation, establishment of compost testing facilities, levy of user fee and sanitary landfill fee, integration of waste pickers involved in solid waste management, viz., collection, segregation and sorting of waste, channelization, decentralised wet waste management, through identification, enumeration and registration with local body or third party agency authorised by local body, self-help groups and similar groups working in the field of solid waste management consistent with these rules taking into account national guidelines on solid waste management of the Ministry of Housing and Urban Affairs within one year of date of notification of these rules in the Official Gazette and upload it on the centralised online portal, and shall undertake this exercise after every 5 years;
- (ii) emphasize on waste reduction, reuse, recycling, recovery and optimum utilisation of various components of solid waste to ensure inerts and non biodegradable and non-recyclable, non-energy recoverable waste going to the landfill to minimise impact of solid waste on human health and environment;
- (iii) integrate in state policies and strategies the informal sector of waste processors including waste pickers, waste collectors and recycling industry in reducing waste and provide broad guidelines in this regard;
- (iv) explore generation of carbon credits from solid waste management by local bodies.

(2) Department of Urban Development and Department responsible for municipal administration or local self-government in urban areas, including peri urban areas, in the States and Union Territories shall,-

- (i) ensure implementation of these rules by all local authorities;
- (ii) take measures for viability gap funding in case of collection, segregation, sorting, transportation, processing or treatment and disposal facilities;
- (iii) plan activities for improving acceptability of organic manure— prepare and disseminate guidelines and framework for Information, Education and Communication (IEC) activities;
- (iv) ensure that the fee collected shall be used in installation, operation and maintenance of infrastructure and activities related to solid waste management;
- (v) ensure the implementation or upgradation of solid waste management and improve coverage of solid waste management infrastructure to meet the hundred per cent segregation, collection, sorting, transportation treatment or processing and disposal capacity;
- (vi) set up a State Level Steering Committee on circular economy in solid waste processing or recycling & reuse;
- (vii) provide incentives (such as tax benefits) for residential societies and other bulk waste generators for having in-situ wet waste treatment facilities;
- (viii) ensure that all local bodies onboard online centralised portal regarding all solid waste management infrastructure and activities including collection, sorting, transportation, processing and disposal within one year from the publication of these rules and get it annually updated by the 30th June of the every year;
- (ix) give recognition awards acknowledging the best performing urban local body in the State or Union territory;
- (x) shall engage with District Magistrates along with Municipal Commissioners or Chief Executive Officers of each Urban Local Body to organize one week campaign to review the status and operational conditions of solid waste management infrastructure facilities as well as activities in all the urban areas in fourth week of June each year;
- (xi) encourage Public-Private Partnership mode models for solid waste management;

- (xii) direct the town planning department of the State or Union territory to ensure that master plan of every city in the State or Union territory have provisions for setting up of solid waste processing and disposal facilities except for the cities who are members of common waste processing facility or regional sanitary or operational landfill for a group of cities; to upload all the master plans by 30 September 2026;
- (xiii) ensure identification and allocation of suitable land for setting up solid waste management infrastructure to local authorities in order to implement provision of these rules and incorporate them in the master plans (land use plan) of the State oras the case may be, cities through metropolitan and district planning committees or town and country planning department;
- (xiv) direct the town planning department of the State and local bodies to ensure that a separate space for segregation,storage, decentralised processing of solid waste is demarcated in the development plan for group housing or commercial, institutional or any other non-residential complex which are exceeding 200 dwelling or having a plot area exceeding 5,000 square meters and bulk waste generators ensure the uploading of such information on the centralised online portal;
- (xv) direct the new as well as existing developers of Special Economic Zone, Industrial Estate, Industrial Park to comply with all the provisions relating to bulk waste generators;
- (xvi) facilitate establishment of common regional sanitary or operational landfill for a group of cities and towns falling within a distance of 50 km (or more) from the regional facility on a cost sharing basis and ensure professional management of such sanitary or operational landfills and upload all information on the centralised online portal;
- (xvii) arrange for capacity building of local bodies in solid waste management including segregation, collection, sorting, transportation or processing of such waste;
- (xviii) notify buffer zone for the solid waste processing and disposal facilities of more than five tons per day in consultation with the State Pollution Control Board following the guidelines published by Central Pollution Control Board in this regard and upload the information on the centralised online portal in respect of all such facilities;
- (xix) ensure registration of waste pickers working with the local authority or authorised third party or concessionaire agency including self help groups and upload information on the centralised online portal by 30th June every year;
- (xx) focus on zero waste to landfill approach through the community participation including Resident Welfare Associations, market associations and concessionaire or third party;
- (xxi) carry out regular circularity based assessments at State level with ranking system;
- (xxii) create effective strategy for awareness creation on use of by-products out of wet waste processing to public;
- (xxiii) get competitions organized for the recognition of best schools, hospitals, institutions in terms of solid waste management at the state as well as district level.
- (xxiv) The department in-charge of the allocation of land assignment shall be responsible for providing suitable land for setting up of the solid waste processing and treatment facilities and notify such sites by the State Government or Union territory administration

36. Duties of the Department of Rural Development and Department responsible for local self-government in rural areas in the States and Union territories.—(1) The Department of Rural Development and or the Department responsible for sanitation and solid waste management in rural areas, including villages in peri urban areas, in the State or Union territory shall prepare a state policy and strategy on solid waste management in rural areas in convergence with the Urban Development Department or the Department dealing with municipal administration or local self-government covering projection of waste generation, assessment of waste management infrastructure, namely,—

- (i) vehicles for collection and transportation, collection and segregation centres, compost pits; and
- (ii) biogas units for wet waste, gap analysis, linkage with waste processing infrastructure in urban areas, integration of waste pickers involved in solid waste management, viz., collection, segregation and sorting of waste, channelization, decentralised wet waste management, through identification, enumeration and registration with local body or third party agency authorised by local body, self-help groups and similar groups working in the field of solid waste management consistent with these rules taking into account guidelines on solid waste management issued by Department of Drinking Water and Sanitation within one year from date of notification of these rules in the Official Gazette and upload it on the centralised online portal, and shall undertake this exercise after every five years.

(2) The Department of Rural Development be designated as nodal department and Department dealing with panchayati raj institutions or local self-government in rural areas, including villages in peri urban areas, as co-nodal department for ensuring implementation of provisions under these rules in rural areas.

(3) The Department of Rural Development and Department responsible for sanitation and solid waste management in rural areas in the States and Union territories shall,—

- (i) ensure implementation of these rules by all local authorities;
- (ii) take measures for viability gap funding in case of collection or treatment facilities;
- (iii) plan activities for improving acceptability of organic manure – prepare and disseminate guidelines and framework for Information, Education and Communication activities;
- (iv) ensure that the fee collected shall be used in installation, operation and maintenance of infrastructure related to solid waste management;
- (v) Special attention needs to be given to villages in peri-urban areas to ensure the implementation or upgradation of solid waste management and improve coverage of solid waste management infrastructure to meet the hundred percent segregation, collection, sorting, transportation, treatment or processing and disposal capacity;
- (vi) set up a State Level Steering Committee on circular economy in solid waste processing or recycling & reuse;
- (vii) provide incentives (such as tax benefits) for residential societies and other bulk waste generators for having in-situ wet waste or horticulture waste treatment facilities;
- (viii) shall ensure that all local bodies onboard online centralised portal regarding all solid waste management infrastructure including collection, sorting, transportation, processing and disposal by 30 June 2026 and get it annually updated by 30th June every year;
- (ix) give recognition awards acknowledging the best performing rural local body in the State or Union territory;
- (x) shall organise one-week campaign to review the status and operational conditions of solid waste management infrastructure facilities as well as activities in all the rural areas in fourth week of June each year;
- (xi) create Public-Private Partnership mode models for solid waste management infrastructure;
- (xii) set the way forward for biogas economy by drawing up a policy and strategy for implementation;
- (xiii) provide incentives to private developers to invest in the biogas or biomethanation and composting economy;
- (xiv) explore generation of carbon credits from solid waste management by local bodies;
- (xv) impose fines or taxes on indiscriminate dumping of waste;
- (xvi) develop district level waste processing parks, under the District Collector for enabling local bodies to meet statutory requirements;
- (xvii) monitor dry waste processing and rejects at the local body level to reduce landfilling;
- (xviii) mandate and enforce segregation, integration of informal sector and capacity building initiatives through inclusion in contracts;
- (xix) impose penalties in case of non-compliance;
- (xx) set up material recovery facilities, connected to waste processing facilities;
- (xxi) engage with District level Panchayati Raj Institutions for developing dashboards for digitally capturing waste collection and management records.

(4) Suitable State department may be designated as Nodal department to coordinate with other departments through a high-level committee for required infrastructural and policy needs.

(5) The specific measures for preventing and controlling environmental pollution by rural household waste shall be formulated in local regulations.

37. Duties of the District Magistrate or District Collector or Deputy Commissioner.— The District Magistrate or District Collector or as the case may be, the Deputy Commissioner shall,-

- (i) facilitate identification and allocation of suitable land for setting up solid waste processing and disposal facilities to local authorities in his district in close coordination with State Urban Development Department or State Rural development Department and upload on centralised online portal by the 30th June every year;
- (ii) review the performance of local bodies, at least once in a quarter on waste segregation, collection, sorting, processing, treatment and disposal and take corrective measures in consultation with Department of Urban Development and Department responsible for local self-government in urban areas as well as Department of Rural Development and Department responsible for solid waste management in rural areas and upload the minutes of review meeting on the portal of local body;
- (iii) include the prevention and control of environmental pollution by solid waste in their plans for economic and social development and adopt economic and technical policies and measures that facilitate the prevention and control of environmental pollution by solid waste.
- (iv) District Collector or Sub Divisional Magistrate may undertake inspection or audit of solid waste processing or recycling facilities falling under their jurisdiction. District Collector shall ensure that the sanitary landfill is operated as per provisions of these rules.
- (v) District Magistrate or District Collector or Deputy Commissioner shall ensure urban rural convergence of Sanitary landfills, common waste processing plants (of any kind) and any other common waste management facility.

38. Duties of the Central Pollution Control Board.— (1) The Central Pollution Control Board shall,-

- (i) co-ordinate with the State Pollution Control Boards and the Pollution Control Committees for implementation of these rules and adherence to the prescribed standards by all stakeholders;
- (ii) formulate the standards for ground water, ambient air, noise pollution, leachate in respect of all solid waste processing and disposal facilities;
- (iii) review environmental standards and norms prescribed for solid waste processing facilities or treatment technologies and update them as and when required;
- (iv) review through State Pollution Control Boards or Pollution Control Committees, at least once in a year, the implementation of prescribed environmental standards for solid waste processing facilities or treatment technologies and compile the data monitored by them;
- (v) monitor through State Pollution Control Boards or Pollution Control Committees the implementation of these rules by local bodies;
- (vi) prepare an annual report on implementation of these rules on the basis of reports received from State Pollution Control Boards and Pollution Control Committees and submit to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the report shall also be put in public domain by the 30th September every year;
- (vii) publish guidelines for maintaining buffer zone around waste processing and disposal facilities for different sizes of facilities handling more than five tons per day of solid waste;
- (viii) publish guidelines, from time to time, on environmental aspects of processing and disposal of solid waste to enable local bodies as well as other entities to comply with the provisions of these rules;
- (ix) provide guidance to States or Union territories on inter-state movement of waste; and
- (x) formulate and prescribe proforma for Solid Waste Action Plan for Urban local Bodies and District Panchayats and Gram Panchayats in consultation with Ministry of Housing and Urban Affairs and Department of Drinking water and Sanitation, within six months from the date of notification of these rules in the Official Gazette.

(2) The Central Pollution Control Board shall develop mechanism for exchange of certificates on the centralised online portal as provided under these rules.

(3) The Central Pollution Control Board shall constitute a Central implementation committee under the chairmanship of Chairman, Central Pollution Control Board for the effective implementation of these rules and make recommendations for making it robust. The committee shall meet at least once in six months to submit its report and recommendations to Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(4) The Central Pollution Control Board shall review the proposals of State Pollution Control Boards or Pollution Control Committees on use of any new technologies for processing recycling and treatment of solid waste and prescribe performance standards, emission norms for the same within six months;

(5) The Central Pollution Control Board shall develop and upload on online centralised portal training materials and standard operating procedures from environmental safeguard perspective.

(6) The Central Pollution Control Board shall develop guidelines for regular monitoring framework and testing protocol for organic manure.

(7) The Central Pollution Control Board shall develop the reporting modules regarding the quantity of solid waste in water bodies as well as on lands to be reported by concerned stakeholders having the jurisdiction over such water bodies or lands.

(8) The Central Pollution Control Board shall issue guidelines for authorisation of agencies for establishment of electronic platform for trade of certificates, mandated under these rules, between obligated entities, after approval of Central Government.

(9) The Central Pollution Control Board shall prepare forms and issue guidelines in respect of all such provisions which have been mentioned under these rules.

(10) The Central Pollution Control Board shall drive and monitor the circular economy initiatives across all waste components and value chain through effective implementation of all the provisions of various waste management rules.

(11) The Central Pollution Control Board through State Pollution Control Board or Pollution Control Committee or through Registered Environment Auditors engaged by it, may conduct third party audit of waste processing facilities and upload the said audit report on the centralised online portal, as required.

(12) Development of standard environmental norms for Waste to Energy plants and Compressed Biogas plants to be developed by Central Pollution Control Board by the 1st October, 2026.

(13) Central Pollution Control Board may coordinate with Department for Promotion of Industry and Internal Trade in the development of facility for obtaining authorization for waste processing facilities through National Single Window System.

39. Duties of urban local bodies.— (1) All local bodies are responsible for undertaking solid waste management as provided under these rules in order to protect and improve quality of environment in the area under their jurisdiction.

(2) All Urban Local bodies shall prepare solid waste action plan as per proforma prescribed by Central Pollution Control Board, guided by state policy and strategy on solid waste management within one year from the date of notification of state policy and strategy *inter alia* covering the following elements:

- (i) total waste generation in the area under jurisdiction with ward wise break up;
- (ii) Five-year projection for waste generation;
- (iii) ward-wise collection (including for special care waste) and transportation plan;
- (iv) ward-wise mapping of solid waste management infrastructure;
- (v) ward-wise mapping of market places, community service infrastructure such as bus stands, railway stations, places of religious significance ;
- (vi) mapping of occupiers identified along with quantity of biomedical waste under Bio-medical Waste Management Rules, 2016 obligated to hand over biomedical waste generated from their premises to registered Bio-Medical Waste Treatment Facility.
- (vii) plan for collection and transportation of waste from garbage vulnerable points and hot spots for littering;
- (viii) mapping of solid waste ingress points in water bodies and plan for stopping ingress of solid waste in water bodies through placement of appropriate barriers;
- (ix) schedule for cleaning surface water bodies and drains from floating solid waste;
- (x) schedule for street sweeping and placement of waste bins as per prescribed norms;

- (xi) mapping of vacant plots of land under public or private ownership vulnerable for open dumping of solid waste including railway land and land with public authorities;
- (xii) plan for environmentally sound management of sanitary waste including sanitary pads, diapers, as per guidelines prescribed by Central Pollution Control Board through the use dedicated incinerators designed for the purpose or common biomedical waste treatment facilities, or units using recycling technologies approved by Central Pollution Control Board;
- (xiii) plan for collection and environmentally sound management of Special care waste;
- (xiv) requirement for solid waste management infrastructure including for collection, transportation, segregation, storage, as required including for Special care waste and sanitary waste, before processing and recycling (including both wet and dry waste) and environmentally sound disposal of waste in sanitary landfills.

(3) All Urban Local bodies shall register with State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee concerned on the centralised online portal and upload the city solid waste action plan on centralised online portal developed by Central Pollution Control Board.

(4) All Urban Local bodies shall arrange for door to door collection of segregated solid waste composed of wet waste, dry waste, sanitary waste and special care waste, from all households including slums and informal settlements, commercial, institutional and other non-residential premises, multi-storey buildings, large commercial complexes, malls, housing complexes, etc., on their own or through designated third party agency.

(5) All Urban Local bodies shall frame by-laws incorporating the provisions of these rules by 31st March 2027.

(6) prescribed from time to time user fee as deemed appropriate and collect the fee from the waste generators on its own or through authorised agency;

(7) All local bodies shall direct waste generators not to litter i.e throw or dispose of any waste such as paper, water bottles, liquor bottles, soft drink cans, tetra packs, fruit peel, wrappers, etc., or burn or bury waste on streets, open public spaces, drains, waste bodies and to segregate the waste at source as prescribed under these rules and hand over the segregated waste to third party or waste collectors authorised by the local body

(8) It shall be the responsibility of the local bodies to develop and set up infrastructure for segregation, collection, storage, transportation, processing and disposal of the solid waste either on its own or by engaging agencies and ensure geo-tagging of solid waste management infrastructure as well as facilities.

(9) All local bodies shall take measures for hundred percent coverage of solid waste management within their jurisdiction in a centralised or decentralised manner in an effective and efficient manner.

(10) All Urban Local bodies shall undertake assessment of solid waste generated, including legacy solid waste, in a year by the 30th June of next financial year and also develop projection of quantity of waste to be generated in accordance with the guidelines issued by Central Pollution Control Board.

(11) All Urban Local bodies shall assess the solid waste management infrastructure available for collection, segregation, transportation, processing and disposal and report it on the centralised portal by 30th June every year and also display the same on their website.

(12) All Urban Local bodies shall appoint the nodal officer for solid waste management within their jurisdiction.

(13) All Urban Local bodies shall ensure that waste from public places is collected based on the schedule prepared by the local body, which shall be uploaded on the centralised online portal.

(14) Management and maintenance of facilities, equipment and infrastructure for collection, storage, transportation and treatment of solid waste shall be reported as part of the annual returns by 30th June of the following financial year on the centralised online portal.

(15) All Urban Local bodies shall direct street sweepers not to burn tree leaves collected from street sweeping

and store them separately and handover to the waste collectors or agency authorised by local body.

(16) All Urban Local bodies shall ensure that the waste from daily sweeping of streets, lanes and by-lanes daily is collected separately, regularly in a periodic manner depending on the density of population, commercial activity and local situation.

(17) All Urban Local bodies shall ensure that solid waste is transported in an environmentally sound manner to the respective processing facility or material recovery facilities or secondary storage facility.

(18) All Urban Local bodies shall phase out the use of chemical fertilizer and use compost in all parks, gardens maintained by the local body and wherever possible in other places under its jurisdiction.

(19) All Urban Local bodies shall ensure that the waste from vegetable, fruit, flower, meat, poultry and fish market is collected on day to day basis, and shall promote setting up of decentralised compost plant or biomethanation plant at suitable locations in the markets or in the vicinity of markets ensuring hygienic conditions.

(20) All Urban Local bodies shall prepare inventory of all registered biomethanation plants and waste to energy plants, sanitary landfills, solid waste processing facilities within their jurisdictions and upload on the centralised online portal within a period of one year from date of notification of these rules in the Official Gazette and update annually by 31st March every year.

(21) All Urban Local bodies shall set up covered secondary storage facility for temporary storage of street sweepings and silt removed from surface drains in cases where direct collection of such waste into transport vehicles is not convenient. Waste so collected shall be collected and disposed of at regular intervals as decided by the local body and upload the details on the centralised online portal by the 30th June, every year.

(22) All Urban Local bodies shall ensure that the horticulture, parks and garden waste is collected separately and composted in the parks and gardens, as far as possible or processed using prescribed technologies and upload and update on the centralised online portal by the 30th June, every year.

(23) All Urban Local bodies shall ensure that segregated wet waste is transported to the processing facilities like compost plant, bio-methanation plant or any such biodegradable waste processing facility; preference shall be given for onsite processing of wet waste.

(24) All Urban Local bodies shall involve communities in waste management and promotion of home composting, biogas generation, decentralised processing of waste at community level subject to control of odour and maintenance of hygienic conditions around the facility.

(25) All Urban Local bodies shall make an application in Form I for grant of authorisation for setting up waste processing, treatment or disposal facility under their jurisdiction, if the volume of waste is exceeding five-metric tones per day including sanitary landfills from the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee, as the case may be.

(26) All Urban Local bodies shall submit application for renewal of authorisation to concerned State Pollution Control Board at least sixty days before the expiry of the validity of authorisation.

(27) All Urban Local bodies shall prepare and submit annual report in Form IV on or before the 30th June of the succeeding year on the centralised online portal with copy endorsed to State Urban Development Department or rural development department and to the respective State Pollution Control Board or Pollution Control Committee *inter alia* covering,-

- (i) solid waste generated in a year, including legacy solid waste;
- (ii) solid waste management infrastructure available for collection, segregation, processing;
- (iii) projection of solid waste to be generated;
- (iv) status on framing and implementation of byelaws
- (v) management of waste by bulk waste generators in a centralised or decentralised manner.

(28) All Urban Local bodies shall educate workers including contract workers and supervisors for door to door collection of segregated waste and transporting the segregated waste without mixing during primary collection and secondary collection primary to processing or disposal facility and file annual returns in this regard.

(29) All Urban Local bodies shall ensure that the operator of a facility provides personal protection equipment including uniform, fluorescent jacket, hand gloves, raincoats, appropriate foot wear and masks to all workers handling solid waste and the same are used by the workforce and file annual returns in this regard.

(30) All Urban Local bodies shall ensure that provisions for setting up of centres for collection, segregation and storage of segregated waste, are incorporated in building plan while granting approval of building plan of a group housing society or market complex and file annual returns in this regard;

(31) All Urban Local bodies shall prescribe criteria for levying of spot fine for violation of provisions of these rules inter alia on bulk waste generators, for persons who litters or fails to comply with the provisions of these rules and delegate powers to officers or local bodies to levy spot fines as per their bye-laws and file annual returns in this regard;

(32) All Urban Local bodies shall create public awareness through information, education and communication campaign and educate the waste generators on the following, namely: -

- (a) not to litter;
- (b) minimise generation of waste;
- (c) reuse the waste to the extent possible;
- (d) practice segregation of waste into wet, dry (recyclable, non recyclable), sanitary waste and special care waste;
- (e) practice home composting, vermi-composting, bio-gas generation or community level composting;
- (f) wrap used sanitary waste securely as and when generated, in the pouches provided by the brand owners or a suitable wrapping as prescribed by the local body;
- (g) store of segregated waste at the source in different bins;
- (h) hand over the segregated waste to waste pickers, waste collectors, recyclers or waste collection agencies; and
- (i) pay monthly user fee or charges to waste collectors or local bodies or any other person authorised by the local body for sustainability of solid waste management.

(33) Urban Local bodies shall prohibit the mixing of road sweeping dust with wet waste. The road sweeping dust collected and deposited at landfill shall be reported by the landfill operator on the centralised online portal.

(34) Urban local bodies with a population more than five lakhs shall establish central control rooms in order to undertake monitoring of solid waste management activities using digital and information technology for tracking of collection vehicles using geographical positioning system, mapping of solid waste management infrastructure, as per timeline prescribed in Schedule I.

(35) Urban Local bodies shall establish a grievance redressal mechanism for solid waste management including by online mode within a period of one year from date of notification of these rules in the Official Gazette. All local bodies shall file annual returns by 30th June of the succeeding financial year on the centralised online portal regarding the status of grievances.

(36) Urban Local bodies shall identify bulk waste generator through detailed survey and update the list on the portal, every year, by 1st April. The identified bulk waste generators shall be geo-tagged. Local bodies shall map all bulk waste generators, hotels, roadside eateries, commercial or institutional premises generating organic and bulk waste.

(37) Urban Local bodies shall notify cost for the Extended Bulk Waste Generator Responsibility certificate, taking into consideration operation and maintenance of solid waste management that shall be levied on bulk waste generators for ensuring long term sustainability and assured service delivery. Local bodies shall also notify suitable fine provisions in the by-laws.

(38) Urban local body shall issue Extended Bulk Waste Generator Responsibility certificate to bulk waste generator as per scheme given below,-

- (i) issue a Extended Bulk Waste Generator Responsibility certificate to the bulk waste generator for total solid waste (wet waste, dry waste, sanitary waste, special care waste) against payment of a fee by bulk waste generator;
- (ii) shall notify the cost-for Extended Bulk Waste Generator Responsibility certificate in the bye-laws or appropriate regulation of the local body after approval of State or Union territory Government, based upon the norms issued by Central Pollution Control Board in consultation with Ministry of Housing and Urban Affairs and Department of Drinking Water and Sanitation;
- (iii) the Extended Bulk Waste Generator Responsibility certificate issued to bulk waste generator may further specify the break up of solid waste for such bulk waste generator and in case of wet waste, sanitary waste include details of registered waste processors to whom the waste has been handed over for processing, in case of dry waste, the details of registered recyclers to whom dry waste has been handed over shall be provided;
- (iv) the local body shall ensure that waste collected from bulk waste generator is processed in accordance with these rules
- (v) shall on a periodic basis undertake audit of the actual waste generated by different types of bulk waste generators on an annual basis, the details of the actual waste generated as against norms fixed by Central Pollution Control Board shall be submitted to State Pollution Control Board for collation, synthesis and submission of appropriate recommendation from the State or Union territory to Central Pollution Control Board.

(39) Urban Local bodies shall undertake and report the generation of solid waste in each ward in urban or rural area on online portal on annual basis based on average waste generation by different establishments.

(40) Urban Local bodies shall report the solid waste generation and collection on a monthly basis on a centralised online portal developed by Central Pollution Control Board.

(41) Urban Local bodies shall set up zone-wise decentralised composting units, where appropriate, through community participation, segregated wet waste from individual community or units should be collected and disposed into these decentralised composting units.

(42) Urban Local bodies shall have adequate number of dustbins in and around the premises such as bus stops, railway stations, metro stations and public areas

(43) Urban Local bodies shall establish Material Recovery Facilities based on quantum of waste generation either on its own or in Public-Private Partnership mode and upload and update on the centralised online portal by the 30th June every year

(44) All such Material Recovery Facilities shall reflect the waste received, availability and transportation of segregated waste to recyclers or end of life disposal entities including incinerators, and sanitary landfill sites on the centralised online portal on monthly basis.

(45) Urban Local bodies shall facilitate construction, operation and maintenance of solid waste processing facilities and associated infrastructure on their own or with private sector participation or through any agency for optimum utilisation of various components of solid waste adopting suitable technology and adhering to the guidelines and standards issued by the Ministry of Housing and Urban Affairs and Central Pollution Control Board from time to time. Preference shall be given to decentralised processing to minimize transportation cost and environmental impacts.

The processing technologies that can be adopted include:

- (a) bio-methanation, microbial composting, vermi-composting, anaerobic digestion or any other appropriate processing for bio-stabilization of biodegradable wastes;
- (b) waste to energy processes including refused derived fuel for combustible fraction of waste or supply as feedstock to solid waste based power plants or cement kilns or other industrial processes which use furnaces, after approval of such processes by Central Pollution Control Board and on adhering to standards prescribed in the rules.

(46) Urban Local bodies shall collect and transport dry waste, wet waste and Special care waste, sanitary waste from households including slums and informal settlements, commercial, institutional and other non-residential premises, multi-storey buildings, large commercial complexes, malls, housing complexes and the like in compartmentalised and covered vehicle in way that segregated solid waste is not mixed, to the respective processing facility on its own or through third party.

(47) Urban Local bodies shall set up material recovery facilities or secondary storage facilities with sufficient space for storing of recyclables and to enable collection of sorted recyclables from material recovery facilities to authorised recyclers.

(48) Urban Local bodies shall by itself or through third party shall provide for services for collection of solid waste particularly the special care waste along with setting up of deposition centres in a city or town in a manner that one centre is set up for the area of five square kilometers or part thereof and notify the timings of receiving special care waste at such centres and give directions for waste generators to deposit special care waste at these centres for their safe disposal

(49) Urban Local bodies shall allow only the non-usable, non-recyclable, non-biodegradable, non-combustible and non-reactive inert waste and pre-processing rejects and residues from waste processing facilities to go to sanitary landfill and the sanitary landfill sites shall meet the specifications as given in Schedule II, however, every effort shall be made to recycle or reuse the rejects to achieve the desired objective of zero waste going to landfill.

(50) The tipping fee paid shall be reported in the annual return filed by waste processing unit operator and landfill operator.

(51) Urban Local Bodies shall ensure that the bins at public location for storage of wet waste shall be painted green, those for storage of dry waste shall be painted blue and if required in public toilets bins painted in red may be placed for sanitary waste.

(52) Urban Local bodies along with concerned departments of State or Union territory governments shall map Refuse-Derived Fuel plants Urban Local Body-wise with production capacity and utilization or offtake by industries.

(53) Urban Local Bodies shall prepare ward wise database and upload on the centralised online portal of all personnel including in informal sector such as waste pickers or collectors involved in collection, segregation, sorting, transportation and processing or recycling or disposal activities of solid waste.

(54) Local bodies shall integrate waste pickers or informal waste collectors by establishing a system to recognize them or organisations representing them, promoting their participation in solid waste management including door to door collection of waste, reflecting it on the centralised portal.

40. Duties of local bodies in rural areas.—(1) All local bodies in rural areas are responsible for undertaking solid waste management as provided under these rules in order to protect and improve quality of environment in the area under their jurisdiction.

(2) The District Panchayat shall,-

(i) prepare solid waste action plan in prescribed pro forma guided by state policy and strategy on solid waste management within one year from the date of notification of state policy and strategy inter alia covering the following elements:

(a) total waste generation in the area under jurisdiction with gram panchayat's ward wise break up;

- (b) Five-year projection for waste generation;
- (c) collection (including for special care waste) and transportation plan;
- (d) mapping of solid waste management infrastructure;
- (e) mapping of market places, community service infrastructure such as bus stands, railway stations, places of religious significance;
- (f) plan for collection and transportation of waste from garbage vulnerable points to plastic waste management unit and hot spots for littering;
- (g) mapping of solid waste ingress points in water bodies and plan for stopping ingress of solid waste in water bodies through placement of appropriate barriers;
- (h) schedule for cleaning surface water bodies and drains from floating solid waste;
- (i) schedule for street sweeping and placement of waste bins as per prescribed norms;
- (j) mapping of vacant plots of land under public or private ownership vulnerable for open dumping of solid waste including railway land and land with public authorities;
- (k) requirement for solid waste management infrastructure including for collection, transportation, segregation, storage, as required before processing and recycling (including both wet and dry waste) and environmentally sound disposal of waste.

(ii) register with State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee concerned on the centralised online portal and upload the solid waste action plan on centralised online portal developed by Central Pollution Control Board,

(iii) be encouraged to establish systems to undertake monitoring of solid waste management activities using digital and information technology for tracking of collection vehicles using geographical positioning system, mapping of solid waste management infrastructure, within twelve months from date of these rules coming into effect;

(iv) file annual returns to State Pollution Control Board or Pollution Control Committee on the centralised online portal regarding solid waste management infrastructure or facilities or units under its jurisdiction by 30th June every year.

(v) assess the solid waste management infrastructure available for collection, segregation and processing and report on their websites by 30th June of next financial year.

(vi) set up gram panchayat wise or zone wise centralised composting units, through community participation, segregated wet waste from individual community or units should be collected and disposed into these decentralised composting units as per time line prescribed in Schedule I.

(vii) material recovery facilities or secondary storage facilities with sufficient space for storing of recyclables and to enable collection of sorted recyclables from material recovery facilities to authorised recyclers as per time line prescribed in Schedule I. District Panchayats shall establish Materials Recovery Facility based on quantum of waste generation either on its own or in Public-Private Partnership as per time line prescribed in Schedule I and upload and update on the centralised online portal by 30th June every year.

(viii) all such material recovery facilities shall reflect the waste received, availability and transportation of segregated waste to recyclers or end of life disposal entities including incinerators or cement kilns on the centralised online portal on quarterly basis.

(ix) management and maintenance of facilities, equipment and infrastructure for collection, storage, transportation and treatment of solid waste shall be reported on the centralised online portal in respect of all district level Panchayati raj Institution and file annual returns by 30th June of the following financial year.

(x) facilitate construction, operation and maintenance of solid waste processing facilities and associated infrastructure on their own or with private sector participation or through any agency for optimum utilisation of various components of solid waste adopting suitable technology and adhering to the guidelines and standards issued by the Department of Drinking Water and Sanitation and Central Pollution Control Board from time to time.

Preference shall be given to decentralised processing to minimize transportation cost and environmental impacts such as—

- (a) bio-methanation, microbial composting, vermi-composting, anaerobic digestion or any other appropriate processing for bio-stabilization of biodegradable waste;
- (b) waste to energy processes including refused derived fuel for combustible fraction of waste or supply as feedstock to solid waste based power plants or cement kilns or other furnaces;
- (xi) facilitate collection and transportation of solid waste from households including commercial, institutional and other non-residential premises, buildings, in compartmentalised and covered vehicle to the respective processing facility;
- (xii) provide services for collection of solid waste particularly the special care waste along with setting up of deposition centres;
- (xiii) facilitate that dry waste is transported to the respective processing facility or material recovery facilities or secondary storage facility as per time line prescribed in Schedule I;
- (xiv) prepare and submit annual report in Form IV on or before the 30th June of the succeeding year on the centralised online portal with copy endorsed to State Rural Development Department and to the respective State Pollution Control Board or Pollution Control Committee;
- (xv) establish a grievance redressal mechanism for solid waste management including by online mode within a period of one year from date of notification of these rules in the Official Gazette. All local bodies shall file annual returns by 30th June of the succeeding financial year on the centralised online portal regarding the status of grievances;
- (xvi) shall engage with second tier panchayat for ensuring with regard solid waste management in villages;
- (xvii) shall prepare wardwise database and upload on the centralised online portal of all personnel including informal sector such as waste pickers or collectors involved in collection, segregation, sorting, transportation and processing or recycling or disposal activities of solid waste.
- (xviii) shall integrate waste pickers or informal waste collectors by establishing a system to recognize them or organisations representing them, promoting their participation in solid waste management including door to door collection of waste, reflecting it on the centralised portal as per timelines given in Schedule I;
- (xix) all local bodies in rural areas shall create public awareness through information, education and communication and educate the waste generators on solid waste management.

(3) The Gram Panchayat shall,-

- (i) ensure solid waste management at the village level as per the provisions of these rules;
- (ii) plan and implement solid waste management for village area under their jurisdiction after development of Gram Panchayat level action plan for solid waste management;
- (iii) either on its own or by engaging agencies shall set up, operationalise and coordinate solid waste management in rural areas and for performing the associated functions, namely:
 - (a) ensure segregation, collection, storage, transportation of solid waste and channelization of recyclable solid waste fraction to recyclers having valid registration, ensuring that no damage is caused to the environment during the process;
 - (b) establish, operate and maintain solid waste management infrastructure as required;
 - (c) create awareness among stakeholders about their responsibilities;
 - (d) ensuring that open dumping and burning of solid waste does not take place;
 - (e) engage with civil society groups working with waste pickers.
- (iv) submit data to District Panchayat on solid waste management for filing of annual report under the rules.

41. Duties of the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee.— (1) The State Pollution Control Board or Pollution Control Committee shall,—

- (i) enforce these rules in their State and review the implementation of these rules at least twice a year in close coordination with concerned Department dealing with Municipal Administration or the local self government or Secretary-in-charge of State Urban Development Department as well as Department of Rural Development or the Department dealing with solid waste management in rural areas;
- (ii) monitor environmental standards and ensure adherence to conditions as specified under the Schedule II and Schedule III for waste processing and disposal sites;
- (iii) examine the proposal for authorization and registration of waste processing facilities after the receipt of the application for the same in Form I from the local body or any other agency authorised by the local body and make such inquiries as deemed fit;
- (iv) while examining the proposal for authorization, consider the requirement of consents under respective enactments and views of other agencies like the State Urban Development Department, the Town and Country Planning Department, District Planning Committee or Metropolitan Area Planning Committee, as may be applicable, Airport or Airbase Authority, the Ground Water Board, Railways, power distribution companies, highway department and other relevant agencies shall be taken into consideration and they shall be given four weeks time to give their views, if any;
- (v) issue authorization within sixty days in Form II to the local body or an operator of a facility or any other agency authorised by local body stipulating compliance criteria and environmental standards as specified in Schedules II and III including other conditions, as may be necessary;
- (vi) synchronize the validity of the said authorization with the validity of the consents;
- (vii) suspend or cancel the authorization issued, if the local body or operator of the facility fails to operate the facility as per the conditions stipulated: provided that no such authorization shall be suspended or cancelled without giving notice to the local body or operator, as the case may be; and
- (viii) on receipt of application for renewal, renew the authorization for the next five years, after examining every application on merit and subject to the condition that the operator of the facility has fulfilled all the provisions of the rules, standards or conditions specified in the authorization, consents or environment clearance;
- (ix) The State Pollution Control Board or Pollution Control Committee shall, after giving reasonable opportunity of being heard to the applicant and for reasons to be recorded in writing, refuse to grant or renew an authorization;
- (x) In case of new technologies, where no standards have been prescribed by the Central Pollution Control Board, State Pollution Control Board or Pollution Control Committee, as the case may be, shall approach Central Pollution Control Board for getting standards specified;
- (xi) The State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee, as the case may be, shall monitor the compliance of the standards as prescribed or laid down and treatment technology as approved and the conditions stipulated in the authorization and the standards specified in Schedules II and III under these rules as and when deemed appropriate but not less than once in a year;
- (xii) The State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee may give directions to local bodies for the safe handling and disposal of special care waste deposited by the waste generators at special care waste deposition facilities;
- (xiii) The State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee shall regulate inter-state movement of waste as per guidelines issued by Central Pollution Control Board;

(xiv) The State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee shall issue authorization and register waste processing or recycling and disposal facilities through centralised online portal and the district wise, local authority-wise information shall be made available on the centralised online portal by 30th June every year;

(xv) The State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee may charge registration fee for processing of applications for registration as well as an annual fee for processing of returns filed under the rules as per guidelines issued by Central Pollution Control Board, a part of the fee charged will be shared with Central Pollution Control Board for operation and maintenance on centralised online portal;

(xvi) The State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee shall ensure compliance of these rules by registered entities;

(xvii) The State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee or Registered Environment Auditor engaged by it, shall verify compliance by entities registered on centralized online portal through inspection and periodic audit;

(xviii) The State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee or Registered Environment Auditor engaged by it, shall carry out audit of data, including using information from Goods and Services Tax Network portal, by itself or a designated agency, for the registered entity under these rules;

(xix) The State Pollution Control Board shall compile and forward the quarterly reports submitted by entities involved in recycling of solid waste to Central Pollution Control Board and publish online;

(xx) The State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee will ensure a regular dialogue between relevant stakeholders involved in the fulfilment of obligations under these rules;

(xxi) The State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee shall monitor all the solid waste processing and treatment facilities for their compliance of emissions and discharge norms and get the facilities audited once every year.

(xxii) The State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee concerned shall cause the annual report submitted by the urban local body and panchayat at district level to be audited by itself or through a Registered Environment Auditor engaged by it, and copy of the report of such audit and the annual report shall be made available on website of State Pollution Control Board or Pollution Control Committee concerned.

(2) The State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee may facilitate tie-up of local bodies with cement kilns or waste to energy plants for RDF use.

(3) The State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee, as required, may by itself or through Registered Environment Auditor engaged by it, undertake physical verification and audit of waste processing entities and solid waste management activities undertaken by local authorities and obligated entities in rural and urban areas.

(4) The State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee shall impose Environmental Compensation based upon polluter pays principle, on persons who are not complying with the provisions of these rules, as per guidelines notified by the Central Pollution Control Board including for indiscriminate dumping of solid waste by local authorities.

(5) The State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee shall, by itself or through a Registered Environment Auditor engaged by it, undertake audit of solid waste processing facilities authorised under the rules every year by 30th September.

(6) The State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee shall publish the audit reports of solid waste processing facilities by 31st December every year on centralised online portal.

(7) The State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee shall ensure that solid waste processing facilities are maintained by skilled or semi-skilled professionals, and certified professionals.

(8) The State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee shall ensure geo-tagging of solid waste infrastructure and processing facilities.

(9) The State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee shall work out technical guidelines regarding the prevention and control of solid waste generated from industrial areas.

(10) The State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee shall ensure compliance by industries on the use of Refuse-Derived Fuel.

(11) The State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee shall ensure testing of organic manure produced at solid waste management facility to ensure quality of organic manure.

(12) The State Pollution Control Board shall ensure the test reports to be uploaded on the online portal in respect of organic manure on monthly basis by the facility operators.

(13) The State Pollution Control Board shall prepare inventory of all registered biomethanation plants and waste to energy plants, sanitary landfills, solid waste processing facilities and upload on the centralised online portal by 30th June every year.

Schedule I**Time line for implementation**

[See Chapter I rule 3 (q), Chapter III rule 14(3), Chapter V rule 23(1)(xvi), rule 24(1)(x), rule 39(34), rule 40(2)(vi), rule 40(2)(vii), rule 40(2)(xiii), rule 40(2)(xiv)]

S. No.	Population	Time line
(1)	(2)	(3)
	Urban areas	
1	Million plus cities	Eighteen months from the date of these rules coming into effect
2	5-10 lakh	Twenty four months from date of these rules coming into effect
3	All urban areas	Thirty six months from date of these rules coming into effect
4		
	Rural areas	
1	With a population of 20000 and above	Eighteen months from date rules coming into effect
2	10000-20000	Twenty four months from date rules coming into effect
3	Up to 10000	Thirty six months from date rules coming into effect

SCHEDULE II**Specifications for Sanitary Landfills**

[see Chapter II, rule 7(1)(b), Chapter III, rule 14 (3), Chapter V rule 39(49), rule 41(1)(ii), 41(1)(v)]

(A) Criteria for site selection.-

- (i) The department in the business allocation of land assignment shall provide suitable site for setting up of the solid waste processing and treatment facilities and notify such sites.
- (ii) The sanitary landfill site shall be planned, designed and developed with proper documentation of construction plan as well as a closure plan in a phased manner. In case a new landfill facility is being established adjoining an existing landfill site, the closure plan of existing landfill should form a part of the proposal of such new landfill.
- (iii) The landfill sites shall be selected to make use of nearby waste processing facilities. Otherwise, waste processing facility shall be planned as an integral part of the landfill site.
- (iv) Landfill sites shall be set up as per the guidelines of the Ministry of Urban Development, Government of India and Central Pollution Control Board.
- (v) The existing landfill sites which are in use for more than five years shall be improved in accordance with the specifications given in this Schedule.
- (vi) The landfill site shall be large enough to last for at least 20-25 years and shall develop 'landfill cells' in a phased manner to avoid water logging and misuse.
- (vii) The landfill site shall be 100 meter away from river, 200 meter from a pond, 200 meter from Highways, Habitations, Public Parks and water supply wells and 20 km away from Airports or Airbase. However in a special case, landfill site may be set up within a distance of 10 and 20 km away from the Airport or Airbase after obtaining no objection certificate from the civil aviation authority or Air force as the case may be. The Landfill site shall not be permitted within the flood plains as recorded for the last hundred years, zone of coastal regulation, wetland, Critical habitat areas, sensitive eco-fragile areas.
- (viii) The sites for landfill and processing and disposal of solid waste shall be incorporated in the Town Planning Department's land-use plans.
- (ix) A buffer zone shall be maintained around solid waste processing and disposal facility, exceeding five tonnes per day of installed capacity. This will be maintained within the total area of the solid waste processing and disposal facility. The buffer zone shall be prescribed on case to case basis by the local

body in consultation with concerned State Pollution Control Board.

(x) The biomedical waste shall be disposed of in accordance with the Bio-medical Waste Management Rules, 2016, as amended from time to time. The hazardous waste shall be managed in accordance with the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016, as amended from time to time. The E-waste shall be managed in accordance with the E-waste (Management) Rules, 2016 as amended from time to time.

(xi) Temporary storage facility for solid waste shall be established in each landfill site to accommodate the waste in case of non-operation of waste processing and during emergency or natural calamities.

(B) Criteria for development of facilities at the sanitary landfills. -

(i) Landfill site shall be fenced or hedged and provided with proper gate to monitor incoming vehicles, to prevent entry of unauthorised persons and stray animals.

(ii) The approach and or internal roads shall be concreted or paved so as to avoid generation of dust particles due to vehicular movement and shall be so designed to ensure free movement of vehicles and other machinery.

(iii) The landfill site shall have waste inspection facility to monitor waste brought in for landfilling, office facility for record keeping and shelter for keeping equipment and machinery including pollution monitoring equipment. The operator of the facility shall maintain record of waste received, processed and disposed.

(iv) Provisions like weigh bridge to measure quantity of waste brought at landfill site, fire protection equipment and other facilities as may be required shall be provided.

(v) Utilities such as drinking water and sanitary facilities (preferably washing or bathing facilities for workers) and lighting arrangements for easy landfill operations during night hours shall be provided.

(vi) Safety provisions including health inspections of workers at landfill sites shall be carried out.

(vii) Provisions for parking, cleaning, washing of transport vehicles carrying solid waste shall be provided. The wastewater so generated shall be treated to meet the prescribed standards.

(C) Criteria for specification for landfilling operation and closure on completion of landfilling.-

(i) Waste for land filling shall be compacted in thin layers using heavy compactors to achieve high density of the waste. In high rainfall areas where heavy compactors cannot be used, alternative measures shall be adopted.

(ii) Till the time waste processing facilities for composting or recycling or energy recovery are set up, the waste shall be sent to the sanitary landfill. The landfill cell shall be covered at the end of each working day with minimum 10 cm of soil, inert debris or construction material.

(iii) Prior to the commencement of monsoon season, an intermediate cover of 40-65 cm thickness of soil shall be placed on the landfill with proper compaction and grading to prevent infiltration during monsoon. Proper drainage shall be constructed to divert runoff away from the active cell of the landfill.

(iv) After completion of landfill, a final cover shall be designed to minimise infiltration and erosion. The final cover shall meet the following specifications, namely,-

- The final cover shall have a barrier soil layer comprising of 60 cm of clay or amended soil with permeability coefficient less than 1×10^{-7} cm sec.
- On top of the barrier soil layer, there shall be a drainage layer of 15 cm.
- On top of the drainage layer, there shall be a vegetative layer of 45 cm to support natural plant growth and to minimise erosion.

(D) Criteria for pollution prevention.- In order to prevent pollution from landfill operations, the following provisions shall be made, namely,-

(i) The storm water drain shall be designed and constructed in such a way that the surface runoff water is diverted from the land fillings and leachates from solid waste locations do not get mixed with the surface runoff water. Provisions for diversion of storm water discharge drains shall be made to minimise leachate generation and prevent pollution of surface water and also for avoiding flooding and creation of marshy conditions.

(ii) Non-permeable lining system at the base and walls of waste disposal area. For landfill receiving residues of waste processing facilities or mixed waste or waste having contamination of hazardous materials (such as aerosols, bleaches, polishes, batteries, waste oils, paint products and pesticides) shall have liner of composite barrier of 1.5 mm thick high density polyethylene geo-membrane or geo-synthetic liners, or equivalent, overlying 90 cm of soil (clay or amended soil) having

permeability coefficient not greater than 1×10^{-7} cm/sec. The highest level of water table shall be at least two meter below the base of clay or amended soil barrier layer provided at the bottom of landfills.

- (iii) Provisions for management of leachates including its collection and treatment shall be made. The treated leachate shall be recycled or utilized as permitted, otherwise shall be released into the sewerage line, after meeting the standards specified in Schedule-II. In no case, leachate shall be released into open environment.
- (iv) Arrangement shall be made to prevent leachate runoff from landfill area entering any drain, stream, river, lake or pond. In case of mixing of runoff water with leachate or solid waste, the entire mixed water shall be treated by the concerned.

(E) Criteria for water quality monitoring.-

- (i) Before establishing any landfill site, baseline data of ground water quality in the area shall be collected and kept in record for future reference. The ground water quality within 50 meter of the periphery of landfill site shall be periodically monitored covering different seasons in a year that is, summer, monsoon and post-monsoon period to ensure that the groundwater is not contaminated.
- (ii) Usage of groundwater in and around landfill sites for any purpose (including drinking and irrigation) shall be considered only after ensuring its quality. The following specifications for drinking water quality shall apply for monitoring purpose, namely :-

S.No.	Parameters	IS10500:2012, Edition 2.2 (2003-09) Desirable limit (mg/l except for pH)
(1)	(2)	(3)
	Arsenic	0.01
	Cadmium	0.01
	Chromium (as Cr ⁶⁺)	0.05
	Copper	0.05
	Cyanide	0.05
	Lead	0.05
	Mercury	0.001
	Nickel	-
	Nitrate as NO ₃	45.0
	pH	6.5-8.5
	Iron	0.3
	Total hardness (as CaCO ₃)	300.0
	Chlorides	250
	Dissolved solids	500

Phenolic compounds (as C ₆ H ₅ OH)	0.001
Zinc	5.0
Sulphate (as SO ₄)	200

(F) Criteria for ambient air quality monitoring.-

- (i) Landfill gas control system including gas collection system shall be installed at landfill site to minimize odour, prevent off-site migration of gases, to protect vegetation planted on the rehabilitated landfill surface. For enhancing landfill gas recovery, use of geo membranes in cover systems along with gas collection wells should be considered.
- (ii) The concentration of methane gas generated at landfill site shall not exceed 25 per cent of the lower explosive limit.
- (iii) The landfill gas from the collection facility at a landfill site shall be utilized for either direct thermal applications or power generation, as per viability. Otherwise, landfill gas shall be burnt (flared) and shall not be allowed to escape directly to the atmosphere or for illegal tapping. Passive venting shall be allowed in case if its utilisation or flaring is not possible.
- (iv) Ambient air quality at the landfill site and at the vicinity shall be regularly monitored. Ambient air quality shall meet the standards prescribed by the Central Pollution Control Board for Industrial area.

(G) Criteria for plantation at landfill Site.- A vegetative cover shall be provided over the completed site in accordance with the following specifications, namely:-

- (a) Locally adopted non-edible perennial plants that are resistant to drought and extreme temperatures shall be planted;
- (b) The selection of plants should be of such variety that their roots do not penetrate more than 30 cms. This condition shall apply till the landfill is stabilized;
- (c) Selected plants shall have ability to thrive on low-nutrient soil with minimum nutrient addition;
- (d) Plantation to be made in sufficient density to minimise soil erosion.
- (e) Green belts shall be developed all around the boundary of the landfill in consultation with State Pollution Control Boards or Pollution Control Committees.

H. Criteria for post-care of landfill site.- (1) The post-closure care of landfill site shall be conducted for at least fifteen years and long term monitoring or care plan shall consist of the following, namely:-

- (a) Maintaining the integrity and effectiveness of final cover, making repairs and preventing run-on and run-off from eroding or otherwise damaging the final cover;
- (b) Monitoring leachate collection system in accordance with the requirement;
- (c) Monitoring of ground water in and around landfill;
- (d) Maintaining and operating the landfill gas collection system to meet the standards.

(2) Use of closed landfill sites after fifteen years of post-closure monitoring can be considered for human settlement or otherwise only after ensuring that gaseous emission and leachate quality analysis complies with the specified standard and the soil stability is ensured.

I. Criteria for special provisions for hilly and island areas.- Cities and towns located on hills and islands shall have location-specific methods evolved for final disposal of solid waste by the local body with the approval of the concerned State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee. The local body shall set up processing facilities for utilisation of biodegradable organic waste. The non-biodegradable recyclable materials shall be stored and sent for recycling periodically. The inert and non-biodegradable waste (non-recyclable, non-energy recoverable) shall be used for building roads or filling-up of appropriate areas on hills. In case of constraints in finding adequate land in hilly areas, waste not suitable for road-laying or filling up shall be disposed of in regional land fills in plain areas.

J. Closure and Rehabilitation of Old Dumps.- Solid waste dumps which have reached their full capacity or those which will not receive additional waste after setting up of new and properly designed landfills should be closed and rehabilitated by examining the following options:

- (i) Reduction of waste by biomining and waste processing followed by placement of residues in new landfills
- (ii) Any other method suitable for reducing environmental impact to acceptable level.

SCHEDULE III

[see Chapter II, rule 7(1)(b), Chapter V, rule 41(1)(ii), 41(1)(v), 41(1)(xi)]
Standards of processing and treatment of solid waste

A. Standards for composting.—The waste processing facilities shall include composting as one of the technologies for processing of bio degradable waste. In order to prevent pollution from compost plant, the following shall be complied with namely:—

- (a) The incoming organic waste at site shall be stored properly prior to further processing. To the extent possible, the waste storage area should be covered. If, such storage is done in an open area, it shall be provided within permeable base with facility for collection of leachate and surface water run-off into lined drains leading to a leachate treatment and disposal facility;
- (b) Necessary precautions shall be taken to minimise nuisance of odour, flies, rodents, bird menace and fire hazard;
- (c) In case of breakdown or maintenance of plant, waste intake shall be stopped and arrangements be worked out for diversion of waste to the temporary processing site or temporary landfill sites which will be again reprocessed when plant is in order;
- (d) Pre-process and post-process rejects shall be removed from the processing facility on regular basis and shall not be allowed to pile at the site. Recyclables shall be routed through appropriate vendors. The non-recyclable high calorific fractions to be segregated and sent to waste to energy or for Refuse-Derived Fuel production, co-processing in cement plants or to thermal powerplants. Only rejects from allprocesses shall be sent for sanitary landfill site(s).
- (e) The windrow area shall be provided with impermeable base. Such a base shall be made of concrete or compacted clay of 50cm thick having permeability coefficient less than 10^{-7} cm/sec. The base shall be provided with one to two percent slope and circled by lined drains for collection of leachate or surface run-off;
- (f) Ambient air quality monitoring shall be regularly carried out. Odur nuisance at down-wind direction on the boundary of processing plant shall also be checked regularly.
- (g) Leachate shall be re-circulated in compost plant for moisture maintenance.
- (h) The end product compost shall meet the standards prescribed under Fertilizer Control Order notified from time to time.
- (i) In order to ensure safe application of compost, the following specifications for compost quality shall be met, namely:—

Parameters	Organic Compost (FCO2009)	Phosphate Rich Organic Manure(FCO 2013)
(1)	(2)	(3)
Arsenic(mg/Kg)	10.00	10.00
Cadmium(mg/Kg)	5.00	5.00
Chromium(mg/Kg)	50.00	50.00
Copper(mg/Kg)	300.00	300.00
Lead(mg/Kg)	100.00	100.00
Mercury(mg/Kg)	0.15	0.15
Nickel(mg/Kg)	50.00	50.00
Zinc(mg/Kg)	1000.00	1000.00

C/N ratio	<20	Less than 20:1
pH	6.5-7.5	(1:5 solution) maximum 6.7
Moisture, percent by weight, maximum	15.0-25.0	25.0
Bulk density (g/cm ³)	<1.0	Less than 1.6
Total Organic Carbon, per cent by weight, minimum	12.0	7.9
Total Nitrogen (as N), per cent by weight, minimum	0.8	0.4
Total Phosphate (as P ₂ O ₅) percent by weight, minimum	0.4	10.4
Total Potassium (as K ₂ O), percent by weight, minimum	0.4	-
Colour	Dark brown to black	-
Odour	Absence of foul Odor	-
Particle size	Minimum 90% material should pass through 4.0 mm IS sieve	Minimum 90% material should pass through 4.0 mm IS sieve
Conductivity (as dsm-1), not more than	4.0	8.2

*Compost (final product) exceeding the above stated concentration limits shall not be used for food crops. However, it may be utilized for purposes other than growing foodcrops.

B. Standards for Compressed Biogas (Compressed Bio-Gas or bio-compressed natural gas) plants and household Bio-digester.— Environmental Guidelines of Central Pollution Control Board for Compressed Biogas (Compressed Bio-Gas or bio-compressed natural gas) Plant and household biodigester as amended from time to time shall be followed. FOM & LFOM production shall be in conformity with requirements of Gazette Notification No. 2051 dated 14.7.2020 & No. 1972 dated 1.6.2021, respectively or enriched manure as governed by Fertilizer Control Order, 1985, as amended from time to time.

C. Standards for treated leachates.—The disposal of treated leachates shall meet the following standards, namely: -

S.No	Parameter	Standards (Mode of Disposal)		
		Inland surface water	Public sewers	Land disposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1.	Suspended solids, mg/l,max	100	600	200
2.	Dissolved solids(inorganic)mg/l,max.	2100	2100	2100
3	pH value	5.5 to 9.0	5.5 to 9.0	5.5 to 9.0
4	Ammonical nitrogen(asN),mg/l,max.	50	50	-
5	Total Kjeldahl nitrogen (as N), mg/l,max.	100	-	-
6	Biochemical oxygen demand (3daysat27°C)max.(mg/l)	30	350	100
7	Chemical oxygen demand,mg/l, max.	250	-	-
8	Arsenic(as As),mg/l, max	0.2	0.2	0.2
9	Mercury (as Hg),mg/l, max	0.01	0.01	-
10	Lead (as Pb),mg/l,max	0.1	1.0	-
11	Cadmium (as Cd),mg/l, max	2.0	1.0	-
12	Total Chromium (as Cr),mg/l, max.	2.0	2.0	-
13	Copper (as Cu),mg/l, max.	3.0	3.0	-
14	Zinc (as Zn),mg/l, max.	5.0	15	-
15	Nickel (as Ni),mg/l, max	3.0	3.0	-
16	Cyanide (as CN),mg/l, max.	0.2	2.0	0.2
17	Chloride (as Cl),mg/l, max.	1000	1000	600
18	Fluoride (as F),mg/l, max	2.0	1.5	-
19	Phenolic compounds (as C ₆ H ₅ OH) mg/l, max.	1.0	5.0	-

Note:While discharging treated leachates into inland surface waters, quantity of leachates being discharged and the quantity of dilution water available in the receiving waterbody shall be given due consideration.

D. Standards for incineration.- The Emission from incinerators/thermal technologies in Solid Waste treatment or disposal facility shall meet the following standards, namely:-

Parameter	Emission standard	
	(2)	(3)
Particulates	50mg/Nm ³	Standard refers to half-hourly average value
HCl	50mg/Nm ³	Standard refers to half-hourly average value

SO₂	200mg/Nm ³	Standard refers to half-hourly average value
CO	100mg/Nm ³	Standard refers to half-hourly average value
	50mg/Nm ³	Standard refers to daily average value
Total Organic Carbon	20mg/Nm ³	Standard refers to half-hourly average value
HF	4mg/Nm ³	Standard refers to half-hourly average value
NO_x(NO and NO₂ expressed as NO₂)	400mg/Nm ³	Standard refers to half-hourly average value
Total dioxins and furans	0.1ngTEQ/Nm ³	Standard refers to 6-8 hours sampling. Please refer guidelines for 17 concerned congeners for toxic equivalence values to arrive at total toxic equivalence.
Cd + Th + their compounds	0.05mg/Nm ³	Standard refers to sampling time anywhere between 30 minutes and 8 hours
Hg and its compounds	0.05mg/Nm ³	Standard refers to sampling time anywhere between 30 minutes and 8 hours
Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + their compounds	0.5mg/Nm ³	Standard refers to sampling time anywhere between 30 minutes and 8 hours.
<i>Note.-All values corrected to 11% oxygen on a dry basis.</i>		

Note:

- Waste to Energy plants should have provision for segregating of waste in case they receive waste less than 1500 Kcal/kg. Waste having less than 1500 Kcal or kg shall not be fed into the boiler of the waste to electricity plant or Incinerator. Suitably designed pollution control devices shall be installed or retrofitted with the incinerator to achieve the above emission limits.
- Waste to be incinerated shall not be chemically treated with any chlorinated disinfectants.
- Incineration of chlorinated plastics shall not be carried out.
- if the concentration of toxic metals in incineration ash exceeds the limits specified in the Hazardous Waste (Management, Handling and Trans boundary Movement) Rules, 2016, as amended from time to time, the ash shall be sent to the hazardous waste treatment, storage and disposal facility.
- Only low sulphur fuel like Light Diesel Oil, Low Sulphur Heavy Stock, Diesel, bio-mass, coal, Liquefied Natural Gas, Compressed Natural Gas, Refuse Derived Fuel and bio-gas shall be used as fuel in the incinerator.
- The CO₂ concentration in tail gas shall not be more than seven percent.
- All the facilities in twin chamber incinerators shall be designed to achieve a minimum temperature of 950°C in secondary combustion chamber and with a gas residence time in secondary combustion chamber not less than 2 (two) seconds.
- Incineration plants shall be operated (combustion chambers) with such temperature, retention time and turbulence, as to achieve Total Organic Carbon (TOC) content in the slag and bottom ash less than three percent, or the loss on ignition is less than five percent of the dry weight.
- Odour from sites shall be managed as per guidelines of Central Pollution Control Board issued from time to time.

SCHEDULE IV

[see Chapter III, rule 15(4)(v)]

Measures for fire prevention and management at waste dump sites**(a) On-site emergency plan**

- (i) State Urban Development department to conduct comprehensive risk assessment studies and accordingly prepare detailed on-site emergency plan for each dumpsite covering following issues.
 - a) Potential risks or emergencies due to fire, obnoxious or flammable emissions, odour, vector borne diseases, rodents, birds, seasonal effects and other potential risks at dumpsite, likely affected geographical area including population, flora, fauna around the dumpsites. Detailed remedial measures for mitigating emergency situations to be monitored by control rooms available for such emergency situations
 - b) The onsite emergency plans to be integrated with exiting off site district disaster management plans in respective districts by District collector or District emergency authority designated by the State government.
 - c) The State or Union territory authorities to prepare on site & off site emergency management plans preferably through an expert agency on the subject.
 - d) Till the time preparations of such on site and off site plans takes place, interim measures to be taken

(b) Disposal of waste

- (i) Fresh waste not to be disposed where bioremediation is undertaken
- (ii) Organic waste from slaughter houses, fish market, industrial waste not to be disposed at the dumpsite
- (iii) To ensure industrial waste, e-waste, lithium battery is not dumped at the site
- (iv) Waste unloaded at the site to be visually examined for potential fire sources, if fire sources located should be neutralised with cover material immediately.
- (v) Emergency tipping area to be provided to set aside from immediate working area where incoming loads of material known to be inflammable, or suspected of being so, can be deposited, inspected and dealt with.
- (vi) Adequate compacting of waste to be done to minimise formation of air or methane pockets which can lead to subsurface fire at site.

(C) Landfill gas monitoring at dumpsite

- (i) Landfill gas detectors on downwind side to be installed at site so that area with high gas concentrations can be identified and preventive actions be undertaken.
- (ii) Further, temperature at windrows to be monitored with non-contact infrared thermometer and record be maintained for any major deviations. The temperature to be in the range of 35 degrees Celsius to 59 degrees Celsius.
- (iii) Treated leachate water to be sprayed on the waste when temperature rise is observed at the bioremediation site. Suitable mechanism should be in place for this.
- (iv) Installation of CCTV cameras at the site and provision of fencing & frequent patrolling to be done for checking unauthorised entry at dumpsite.
- (v) Regular monitoring of landfill gas at source needs to be carried out at the dumpsites till bioremediation is completed at sites. Landfill gas monitoring data should be available with Local bodies. Quarterly monitoring reports to be submitted by Urban Local Body to concerned State Pollution Control Board.

(D) Provisions for fire extinguishing

- (i) Adequate arrangement of sand or chemical fire extinguisher media such as foam or powder at site to be made to douse the fire in case afire incident reported. Usage of water to douse the fire should be avoided.
- (ii) Isolation and allowing rapid natural burnout or smothering with soil to be done for dousing fire at dumpsite.
- (iii) Dedicated fire tenders (preferably chemical extinguishing media and adequate fire safety measures are to be deputed, specifically during summer season when dumpsite fire is more likely to take place.
- (iv) All mobile equipment or vehicles should be fitted with fire extinguisher and spark arresters.

(E) Health and safety of workers

- (i) Fire protection measures and safety equipment to be provided to all workers at the site and checked before entry to the dumpsite. workers to be trained for detection of fire and necessary action to be taken in case of fire.
- (ii) Periodic training of workers be conducted in safe handling of waste, Personal protective equipment, safety issues etc

(iii) Periodic mock drills to be conducted to prevent fire accidents at dumpsites. Quarterly fire safety and hazardous emissions audits to be conducted

Form-I

[See Chapter II, rule 13(3), Chapter V, rule 39(25), rule 14(1)(iii)]

Application for obtaining authorization under solid waste management rules

For processing/recycling/treatment and disposal of solid waste

To,

The Member Secretary

State Pollution Control Board or Pollution Control Committee,

Of _____

Sir,

I/We hereby apply for authorization under the Solid Waste Management Rules, 2026 for processing, recycling, treatment and disposal of solid waste.

1.	Name of the local body/agency appointed by them/operator of facility	
2.	Correspondence address Telephone No. Fax No. ,E-mail:	
3.	Nodal Officer and designation (Officer authorised by the local body or agency responsible for operation of processing/treatment or disposal facility)	
4.	Authorization required for setting up and operation of facility (Please tick mark)	Waste processing recycling treatment disposal at landfill
5.	Attach copies of the documents Site Clearance (local body) Proof of Environmental Clearance Consent for establishment Agreement between municipal authority and operating agency Investment on the project and expected return	
6.	Processing or recycling or treatment of solid waste i. Total Quantity of waste to be processed per day Quantity of waste to be recycled Quantity of waste to be treated Quantity of waste to be disposed into landfill ii. Utilization Program for waste processed (Product Utilization) iii. Methodology for disposal (attach details) Quantity of leachate	

	Treatment technology for leachate iv. Measures to be taken for prevention and control of environmental pollution v. Measures to be taken for safety of workers working in the plant vi. Details on solid waste processing or recycling or treatment or disposal facility (to be attached)	
7.	Disposal of solid waste Number of sites identified Quantity of waste to be disposed per day Details of methodology or criteria followed for site selection (attach) Details of existing site under operation Methodology and operational details of landfilling Measures taken to check environmental pollution	
8.	Any other information	

Date:

Signature:

Time:

Designation:

Form- II

[see Chapter V, rule 14(1)(v)]

Format for issue of authorisation

File No.: _____

Dated: _____

Authorisation No _____

To

Ref: Your application number _____ dt. _____

The _____ State Pollution Control Board/Pollution Control Committee after examining the proposal hereby authorises _____ having administrative office at _____ to set up and operate waste processing/recycling/treatment/disposal facility at _____

The authorisation is hereby granted to operate the facility for processing, recycling, treatment and disposal of solid waste.

The authorisation is subject to the terms and conditions stated below and such conditions as may be otherwise specified in these rules and the standards laid down in Schedules II and III under these rules.

The _____ State Pollution Control Board or Pollution Control Committees of the UT may, at any time, revoke any of the conditions applicable under the authorisation and shall communicate the same in writing.

Any violation of the provision of the Solid Waste Management Rules, 2026 will attract the penal provision of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986).

(Member Secretary)

State Pollution Control Board or Pollution Control Committee of the UT

(Signature and designation)

Date:

Place:

Form – III

[see Chapter II, rule 7(1)(c) and Chapter IV, rule 20(1)]

Format of annual report to be submitted by the operator of facility to the local body

1.	Name of the City or Town and State	
2.	Population	
3.	Area in sq. kilometers	
4.	Name & Address of the local body Telephone No. Fax No. E-mail:	
5.	Name and address of operator of the facility	
6.	Name of officer in-charge of the facility Phone No: Fax No: E-mail:	
7.	Number of households in the city or town , Number of non-residential premises in the city Number of election or administrative wards in the city or town	
8.	Quantity of Solid waste Estimated Quantity of solid waste generated in the local body area per day in metric tones Quantity of solid waste collected per day tonnes per day) Per capita waste collected per day (/gm/day) Quantity of solid waste processed tonnes per day)	

	Quantity of solid waste disposed at landfill (tonnes per day)	
9.	Status of Solid Waste Management service	
10.	<p>Segregation and storage of waste at source</p> <p>Whether solid waste is stored at source in domestic or commercial or institutional bins</p> <p>Percentage of households practice storage of waste at source in domestic bins</p> <p>Percentage of non-residential premises practice storage of waste at source in commercial or institutional bins</p> <p>Percentage of households dispose of throw solid waste on the streets</p> <p>Percentage of non-residential premises dispose of throw solid waste on the streets</p> <p>Whether solid waste is stored at source in a segregated form</p> <p>If yes, Percentage of premises segregating the waste at source</p> <p>Door to Door Collection of solid waste</p>	
11.	Whether door to door collection Door to Door Collection of solid waste is being done in the city or town	
12.	<p>if yes</p> <p>Number of wards covered in Door to Door Collection collection of waste</p> <p>No. of households covered</p> <p>No. of non-residential premises including commercial establishments ,hotels, restaurants educational institutions or offices etc covered</p> <p>Percentage of residential and non-residential premises covered in door to door collection through :</p> <p>Motorized vehicle</p> <p>Containerized tricycle or handcart</p> <p>Other device</p>	
13.	<p>If not, method of primary collection adopted</p> <p>Sweeping of streets</p> <p>Length of roads, streets, lanes, bye-lanes in the city that need to be cleaned</p>	

14.	<p>Frequency of street sweepings and percentage of population covered</p> <p>Tools used</p> <p>Manual sweeping (%)</p> <p>Mechanical sweeping (%)</p> <p>Whether long handle broom used by sanitation workers (yes or no)</p> <p>Whether each sanitation worker is given handcart or tricycle for collection of waste (yes or no)</p> <p>Whether handcart / tricycle is containerized (yes or no)</p> <p>Whether the collection tool synchronizes with collection or waste storage containers utilized (yes or no)</p>	<p>Frequency</p> <p>Daily/Alternate days/twice a week/occasionally</p> <p>% of population</p>
15.	<p>Secondary Waste Storage facilities</p> <p>No. and type of waste storage depots in the city or town</p> <p>Open waste storage sites</p> <p>Masonry bins</p> <p>Cement concrete cylinder bins</p> <p>Dhalao or covered rooms or space</p> <p>Covered metal or plastic containers</p> <p>Upto 1.1 m³ bins</p> <p>2 to 5 m³ bins</p> <p>Above 5m³ containers</p> <p>Bin-less city</p> <p>No. Capacity in m³</p> <p>Bin or population ratio</p> <p>Ward wise details of waste storage depots (attach) :</p> <p>Ward No:</p> <p>Area:</p> <p>Population:</p> <p>No. of bins placed</p> <p>Total volume of bins placed</p> <p>Total storage capacity of waste storage facilities in cubic meters</p>	
16.	Total waste actually stored at the waste storage depots daily	

	Waste Treatment Technologies used Whether solid waste is processed	
22.	If yes, Quantity of waste processed daily Land(s) available with the local body for waste processing (in Hectares) Land currently utilized for waste processing Solid waste processing facilities in operation	/tpd
23.	Solid waste processing facilities under construction Distance of processing facilities from city/town boundary Details of technologies adopted Composting , vermi composting	Quantity raw material processed Quantity final product produced Quantity sold Quantity of residual waste landfilled Quantity raw material processed Quantity final product produced Quantity sold Quantity of residual waste landfilled
24.	Bio-methanation Refuse Derived Fuel Waste to Energy technology such as incineration, gasification, pyrolysis or any other technology (give detail) Co-processing	Quantity raw material processed Quantity final product produced Quantity sold Quantity of residual waste landfilled Quantity raw material processed Quantity final product produced Quantity sold Quantity of residual waste Landfilled Quantity raw material processed Quantity final product produced Quantity sold Quantity raw material processed

25.	Combustible waste supplied to cement plant Combustible waste supplied to solid waste based power plants Others	
26.	Solid waste disposal facilities No. of dumpsites sites available with the local body No. of sanitary landfill sites available with the local body Area of each such sites available for waste disposal	
27.	Area of land currently used for waste disposal Distance of dumpsite or landfill facility from city or town (kms) Distance from the nearest habitation (kms) Distance from water body (kms) Distance from state or national highway Distance from Airport kms Distance from important religious places or historical monument kms Whether it falls in flood prone area	
28.	Whether it falls in earthquake fault line area Yes or No Quantity of waste landfilled each day tpd Whether landfill site is fenced	
29.	Whether Lighting facility is available on site Yes or No Whether Weigh bridge facility available Yes or No Vehicles and equipments used at landfill (specify) Bulldozer, Compacters etc. available Manpower deployed at landfill site	
30.	Whether covering is done on daily basis Yes or No If not, Frequency of covering the waste deposited at the landfill Cover material used	
31.	Whether adequate covering material is available Yes or No	Yes or No

	Provisions for gas venting provided Yes or No, (if yes, attach technical data sheet) Provision for leachate collection	Yes or No, (if yes, attach technical data sheet) Yes or No, (if yes, attach technical data sheet)
32.	Whether an Action Plan has been prepared for improving solid waste management practices in the city	Yes or No (if Yes attach Action Plan details)
33.	What separate provisions are made for : Dairy related activities : Slaughter houses waste : C&D waste (construction debris) :	Attach details on Proposals, Steps taken, Yes or No Yes or No Yes or No
34.	Details of Post Closure Plan	Attach Plan
35.	How many slums are identified and whether these are provided with Solid Waste Management facilities :	Yes or No (if Yes, attach details)
36.	Give details of manpower deployed for collection including street sweeping, secondary storage, transportation, processing and disposal of waste	
37.	Mention briefly, the difficulties being experienced by the local body in complying with provisions of these rules	
38.	Mention briefly, if any innovative idea is implemented to tackle a problem related to solid waste, which could be replicated by other local bodies.	

Dated :

Signature of operator

Place:

Form – IV**[see, Chapter IV, rule 20(2) and Chapter V, rule 40(2)(xv)]****Format for annual report on solid waste management to be submitted by the local body****CALENDAR YEAR:****DATE OF SUBMISSION OF REPORT:**

1.	Name of the City or Town and State	
2.	Population	
3.	Area in sq. kilometers	

4.	Name & Address of the local body Telephone No. Fax No. E-mail:	
5.	Name of officer in-charge dealing with solid waste management (Solid Waste) Phone No: Fax No: E-mail: Details of Solid Waste Management Cell No. of Staff:	
6.	Number of households in the city or town , Number of non-residential premises in the city Number of election or administrative wards in the city or town	
7.	Quantity of Solid waste Estimated quantity of solid waste generated in the local body area per day in metric tones Quantity of solid waste collected per day (tonnes per day) Per capita waste collected per day (gm/day) Quantity of solid waste processed (tpd) Quantity of solid waste disposed at dumpsite or landfill (tonnes per day)	

8.	<p>Status of Solid Waste Management (SWM) service</p> <p>Segregation and storage of waste at source</p> <p>Whether solid waste is stored at source in domestic or commercial or institutional bins</p> <p>Percentage of households practice storage of waste at source in domestic bins</p> <p>Percentage of non-residential premises practice storage of waste at source in commercial or institutional bins</p> <p>Percentage of households dispose of throw solid waste on the streets</p> <p>Percentage of non-residential premises dispose of throw solid waste on the streets</p> <p>Whether solid waste is stored at source in a segregated form</p> <p>If yes, Percentage of premises segregating the waste at source</p> <p>Door to Door Collection of solid waste</p>	
9.	Whether door to door collection of solid waste is being done in the city or town	
10.	<p>If yes</p> <p>Number of wards covered in door to door collection collection of waste</p> <p>No. of households covered</p> <p>No. of non-residential premises including commercial establishments ,hotels, restaurants educational institutions or offices etc covered</p> <p>Percentage of residential and non-residential premises covered in door to door collection through :</p> <p>Motorized vehicle</p> <p>Containerized tricycle or handcart</p> <p>Other device</p>	
11.	<p>If not, method of primary collection adopted</p> <p>Sweeping of streets</p>	

	Length of roads, streets, lanes, bye-lanes in the city that need to be cleaned	
12.	Frequency of street sweepings and percentage of population covered Tools used Manual sweeping (%) Mechanical sweeping (%) Whether long handle broom used by sanitation workers (yes or no) Whether each sanitation worker is given handcart or tricycle for collection of waste (yes or no) Whether handcart or tricycle is containerized (yes or no) Whether the collection tool synchronizes with collection or waste storage containers utilized (yes or no)	Frequency Daily or Alternate days or twice a week or occasionally % of population
13.	Secondary Waste Storage facilities No. and type of waste storage depots in the city or town Open waste storage sites Masonry bins Cement concrete cylinder bins Dhalao or covered rooms or space Covered metal or plastic containers Upto 1.1 m ³ bins 2 to 5 m ³ bins Above 5m ³ containers Bin-less city No. Capacity in m ³ Bin or population ratio Ward wise details of waste storage depots (attach) : Ward No: Area: Population: No. of bins placed Total volume of bins placed Total storage capacity of waste storage facilities in cubic meters	
14.	Total waste actually stored at the waste storage depots daily	

20.	<p>If yes, Quantity of waste processed daily</p> <p>Land(s) available with the local body for waste processing (in Hectares)</p> <p>Land currently utilized for waste processing</p> <p>Solid waste processing facilities in operation</p> <p>No. and capacity of Material Recovery Facilities</p> <p>No. Capacity (MT) Waste segregated (MT)</p> <p>No. and capacity of Manual Material Recovery Facilities</p> <p>No. Capacity (MT) Waste segregated (MT)</p>	/tonnes per day
21.	<p>Solid waste processing facilities under construction</p> <p>Distance of processing facilities from city or town boundary</p> <p>Details of technologies adopted</p> <p>Composting,</p> <p>vermi composting</p>	<p>Quantity of raw material processed</p> <p>Quantity of final product produced</p> <p>Quantity sold</p> <p>Quantity of residual waste landfilled</p> <p>Quantity of raw material processed</p> <p>Quantity of final product produced</p> <p>Quantity sold</p> <p>Quantity of residual waste landfilled</p>
22.	<p>Bio-methanation</p> <p>Refuse Derived Fuel</p>	<p>Quantity of raw material processed</p> <p>Quantity of final product produced</p> <p>Quantity sold</p> <p>Quantity of residual waste landfilled</p> <p>Quantity of raw material processed</p> <p>Quantity of final product produced</p> <p>Quantity sold</p> <p>Quantity of residual waste landfilled</p>

	<p>Waste to Energy technology such as incineration, gasification, pyrolysis or any other technology (give detail)</p> <p>Number and capacity of Operational Waste to energy Plants</p> <p>Name and address with Extended Producer Responsibility registration number under Plastic Waste Management Rules, Capacity (MT), Plastic Waste processed (MT), Energy produced</p> <p>Number and capacity of operational waste to Oil units</p> <p>Name and address with Extended Producer Responsibility registration number under Plastic Waste Management Rules, Capacity (MT), Waste processed (MT), Oil generated</p>	<p>Quantity of raw material processed</p> <p>Quantity of final product produced</p> <p>Quantity sold</p> <p>Quantity of raw material processed</p>
23.	<p>Combustible waste supplied to cement plant</p> <p>Combustible waste supplied to solid waste based power plants</p> <p>Others</p>	
24.	<p>Solid waste disposal facilities</p> <p>No. of dumpsites sites available with the local body</p> <p>No. of sanitary landfill sites available with the local body</p> <p>Area of each such sites available for waste disposal</p> <p>Quantity of inert material disposed (MT) from recyclers and other waste processor in sanitary landfill</p>	
25.	<p>Area of land currently used for waste disposal</p> <p>Distance of dumpsite or landfill facility from city or town (kms)</p> <p>Distance from the nearest habitation (kms)</p> <p>Distance from water body (kms)</p> <p>Distance from state or national highway</p> <p>Distance from Airport kms</p>	

	Distance from important religious places or historical monument kms Whether it falls in flood prone area	
26.	Whether it falls in earthquake fault line area Yes or No Quantity of waste landfilled each day tpd Whether landfill site is fenced Scientific Landfill site (number and capacity) Capacity (MT) Waste received (MT)	
27.	Legacy waste site (number and amount of legacy waste) Waste processed to RDF (MT) Solid waste in RDF (%) Waste remaining (MT)	
28.	Whether Lighting facility is available on site Yes or No Whether Weigh bridge facility available Yes or No Vehicles and equipments used at landfill (specify) Bulldozer, Compacters etc. available Manpower deployed at landfill site	
29.	Whether covering is done on daily basis Yes or No If not, Frequency of covering the waste deposited at the landfill Cover material used	
30.	Whether adequate covering material is available Yes or No Provisions for gas venting provided Yes or No, (if yes, attach technical data sheet) Provision for leachate collection	Yes or No Yes or No, (if yes, attach technical data sheet) Yes or No, (if yes, attach technical data sheet)
31.	Whether an Action Plan has been prepared for improving solid waste management practices in the city	Yes or No (if Yes attach Action Plan details)
32.	What separate provisions are made for: Dairy related activities: Slaughter houses waste: C&D waste (construction debris):	Attach details on Proposals, Steps taken, Yes or No Yes or No Yes or No

33.	Details of Post Closure Plan	Attach Plan
34.	How many slums are identified and whether these are provided with Solid Waste Management facilities:	Yes or No (if Yes, attach details)
35.	Give details of manpower deployed for collection including street sweeping, secondary storage, transportation, processing and disposal of waste	
36.	<p>Give details of:</p> <p>Contractor or concessionaire's or third party's manpower deployed for collection including street sweeping, secondary storage, transportation, processing and disposal of waste</p> <p>Details of human resource including waste pickers in informal sector (concessionaire or third party or own resource) deployed for</p> <ol style="list-style-type: none"> Collection Street sweeping Transportation Segregation Processing disposal <p>(ii) Details of waste pickers engaged in solid waste management (ward wise)</p> <p>No. of waste pickers</p>	
37.	Mention briefly, the difficulties being experienced by the local body in complying with provisions of these rules	
38.	Mention briefly, if any innovative idea is implemented to tackle a problem related to solid waste, which could be replicated by other local bodies.	
39.	Enforcement of Solid Waste Management Rules	
40.	Please confirm if Bye-laws have been framed (Yes or No)	
41.	No. of violations & action taken on non-compliance of provisions of Solid Waste Management Rules, 2026	

42.	Total no of Violations (eg. Burning or Littering waste)	
43.	Actions Taken (Fines or penalties Imposed Rs.)	
44.	Data on ingress of littered solid waste in water bodies Ingress points for solid waste in Drain and Water Body Number of ingress points Measures taken to stop ingress of solid waste Surface water bodies including river stretches Number of surfaces water bodies Quantity of waste collected Number of drains cleaned from solid waste Total length of drains Total length of drains cleaned from solid waste Solid waste collected (MT) Silt collected	

Signature of Chief Executive Officer EO or Municipal Commissioner or
Executive Officer or Chief Officer

Date:

Place:

Form – V

[see, Chapter IV, rule 20(4)]

Format of annual report to be submitted by the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee to the Central Pollution Control Board**PART A**

To

The Chairman

Central Pollution Control Board

Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar

DELHI- 110 0032

1	Name of the State or Union territory	
2	Name & address of the State Pollution Control Board	
3	Number of local bodies responsible for management of solid waste in the State or Union territory under these rules	
4	No. of authorisation application received	
5	Details of Solid Waste Management (State Level) Collection Segregation Processing Disposal	
6	Summary of the mechanisms put in place for management of solid waste in your State or Union territory along with the details of agencies involved (Please attach the details)	
7	Please attach details of infrastructure put in place for management of solid waste generated in your State or Union territory	
8	Total no. of Material Recovery Facilities No. of Mechanical Material Recovery Facilities with capacity No. of Manual Material Recovery Facilities with capacity	
9	A Summary Statement on progress made by local body in respect of solid waste management	Please attach as Annexure-I
10	A Summary Statement on progress made by local bodies in respect of waste collection, segregation, transportation and disposal	Please attach as Annexure-II
11	A summary statement on progress made by local bodies in respect of implementation of Schedule II and Schedule III	Please attach as Annexure-III
	Date: Place:	Chairman or the Member Secretary State Pollution Control Board or

	Pollution Control Committee
Total Numbers of the Urban Local Bodies in the area under jurisdiction	
No. of Urban Local Bodies who have submitted Annual Report	
Total Numbers of the Gram Panchayat (GPs) in the area under jurisdiction	
Total number of Panchayati Raj Institution at District Level	
No. of Panchayati Raj Institution at District Level who have submitted annual report	
Please confirm that all Gram Panchayat or Urban Local Bodies have provided complete information in stipulated time as per format prescribed by Central Pollution Control Board (Yes or No)	
Please provide no. of Urban Local Bodies or Gram Panchayats which have not submitted complete information within the stipulated time frame	
Please provide total amount of environment compensation levied on Panchayati Raj Institution at District Level or Urban Local Bodies who have not submitted annual report as per prescribed timelines under the rules	
Quantity of Solid Waste generated (Tonnes)	
Quantity of Solid Waste collected (Tonnes)	
Quantity of Solid Waste Segregated (Tonnes)	
Please confirm that all Local Bodies or Gram Panchayats have carried out Assessment of Solid Waste Generation & Characterization as per methodology specified by Central Pollution Control Board (Yes or No)	
Please upload Solid Waste Characterization Report as per methodology specified by Central Pollution Control Board	
Please confirm that data validation and reconciliation for Urban Local Body and Panchayati Raj Institution at District Level has been done as per methodology specified by Central Pollution Control Board (Yes or No)	
Audit & Levying of Environmental Compensation	
EC levied on violating Entities	
ENFORCEMENT OF SWM RULES	
No. of local bodies which have framed bye-laws	
No. of violations & action taken on non-compliance of provisions of Solid Waste Management Rules, 2026	
Total no. of violations (Burning or Littering or non-registration and other non-compliance)	
Action Taken (Fine Imposed or Closures issued)	

PART B**Towns or cities**

Total number of towns or cities

Total number of local bodies

Number of class I & class II cities or towns

Authorisation status (names or number)

Number of applications received

Number of authorisations granted

Authorisations under scrutiny

SOLID WASTE Generation status

Solid waste generation in the state (Tonnes per day)

collected

treated

landfilled

Compliance to Schedule I, II and III of SW Rules (Number or names of towns or capacity)

Good practices in cities/towns

House-to-house collection

Segregation

Storage

Covered transportation

Processing of Solid Waste (Number or names of towns or capacity)

Solid Waste processing facilities setup:

Sl. No	Composting	Vermi-composting	Biogas	RDF or Pelletization	Biomethenation
--------	------------	------------------	--------	----------------------	----------------

Processing facility operational:

Sl. No	Composting	Vermi-composting	Biogas	RDF or Pelletization	Biomethenation
--------	------------	------------------	--------	----------------------	----------------

Processing facility under installation or planned:

Sl. No	Composting	Vermi-composting	Biogas	RDF or Pelletization	Biomethenation
--------	------------	------------------	--------	----------------------	----------------

Waste-to-Energy Plants: (Number or names of towns or capacity)

Sl. No	Plant Location	Status of operation	Power generation (MW)	Remarks
--------	----------------	---------------------	-----------------------	---------

Disposal of solid waste (number or names of towns or capacity):

Landfill sites identified

Landfill constructed
 Landfill under construction
 Landfill in operation
 Landfill exhausted
 Landfilled capped

Solid Waste Dumpsites (number or names of towns or capacity):

Total number of existing dumpsites
 Dumpsites reclaimed or capped
 Dumpsites converted to san

itary landfill

Monitoring at Waste processing or Landfills sites

Sl.No	Name of Facilities	Ambient air	Ground water	Leachate quality	Compost quality	VOCs

Status of Action Plan prepared by Municipalities

Total number of municipalities:
 Number of Action Plan submitted

Form – VI
[see, Chapter IV, rule 21]
Accident Reporting

1	Date and time of accident	
2	Sequence of events leading to accident	
3	The waste involved in accident	
4	Assessment of the effects of the accidents on human health and the environment	
5	Emergency measures taken	
6	Steps taken to alleviate the effects of accidents	
7	Steps taken to prevent the recurrence of such an accident	
i.	Date: Place:	Signature:..... Designation:

[F. No 18/3/2022-HSM]

NEELESH KUMAR SAH, Jt.Secy.